

(संग्रह)

मई भाग-1 2021

दृष्टि, 641, प्रथम तल, डॉ. मुखर्जी नगर, दिल्ली-110009

फोनः 8750187501

ई-मेलः online@groupdrishti.com

अनुक्रम

संवैधानिक ⁄प्रशासनिक घटनाक्रम	7
प्रतिरक्षण रणनीति 2030	7
 कोविड-19 टीकों के लिये विभेदक मूल्य निर्धारण 	8
 वंदे भारत मिशन : एक शीर्ष नागरिक बचाव अभियान 	9
विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस 2021	11
कोविड -19: भारत में मौतों का अग्रणी कारण	12
≻ सूत्र (SUTRA) मॉडल	13
 मराठा आरक्षण असंवैधानिक : सर्वोच्च न्यायालय 	14
 कोविड-19 वैक्सीन के लिये बौद्धिक संपदा संरक्षण में छूट 	15
 न्यायालय की कार्यवाही पर मीडिया को रिपोर्ट करने का अधिकार : सर्वोच्च न्यायालय 	16
विचलन बाद राजस्व घाटा	18
कोविड-टीकाकरण से संबंधित चुनौतियाँ	20
राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण	21
गोपाल कृष्ण गोखले	22
 पुडुचेरी के ग्रामीण क्षेत्रों में 100% नल कनेक्शन: JJM 	23
एमएलए-एलएडी योजना	24
संविधान का अनुच्छेद 311	25
> कॉर्पोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी (CSR) व्यय	27

आर्थिक घटनाक्रम	27
ि किर्गिजस्तान-ताजिकिस्तान सीमा तनाव	28
कोर सेक्टर आउटपुट	31
 एशियाई विकास आउटलुक-2021 : एशियाई विकास बैंक 	32
≻ छोटी बचत योजनाएँ	33
जैविक बाजरे का निर्यात	34
मॉडल इंश्योरेंस विलेज	35
 कोविड-19 की दूसरी लहर से उत्पन्न चुनौतियों का सामना करने के लिये RBI के उपाय 	37
 सोशल स्टॉक एक्सचेंज पर रिपोर्ट 	38
बॉण्ड यील्ड में गिरावट	40
भारत की 'संप्रभु रेटिंग'	42
विनियमन समीक्षा प्राधिकरण 2.0	43
 डिजिटल रूप से समावेशी भारत के लिये नीति आयोग की रिपोर्ट 	44
▶ सुपर साइकिल ऑफ कमोडिटीज	46
प्रमोटरों को 'पर्सन इन कंट्रोल' में बदलने का प्रस्ताव: SEBI	48
सॉवरेन गोल्ड बॉण्ड योजना 2021-22	49
एकीकृत बागवानी विकास मिशन	50
अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम	52
ताइवान द्वारा भारत की मदद	52
भारत-ब्रिटेन वर्चुअल सम्मेलन	54
 G7 के विदेश मंत्रियों की बैठक 	55

भारत-यूरोपीय संघ के नेताओं की बैठक	57
चौथी भारत-स्विस वित्तीय वार्ता	58
अल-अक्सा मस्जिद और शेख जर्राह	59
विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी	62
चीन का स्थायी अंतिरक्ष स्टेशन	62
पॉजिट्रॉन: इलेक्ट्रॉन का प्रतिरूपी प्रतिद्रव्य	63
कोविड-19 और निएंडरथल जीनोम	64
कोरोना वेरिएंट का नामकरण और वर्गीकरण	66
> 5जी परीक्षण	68
≽ शुक्र ग्रह	70
नासा का 'ओसीरिस-रेक्स' अभियान	71
पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण	74
वैश्विक वन लक्ष्य रिपोर्ट 2021: संयुक्त राष्ट्र	74
दिल्ली में वायु प्रदूषण	76
वित्तीय क्षेत्र और जलवायु परिवर्तन	77
एशियाई शेर	79
> पुलायार समुदाय और अन्नामलाई टाइगर रिजर्व	80
> ठाणे क्रीक फ्लेमिंगो अभयारण्य के आस-पास पर्यावरण संवेदी क्षेत्र	81
 वैश्विक मीथेन आकलन: मीथेन उत्सर्जन कम करने के लाभ और लागत 	83
 ग्रेट निकोबार द्वीप के लिये नीति आयोग की परियोजना 	85
 तीसरी आर्कटिक विज्ञान मंत्रिस्तरीय बैठक 	87

काजीरंगा एनिमल कॉरिडोर	88
बायोडिग्रेडेबल योगा मैट	90
बीमा बाँस	91
 जलवायु परिवर्तन कारकों से पृथ्वी के अक्ष में पिरवर्तन 	93
भूगोल एवं आपदा प्रबंधन	93
 भारत में अग्निशमन सुरक्षा का अभाव 	94
> भारतीय और ऑस्ट्रेलियाई मानसून में समानता	95
 यूरेनियम की अवैध बिक्री 	97
सामाजिक न्याय	100
अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस	100
> राज्य विधानसभाओं में महिलाओं एवं युवाओं की भागीदारी	101
 स्टेट ऑफ वर्किंग इंडिया 2021: वन ईयर ऑफ कोविड-19' रिपोर्ट 	103
 शहरी और ग्रामीण गरीबों पर कोविड-19 का प्रभाव 	105
> UDID पोर्टल	106
 कोविड-19: मेक इट द लास्ट पेंडेमिक रिपोर्ट 	107
 लॉकडाउन के दौरान बाल विवाह में बढ़ोतरी 	108
कला एवं संस्कृति	110
गुरु तेग बहादुर की 400वीं जयंती	110
► P-8I पैट्रोल विमान	113

आंतरिक सुरक्षा	113
 UNHCR जा सकते हैं म्याँमार शरणार्थी: मिणपुर उच्च न्यायालय 	114
 आयरन डोम एयर डिफेंस सिस्टम: इज्ञरायल 	116
चर्चा में	118
पाइथन-5 मिसाइल	118
> MACS 1407: सोयाबीन की किस्म	119
राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष	120
ऑपरेशन समुद्र सेतु-II	120
क्रय प्रबंधक सूचकांक	121
> प्रधानमंत्री मुद्रा योजना	122
स्वामित्व योजना	123
> GIR GIR AIN TO THE TOTAL TO T	124
> म्युकरमाइकोसिस	124
महाराणा प्रताप जयंती	125
रवींद्रनाथ टैगोर	125
प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना	126
राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस	127
कर्नाटक की हक्कीपिक्की जनजाति	128
विविध	129

संवैधानिक/प्रशासनिक घटनाक्रम

प्रतिरक्षण रणनीति 2030

चर्चा में क्यों?

हाल ही में संयुक्त राष्ट्र (United Nations) और अन्य एजेंसियों द्वारा विश्व प्रतिरक्षण सप्ताह (World Immunisation Week) के दौरान प्रतिरक्षण रणनीति- 2030 (Immunisation Agenda-IA 2030) को लॉन्च किया गया है।

- यह संयुक्त राष्ट्र के अनिवार्य सतत् विकास लक्ष्यों (विशेष रूप से SDG-3 जिसमे बेहतर स्वास्थ्य और कल्याण शामिल है) को प्राप्त करने में योगदान देगा।
- कोविड-19 महामारी ने वैश्विक स्तर पर नियमित टीकाकरण को प्रभावित किया है।

प्रमुख बिंदुः

प्रतिरक्षण रणनीति- 2030 (IA-2030) के विषय में:

- यह दशक 2021-2030 हेतु वैक्सीन और टीकाकरण के लिये एक महत्त्वाकांक्षी, अतिव्यापी वैश्विक दृष्टि और रणनीति निर्धारित करता है।
- IA-2030 ग्लोबल वैक्सीन एक्शन प्लान (Global Vaccine Action Plan- GVAP) पर आधारित है। इसका उद्देश्य GVAP के उन लक्ष्यों को संबोधित करना है जो 'वैक्सीन दशक' (2011-20) की वैश्विक टीकाकरण रणनीति के हिस्से के रूप में पूरे किये जाने थे।
 - ◆ GVAP को 'वैक्सीन दशक' (Decade of Vaccines) के लक्ष्य को प्राप्त करने में मदद करने हेतु विकसित किया गया था, जिससे सभी व्यक्ति और समुदाय वैक्सीन-निवारक बीमारियों से मुक्त हो सकें।
- यह सात रणनीतिक प्राथिमकताओं के एक वैचारिक ढाँचे पर आधारित है, तािक यह सुनिश्चित किया जा सके कि टीकाकरण, प्राथिमक स्वास्थ्य देखभाल को मजबूत करने और सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज की प्राप्ति में पूर्णत: योगदान दे।
- इसे चार मुख्य सिद्धांतों द्वारा रेखांकित किया जाता है:
 - यह आम लोगों को केंद्र में रखता है।
 - इसका नेतृत्व देशों द्वारा किया जाता है।
 - इसे व्यापक साझेदारी के माध्यम से कार्यान्वित किया जाता है।
 - यह डेटा द्वारा संचालित होता है।

IA-2030 के लक्ष्य:

- इस नए टीकाकरण कार्यक्रम के तहत विश्व स्वास्थ्य संगठन (World Health Organization- WHO), यूनिसेफ (UNICEF) जैसी अन्य वैश्विक एजेंसियों द्वारा मौजूदा दशक (2021-2030) में 50 मिलियन वैक्सीन-निवारक संक्रमणों (Million Vaccine-Preventable Infections) से बचने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।
- इस कार्यक्रम के तहत टीकाकरण से वंचित बच्चों अथवा शून्य-खुराक वाले बच्चों की संख्या को घटाकर 50% तक कम करने का लक्ष्य रखा गया है।
 - शून्य खुराक वाले बच्चों में वे बच्चे शामिल हैं, जिन्हें टीकाकरण कार्यक्रमों के माध्यम से कोई टीका नहीं मिला है।
- बचपन और किशोरावस्था में दिये जाने वाले आवश्यक टीकों का 90% कवरेज लक्ष्य प्राप्त करना।
- राष्ट्रीय या राज्य स्तर पर कोविड-19, रोटावायरस या ह्यूमन पेपिलोमावायरस (Human Papillomavirus- HPV) जैसे नए या कम उपयोग किये गए 500 टीकों को प्रस्तुत करने के लक्ष्य को पूरा करना।

• संयुक्त राष्ट्र की एजेंसियाँ IA-2030 के माध्यम से यह सुनिश्चित करना चाहती हैं कि टीकाकरण के लाभों को देशों में सभी के साथ समान रूप से साझा किया जाए।

जनसंख्या के अनुसार प्राथमिकताः

- IA-2030 'बॉटम-अप' (Bottoms-Up) दृष्टिकोण पर आधारित है, जबिक GVAP 'टॉप-डाउन' (Top-Down) दृष्टिकोण पर आधारित है।
- यह आबादी के उस हिस्से को प्राथमिकता देगा जिन तक वर्तमान में टीकाकरण की पहुँच संभव नहीं है, विशेष रूप से समाज का वह वर्ग जो सर्वाधिक हाशिये पर है तथा जो अत्यधिक संवेदनशील और संघर्ष प्रभावित क्षेत्रों में रहता हैं।

टीकाकरण हेत् भारत की पहलः

- हाल ही में, कोविड -19 महामारी के दौरान नियमित टीकाकरण में शामिल नहीं हो पाने वाले बच्चों और गर्भवती महिलाओं को कवर करने के उद्देश्य से सघन मिशन इन्द्रधनुष-3.0 (IMI 3.0) योजना शुरू की गई है।
 - ◆ वर्ष 1978 में भारत में टीकाकरण कार्यक्रम को स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा प्रतिरक्षण कार्यक्रम (Expanded Programme of Immunization- EPI) के रूप में शुरू िकया गया था। वर्ष 1985 में, इस कार्यक्रम को, यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम (Universal Immunization Programme-UIP) के रूप में परिवर्तित िकया गया।
- भारत कोवैक्स (COVAX) का प्रमुख आपूर्तिकर्त्ता है, जो कि एक वैश्विक पहल है। इस पहल का उद्देश्य यूनिसेफ, ग्लोबल एलायंस फॉर वैक्सीन एंड इम्युनाइजेशन (GAVI), विश्व स्वास्थ्य संगठन तथा महामारी की तैयारी में जुटे अन्य संगठनों तक कोविड-19 टीकों की समान पहुँच उपलब्ध करना है।
- भारत ने विभिन्न देशों में कोविड वैक्सीन की आपूर्ति करने हेतु 'वैक्सीन मैत्री' (Vaccine Maitri) पहल भी शुरू की है।

विश्व प्रतिरक्षण सप्ताहः

- प्रतिवर्ष अप्रैल के अंतिम सप्ताह में 'विश्व प्रतिरक्षण सप्ताह' मनाया जाता है।
- इसका उद्देश्य सभी उम्र के लोगों को बीमारी से बचाने हेतु टीकों के उपयोग को बढ़ावा देना है।
 - टीकाकरण उस प्रक्रिया को वर्णित करता है, जिससे लोग सूक्ष्मजीवों (औपचारिक रूप से रोगजनकों) से होने वाले संक्रामक बीमारी से सुरक्षित रहते हैं। 'टीका' शब्द टीकाकरण में प्रयुक्त होने वाली सामग्री को संदर्भित करता है।
 - ♦ टीकाकरण वैश्विक स्वास्थ्य और विकास की सफलता को प्रदर्शित करता है, जिससे प्रतिवर्ष लाखों लोगों की जान बचती है।
- वर्ष 2021 के लिये इस दिवस की थीम 'वैक्सीन ब्रिंग अस क्लोज़र' (Vaccines bring us closer) है।

कोविड-19 टीकों के लिये विभेदक मूल्य निर्धारण

चर्चा में क्यों?

हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार से कहा है कि वह कोविड-19 टीकों और अन्य आवश्यक वस्तुओं के मूल्य निर्धारण के पीछे आधार और औचित्य की व्याख्या करें।

 न्यायालय ने यह इंगित किया कि "विभिन्न निर्माता अलग-अलग मूल्य उद्धृत कर रहे हैं", जबिक ड्रग्स नियंत्रण अधिनियम और पेटेंट अधिनियम के तहत केंद्र सरकार को इस संबंध में अधिकार प्राप्त हैं और यह समय उन्हीं शक्तियों को प्रयोग करने का है।

प्रमुख बिंदुः

भारत में दवाओं के लिये मूल्य निर्धारण संबंधी नियम:

- आवश्यक दवाओं के मूल्य निर्धारण को आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के माध्यम से केंद्रीय स्तर पर नियंत्रित किया जाता है।
- आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3 के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा ड्रग्स मूल्य नियंत्रण आदेश (Drug Price Control Order-DPCO) लागू किया गया है।

- इग्स मुल्य नियंत्रण आदेश ने 800 से अधिक आवश्यक दवाओं को सुचीबद्ध करते हुए उनके मुल्य पर नियंत्रण स्थापित किया।
- राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण (NPPA) एक स्वायत्त निकाय है, जो देश में स्वास्थ्य संबंधी आवश्यक दवाओं (NLEM) एवं उत्पादों की कीमतों को नियंत्रित करता है। इसकी स्थापना वर्ष 1997 में की गई थी।
- हालाँकि, DPCO के माध्यम से कोई भी नियमन पेटेंट दवाओं या निश्चित ख़ुराक संयोजन (FDC) दवाओं पर लागू नहीं होता है।
 - यही कारण है कि एंटीवायरल ड्रग रेमेडीविर (remdesivir), जो वर्तमान में कोविड-19 के गंभीर मामलों के उपचार के लिये काफी
 प्रचलित है, की कीमत सरकार द्वारा विनियमित नहीं की जा रही है।
- कोविड -19 के उपचार में उपयोग किये जाने वाले कोविड-19 के टीके या दवाओं के लिये संशोधन करना आवश्यक है जैसे-DPCO के तहत रेमेडिसविर को शामिल करना।
 - टीकों के मूल्य निर्धारण के लिये उपलब्ध अन्य कानूनी रास्ते:
- पेटेंट अधिनियम, 1970:
 - ◆ इस कानून में ऐसे दो प्रमुख प्रावधानों का उल्लेख सर्वोच्च न्यायालय ने किया है, जिसका उपयोग वैक्सीन के मूल्य निर्धारण को विनियमित करने के लिये संभावित रूप से किया जा सकता है।
 - ♦ इस अधिनियम की धारा 100 केंद्रीय सरकार को सरकार के प्रयोजनों के लिये आविष्कारों का उपयोग करने की शक्ति प्रदान करती है।
 - यह प्रावधान सरकार को विनिर्माण में तेजी लाने और समान मूल्य निर्धारण सुनिश्चित करने के लिये विशिष्ट कंपिनयों को वैक्सीन के पेटेंट का लाइसेंस देने में सक्षम बनाता है।
 - अधिनियम की धारा 92 केंद्र सरकार को राष्ट्रीय आपातकाल या सार्वजिनक तात्कालिकता के मामले में अनिवार्य लाइसेंस देने का अधिकार देता है।
- महामारी रोग अधिनियम, 1897:
 - सरकार ने महामारी के प्रकोप से लडने के लिये इसे मुख्य हथियार के रूप में इस्तेमाल किया है।
 - ♦ इस अधिनियम की धारा 2 सरकार को विशेष उपाय करने और महामारी के दौरान विशेष नियम निर्धारित करने का अधिकार देती है।
 - ♦ अधिनियम के अंतर्गत अपरिभाषित शक्तियों का व्यापक उपयोग मूल्य निर्धारण को नियंत्रित करने के लिये किया जा सकता है।

आगे की राह

इन कानूनी उपायों के अतिरिक्त विशेषज्ञों ने सुझाव दिया है कि केंद्र सरकार समान मूल्य निर्धारण सुनिश्चित करने के लिये निर्माताओं से प्रत्यक्ष खरीद के मार्ग पर विचार का सकती है, क्योंकि एक खरीदार के रूप सरकार के पास सौदेबाजी (bargaining) या मोल-भाव करने की शक्ति अधिक होगी।

वंदे भारत मिशन: एक शीर्ष नागरिक बचाव अभियान

चर्चा में क्यों?

कोविड-19 महामारी के मद्देनज़र मई 2020 में लॉकडाउन जैसी स्थिति के कारण विदेश में फँसे भारतीय नागरिकों को वापस लाने के लिये शुरू किया गया वंदे भारत मिशन (Vande Bharat Mission) किसी देश द्वारा अपने नागरिकों को वापस लाने की सबसे बड़ी पहलों में से एक बन गया है।

प्रमुख बिंदुः

वंदे भारत मिशन (VBM):

- कोरोना वायरस के कारण वैश्विक यात्रा पर प्रतिबंध होने से विदेश में फँसे भारतीय नागरिकों को वापस लाने हेतु यह अब तक का सबसे बड़ा नागरिक निकासी अभियान है।
- इस अभियान ने वर्ष 1990 में खाड़ी युद्ध के दौरान कुवैत से 1,77,000 लोगों को वापस भारत लाने के अभियान को भी पीछे छोड़ दिया है।

- यह मिशन अपने 10वें चरण से गुज़र रहा है और इसके तहत अब तक लगभग 32 लाख यात्रियों को सुरक्षित घर पहुँचाया गया है।
- राष्ट्रीय वाहक एयर इंडिया ने अपनी अनुषांगिक इकाई एयर इंडिया एक्सप्रेस के साथ मिलकर व्यापक तौर पर इस मिशन का समर्थन किया और नागरिकों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुँचाया।
 - एयर इंडिया एक्सप्रेस (AIE) ने पश्चिम एशियाई देशों, सिंगापुर और कुआलालंपुर (मलेशिया) के लिये कृषि उपज, मुख्य रूप से फलों और सब्जियों को लाने हेतु भी अपने बेड़े का उपयोग किया।
- इसके अतिरिक्त इस मिशन का उद्देश्य संकटग्रस्त ग्रामीण किसानों और अप्रवासी भारतीयों की मदद करना और आपूर्ति शृंखला को बरकरार रखना भी है।
- इस मिशन के तहत 93 से अधिक देशों के प्रवासी भारतीयों ने प्रत्यावर्तन की सुविधा प्राप्त की है, वहीं सरकार ने अब तक 18 विभिन्न देशों के साथ विशेष हवाई यात्रा की व्यवस्था भी की है, जिसे 'परिवहन बबल्स' (Bubbles) के नाम से जाना जाता है।
 - ◆ परिवहन बबल्स (bubbles) या हवाई यात्रा की व्यवस्था दो देशों के बीच अस्थायी व्यवस्था है, जिसका उद्देश्य वाणिज्यिक यात्री सेवाओं को फिर से शुरू करना है, विशेष तौर पर जब कोविड-19 महामारी के परिणामस्वरूप नियमित अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों को निलंबित कर दिया गया हो।
 - यह दोनों देशों के वाहक या यात्री उड़ानों को बिना किसी प्रतिबंध के उड़ान की अनुमित देता है।
 - ♦ पारस्परिक रूप से द्विपक्षीय समझौते का उद्देश्य दोनों देशों की एयरलाइनों को तेज़ी से प्रत्यावर्तन के साथ लाभांवित करना है।
- भारत समेत विभिन्न देशों में कोविड -19 के तात्कालिक बढ़ते मामलों के कारण कई वंदे भारत मिशन उड़ानों में देरी देखने को मिली है।

अन्य नागरिक बचाव मिशन:

- खाड़ी देशों से निकासी (1990-91):
 - ♦ वंदे भारत मिशन से पूर्व वर्ष 1990 में खाड़ी युद्ध के दौरान कुवैत से भारतीय नागरिको को वापस लाना अब तक का सबसे बड़ा निकासी अभियान था।
 - ◆ खाड़ी युद्ध के दौरान लगभग 1,77,000 भारतीय फँसे हुए थे। उस समय, एयर इंडिया ने दो महीनों में लगभग 500 उड़ानें संचालित की थीं।
- ऑपरेशन राहतः
 - वर्ष 2015 के यमन संकट के दौरान भारतीय सशस्त्र बल द्वारा शुरू किये गए ऑपरेशन राहत के अंतर्गत यमन से 41 देशों के 960 विदेशी नागरिकों के साथ 4640 से अधिक भारतीय नागरिकों को निकाला गया था।
 - यह अभियान वायु मार्ग और समुद्र मार्ग दोनों से संचालित किया गया था।
- ऑपरेशन मैत्री:
 - ◆ वर्ष 2015 में नेपाल में आए भूकंप में बचाव और राहत अभियान के रूप में ऑपरेशन मैत्री का संचालन भारत सरकार और भारतीय सशस्त्र बलों द्वारा किया गया था।
 - भारतीय सशस्त्र बलों ने लगभग 5,188 लोगों को निकाला था, जबिक लगभग 785 विदेशी पर्यटकों को पारगमन वीजा प्रदान किया गया
 था।
- ऑपरेशन सुरिक्षत घर वापसी:
 - ♦ इसे भारत सरकार ने 26 फरवरी, 2011 को लीबियाई गृहयुद्ध में फंसे भारतीय नागरिकों को निकालने के लिये शुरू किया था।
 - भारतीय नौसेना और एयर इंडिया द्वारा वायु मार्ग और समुद्र मार्ग दोनों का संचालन किया गया था। ऑपरेशन में लगभग 15,000 नागरिकों को बचाया गया था।
- ऑपरेशन सुकून:
 - यह अभियान भारतीय नौसेना द्वारा लेबनान युद्ध (2006) के दौरान लेबनान में फँसे भारत, श्रीलंका और नेपाल के नागरिकों की सुरक्षित वापसी के लिये चलाया गया था।
 - 🔷 यह भारतीय नौसेना द्वारा किये गए सबसे बड़े बचाव अभियानों में से एक था, जिसमें कुल 2,280 लोगों को बचाया गया था।

विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस 2021

चर्चा में क्यों?

प्रत्येक वर्ष विश्व भर में 3 मई को 'विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस' (WPFD) मनाया जाता है।

- यह दिवस ' संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन' (UNESCO) द्वारा आयोजित किया जाता है।
- इस वर्ष विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस की थीम 'इनफॉर्मेशन एज ए पब्लिक गुड' है।

प्रमुख बिंदु

पृष्ठभूमि:

- वर्ष 1991 में यूनेस्को की जनरल कॉन्फ्रेंस की सिफारिश के बाद वर्ष 1993 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस की घोषणा की थी।
- यह दिवस वर्ष 1991 में यूनेस्को द्वारा अपनाई गई 'विंडहोक' (Windhoek) घोषणा को भी चिह्नित करता है।
 - ♦ वर्ष 1991 की 'विंडहोक घोषणा' एक मुक्त, स्वतंत्र और बहुलवादी प्रेस के विकास से संबंधित है।

WPFD 2021 की तीन प्रमुख विशेषताएँ:

- समाचार मीडिया की आर्थिक व्यवहार्यता सुनिश्चित करने पर केंद्रित कदम।
- इंटरनेट कंपनियों की पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिये तंत्र।
- संवर्द्धित मीडिया और सूचना साक्षरता (MIL) क्षमताएँ जो लोगों को पहचानने और मूल्यवर्द्धन में सक्षम बनाने के साथ-साथ पत्रकारिता को सार्वजनिक हित के रूप में महत्त्वपूर्ण बनाती हैं।

विश्व प्रेस सम्मलेन 2021:

- वर्ष 2021 के वैश्विक सम्मेलन की मेजबानी यूनेस्को और नामीबिया सरकार द्वारा की गई थी।
- COVID-19 महामारी के कारण यह सम्मेलन दुनिया भर में स्थानीय समाचार मीडिया द्वारा जोखिम संभावित मुद्दों की ओर तत्काल ध्यान आकर्षित करेगा।
- इस आयोजन में उन उपायों पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा जो हमारे ऑनलाइन मीडिया पर्यावरण की चुनौतियों से निपटने, इंटरनेट कंपनियों की पारदर्शिता बढ़ाने के लिये, पत्रकारों की सुरक्षा को मजबूत करने और उनकी कार्य स्थितियों में सुधार करने हेतु की जा रही है।

भारत में प्रेस की स्वतंत्रता

- प्रेस की स्वतंत्रता को भारतीय कानूनी प्रणाली द्वारा स्पष्ट रूप से संरक्षित नहीं किया गया है, लेकिन यह संविधान के अनुच्छेद 19 (1) (क)
 के तहत संरक्षित है, जिसमें कहा गया है "सभी नागरिकों को वाक् एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार होगा"।
- वर्ष 1950 में रोमेश थापर बनाम मद्रास राज्य मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने पाया कि सभी लोकतांत्रिक संगठनों की नींव प्रेस की स्वतंत्रता
 पर आधारित होती है।
- हालाँकि प्रेस की स्वतंत्रता भी असीमित नहीं होती है। कानून इस अधिकार के प्रयोग पर केवल उन प्रतिबंधों को लागू कर सकता है, जो अनुच्छेद 19 (2) के तहत इस प्रकार हैं-
 - भारत की संप्रभुता और अखंडता से संबंधित मामले, राज्य की सुरक्षा, विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध, सार्वजिनक व्यवस्था,
 शालीनता या नैतिकता या न्यायालय की अवमानना के संबंध में मानहानि या अपराध को प्रोत्साहन।
- संबंधित रैंकिंग / परिणाम:
 - ♦ हाल ही में जारी 180 देशों के 'विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक' (World Press Freedom Index) 2021 में भारत 142वें स्थान पर है। यह 'रिपोर्टर्स सेन्स फ्रंटियर्स' (RSF) या 'रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स' द्वारा प्रत्येक वर्ष प्रकाशित किया जाता है।
 - फ्रीडम इन द वर्ल्ड 2021 (अमेरिका आधारित 'फ्रीडम हाउस'), मानवाधिकार रिपोर्ट 2020 (अमेरिकी राज्य विभाग), ऑटोक्रेटाइजेशन गोज वायरल (स्वीडन के वैरायटीज ऑफ डेमोक्रेसी) जैसी सभी रिपोर्टों में भारत में पत्रकारों को डराने-धमकाने पर प्रकाश डाला गया है।

कोविड -19: भारत में मौतों का अग्रणी कारण

चर्चा में क्यों?

'इंस्टीट्यूट फॉर हेल्थ मेट्रिक्स एंड इवैल्यूएशन' (IHME) के हालिया अनुमानों के अनुसार, कोविड-19 महामारी भारत में मौतों का सबसे बड़ा कारण बनकर उभरी है।

IHME, वाशिंगटन विश्वविद्यालय (अमेरिका) में स्थित एक स्वतंत्र वैश्विक स्वास्थ्य अनुसंधान केंद्र है।

प्रमुख बिंदुः

कोविड-19 महामारी के कारण मौतें:

- भारत में कोरोना वायरस के 19 मिलियन से अधिक मामले दर्ज किये गए हैं। कोविड-19 महामारी के कारण हुई मौतों के मामले में भारत,
 अमेरिका के बाद दूसरे स्थान पर है और यहाँ 2,15,000 से अधिक मौतों की पुष्टि की गई है।
- महामारी में हुई मौतों की संख्या पिछले दो दशकों (2000-2019) के दौरान 320 से अधिक प्राकृतिक आपदाओं में मारे गए लोगों की संख्या से दोगुनी है।

भारत में मौतों के अन्य शीर्ष कारण:

- अरक्तजन्य हृदय रोग (दूसरा),
- जीर्ण प्रतिरोधी फुफ्फुसीय रोग (तीसरा),
- स्ट्रोक (चौथा),
- डायरिया रोग (पाँचवें),
- नवजात विकार (छठा),
- कम श्वसन संक्रमण (सातवाँ),
- क्षय रोग (आठवाँ),
- मधुमेह मेलेटस (नौवाँ) और
- क्रोनिक यकृत रोग (दसवाँ), जिसमें सिरोसिस भी शामिल है।

कोविड-19: मौतों के प्रमुख कारण के रूप में:

- SARS-CoV-2 के 'डबल म्यूटेंट' B.1.617 के भारतीय वेरिएंट के कारण जोखिम बढ़ गया है।
- सरकारों की तैयारियों में कमी, भारत की खराब स्वास्थ्य संरचना, मेडिकल ऑक्सीजन और दवाओं की कमी के कारण लोगों को अपना जीवन गंवाना पड़ रहा है।
- सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय द्वारा संकट के पैमाने को कम करने देखने और इसे प्रबंधित करने में विफलता रहने के लिये केंद्र सरकार और राज्य सरकारों को जिम्मेदार ठहराया गया है।
- विशेषज्ञ भारत की कोविड-19 वैक्सीन खरीद और मूल्य निर्धारण नीति से भी नाखुश रहे हैं। राज्यों को अपने टीकों के कोटा का इंतजार करना होगा।

आगे की राहः

- IHME ने सरकारों को सलाह दी है कि वे कम-से-कम छह सप्ताह के लिये सख्त 'फिज़िकल डिस्टेंसिंग' संबंधी मानदंड लागू करें।
- सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र के साथ-साथ राज्यों को सलाह दी है कि यदि आवश्यक हो तो लॉकडाउन का सहारा लें, लेकिन यह भी सुनिश्चित करें कि आजीविका प्रभावित न हो।

सूत्र (SUTRA) मॉडल

चर्चा में क्यों?

कई वैज्ञानिकों ने सरकार द्वारा समर्थित एक मॉडल को कोविड की दूसरी लहर के लिये जिम्मेदार ठहराया हैं, जिसे SUTRA (Susceptible, Undetected, Tested (positive), and Removed Approach) कहा जाता है , इस मॉडल के निर्माण के पीछे सबसे बड़ी धारणा यह थी कि भारत में कोविड की दूसरी लहर की संभावना नहीं है।

कोविड-19 की दूसरी लहर ने अप्रैल 2021 से हजारों लोगों के जीवन को प्रभावित किया है।

प्रमुख बिंदु

परिचय:

- कानपुर और हैदराबाद आईआईटी के वैज्ञानिकों ने भारत में कोविड ग्राफ का पूर्वानुमान लगाने के लिये SUTRA मॉडल लागू किया।
 - 🔷 यह पहली बार तब सार्वजनिक रूप से लोगों के ध्यान में आया, जब उसके एक विशेषज्ञ सदस्य ने अक्तूबर 2020 में यह घोषणा की कि भारत में कोविड की स्थिति अपनी चरम सीमा पर है।
- महामारी संबंधी विषयों का पूर्वानुमान लगाने के लिये यह मॉडल तीन मुख्य मापदंडों का उपयोग करता है, जो इस प्रकार हैं:
 - ♦ बीटा (Beta): जिसे संपर्क दर भी कहा जाता है, जो यह मापता है कि एक संक्रमित व्यक्ति प्रतिदिन कितने लोगों को संक्रमित करता है। यह Ro वैल्यू से संबंधित है, जो एक संक्रमित व्यक्ति के संक्रमण के दौरान वायरस को फैलाने वाले लोगों की संख्या है।
 - ♦ पहुँच (Reach): यह जनसंख्या में महामारी के प्रसार के स्तर की एक माप है।
 - एप्सिलॉन (Epsilon): यह जाँच किये गए सिक्रय और असिक्रय मामलों का अनुपात है।

सूत्र संबंधित समस्याएँ:

- भिन्नता (Variability):
 - ♦ SUTRA के पूर्वानुमानों के कई उदाहरण हैं जो वास्तविक मामलों की संख्या के अनुमान (Caseload) की पहुँच से बहुत दूर हैं और SUTRA मॉडल के पूर्वानुमान सरकारी नीतियों का मार्गदर्शन करने के लिये बहुत अधिक परिवर्तनशील हैं।
- अनेक मापदंड (Too Many Parameters):
 - ♦ SUTRA मॉडल समस्याग्रस्त था क्योंकि यह अनेक मापदंडों पर निर्भर था और जब भी इसके पूर्वानुमान विफल होते थे तो उन मापदंडों को पुनर्गठित किया जाता था।
 - ♦ अधिक पैरामीटर या मापदंड का होना, 'ओवरिफटिंग' (Overfitting) या किसी मॉडल के विफल होने के खतरे को संदर्भित करता है। इसके लिये 3 या 4 मापदंडों के साथ छोटी-छोटी पहलों पर किसी भी वक्र को स्थापित कर सकते हैं।
- वायरस के व्यवहार को अनदेखा करनाः
 - ♦ SUTRA मॉडल में वायरस के व्यवहार को पहचानने वाले गुणों की कमी है; कुछ तथ्यों द्वारा यह स्पष्ट होता है कि कुछ लोग दूसरों की तुलना में वायरस के बड़े ट्रांसमीटर थे (घर से काम करने वाले व्यक्ति की तुलना में बार्बर (नाई) या रिसेप्शनिस्ट अधिक ट्रांसमीटर थे); इसके अतिरिक्त सामाजिक या भौगोलिक विषमता के लिये लेखांकन की कमी और उम्र के अनुसार जनसंख्या का स्तरीकरण नहीं करना इसके प्रमुख कारणों में शामिल है, क्योंकि इसने विभिन्न आयु समूहों के बीच संपर्कों के लिये इसकी वैधता को कम नहीं किया था।
- परिवर्तन के कारणों की अनदेखी:
 - ♦ नए वेरिएंट SUTRA मॉडल में 'बीटा' (जो अनुमानित संपर्क दर) नामक मापदंडों के मूल्य में वृद्धि के रूप में दिखाई दिये।
 - ♦ जहाँ तक मॉडल का संबंध है, इसकी पैरामीटर वैल्यू में परिवर्तन नज़र आ रहा है। यह इस बात की पुष्टि नहीं करता कि परिवर्तन के पीछे क्या कारण हैं।

मराठा आरक्षण असंवैधानिक : सर्वोच्च न्यायालय

चर्चा में क्यों?

हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय (SC) ने महाराष्ट्र में आरक्षण संबंधी उस कानून को असंवैधानिक घोषित कर दिया है, जिसमें मराठा समुदाय को आरक्षण का लाभ देने संबंधी प्रावधान किये गए थे।

प्रमुख बिंदुः

पृष्ठभूमि:

- वर्ष 2017: सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति एन. जी. गायकवाड की अध्यक्षता में गठित 11 सदस्यीय आयोग ने मराठा समुदाय को सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्ग (Socially and Educationally Backward Class- SEBC) के तहत आरक्षण की सिफारिश की।
- वर्ष 2018: महाराष्ट्र विधानसभा में मराठा समुदाय हेतु 16% आरक्षण का प्रस्ताव पारित किया गया।
- वर्ष 2018: आरक्षण को बरकरार रखते हुए बॉम्बे उच्च न्यायालय ने कहा कि आरक्षण की सीमा 16% के बजाय शिक्षा में 12% और नौकरियों में 13% से अधिक नहीं होनी चाहिये।
- वर्ष 2020: सर्वोच्च न्यायालय ने इस कानून के क्रियान्वयन पर रोक लगा दी और इस मामले को भारत के मुख्य न्यायाधीश के पास एक बड़ी खंडपीठ को दिये जाने के लिये हस्तांतरित कर दिया।

वर्तमान नियम:

- मौलिक अधिकारों का उल्लंघन:
 - मराठा समुदाय हेतु आरक्षण की अलग व्यवस्था अनुच्छेद-14 (समानता का अधिकार) और अनुच्छेद-21 (विधि की सम्यक प्रक्रिया)
 का उल्लंघन करती है।
 - 50% आरक्षण की सीमा का उल्लंघन करने वाली स्थिति एक 'जाति शासित' समाज का निर्माण करेगी।
 - 🔳 12% और 13% (शिक्षा और नौकरियों में) मराठा आरक्षण ने कुल आरक्षण सीमा को क्रमश: 64% और 65% तक बढ़ा दिया।
 - वर्ष 1992 में इंदिरा साहनी निर्णय (Indira Sawhney judgment) में सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट रूप से कहा था कि
 दूर-दराज के इलाकों की आबादी को मुख्यधारा में लाने हेतु केवल कुछ असाधारण परिस्थितियों में ही 50% के नियम में कुछ ढील
 दी जा सकती है।
- कानून के क्रियान्वयन पर रोक:
 - महाराष्ट्र के कानून को सही ठहराने वाले बंबई उच्च न्यायालय के निर्णय के बाद मराठा कोटा के तहत की गई नियुक्तियों की यथास्थिति
 बनी रहेगी, परंतु इस प्रकार की नियुक्तियों में आगे किसी भी प्रकार के आरक्षण का लाभ नहीं दिया जाएगा।
- राज्य के पास SEBCs की पहचान करने का अधिकार नहीं:
 - प्रत्येक राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के संबंध में भारत के राष्ट्रपित द्वारा अधिसूचित SEBCs की एक ही सूची होगी और राज्य केवल इस सूची में बदलाव से संबंधित सिफारिशें कर सकते हैं।
 - ♦ बेंच ने सर्वसम्मित से 102वें संविधान संशोधन की संवैधानिक वैधता को बरकरार रखा, लेकिन इस सवाल पर मतभेद था कि क्या इसने राज्यों की SEBCs की पहचाने की शक्ति को प्रभावित किया है।
- NCBC को निर्देश:
 - ♦ राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग से SEBCs की सिफारिश के क्रियान्वयन में तेजी लाने हेतु कहा तािक राष्ट्रपित राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के संबंध में SEBCs की सूची युक्त अधिसूचना को शीघ्रता से प्रकाशित कर सकें।

102वाँ संशोधन अधिनियम, 2018:

• इस अधिनियम के तहत सविधान में अनुच्छेद 338B और 342A को जोड़ा गया।

- अनुच्छेद 338B पिछड़े वर्गों के लिये एक राष्ट्रीय आयोग की स्थापना से संबंधित है।
- अनुच्छेद 342A राष्ट्रपति को राज्य में सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े समुदायों को अधिसूचित करने का अधिकार प्रदान करता है।
 - 🔷 यदि पिछड़े वर्गों की सूची में संशोधन किया जाना है तो इसके लिये संसद द्वारा अधिनियमित कानून की आवश्यकता होगी।

कोविड-19 वैक्सीन के लिये बौब्दिक संपदा संरक्षण में छूट

चर्चा में क्यों?

अमेरिका ने कोविड -19 वैक्सीन के लिये बौद्धिक संपदा (IP) संरक्षण में छूट प्रदान करने की घोषणा की है।

• यह निर्णय महामारी से लड़ने के क्रम में भारत और दक्षिण अफ्रीका द्वारा विश्व व्यापार संगठन (WTO) के सदस्य देशों को इस तरह की छूट के लिये सहमत करने हेतु गए प्रयासों की एक सफलता है।

प्रमुख बिंदु

परिचय:

- वर्ष 1995 में बौद्धिक संपदा अधिकार के व्यापार संबंधी पहलुओं (TRIPS) पर हुए समझौते के तहत समझौते की पुष्टि करने वाले देशों के लिये यह आवश्यक है कि वे रचनाकारों को सुरक्षा प्रदान करने तथा नवोन्मेष को बढ़ावा देने के लिये बौद्धिक संपदा अधिकारों पर एक न्यूनतम मानक को लागू करें।
- भारत और दक्षिण अफ्रीका ने कोविड -19 के निवारण, रोकथाम या उपचार के लिये TRIPS समझौते (पेटेंट, कॉपीराइट और ट्रेडमार्क जैसे बौद्धिक संपदा अधिकारों में छूट) के कुछ प्रावधानों के कार्यान्वयन और अनुप्रयोग में छूट दिये जाने का प्रस्ताव रखा है।
- छूट को मंज़ूरी मिल जाने पर WTO के सदस्य देशों के पास एक अस्थायी अवधि के लिये कोविड -19 से संबंधित दवाओं, वैक्सीन और अन्य उपचारों हेतु पेटेंट या अन्य संबंधित बौद्धिक संपदा अधिकारों को मंज़्री देने या उन्हें प्रभावी करने के दात्यित्व नहीं होंगे।
 - ◆ यह कदम देशों द्वारा अपनी आबादी के टीकाकरण हेतु किये गए उन उपायों को संरक्षण प्रदान करेगा जिन्हें WTO कानून के तहत अवैधानिक होने का दावा किया जा रहा है।

कोविड वैक्सीन पर पेटेंट में छूट की आवश्यकता:

- दवा कंपनियों का एकाधिकार: वर्तमान में केवल वही दवा कंपनियाँ कोविड वैक्सीन के निर्माण के लिये अधिकृत हैं जिनके पास पेटेंट है।
 - 🔷 पेटेंट पर एकाधिकार समाप्त होने से कंपनियाँ अपने फार्मूले को अन्य कंपनियों के साथ साझा कर सकेंगी।
- वैक्सीन की कीमत में कमी: एक बार फार्मूला साझा होने के बाद ऐसी कोई भी टीके का उत्पादन कर सकती है कंपनी जिसके पास आवश्यक प्रौद्योगिकी तथा बुनियादी ढाँचा उपलब्ध है।
 - ♦ इसके परिणामस्वरूप कोविड वैक्सीन के सस्ते और अधिक जेनेरिक संस्करणों का उत्पादन होगा जो वैक्सीन की कमी को पूरा करने की दिशा में बड़ा कदम सिद्ध होगा।
- वैक्सीन का असमान वितरण: वैक्सीन के असमान वितरण ने विकासशील और अधिक संपन्न (Wealthier) देशों के बीच एक स्पष्ट अंतर प्रदर्शित किया है।
 - ◆ वैक्सीन के अधिशेष खुराक वाले देशों ने पहले ही अपनी आबादी के बड़े हिस्से का टीकाकरण कर लिया है और अब वे सामान्य स्थिति में लौट रहे हैं।
 - ◆ दूसरी ओर गरीब देशों को वैक्सीन की कमी का सामना करना पड़ रहा है जिसके कारण स्वास्थ्य देखभाल-प्रणालियों पर अधिक भार पड़ा है तथा इन देशों में प्रतिदिन सैकडों लोगों की मृत्यु हो रही है।
- दुनिया के हितों के खिलाफ: विकासशील देशों में लंबे समय तक कोविड के प्रसार या वैक्सीन कवरेज में लगातार कमी के कारण इस वायरस के घातक तथा वैक्सीन प्रतिरोधी उत्परिवर्तन भी सामने आ सकते हैं।

भारत के लिये महत्त्व:

- उत्पादन बढ़ाने में: भारत में उत्पादित वैक्सीन खुराकों का बड़ा हिस्सा उन देशों को निर्यात किया जाता है जो वैक्सीन की खुराकों के लिये अधिक भुगतान करते हैं।
 - यह कदम वैक्सीन को सभी के लिये अधिक किफायती बनाने के साथ ही अतिरिक्त मांग की आपूर्ति हेतु उत्पादन को बढ़ाने में मदद कर सकता है।
- तीसरी लहर के लिये तैयारी: भारतीय प्राधिकारियों द्वारा देश में कोविड-19 महामारी की तीसरी लहर की भी आशंका व्यक्त की गई है।
 - ◆ देश में कोविड मामलों तथा इसके कारण होने वाली मौतों के ग्राफ/आँकड़ों में कमी आने पर वैक्सीन की कमी को दूर करने और इसे अधिक किफायती बनाने तथा लोगों के लिये इसे अधिक सुलभ बनाने जैसे कदम भविष्य में महामारी से निपटने के लिये सर्वोत्तम उपाय हो सकते हैं।

इन निर्णय के विरुद्ध तर्क:

- वैक्सीन की गुणवत्ता और सुरक्षा प्रभावित हो सकती है: पेटेंट एकाधिकार हटाने से वैक्सीन विनिर्माण के लिये निर्धारित सुरक्षा और गुणवत्ता मानकों से छेड़छाड़ होने की संभावना है।
- विघटनकारी दवा कंपनियाँ: पेटेंट एकिधिकार समाप्त करने का निर्णय भविष्य में महामारी के दौरान वैक्सीन के विकास पर किये जाने वाले भारी निवेश के मार्ग में बाधक हो सकता है।
- भ्रम की स्थित उत्पन्न होना : सुरक्षात्मक तरीकों को खत्म करने से महामारी पर वैश्विक प्रतिक्रिया कम हो जाएगी, जिसमें नए वेरिएंट से निपटने के लिये किये जा रहे प्रयास भी शामिल हैं।
 - ◆ इससे भ्रम की स्थिति उत्पन्न होगी जो संभावित रूप से वैक्सीन की सुरक्षा के प्रति लोगों के आत्मविश्वास को कम कर सकता है इससे वैक्सीन संबंधी जानकारी के साझाकरण में बाधा उत्पन्न हो सकती है।

आगे की राह

- विश्व भर में वैक्सीन उपलब्ध कराने के लिये केवल बौद्धिक संपदा संरक्षण से छूट प्रदान करना पर्याप्त नहीं है। विनिर्माण क्षमताओं का विस्तार करने और अंतर्राष्ट्रीय वैक्सीनों का समर्थन करने के लिये सभी देशों को एक-दूसरे के साथ मिलकर काम करना चाहिये।
- भारतीय निर्माताओं और सरकार दोनों के लिये यह महत्त्वपूर्ण है कि वे पेटेंट धारकों की चिंताओं को दूर करने के लिये यह सुनिश्चित करें कि भारत के टीकाकरण अभियान में किसी भी तरह का समझौता नहीं किया गया है।

न्यायालय की कार्यवाही पर मीडिया को रिपोर्ट करने का अधिकार : सर्वोच्च न्यायालय

चर्चा में क्यों?

हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय (SC) ने मीडिया को न्यायिक कार्यवाही के दौरान टिप्पणियों की रिपोर्टिंग करने से रोकने के लिये भारतीय चुनाव आयोग (ECI) द्वारा दायर की गई याचिका को खारिज कर दिया है।

- सर्वोच्च न्यायालय ने इस बात पर जोर दिया कि मीडिया को अदालती सुनवाई के दौरान न्यायाधीशों द्वारा की गई चर्चाओं और मौखिक टिप्पणियों की रिपोर्टिंग से प्रतिबंधित नहीं किया जा सकता है।
- सर्वोच्च न्यायालय के अनुसार, अदालती सुनवाई का मीडिया कवरेज प्रेस की स्वतंत्रता का हिस्सा है, इसका नागरिकों के सूचना के अधिकार तथा न्यायपालिका की जवाबदेही पर भी असर पडता है।

प्रमुख बिंदु

वाक्-स्वतंत्रता या अभिव्यक्ति की स्वतंत्रताः

• न्यायाधीशों और वकीलों के बीच अदालतों में मौखिक आदान-प्रदान सिंहत अदालती कार्यवाही की यथासमय रिपोर्ट करना, वाक्-स्वतंत्रता या अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार का हिस्सा है।

- भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 के तहत लिखित और मौखिक रूप से अपना मत प्रकट करने हेतु वाक् एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता
 प्रदान की गई है।
- प्रौद्योगिकी के आगमन के साथ, विभिन्न सोशल मीडिया मंचों के माध्यम से रिपोर्टिंग का प्रसार हुआ हैऔर इन मंचो से लोगों को सुनवाई के संदर्भ में व्यापक स्तर पर रियल-टाइम अपडेट प्राप्त हुए हैं। यह वाक् एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का एक विस्तार है जो मीडिया के लिये भी उपलब्ध है।
 - ♦ यह खुली अदालत की अवधारणा का एक आभासी (virtual) विस्तार है।
- बाल यौन शोषण और वैवाहिक मुद्दों संबंधी मामलों को छोड़कर, अन्य मामलों में मुक्त प्रेस की अवधारणा को अदालती कार्यवाही तक विस्तारित किया जाना चाहिये।

न्यायिक अखंडताः

 विभिन्न मुद्दों और घटनाओं के साथ-साथ न्यायालय की कार्यवाही जो कि सार्वजिनक डोमेन के हिस्सा है पर रिपोर्ट करने तथा उन्हें प्रसारित करने के मीडिया के अधिकार ने न्यायपालिका की अखंडता को बढ़ाया है।

ओपन कोर्ट अथवा खुली अदालत में सुनवाई की व्यवहार्यता:

- खुली अदालत यह सुनिश्चित करती है कि न्यायिक प्रक्रिया सार्वजनिक जाँच के अधीन है जो पारदर्शिता और जवाबदेही को बनाए रखने के लिये महत्त्वपूर्ण है और लोकतांत्रिक संस्थाओं के कामकाज में पारदर्शिता लोगों में विश्वास स्थापित करने के लिये महत्त्वपूर्ण है।
- एक खुली अदालत प्रणाली यह सुनिश्चित करती है कि न्यायाधीश कानून के अनुसार और ईमानदारी के साथ कार्य करते हैं।
- अदालतों के समक्ष आने वाले मामले विधायिका और कार्यपालिका की गतिविधियों के बारे में सार्वजनिक जानकारी के महत्त्वपूर्ण स्रोत हैं।
- खुली अदालत एक शैक्षिक उद्देश्य के रूप में भी कार्य करती है। न्यायालय नागरिकों को यह जानने के लिये एक मंच बन जाता है कि कानून का व्यावहारिक अनुप्रयोग उनके अधिकारों पर क्या प्रभाव डालता है।

भाषा:

- शीर्ष न्यायालय ने कहा कि न्यायाधीशों को खुली अदालत में बिना सोचे-समझे (Off-the-Cuff) टिप्पणी करने में सावधानी बरतने की आवश्यकता पर जोर देना चाहिये, क्योंकि इनकी गलत व्याख्या अतिसंवेदनशील हो सकती है।
- खंडपीठ द्वारा प्रयुक्त भाषा और निर्णयों की भाषा, न्यायिक शिष्टाचार के अनुकूल होनी चाहिये।
 - ♦ भाषा, न्यायिक प्रक्रिया का एक महत्त्वपूर्ण उपकरण है, जोकि संवैधानिक मूल्यों के प्रति संवेदनशील भी होती है।

भारत निर्वाचन आयोग(ECI)

परिचय:

- यह एक स्वायत्त संवैधानिक निकाय है जो भारत में संघ और राज्य चुनाव प्रक्रियाओं का संचालन करने के लिए उत्तरदायी है।
- चुनाव आयोग की स्थापना 25 जनवरी, 1950 को संविधान के अनुसार की गई थी। 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाया जाता है।
- निर्वाचन आयोग का सिचवालय नई दिल्ली में स्थित है।
- चुनाव आयोग भारत में लोकसभा, राज्यसभा, राज्य विधानसभाओं, राष्ट्रपित और उपराष्ट्रपित के चुनाव की संपूर्ण प्रक्रिया का अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण करता है।
 - ♦ इसका राज्यों में पंचायतों और नगरपालिकाओं के चुनावों से कोई संबंध नहीं है।भारत का संविधान में इसके लिये एक अलग राज्य निर्वाचन आयोग (State Election Commission) का प्रावधान है।

संवैधानिक प्रावधानः

• भारतीय संविधान का भाग XV (अनुच्छेद 324-329): यह चुनावों से संबंधित हैं, और यह इनसे संबंधित मामलों के लिये एक अलग आयोग की स्थापना करता है।

विचलन बाद राजस्व घाटा

चर्चा में क्यों?

हाल ही में वित्त मंत्रालय ने वर्ष 2021-22 के लिये 17 राज्यों को 9,871 करोड़ रुपए के विचलन बाद राजस्व घाटा (Post Devolution Revenue Deficit- PDRD) अनुदान की दूसरी मासिक किस्त जारी की है।

प्रमुख बिंदु

विचलन बाद राजस्व घाटा:

- केंद्र सरकार, संविधान के अनुच्छेद-275 के तहत राज्यों को विचलन बाद राजस्व घाटा अनुदान प्रदान करती है।
- ये अनुदान राज्यों के विचलन के अंतर को पूरा करने के लिये मासिक किस्तों में वित्त आयोग (Finance Commission) की सिफारिशों के अनुसार जारी किये जाते हैं।
- 15वें वित्त आयोग ने पाँच वर्ष (वित्तीय वर्ष 2026 तक) की अविध के लिये लगभग 3 ट्रिलियन की राशि के अनुदान की सिफारिश की है।
 - ♦ वित्त वर्ष 2022 में राजस्व घाटा अनुदान के लिये अर्हता प्राप्त करने वाले राज्यों की संख्या 17 है, लेकिन वित्त वर्ष 2026 तक इसमें केवल 6 राज्य ही शेष बचेंगे।
 - ◆ इस अनुदान को प्राप्त करने की राज्यों की पात्रता और अनुदान की मात्रा का निर्धारण आयोग द्वारा राज्य के राजस्व तथा व्यय के मूल्यांकन के अंतर के आधार पर किया गया था।
- PDRD अनुदान के लिये अनुशंसित राज्य:
 - पाँच वर्ष की अवधि के लिये आंध्र प्रदेश, असम, हिरयाणा, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, केरल, मिणपुर, मेघालय, मिजोरम, नगालैंड, पंजाब, राजस्थान, सिक्किम, तिमलनाडु, त्रिपुरा, उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल को अनुदान दिये जाने इ सिफारिश की गई है, जिसे वित्त मंत्रालय ने स्वीकार कर लिया है।

संविधान का अनुच्छेद-275:

- यह अनुच्छेद संसद को इस बात का अधिकार प्रदान करता है कि वह ऐसे राज्यों को उपयुक्त सहायक अनुदान देने का उपबंध कर सकती है, जिन्हें संसद की दृष्टि में सहायता की आवश्यकता है।
- इस अनुदान को प्रत्येक वर्ष भारत की संचित निधि (Consolidated Fund of India) से भुगतान किया जाता है और विभिन्न राज्यों के लिये अलग-अलग रकम तय की जा सकती है।
- ये अनुदान पूंजी और आवर्ती रकम के रूप में हो सकते हैं।
- इन अनुदानों का उद्देश्य उस राज्य की विकास संबंधी ऐसी योजनाओं की लागतों को पूरा करना है, जो राज्य में अनुसूचित जनजातियों के कल्याण या अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन स्तर को बढ़ावा देने के उद्देश्य से भारत सरकार की सहायता से लागू हैं।
- ये अनुदान मुख्य रूप से वित्तीय संसाधनों में अंतर-राज्य की असमानताओं को समाप्त करने और राष्ट्रीय स्तर पर राज्य सरकारों की कल्याणकारी योजनाओं के एक समान रखरखाव तथा विस्तार के समन्वय हेतु दिये जाते हैं।

राजस्व खाता और पूंजी खाता

- राजस्व खाते (Revenue Account) में सभी राजस्व प्राप्तियाँ शामिल होती हैं, जिन्हें सरकार की वर्तमान प्राप्तियों के रूप में भी जाना जाता है। इन प्राप्तियों में कर राजस्व और सरकार के अन्य राजस्व शामिल होते हैं।
- पूंजी खाते (Capital Account) में पूंजीगत प्राप्तियाँ और भुगतान को शामिल किया जाता है। इसमें मूल रूप से संपत्ति के साथ-साथ सरकार की देनदारियाँ भी शामिल होती हैं। पूंजीगत प्राप्तियों में विभिन्न माध्यमों से सरकारों द्वारा लिये गए ऋण या पूंजी शामिल होते हैं।

केंद्र-राज्य वित्तीय संबंध

संवैधानिक प्रावधानः

- भारतीय संविधान में गैर-कर राजस्व के साथ-साथ करों के वितरण और ऋण लेने की शक्ति से संबंधित विस्तृत प्रावधान किये गए हैं, इसके अलावा संघ द्वारा राज्यों को अनुदान सहायता प्रदान करने से संबंधित पूरक प्रावधान भी किये गए हैं।
- संविधान के भाग XII में अनुच्छेद 268 से 293 तक केंद्र-राज्य वित्तीय संबंधों पर चर्चा की गई है।
 कराधान शक्तियाँ: संविधान ने केंद्र व राज्यों के बीच कराधान शक्तियों का आवंटन निम्न प्रकार से किया है:
- संघ सूची में सूचीबद्ध विषयों के बारे में कर निर्धारण का अधिकार संसद के पास है, जबिक राज्य सूची के संदर्भ में कर निर्धारण का विशेष अधिकार राज्य विधानमंडल के पास है।
- समवर्ती सूची के संदर्भ में कर निर्धारण का अधिकार संसद व राज्य विधानमंडल दोनों के पास है, लेकिन कर निर्धारण की अविशिष्ट शक्ति केवल संसद में निहित है।

कर राजस्व का वितरण:

- केंद्र द्वारा उद्वगृहीत और राज्यों द्वारा संगृहीत एवं विनियोजित कर (अनुच्छेद 268):
 - इसमें विनमय पत्रों, चेकों आदि पर लगने वाला स्टाम्प शुल्क शामिल है।
- केंद्र द्वारा उद्गृहीत एवं संगृहीत किंतु राज्यों को सौंपे जाने वाले कर (अनुच्छेद 269)
 - ♦ इसमें अंतर-राज्यीय व्यापार या वाणिज्य में वस्तुओं के क्रय-विक्रय से संबंधित कर (समाचार-पत्र को छोड़कर) तथा माल या सामान के अंतर-राज्यीय व्यापार या वाणिज्य के पारेषण से संबंधित कर शामिल हैं।
- अंतर-राज्यीय व्यापार या वाणिज्य के पारेषण में माल और सेवाओं पर कर का आरोपण तथा संग्रहण (अनुच्छेद 269-A):
 - अंतर-राज्यीय व्यापार या वाणिज्य के दौरान पूर्ति पर लगने वाला वस्तु एवं सेवा कर (GST) भारत सरकार द्वारा उद्गृहीत एवं संग्रहीत किये जाएंगे।
 - लेकिन केंद्र तथा राज्यों के बीच इस कर का विभाजन GST परिषद की सिफारिशों के आधार पर संसद द्वारा निर्धारित रीति से किया जाएगा।
- केंद्र द्वारा उद्गृहीत एवं संगृहीत किंतु संघ तथा राज्यों के बीच वितरण वाले कर (अनुच्छेद 270)
 - इस श्रेणी में संघ सूची में उिल्लिखित सभी कर और शुल्क आते हैं:
 - संविधान के अनुच्छेद 268, 269 तथा 269-A में उल्लिखित कर।
 - संविधान के अनुच्छेद 271 में उल्लिखित कर पर अधिभार (यह विशेष रूप से केंद्र के पास जाता है)।
 - किसी विशिष्ट प्रयोजन के लिये लगाया गया कोई उपकर (Cess)।

सहायतार्थ अनुदान (Grants-in-Aid): केंद्र व राज्यों के बीच करों के साझाकरण के अलावा संविधान में राज्यों को केंद्र से सहायतार्थ अनुदान का भी प्रावधान किया गया है। अनुदान दो प्रकार के होते हैं:

- विधिक अनुदान (Statutory Grants) (अनुच्छेद 275): संसद द्वारा भारत की संचित निधि (Consolidated Fund of India) से यह अनुदान उन राज्यों को दिया जाता है, जिन्हें सहायता की आवश्यकता होती है। अलग-अलग राज्यों के लिये सहायता राशि भी भिन्न-भिन्न निर्धारित की जा सकती है।
 - ♦ राज्यों में जनजातियों के उत्थान एवं कल्याण तथा अनुसूचित क्षेत्रों में प्रशासनिक विकास के लिये विशेष अनुदान भी दिये जाते हैं।
- विवेकाधीन अनुदान (Discretionary Grants) (अनुच्छेद 282): यह संघ एवं राज्य दोनों को इस बात का अधिकार देता है कि वे किसी भी लोक प्रयोजन के लिये अनुदान आवंटित कर सकते हैं भले ही यह उनकी संबंधित विधायी क्षमता तहत न आता हो।
 - इस प्रावधान के तहत केंद्र राज्यों को अनुदान प्रदान करता है। इन अनुदानों को विवेकाधीन अनुदान कहा जाता है, क्योंकि केंद्र राज्यों को
 इस प्रकार का अनुदान देने के लिये बाध्य नहीं है और यह पूर्णतया उसके स्विववेक पर निर्भर करता है।
 - ◆ इन अनुदानों के दो उद्देश्य होते हैं- योजनागत लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु राज्यों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना तथा राष्ट्रीय योजना के लिये राज्यों को प्रभावित करना।

कोविड-टीकाकरण से संबंधित चुनौतियाँ

चर्चा में क्यों?

प्राथमिकता समूह (45 वर्ष से अधिक) के साथ-साथ 18-45 आयु वर्ग को टीकाकरण की अनुमित दिये जाने के बावजूद 1 मई, 2021 से शुरू होने वाले सप्ताह में वैक्सीन की खुराक की संख्या में कमी आई है और यह बीते आठ सप्ताह में अपने न्यूनतम स्तर पर पहुँच गया है।

 िकसी अन्य बीमारी की तुलना में कोविड-19 टीके का विकास तेज़ी से किया जा रहा है, फिर भी इसकी आपूर्ति में कमी देखने को मिल रही है।

प्रमुख बिंदुः

वैश्विक मुद्देः

- विशाल जनसंख्या:
 - दुनिया भर में लगभग सात बिलियन लोगों को टीका लगाया जाना है, जिनमें से अत्यधिक टीके दो खुराकों के माध्यम से दिये जा रहे हैं, अत: जाहिर है कि मांग बहुत अधिक है।
- आत्मकेंद्रीकरण की भावनाः
 - ◆ उपलब्ध टीकों में से 80% से अधिक को पहले ही खरीदने का ऑर्डर दिया जा चुका है और दुनिया के कुछ चुनिंदा देशों द्वारा इनका स्टॉक किया गया है, जो कि वैश्विक आबादी के केवल 20% का प्रतिनिधित्त्व करते हैं।
 - ◆ यहाँ तक कि विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) के COVAX जैसे प्रयासों से अफ्रीकी आबादी के केवल 1% लोगों को ही अब
 तक वैक्सीन प्राप्त हुई है।
- आपातकालीन स्वीकृति में देरी:
 - ◆ अमेरिका द्वारा अब तक केवल तीन टीकों-'फाइज़र', मॉडर्ना', और 'जैनसेन' को अनुमित दी गई है।
 - सबसे सस्ती एस्ट्राजेनेका वैक्सीन अमेरिका में अभी भी अनुमोदन की प्रतीक्षा कर रही है।
 - हाल ही में ब्राज्ञील में रूस के स्पुतिनक वी के लिये अनुमोदन को अस्वीकार कर दिया गया था।
 - चीन के सिनोवैक और सिनोफार्म के टीके अभी तक पश्चिमी देशों में स्वीकृत नहीं हैं।

भारत में चुनौतियाँ:

- सीमित आपूर्तिकर्त्ताः
 - ♦ भारत के दो वैक्सीन (COVAXIN & COVISHIELD) निर्माताओं की सीमित क्षमता इस संदर्भ में एक बड़ी चुनौती है और इस पर भी राज्य सरकारों और निजी अस्पतालों द्वारा लगभग वैक्सीन की आवश्यकताओं संबंधी आदेश दिया जा रहा है, जिन्हें पूरा करने में महीनों लग सकते हैं।
- आपूर्ति शृंखला में कमी:
 - ♦ समग्र वयस्क आबादी का टीकाकरण करने के लिये महत्त्वाकांक्षी कार्यक्रम की आपूर्ति शृंखला में एक बड़ा अंतर देखा गया है।
 - यद्यपि भारत टीकाकरण की संख्या में अमेरिका और चीन के बाद तीसरे स्थान पर है, परंतु भारत की केवल 13% आबादी को ही एक खुराक मिली है और लगभग 2% का पूरी तरह से टीकाकरण किया गया है।
 - कई देशों ने पहले ही अपनी आधी से अधिक वयस्क आबादी का टीकाकरण कर लिया है।
- असमान खरीद प्रक्रियाः
 - संशोधित वैक्सीन खरीद प्रक्रिया शहरों और कस्बों में छोटे अस्पतालों के लिये चुनौती पैदा करती है, क्योंिक उनके बड़े समकक्ष अस्पताल आसानी से वैक्सीन प्राप्त कर रहे हैं, जबिक उन्हें समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, जो कि स्वास्थ्य सुविधाओं के मामले में शहरी-ग्रामीण विभाजन को और अधिक विरूपित करता है।

- डिजिटल विभाजनः
 - नई विकेंद्रीकृत वितरण रणनीति के हिस्से के रूप में 'कोविन' पोर्टल पर डिजिटल पंजीकरण भी एक महत्त्वपूर्ण मुद्दा है, जो संभावित रूप से टीकाकरण प्रक्रिया को कठिन बनाता है। यह अपेक्षाकृत कम शिक्षित लोगों को 'कोविन' पोर्टल तक पहुँचने और उसके अंग्रेजी इंटरफेस का उपयोग करना चुनौतीपूर्ण बनाता है।
 - यह देखते हुए भी कि भारत की आधी आबादी की ही ब्रॉडबैंड इंटरनेट तक पहुँच है और ग्रामीण टेली-घनत्व 60% से भी कम है, कहा
 जा सकता है कि अनिवार्य ऑनलाइन पंजीकरण प्रक्रिया शहरी केंद्रों के पक्ष में झकी हुई दिखाई देती है।
- बिहार, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ, झारखंड और मध्य प्रदेश देश के सबसे कम टेली-घनत्व वाले राज्यों में से एक हैं।
 - स्मार्टफोन या कंप्यूटर के साथ-साथ तकनीक तक कम पहुँच इसे और अधिक कठिन बनाती है।

आगे की राहः

- प्रभावी और सुरक्षित टीकों की जल्द-से-जल्द जाँच करने और उन्हें मौजूदा पूल में जोड़ने की आवश्यकता है।
- भारत का कोविड-19 वैक्सीन अभियान एक स्मरणीय मिशन होगा, यह न केवल अपनी आबादी का टीकाकरण करने के मामले में, बिल्क दुनिया के एक बड़े भाग के निर्माता के रूप में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। यह मिशन टीकों के विकास और वितरण से जुड़े मुद्दों को संबोधित करते हुए कम-से-कम समय में सैकड़ों से लाखों लोगों को टीकों को कुशलता से प्राप्त करने के प्रयास में वृद्धि करेगा।

राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण

चर्चा में क्यों?

राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण (National Financial Reporting Authority- NFRA) कंपनियों (पब्लिक इंटरेस्ट एंटिटीज़) और ऑडिटरों का एक सत्यापित एवं सटीक डेटाबेस तैयार करने की प्रक्रिया में है जो इसके नियामकीय दायरे में आते हैं।

• इस संबंध में NFRA भारत में कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय (Ministry of Corporate Affairs- MCA) के कॉरपोरेट डेटा प्रबंधन (Corporate Data Management- CDM) प्रभाग और तीन मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंजों के साथ जुड़ा हुआ है।

प्रमुख बिंदुः

- गठन: भारत सरकार द्वारा NFRA का गठन वर्ष 2018 में कंपनी अधिनियम की धारा 132 के तहत किया गया था। यह एक लेखांकन/ ऑडिट नियामक संस्था है।
- पृष्ठभूमि: पंजाब नेशनल बैंक सहित विभिन्न कॉर्पोरेट घोटालों में लेखाकारों तथा इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया की कथित खामियों के जाँच के दायरे में आने के बाद NFRA के गठन का निर्णय लिया गया था।
- संगठन: इसमें एक अध्यक्ष होता है जो लेखाकर्म, लेखांकन, वित्त अथवा विधि में विशेषज्ञता रखता हो तथा इसकी नियुक्ति केंद्र सरकार द्वारा की जाती है। ऐसे ही अन्य सदस्य भी शामिल होते हैं जिनकी संख्या 15 से अधिक नहीं होनी चाहिये।
- प्रकार्य और कर्त्तव्य
 - केंद्र सरकार द्वारा अनुमोदन के लिये लेखाकर्म और लेखापरीक्षा नीतियों तथा कंपनियों द्वारा अपनाए जाने वाले मानकों की अनुशंसा करना;
 - लेखाकर्म मानकों और लेखापरीक्षा मानकों को लागू करना तथा इनके अनुपालन की निगरानी करना;
 - ऐसे मानकों सिहत अनुपालन सुनिश्चित करने वाले व्यवसायों की सेवा की गुणवत्ता का पर्यवेक्षण करना;
 - सार्वजनिक हित की रक्षा करना।
- शक्तियाँ:
 - यह पब्लिक इंटरेस्ट एंटिटीज़ के रूप में नामित कंपनियों और निकायों के निम्निलिखित वर्गों से संबंधित जाँच कर सकता है:
 - ऐसी कंपनियाँ जिनकी प्रतिभूतियाँ भारत में या भारत के बाहर किसी भी स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध हैं।
 - ऐसी असूचीबद्ध सार्वजिनक कंपिनयाँ जिनकी प्रदत्त पूंजी 500 करोड़ रुपए से कम न हो अथवा वार्षिक कारोबार 1,000 करोड़
 रुपए से कम न हो या तत्काल पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के 31 मार्च तक कुल बकाया ऋण, डिबेंचर और जमाएँ 500 सौ करोड़ रुपए से कम न हो:

- बीमा कंपनियाँ, बैंकिंग कंपनियाँ, बिजली उत्पादन अथवा आपूर्ति से जुड़ी कंपनियाँ।
- पेशेवर या अन्य कदाचार सिद्ध होने पर इसे निम्नानुसार जुर्माना लगाने का आदेश देने की शक्ति प्राप्त है-
 - व्यक्तियों के मामले में एक लाख रुपए से कम नहीं, लेकिन यह राशि प्राप्त होने वाली फीस के पाँच गुना तक बढ़ सकती है; तथा
 - फर्मों के मामले में दस लाख रुपए से कम नहीं, लेकिन इस राशि प्राप्त फीस के दस गुना तक वृद्धि की जा सकती है।
- इसके खाते की निगरानी भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक (Comptroller and Auditor General- CAG) द्वारा की जाती है।
- इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है।

गोपाल कृष्ण गोखले

चर्चा में क्यों?

09 मई, 2021 को देशभर में महान स्वतंत्रता सेनानी और समाजसेवी गोपाल कृष्ण गोखले (Gopal Krishna Gokhale) की 155वीं जयंती मनाई गई।।

• गोपाल कृष्ण गोखले एक महान समाज सुधारक और शिक्षाविद् थे जिन्होंने भारत के स्वतंत्रता आंदोलन को अनुकरणीय नेतृत्व प्रदान किया।

प्रमुख बिंदु

जन्म: 9 मई, 1866 को वर्तमान महाराष्ट्र (तत्कालीन बॉम्बे प्रेसीडेंसी का हिस्सा) के कोटलुक गाँव में।

विचारधाराः

गोखले ने सामाजिक सशक्तीकरण, शिक्षा के विस्तार और तीन दशकों तक भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की दिशा में कार्य िकया तथा प्रतिक्रियावादी
 या क्रांतिकारी तरीकों के इस्तेमाल को खारिज िकया।

औपनिवेशिक विधानमंडलों में भूमिकाः

- वर्ष 1899 से 1902 के बीच वह बॉम्बे लेजिस्लेटिव काउंसिल के सदस्य रहे और वर्ष 1902 से 1915 तक उन्होंने इम्पीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में काम किया।
- इम्पीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में काम करने के दौरान गोखले ने वर्ष 1909 के मॉर्ले-मिंटो सुधारों को तैयार करने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई।

भारतीय राष्ट्रीय कॉन्ग्रेस में भूमिकाः

- वह भारतीय राष्ट्रीय कॉन्ग्रेस (INC) के नरम दल से जुड़े थे (वर्ष1889 में शामिल)।
- बनारस अधिवेशन 1905 में वह INC के अध्यक्ष बने।
 - यह वह समय था जब 'नरम दल' और लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक तथा अन्य के नेतृत्व वाले 'गरम दल' के बीच व्यापक मतभेद पैदा हो गए थे। वर्ष 1907 के सूरत अधिवेशन में ये दोनों गुट अलग हो गए।
 - वैचारिक मतभेद के बावजूद वर्ष 1907 में उन्होंने लाला लाजपत राय की रिहाई के लिये अभियान चलाया, जिन्हें अंग्रेज़ों द्वारा म्याँमार की मांडले जेल में कैद किया गया था।

संबंधित सोसाइटी तथा अन्य कार्यः

- भारतीय शिक्षा के विस्तार के लिये वर्ष 1905 में उन्होंने सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी (Servants of India Society) की स्थापना की।
- वह महादेव गोविंद रानाडे द्वारा शुरू की गई 'सार्वजनिक सभा पत्रिका' से भी जुड़े थे।
- वर्ष 1908 में गोखले ने रानाडे इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स की स्थापना की।
- उन्होंने अंग्रेज़ी साप्ताहिक समाचार पत्र 'द हितवाद' की शुरुआत की।

गांधी के लिये गुरु के रूप में:

- एक उदार राष्ट्रवादी के रूप में महात्मा गांधी ने उन्हें राजनीतिक गुरु माना था।
- महात्मा गांधी ने गुजराती भाषा में गोपाल कृष्ण गोखले को समर्पित एक पुस्तक 'धर्मात्मा गोखले' लिखी।

मॉर्ले-मिंटो सुधार 1909:

- इसके द्वारा भारत सिचव की पिरषद, वायसराय की कार्यकारी पिरषद तथा बंबई और मद्रास की कार्यकारी पिरषदों में भारतीयों को शामिल गया। विधान पिरषदों में मुस्लिमों हेतु अलग निर्वाचक मंडल की बात की गई।
 - भारतीय राष्ट्रवादियों इन सुधारों को अत्यधिक एहितयाती माना गया तथा मुसलमानों हेतु प्रथक निर्वाचक मंडल के प्रावधान से हिंदू नाराज थे।
 - केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों के आकार में वृद्धि की गई।
 - ♦ इस अधिनियम ने इम्पीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में सदस्यों की संख्या 16 से बढ़ाकर 60 कर दी।
- केंद्र और प्रांतों में विधान परिषदों के सदस्यों की चार श्रेणियाँ थी जो इस प्रकार है:
 - पदेन सदस्य: गवर्नर-जनरल और कार्यकारी परिषद के सदस्य।
 - मनोनीत सरकारी सदस्य: सरकारी अधिकारी जिन्हें गवर्नर-जनरल द्वारा नामित किया गया था।
 - मनोनीत गैर-सरकारी सदस्य: ये गवर्नर-जनरल द्वारा नामित थे लेकिन सरकारी अधिकारी नहीं थे।
 - निर्वाचित सदस्य: विभिन्न वर्गों से चुने हुए भारतीय।
 - निर्वाचित सदस्यों को अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाना था।
- भारतीयों को पहली बार इम्पीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल (Imperial Legislative Council) की सदस्यता प्रदान की गई।
- मुसलमानों हेतु पृथक निर्वाचक मंडल की बात की गई।
 - ◆ कुछ निर्वाचन क्षेत्र मुस्लिमों हेतु निश्चित किये गये जहाँ केवल मुस्लिम समुदाय के लोग ही अपने प्रतिनिधियों के लिये मतदान कर सकते थे।
- सत्येंद्र पी. सिन्हा वायसराय की कार्यकारी परिषद में नियुक्त होने वाले पहले भारतीय सदस्य थे।

पुडुचेरी के ग्रामीण क्षेत्रों में 100% नल कनेक्शनः JJM

चर्चा में क्यों?

हाल ही में गोवा, तेलंगाना तथा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के बाद केंद्रशासित प्रदेश पुडुचेरी जल जीवन मिशन (Jal Jeevan Mission) के अंतर्गत प्रत्येक ग्रामीण घर को नल द्वारा जल आपूर्ति प्रदान करने वाला चौथा राज्य/केंद्रशासित प्रदेश बन गया है।

• इसके अलावा पंजाब, दादरा और नागर हवेली तथा दमन एवं दीव ने 75% ग्रामीण घरों तक नल द्वारा जल पहुँचाने का कीर्तिमान रचा है।

प्रमुख बिंदु

जल जीवन मिशन :

- JJM के तहत वर्ष 2024 तक कार्यात्मक घरेलू नल कनेक्शन (Functional Household Tap Connections-FHTC) के माध्यम से सभी ग्रामीण घरों में प्रति व्यक्ति प्रतिदिन 55 लीटर जलापूर्ति की परिकल्पना की गई है।
- इसका कार्यान्वयन जल शक्ति मंत्रालय (Ministry of Jal Shakti) के तहत किया जा रहा है।
- JJM स्थानीय स्तर पर पानी की एकीकृत मांग और आपूर्ति पक्ष प्रबंधन पर ध्यान केंद्रित करता है।
 - ♦ इस मिशन के तहत कृषि में पुन: उपयोग के लिये वर्षा जल संचयन, भू-जल पुनर्भरण और घरेलू अपिशष्ट जल के प्रबंधन हेतु स्थानीय बुनियादी ढाँचे के निर्माण पर भी ध्यान दिया जाएगा।

- इसमें शामिल हैं:
 - ♦ FHTCs के प्रावधान को गुणवत्ता प्रभावित क्षेत्रों, सूखा प्रभावित और रेगिस्तानी क्षेत्रों के गाँवों, तथा सांसद आदर्श ग्राम योजना (SAGY) में शामिल गाँवों आदि में प्राथमिकता देना।
 - 🔷 स्कुलों, आँगनवाडी केंद्रों, ग्राम पंचायत भवनों, स्वास्थ्य केंद्रों, कल्याण केंद्रों और सामुदायिक भवनों आदि में नल कनेक्शन प्रदान करना।
 - जहाँ पानी की गुणवत्ता खराब है, वहाँ तकनीकी हस्तक्षेप करना।
- यह मिशन जल के सामुदायिक दृष्टिकोण पर आधारित है तथा मिशन के प्रमुख घटक के रूप में व्यापक सूचना, शिक्षा और संचार शामिल
- $\coprod M$ का प्रयास जल के लिये एक जनांदोलन तैयार करना है, अर्थात् इसके तहत सभी लोगों को प्राथमिकता दी गई है।।
- केंद्र और राज्यों के बीच वित्त के साझाकरण का पैटर्न हिमालयी और पूर्वोत्तर राज्यों के लिये 90:10, अन्य राज्यों के लिये 50:50 और केंद्र शासित प्रदेशों के लिये 100% है।
- इस योजना के लिये कुल आवंटन 3 लाख करोड़ रुपए से अधिक है। जल जीवन मिशन (शहरी):
- शुरुआत: वित्तीय वर्ष 2021-22 के केंद्रीय बजट में सतत विकास लक्ष्य-6 (SDG-6) के अनुसार, सभी शहरों में कार्यात्मक नल के माध्यम से घरों में पानी आपूर्ति की सार्वभौमिक कवरेज प्रदान कराने हेतू केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के तहत जल जीवन मिशन (शहरी) योजना की घोषणा की गई है।
- उद्देश्य:
 - नल और सीवर कनेक्शन तक पहुँच सुनिश्चित करना।
 - जल निकायों का पुनरुत्थान।
 - चक्रीय जल अर्थव्यवस्था की स्थापना।

एमएलए-एलएडी योजना

चर्चा में क्यों?

हाल ही में राजस्थान सरकार ने 18 से 44 वर्ष की आयु के लोगों को कोविड-19 टीकाकरण के लिये संसाधन जुटाने हेतु विधान मंडल के प्रत्येक सदस्य के विधानसभा सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास (Members of Legislative Assembly Local Area Development- MLA-LAD) कोष से 3 करोड़ रुपए लेने के प्रस्ताव को मंज़्री दी है।

इन खर्चों को पूरा करने के लिये प्रत्येक विधायक हेतु निधि 2.25 करोड़ रुपए से बढ़ाकर एक वर्ष में 5 करोड़ रुपए कर दी गई है।

प्रमुख बिंदु

विधानसभा सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजनाः

- यह केंद्र सरकार के सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम (Members of Parliament Local Area Development Scheme- MPLAD) का ही रूपांतरित स्वरूप है।
- इस योजना का उद्देश्य स्थानीय स्तर पर आवश्यकता आधारित बुनियादी ढाँचा तैयार करना, सार्वजनिक उपयोग की संपत्ति का निर्माण करना और विकास में क्षेत्रीय असंतुलन को दूर करना है।
 - यह योजना ग्रामीण क्षेत्रों के साथ-साथ शहरी क्षेत्रों के लिये भी है।
- विधायकों को इस योजना के अंतर्गत कोई पैसा नहीं मिलता है। सरकार इसे सीधे संबंधित स्थानीय अधिकारियों को हस्तांतरित करती है।
 - विधायक केवल दिशा-निर्देशों के आधार पर अपने निर्वाचन क्षेत्रों में इसके अंतर्गत किये जाने वाले कार्यों की सिफारिश कर सकते हैं।
 - 🔷 इस योजना के अंतर्गत प्रति विधायक धन का आवंटन अलग-अलग राज्यों में अलग-अलग होता है। इसके अंतर्गत दिल्ली में सबसे अधिक धन का आवंटन होता है: प्रत्येक विधायक प्रति वर्ष 10 करोड़ रुपए तक के कार्यों की सिफारिश कर सकता है।

- एमएलए-एलएडी फंड के उपयोग के दिशा-निर्देश पूरे राज्यों में भिन्न हैं।
 - ◆ दिल्ली के विधायक फॉिंग मशीनों के संचालन (डेंगू के मच्छरों को रोकने के लिये), सीसीटीवी उपकरणों की स्थापना आदि की सिफारिश कर सकते हैं।
 - ♦ विधायक द्वारा विकास कार्यों की सूची देने के बाद जिला प्रशासन द्वारा शासन के वित्तीय, तकनीकी एवं प्रशासनिक नियमों के अनुसार उनका निष्पादन किया जाता है।

संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजनाः

- यह एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है जिसकी घोषणा दिसंबर 1993 में की गई थी।
- प्रारंभ में इसका क्रियान्वयन ग्रामीण विकास मंत्रालय (Ministry of Rural Development) के अंतर्गत किया गया जिसे अक्तूबर 1994 में सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (Ministry of Statistics and Programme Implementation) को स्थानांतरित कर दिया गया।
- इस योजना के अंतर्गत संसद सदस्यों (Member of Parliament) को प्रत्येक वर्ष 2.5 करोड़ रुपए की दो किश्तों में 5 करोड़
 रुपए की राशि वितरित की जाती है। यह राशि नॉन-लैप्सेबल (Non-Lapsable) होती है।
- उद्देश्य:
 - ♦ इस योजना का उद्देश्य सांसदों को विकासात्मक प्रकृति के कार्यों की सिफारिश करने में सक्षम बनाना और उनके निर्वाचन क्षेत्रों में स्थानीय
 रूप से महसूस की गई ज़रूरतों के आधार पर सामुदायिक संपत्ति के निर्माण पर जोर देना है।
 - इस योजना के अंतर्गत लोकसभा सदस्य अपने निर्वाचन क्षेत्रों के भीतर काम करने की सिफारिश कर सकते हैं और राज्यसभा के चुने हुए सदस्य राज्य के भीतर कहीं भी काम करने की सिफारिश कर सकते हैं।
 - राज्यसभा और लोकसभा के मनोनीत सदस्य देश में कहीं भी कार्य करने की सिफारिश कर सकते हैं।
 - ◆ इन परियोजनाओं में पीने के पानी की सुविधा, प्राथमिक शिक्षा, सार्वजनिक स्वास्थ्य स्वच्छता और सड़कों आदि का निर्माण किया जाना शामिल है।
- जून 2016 से इस निधि का उपयोग स्वच्छ भारत अभियान (Swachh Bharat Abhiyan), सुगम्य भारत अभियान (Sugamya Bharat Abhiyan), वर्षा जल संचयन के माध्यम से जल संरक्षण और सांसद आदर्श ग्राम योजना (Sansad Aadarsh Gram Yojana) आदि के कार्यान्वयन में भी किया जाता है।
- केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत में कोविड -19 के प्रकोप के प्रतिकूल प्रभाव के मद्देनजर वर्ष 2020-21 और वर्ष 2021-22 के दौरान इस निधि के अस्थायी निलंबन को अपनी मंज़्री दे दी है।
- आलोचनाः
 - यह संविधान की भावना के साथ असंगत है क्योंिक यह विधायकों को कार्यपालिका का काम सौंपता है।
 - दूसरी आलोचना कार्यों के आवंटन से जुड़े भ्रष्टाचार के आरोपों से है।

संविधान का अनुच्छेद 311

चर्चा में क्यों?

हाल ही में एक पुलिस अधिकारी को मुंबई पुलिस आयुक्त ने बिना विभागीय जाँच के संविधान के अनुच्छेद 311(2)(b) के तहत सेवा से बर्खास्त कर दिया था।

प्रमुख बिंदुः

अनुच्छेद 311:

 अनुच्छेद 311 (1) कहता है कि अखिल भारतीय सेवा या राज्य सरकार के किसी भी सरकारी कर्मचारी को अपने अधीनस्थ प्राधिकारी द्वारा बर्खास्त या हटाया नहीं जाएगा, जिसने उसे नियुक्त किया था।

- अनुच्छेद 311 (2) कहता है कि किसी भी सिविल सेवक को उस जाँच के बाद बर्खास्त या हटाया या उसके रैंक को कम नहीं किया जाएगा,
 जिसमें उसे आरोपों के बारे में सूचित किया गया है और उन आरोपों के संबंध में सुनवाई का उचित अवसर दिया गया है।
- अनुच्छेद 311 के तहत संरक्षित व्यक्तिः
 - संघ की सिविल सेवा.
 - अखिल भारतीय सेवाओं और
 - किसी राज्य की सिविल सेवा
 - संघ या किसी राज्य के अधीन सिविल पद धारण करने वाले व्यक्ति।
 - अनुच्छेद 311 के तहत दिये गए सुरक्षात्मक उपाय केवल सिविल सेवकों, यानी लोक सेना अधिकारियों पर लागू होते हैं। वे रक्षाकिमयों के लिये उपलब्ध नहीं हैं।
- अनुच्छेद 311 (2) के अपवाद:
 - ◆ 2 (a) जहाँ एक व्यक्ति की उसके आचरण के आधार पर बर्खास्तगी या हटाना या रैंक में कमी की जाती है जिसके कारण उसे आपराधिक आरोप में दोषी ठहराया गया है; या
 - ◆ 2 (b) जहाँ किसी व्यक्ति को बर्खास्त करने या हटाने या उसके रैंक को कम करने के लिये अधिकृत प्राधिकारी संतुष्ट है कि किसी कारण से उस प्राधिकारी द्वारा लिखित रूप में दर्ज किया जाना है, ऐसी जाँच करना उचित रूप से व्यावहारिक नहीं है; या
 - ◆ 2 (C) जहाँ राष्ट्रपित या राज्यपाल, जैसा भी मामला हो, संतुष्ट हो जाता है कि राज्य की सुरक्षा के हित में ऐसी जाँच करना उचित नहीं है।

अनुच्छेद 311(2) के उपखंडों के प्रयोग से संबंधित अन्य हालिया मामले:

- हाल ही में जम्मू और कश्मीर प्रशासन ने अनुच्छेद 311 (2) (C) के तहत कार्रवाई की आवश्यकता वाली गतिविधियों के संदिग्ध कर्मचारियों के मामलों की जाँच के लिये एक विशेष कार्यबल (STF) का गठन किया।
 - इस अनुच्छेद का उपयोग कर दो शिक्षकों सिहत तीन सरकारी कर्मचारियों को निकाल दिया गया।

कर्मचारियों को हटाने का विकल्पः

• इन प्रावधानों के तहत बर्खास्त किये गए सरकारी कर्मचारी राज्य प्रशासिनक न्यायाधिकरण या केंद्रीय प्रशासिनक न्यायाधिकरण (CAT) या न्यायालयों जैसे न्यायाधिकरणों में जा सकते हैं।

अन्य संबंधित संवैधानिक प्रावधान:

- भारत के संविधान का भाग XIV संघ और राज्य के अधीन सेवाओं से संबंधित है।
- अनुच्छेद 309 संसद और राज्य विधायिका को क्रमशः संघ या किसी राज्य के मामलों के संबंध में सार्वजनिक सेवाओं और पदों पर नियुक्त व्यक्तियों की भर्ती और सेवा की शर्तों को विनियमित करने का अधिकार देता है।
- अनुच्छेद 310 के अनुसार, संविधान द्वारा प्रदान किये गए प्रावधानों को छोड़कर, संघ में एक सिविल सेवक राष्ट्रपित की इच्छा से काम करता है और राज्य के अधीन एक सिविल सेवक उस राज्य के राज्यपाल की इच्छा पर काम करता है।
 - लेकिन सरकार की यह शक्ति निरपेक्ष नहीं है।
- अनुच्छेद 311 किसी अधिकारी की पदच्युति, पदच्युति में कमी के लिये राष्ट्रपति या राज्यपाल की पूर्ण शक्ति पर कुछ प्रतिबंध लगाता है।

आर्थिक घटनाक्रम

कॉर्पोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी (CSR) व्यय

चर्चा में क्यों?

विशेषज्ञों द्वारा सरकार से कॉर्पोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी (CSR) नियमों को आसान बनाने की मांग की जा रही हैं, ताकि कोविड पीड़ित कर्मचारियों के इलाज और उनके टीकाकरण से संबंधित कॉरपोरेट व्यव को CSR व्यव के तहत कवर किया जा सके।

 वर्तमान CSR मानदंडों के तहत, कंपनियों को अपने अनिवार्य CSR व्यय के हिस्से के रूप में कर्मचारियों के कल्याण के लिये विशेष रूप से किये गए व्यय की गणना करने की अनुमित नहीं है।

प्रमुख बिंदु

कॉर्पोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी:

- अर्थ : कॉर्पोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी (CSR) को एक प्रबंधन अवधारणा के रूप में परिभाषित किया जाता है, जिसके तहत कंपनियाँ अपने व्यापारिक भागीदारों के साथ सामाजिक और पर्यावरण संबंधी चिंताओं को उनके हितधारकों के साथ एकीकृत करती हैं।
- CSR परियोजनाओं के द्वारा लक्षित लाभार्थियों तथा उनके आस-पास के पर्यावरण पर पड़ने वाले प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष परिवर्तनों का मूल्यांकन 'प्रभाव आकलन अध्ययन' (Impact Assessment Studies) कहलाता है।
- शासन :
 - ♦ भारत में CSR की अवधारणा को कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 के तहत नियंत्रित किया जाता है।
 - संभावित CSR गतिविधियों की पहचान करके एक रूपरेखा तैयार करने के साथ-साथ CSR को अनिवार्य करने वाला भारत दुनिया का पहला देश है।
 - ◆ CSR का प्रावधान उन कंपनियों पर लागू होता है, जिनका निवल मूल्य (Net Worth) ₹ 500 करोड़ से अधिक हो या कुल कारोबार (Turnover) ₹1000 करोड़ से अधिक हो या शुद्ध लाभ (Net Profit) ₹5 करोड़ से अधिक हो।
 - ◆ अधिनियम के अनुसार कंपनियों को एक CSR समिति स्थापित करने की आवश्यकता है, जो निदेशक मंडल को एक कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व नीति की सिफारिश करेगी और समय-समय पर उसी की निगरानी भी करेगी।
 - अधिनियम कंपिनयों को अपने पिछले तीन वर्षों के शुद्ध लाभों के औसत का 2% CSR गतिविधियों पर खर्च करने के लिये प्रोत्साहित करता है।

CSR गतिविधियाँ :

- अधिनियम में उन गतिविधियों की सूची दी गई है, जो CSR के दायरे में आती हैं। यह सूची अधिनियम की 7वीं अनुसूची में शामिल हैं।
 इन गतिविधियों में शामिल हैं:
 - गरीबी व भूख का उन्मूलन।
 - शिक्षा का प्रचार-प्रसार, लिंग समानता व नारी सशक्तीकरण।
 - ♦ ह्यूमन इम्यूनो-डिफीसिएन्सी वायरस, एक्वायर्ड इम्यून डेफिसिएंसी सिंड्रोम और अन्य बीमारी से लड़ने की तैयारी।
 - पर्यावरणीय संतुलन को सुनिश्चित करना।
 - प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष या अनुसूचित जाति/जनजाति, मिहला, अल्पसंख्यक तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के सामाजिक-आर्थिक विकास और राहत के लिये केंद्र या राज्य सरकार द्वारा गठित किसी कोष में योगदान आदि।

- इंजेती श्रीनिवास समिति:
 - वर्ष 2018 में इंजेती श्रीनिवास की अध्यक्षता में CSR (कॉर्पोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी) पर उच्च स्तरीय सिमिति का गठन किया गया था।
 - ◆ सिमिति ने CSR की खर्च न की जा सकी राशि को अगले 3 से 5 वर्षों की अविध के लिये आगे बढ़ाने (Carry Forward) की सिफारिश की है। सिमिति ने कंपनी अधिनियम के खंड-7 (SCHEDULE VII) को संयुक्त राष्ट्र के सतत् विकास लक्ष्यों के अनुरूप बनाने की सिफारिश की है।

हालिया विकास:

- वर्ष 2020 में कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय ने कंपिनयों को कोविड-19 से संबंधित राहत कार्यों के लिये CSR निधि खर्च करने की अनुमित दी
 थी, जिसमें निवारक स्वास्थ्य देखभाल और स्वच्छता तथा कोविड दवाओं, टीकों और चिकित्सा उपकरणों के अनुसंधान और विकास आदि
 शामिल हैं।
- इस वर्ष, कोविड-19 टीकाकरण संबंधी जागरूकता या सार्वजनिक आउटरीच अभियानों और अस्थायी अस्पतालों तथा अस्थायी कोविड देखभाल सुविधाओं की स्थापना को भी CSR के दायरे में शामिल कर दिया गया है।

CSR मानदंड को आसान बनाने के लाभ:

- टीकाकरण अभियान में भूमिका: सूचीबद्ध कंपनियों द्वारा CSR गितविधियों पर प्रतिवर्ष लगभग 10,000 करोड़ रुपए खर्च िकये जाते हैं।
 यदि योग्य असूचीबद्ध कंपनियों को भी ध्यान में रखा जाता है, तो उपलब्ध राशि औ बड़ी हो सकती है। यह टीकाकरण पर केंद्र और राज्यों के खर्च के अनुपूरक हो सकता है।
- ग्रामीण जनसंख्या तक पहुँच: इनमें से कई कंपनियों की ग्रामीण क्षेत्रों में उपस्थिति है, जिससे यह सुनिश्चित किया जा सकेगा कि यह अभियान बड़े शहरों से लेकर ग्रामीण आबादी तक भी पहुँचे।
- कर्मचारियों के लिये CSR के तहत टीकाकरण पर कॉर्पोरेट व्यय की अनुमित का लाभ: इससे विनिर्माण क्षेत्र में असंगठित श्रिमकों के लिये टीकाकरण को बढ़ावा मिलेगा और साथ ही इससे पहले से ही चुनौतियों का सामना कर रही स्वास्थ्य को भी सहायता मिलेगी।

किर्गिज़स्तान-ताज़िकस्तान सीमा तनाव

चर्चा में क्यों?

हाल ही में किर्गिजस्तान-ताजिकिस्तान सीमा पर हुई हिंसक झड़प के बाद दोनों देशों द्वारा युद्ध विराम को लेकर सहमित व्यक्त की गई है ज्ञात हो कि इस हिंसक झड़प के दौरान तकरीबन 40 लोगों की मृत्यु हुई है, जबकि 175 लोग लगभग घायल हुए हैं।

 ि किर्गिज्ञस्तान और ताजिकिस्तान मध्य एशिया क्षेत्र में शामिल देश हैं। इस क्षेत्र के अन्य देश कजाखस्तान, तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान हैं।

प्रमुख बिंदुः

पृष्ठभूमि:

- दोनों राष्ट्रों द्वारा 'कोक-तश' (Kok-Tash) के आस-पास के क्षेत्र पर अपना-अपना दावा प्रस्तुत किया जाता है, यह एक जल आपूर्ति
 उपलब्ध कराने वाला क्षेत्र है तथा यह विवाद दोनों देशों के बीच तब से चला आ रहा है, जब से यह क्षेत्र दशकों पूर्व सोवियत संघ का हिस्सा
 था।
- वर्ष 1991 के उत्तरार्ध में रूसी सोवियत संघीय समाजवादी गणतंत्र (Union of Soviet Socialist Republics- USSR) के पतन के साथ ही किर्गिज-ताजिक सीमा विवाद की वर्तमान रूपरेखा निर्मित हो गई थी।
- ताजिकिस्तान और किर्गिजस्तान के मध्य सीमा विशेष रूप से तनावपूर्ण है, क्योंकि दोनों देशों के मध्य निर्मित 1,000 किलोमीटर लंबी सीमा में से एक तिहाई से अधिक विवादित है। जिन समुदायों की भूमि और जल तक पहुँच सुनिश्चित नहीं है, अतीत में अक्सर उन समुदायों के मध्य घातक संघर्ष होते रहे हैं।

अंतर्राष्ट्रीय प्रतिक्रियाः

• रूस और यूरोपीय संघ (European Union- EU) ने युद्ध विराम समझौते का स्वागत किया तथा दोनों देशों के मध्य एक स्थायी और शांतिपूर्ण समाधान की आवश्यकता पर जोर दिया।

भारत के लिये मध्य एशिया का महत्त्व:

- राजनीतिकः
 - सुरक्षा, ऊर्जा, आर्थिक अवसरों आदि क्षेत्रों में भारत के मध्य एशिया में व्यापक हित निहित हैं।
 - भारत में शांति और आर्थिक विकास हेतु मध्य एशिया में सुरक्षा, स्थिरता और समृद्धि अनिवार्य है।
 - मध्य एशिया, एशिया और यूरोप के मध्य एक भू-सेतु के रूप में कार्य करता है, जो कि इसे भारत के लिये भू-राजनीतिक धुरी के रूप से स्थापित करता है।
 - ♦ भारत और मध्य एशियाई गणराज्य (Central Asian Republics-CARs) दोनों ही विभिन्न क्षेत्रीय और विश्व मुद्दों पर कई समान धारणाओं को साझा करते हैं, जो क्षेत्रीय स्थिरता प्रदान करने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं।
- आर्थिक:
 - यह क्षेत्र प्राकृतिक संसाधनों जैसे- पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, एंटीमनी, एल्यूमीनियम, सोना, चांदी, कोयला और यूरेनियम से समृद्ध है,
 जिसका उपयोग भारत अपनी ऊर्जा आवश्यकताओं के अनुसार सबसे बेहतर तरीके से कर सकता है।
 - ◆ मध्य एशिया में विशाल कृषि योग्य क्षेत्र बिना किसी उत्पादकता के बंजर पड़ा हुआ है, इस क्षेत्र का दालों की खेती हेतु उचित उपयोग
 किया जा सकता है।
 - मध्य एशियाई गणराज्य तेजी से उत्पादन, कच्चे माल और सेवाओं की आपूर्ति हेतु वैश्विक बाजार से जुड़ रहे हैं। वे पूर्व-पश्चिम ट्रांस-यूरेशियन ट्रांजीशन आर्थिक गलियारों के साथ तेजीसे एकीकृत हो रहे हैं।
- भारतीय पहलः
 - ♦ भारत की योजना अंतर्राष्ट्रीय उत्तर दक्षिण परिवहन गलियारे (expansion of International North South Transport Corridor- INSTC) का अफगानिस्तान और उज्बेकिस्तान तक विस्तार करने की है।
 - यह यूरेशियन बाजारों तक पहुँचने और इसके उपयोग को बेहतर ढंग से संचालित करने हेतु एक महत्त्वपूर्ण प्रवेश द्वार के रूप में कार्य करेगा और इसके तहत मध्य एशियाई देशों का प्रत्यक्ष हितधारक के रूप में शामिल होना अनिवार्य है।
- भारत-मध्य एशिया वार्ता:
 - भारत और मध्य एशियाई देशों के बीच विकास साझेदारी को आगे बढ़ाने हेतु भारत द्वारा 'भारत-मध्य एशिया विकास समूह' की स्थापना का प्रस्ताव रखा गया है।
 - यह समूह भारत को चीन द्वारा बड़े पैमाने पर संसाधन संपन्न क्षेत्र में किये गए अतिक्रमण तथा अफगानिस्तान में प्रभावी ढंग से आतंक से खिलाफ लड़ने हेतु अपना विस्तार करने में मदद करेगा।

भारत-किर्गिजस्तान

राजनीतिक:

- वर्ष 1991 से भारत और किर्गिज्ञस्तान के मध्य मज्जबूत द्विपक्षीय संबंध स्थापित हैं।
- वर्ष 1992 में भारत, किर्गिज्ञस्तान के साथ राजनियक संबंध स्थापित करने वाला पहला देश था।

संस्कृति और आर्थिक:

• वर्ष 1992 से दोनों देशों के मध्य कई समझौते हुए हैं, जिनमें संस्कृति, व्यापार और आर्थिक सहयोग, नागरिक उड्डयन, निवेश प्रोत्साहन और संरक्षण, दोहरे कराधान से बचाव, काउंसलर कन्वेंशन आदि शामिल हैं।

सैन्य:

• वर्ष 2011 में भारत और किर्गिज़स्तान के मध्य संयुक्त 'खंजर' (Khanjar) अभ्यास शृंखला की शुरुआत की गई।

भारतीय प्रवासी:

• किर्गिजस्तान में लगभग 9,000 भारतीय छात्र विभिन्न चिकित्सा संस्थानों में अध्ययन कर रहे हैं। इसके अलावा, किर्गिजस्तान में रहने वाले कई भारतीय व्यापारी हैं, जो व्यापार और कई अन्य सेवाओं में संलग्न हैं।

रणनीतिक:

- िकिर्गिज नेताओं द्वारा काफी हद तक कश्मीर पर भारत के रुख का समर्थन किया जाता रहा है।
- किर्गिजस्तान द्वारा संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (United Nations Security Council- UNSC) में स्थायी सीट हेतु भारत का समर्थन किया गया हैं।

भारत-ताजिकिस्तानः

राजनीतिक:

- वर्ष 2012 में भारत और ताजिकिस्तान द्वारा अपने द्विपक्षीय संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाया गया था।
- ताजिकिस्तान ने शंघाई सहयोग संगठन (Shanghai Cooperation Organization- SCO) तथा विस्तारित यूएनएससी की स्थायी सदस्यता हेतु भारत का समर्थन किया।
- वर्ष 2013 में भारत द्वारा विश्व व्यापार संगठन (World Trade Organization) में तजािकस्तान को शािमल किये जाने का समर्थन किया गया।

सांस्कृतिक और आर्थिक:

- आवागमन में लगने वाले अधिक समय और सुलभ व्यापार मार्गों की कमी के कारण दोनों देशों के प्रयासों के बावजूद दोनों पक्षों के मध्य व्यापार अपेक्षाओं के अनुरूप नहीं रहा है।
- इन सीमाओं के बावजूद, खाद्य प्रसंस्करण, खनन, फार्मास्यूटिकल्स, वस्त्र, कौशल विकास, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, सूचना प्रौद्योगिकी, संस्कृति और पर्यटन आदि क्षेत्र में दोनों देशों के मध्य व्यापार जारी है।

भारत द्वारा मददः

- वर्ष 2001-02 में भारत द्वारा ताजिकिस्तान को प्रमुख खाद्य सहायता उपलब्ध कराई गई। जनवरी-फरवरी 2008 में अत्यधिक सर्दी से उत्पन्न संकट को दूर करने हेतु भारत द्वारा 2 मिलियन अमेरिकी डॉलर (नकद सहायता के रूप में 1 मिलियन अमरीकी डॉलर तथा पावर केबल, जनरेटर और पंप सेट हेतु 1 मिलियन अमरीकी डॉलर) की मदद की गई।
- नवंबर 2010 में भारत द्वारा संयुक्त राष्ट्र बाल कोष (United Nations Children's Fund- UNICEF) के माध्यम से ओरल पोलियो वैक्सीन की 2 मिलियन खुराक उपलब्ध की गईं।
- मार्च 2018 में भारत द्वारा रूस में निर्मित 10 एम्बुलेंस ताजिकिस्तान के विभिन्न क्षेत्रों में उपहार स्वरूप दी गई, इससे भारत को काफी अधिक मीडिया कवरेज प्राप्त हुई थी और उच्च अधिकारियों द्वारा भारत की प्रशंसा की गई थी।

भारतीय प्रवासी:

ताजिकिस्तान में भारतीयों की कुल संख्या लगभग 1550 है, जिनमें से 1250 से अधिक छात्र हैं।

आगे की राहः

 भौगोलिक रूप में शताब्दियों से राजनीतिक और आर्थिक परिवर्तनों के गठजोड़ में मध्य एशिया का महत्त्वपूर्ण स्थान रहा है। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, भारत की कनेक्ट सेंट्रल एशिया नीति और यूरोपीय संघ की नई मध्य एशिया रणनीति के साकार होने के साथ, ही 21वीं सदी संभवत: इस क्षेत्र के लिये सबसे निर्णायक अविध हो सकती है।

- अपने ऐतिहासिक सांस्कृतिक और आर्थिक संबंधों के चलते भारत अब इस क्षेत्र के विकास में अधिक सिक्रय भूमिका निभाने हेतु तैयार है।
 SCO जैसे बहुपक्षीय मंचों पर भारत की बढ़ती वैश्विक भागीदारी और महत्त्वपूर्ण भूमिका ने भारत को इस क्षेत्र में एक पर्यवेक्षक के रूप में स्थापित किया है।
- मध्य एशिया भारत को अपनी सीमाओं से परे, यूरेशिया में अग्रणी भूमिका निभाने हेतु राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक संबंधों का लाभ उठाने हुए एक मजबूत मंच प्रदान करता है।

कोर सेक्टर आउटपुट

चर्चा में क्यों?

फरवरी, 2021 में 3.8% की गिरावट के बाद मार्च 2021 (32 महीनों में उच्चतम) में आठ प्रमुख क्षेत्रों में वृद्धि दर्ज की गई है, लेकिन यह वृद्धि काफी हद तक मार्च 2020 से 'बेस इफेक्ट' के कारण मानी जा रही है।

• वर्ष 2020-21 (अप्रैल-मार्च) के दौरान आठ क्षेत्रों के उत्पादन में 7% की गिरावट आई है, जबकि वर्ष 2019-20 में इसमें 0.4% की सकारात्मक वृद्धि हुई थी।

प्रमुख बिंदुः

आठ कोर क्षेत्र:

- इनमें औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (IIP) में शामिल वस्तुओं के कुल वेटेज का 40.27% शामिल है।
- अपने वेटेज के घटते क्रम में आठ प्रमुख उद्योग क्षेत्र: रिफाइनरी उत्पाद> बिजली> स्टील> कोयला> कच्चा तेल> प्राकृतिक गैस> सीमेंट> उर्वरक।

बेस इफेक्ट:

- 'बेस इफेक्ट' का आशय किसी दो डेटा बिंदुओं के बीच तुलना के परिणाम पर, तुलना के आधार या संदर्भ के प्रभाव से होता है।
- उदाहरण के लिये, 'बेस इफेक्ट' मुद्रास्फीति दर या आर्थिक विकास दर जैसे आँकड़ों के अति एवं कम विस्तार के कारण हो सकता है, यह प्राय: तब होता है जब तुलना के लिये चुना गया बिंदु मौजूदा अविध या समग्र डेटा के सापेक्ष असामान्य रूप से उच्च या निम्न मूल्य प्रदर्शित करता है।
- मार्च 2021 में प्राकृतिक गैस, स्टील, सीमेंट और बिजली का उत्पादन 12.3%, 23%, 32.5% और 21.6% बढ़ा जो कि तुलनात्मक रूप से मार्च 2020 में क्रमश: (-) 15.1%, (-) 21.9%, (-) 25.1% और (-8.2) था।

औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (IIP):

- IIP एक संकेतक है जो एक निश्चित अविध के दौरान औद्योगिक उत्पादों के उत्पादन की मात्रा में बदलाव को मापता है।
- यह सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (NSO) द्वारा मासिक रूप से संकलित और प्रकाशित किया जाता है।
- यह एक समग्र संकेतक है, जो कि निम्न रूप से वर्गीकृत किये गए उद्योग समूहों की वृद्धि दर को मापता है:
 - व्यापक क्षेत्र, अर्थात्-खनन, विनिर्माण और बिजली।
 - 🔷 बेसिक गुड्स, कैपिटल गुड्स और इंटरमीडिएट गुड्स जैसे उपयोग आधारित क्षेत्र।
- IIP के लिये आधार वर्ष 2011-2012 है।
- IIP का महत्त्व:
 - 🔷 इसका उपयोग नीति निर्माण के लिये वित्त मंत्रालय, भारतीय रिजर्व बैंक आदि सरकारी एजेंसियों द्वारा किया जाता है।
 - ♦ IIP त्रैमासिक और अग्रिम जीडीपी (सकल घरेलू उत्पाद) अनुमानों की गणना के लिये बेहद प्रासंगिक है।

एशियाई विकास आउटलुक-2021 : एशियाई विकास बैंक

चर्चा में क्यों?

एशियाई विकास आउटलुक (ADO)-2021 रिपोर्ट के अनुसार कोविड -19 की दूसरी लहर भारत के आर्थिक सुधार को 'जोखिम' में डाल सकती है।

ADO एशियाई विकास बैंक (ADB) के विकासशील सदस्य देशों (DMCs) के लिये जारी वार्षिक आर्थिक रिपोर्ट की एक शृंखला
है।

प्रमुख बिंदु

जीडीपी अनुमानः

- भारत:
 - सार्वजिनक निवेश, टीकाकरण और घरेलू मांग में वृद्धि के कारण आर्थिक सुधार जारी रहेगा और वित्त वर्ष 2021-22 में भारत के सकल घरेलू उत्पाद (GDP) में 11 प्रतिशत की मज़बूत वृद्धि का अनुमान है।
 - ♦ वित्त वर्ष 2022-23 में भारत की आर्थिक वृद्धि दर घटकर लगभग 7% रहने का अनुमान है।
 - 🔷 सरकार के दूसरे अग्रिम अनुमान में वित्त वर्ष 2020-21 में सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में 8 प्रतिशत का संकुचन अपेक्षित है।
- विकासशील एशिया:
 - ♦ वित्त वर्ष 2021-22 में विकासशील एशिया की आर्थिक वृद्धि दर 7.3% के आसपास रहेगी, जबिक पिछले वर्ष इसमें 0.2% संकुचन देखने को मिला था।
 - ♦ विकासशील एशिया में भौगोलिक समूह के आधार पर ADB सूची के 46 सदस्य शामिल हैं।
 - इनमें नई औद्योगिक अर्थव्यवस्थाएँ और मध्य एशिया, पूर्वी एशिया, दक्षिण एशिया, दक्षिण पूर्व एशिया तथा प्रशांत क्षेत्र के देश शामिल हैं।
 - भारत भी विकासशील एशिया का सदस्य है।

चुनौतियाँ:

- इस क्षेत्र (विकासशील एशिया) के लिये महामारी सबसे बड़ा जोखिम बनी हुई है, क्योंकि टीकाकरण अभियान में हो रही संभावित देरी या अन्य महत्त्वपूर्ण प्रकोप वृद्धि को प्रभावित कर सकते हैं।
- भू-राजनीतिक तनाव में वृद्धि, उत्पादन में अड़चनें, वित्तीय के कारण उत्पन्न वित्तीय उथल-पुथल, और स्कूल बंद होने के कारण सीखने की क्षमता के नुकसान जैसे दीर्घकालिक नुकसान अन्य जोखिम कारकों में से हैं।

महामारी के कारण स्कूल बंद होने का प्रभाव:

- कई देश दूरस्थ शिक्षा का उपयोग कर रहे हैं, लेकिन यह केवल आंशिक रूप से प्रभावी हो पाई है, क्योंकि कई छात्रों के पास कंप्यूटर और इंटरनेट जैसी बुनियादी अवसंरचना का अभाव है।
- ये व्यवधान छात्रों द्वारा अर्जित किये गए कौशल को प्रभावित करेंगे और अंत में भविष्य के श्रिमकों के रूप में उनकी उत्पादकता और उपार्जन को भी प्रभावित करेंगे।
- सीखने की क्षमता संबंधी यह नुकसान पैसिफिक क्षेत्र, जहाँ स्कूल लगभग चालू ही रहे, में तकरीबन 8% रहा, जबकि दक्षिण एशिया, जहाँ स्कूल सबसे लंबी अवधि तक बंद रहे, में यह नुकसान लगभग 55% रहा।
- विकासशील एशिया के लिये छात्रों के भविष्य की उपार्जन में कमी का वर्तमान मूल्य 1.25 ट्रिलियन अमरीकी डॉलर आँका गया है, जो वित्त वर्ष 2020 में इस क्षेत्र की जीडीपी के 5.4 प्रतिशत के बराबर है।

भारतीय विश्लेषणः

- स्वास्थ्य देखभाल, जल और स्वच्छता पर भारत सरकार द्वारा किये गए खर्च में वृद्धि से भविष्य की महामारियों के खिलाफ देश के लचीलेपन को मजबूती प्राप्त होगी होगी।
- निजी निवेश से निवेशकों के मनोभाव और जोखिम की दर में सुधार के साथ-साथ समायोजन ऋण की स्थिति में सुधार होने की उम्मीद है।
 (उदाहरण: धन सृजन के लिये महंगे ऋण में कमी करना और अधिक खर्च को प्रोत्साहित करना)।
- घरेलु मांग के इस वृद्धि के मुख्य प्रचालक बने रहने की भी उम्मीद है।
 - एक तीव्र टीकाकरण अभियान शहरी मांग को बढ़ावा दे सकता है, जबिक मजबूत कृषि विकास से ग्रामीण मांग को बढ़ावा मिलेगा और सिंचाई का विस्तार, मृल्य शृंखलाओं में सुधार और कृषि ऋण सीमा में वृद्धि करके किसानों के लिये सरकारी समर्थन जारी रहेगा।
- उत्पादन-लिंक्ड प्रोत्साहन योजना के माध्यम से विनिर्माण क्षेत्र के लिये सरकार द्वारा किये जा रहे प्रयासों से घरेलू उत्पादन का विस्तार होगा और वैश्विक आपूर्ति शृंखलाओं के साथ घरेलू विनिर्माण को एकीकृत करने में मदद मिलेगी।

सकल घरेलु उत्पाद (GDP)

- जीडीपी एक देश की समग्र आर्थिक गितविधि का एक व्यापक माप है। यह देश मंश वस्तुओं और सेवाओं के वार्षिक उत्पादन का कुल योग होता है।
- जीडीपी = निजी खपत + सकल निवेश + सरकारी निवेश + सरकारी खर्च + (निर्यात-आयात)
 एशियाई विकास बैंक (ADB)
- एशियाई विकास बैंक (ADB) एक क्षेत्रीय विकास बैंक है। इसकी स्थापना 19 दिसंबर, 1966 को हुई थी।
- ADB में कुल 68 सदस्य शामिल हैं I भारत ADB का एक संस्थापक सदस्य है।
 - ♦ कुल सदस्यों में से 49 सदस्य देश एशिया-प्रशांत क्षेत्र से हैं, जबिक 19 सदस्य अन्य क्षेत्रों से हैं।
 - इसका उद्देश्य एशिया में सामाजिक और आर्थिक विकास को बढ़ावा देना है।
- 31 दिसंबर 2019 तक ADB के पाँच सबसे बड़े शेयरधारकों में जापान और संयुक्त राज्य अमेरिका (प्रत्येक कुल शेयरों के 15.6% के साथ), पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना (6.4%), भारत (6.3%) और ऑस्ट्रेलिया (5.8%) शामिल हैं।
- ADB का मुख्यालय मनीला, फिलीपींस में है।

छोटी बचत योजनाएँ

चर्चा में क्यों?

हाल ही में केंद्र सरकार ने सभी छोटी बचत योजनाओं (Small Savings Scheme/Instrument) पर दरों को कम करने का अपना आदेश वापस ले लिया है।

प्रमुख बिंदु

छोटी बचत योजना के विषय में:

- ये योजनाएँ व्यक्तियों को एक विशेष अवधि के दौरान अपने वित्तीय लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद करती हैं।
- ये भारत में घरेलू बचत के प्रमुख स्रोत हैं।
- इसमें 12 योजनाएँ शामिल हैं।
- ऐसी सभी योजनाओं के संग्रह को राष्ट्रीय लघु बचत कोष (National Small Savings Fund) में जमा किया जाता है।
 वर्गीकरण: ऐसी योजनाओं को तीन प्रमुख प्रकारों में वर्गीकृत किया जा सकता है:
- डाक जमा (बचत खाता, आवर्ती जमा, अलग-अलग परिपक्वता की सावधि जमा राशि और मासिक आय योजना)।

- बचत प्रमाणपत्र: राष्ट्रीय लघु बचत प्रमाणपत्र (National Small Savings Certificate) और किसान विकास पत्र (Kisan Vikas Patra)।
- सामाजिक सुरक्षा योजनाएँ: सुकन्या समृद्धि योजना (Sukanya Samriddhi Scheme), सार्वजनिक भिवष्य निधि (Public Provident Fund) और विरिष्ठ नागरिक बचत योजना (Senior Citizens' Savings Scheme)।

छोटी बचत योजनाओं की दरें:

- इन योजनाओं के लिये दरों की घोषणा प्रत्येक वर्ष के तिमाही में की जाती है।
- इन योजनाओं की दरों में परिवर्तन सरकारी प्रतिभूतियों की उत्पादकता पर निर्भर करता है। राजनीतिक कारक भी दर परिवर्तन को प्रभावित करते हैं।
- छोटी बचत योजना पर वर्ष 2010 में गठित श्यामला गोपीनाथ पैनल ने इनके लिये बाजार से जुड़ी ब्याज दर प्रणाली का सुझाव दिया था।
 राष्ट्रीय लघु बचत कोष

स्थापनाः

इस कोष की स्थापना वर्ष 1999 में की गई थी।

प्रशासन:

- इस कोष को भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (आर्थिक मामलों का विभाग) द्वारा राष्ट्रीय लघु बचत कोष (कस्टडी और निवेश) नियम, 2001 के तहत संविधान के अनुच्छेद 283 (1) के अनुसार राष्ट्रपति द्वारा प्रशासित किया जाता है।
- इसे वित्त मंत्रालय (आर्थिक मामलों का विभाग) राष्ट्रीय लघु बचत कोष (निगरानी और निवेश) नियम, 2001 के अंतर्गत प्रशासित करता है।

उद्देश्य:

- इस कोष का उद्देश्य भारत की संचित निधि (Consolidated Fund of India) से छोटी बचत लेन-देन को जोड़ना और पारदर्शी तथा आत्मिनर्भर तरीके से उनका संचालन सुनिश्चित करना है।
- राष्ट्रीय लघु बचत कोष सार्वजनिक खाते के रूप में संचालित होता है, इसलिये इसका लेन-देन सीधे केंद्र के वित्तीय घाटे को प्रभावित नहीं करता है।

जैविक बाजरे का निर्यात

चर्चा में क्यों?

देश में जैविक उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देने के लिये हिमालय में उगाए गए जैविक बाजरे (Organic Millet) की पहली खेप डेनमार्क को निर्यात की जाएगी।

- कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (Agricultural and Processed Food Products Export Development Authority- APEDA) ने निर्यात के लिये उत्तराखंड के किसानों से रागी (फिंगर बाजरा) और झिंगोरा (बार्नयार्ड बाजरा) खरीदा है।
- वर्तमान में उन जैविक उत्पादों का निर्यात किया जाता है, जिनका 'जैविक उत्पादन हेतु राष्ट्रीय कार्यक्रम' (National Programme for Organic Production) की आवश्यकताओं के अनुसार उत्पादन, प्रसंस्करण, पैकिंग और लेबलिंग की गई हो।

प्रमुख बिंदु

जैविक उत्पादन हेतु राष्ट्रीय कार्यक्रमः

• इस कार्यक्रम को APEDA द्वारा वर्ष 2001 में अपनी स्थापना के बाद से लागू किया जा रहा है, जिसे विदेशी व्यापार (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1992 के अंतर्गत अधिसूचित किया गया है।

- इस कार्यक्रम में फसलों और उनके उत्पादों, पोल्ट्री उत्पादों, जलीय कृषि और मधुमक्खी पालन आदि से संबंधित मानकों को शामिल किया
 गया है। देश से विभिन्न उत्पादों का निर्यात इसके प्रावधानों के अनुसार होता है।
- इसके अंतर्गत किये गए प्रमाणीकरण को यूरोपीय संघ और स्विट्ज़रलैंड द्वारा मान्यता दी गई है, जो कि भारत को अतिरिक्त प्रमाणन की आवश्यकता के बिना इन देशों में प्रसंस्कृत उत्पादों का निर्यात करने में सक्षम बनाता है।
 - ♦ यह ब्रेक्जिट (Brexit) के बाद भी ब्रिटेन में भारतीय जैविक उत्पादों के निर्यात की सुविधा प्रदान करता है।
- इस कार्यक्रम को भारतीय खाद्य सुरक्षा मानक प्राधिकरण (Food Safety Standard Authority of India- FSSAI) द्वारा घरेलु बाजार में जैविक उत्पादों के व्यापार के लिये भी मान्यता दी गई है।
- इस कार्यक्रम के साथ द्विपक्षीय समझौते के अंतर्गत शामिल उत्पादों को भारत में आयात के लिये दोबारा प्रमाणीकरण की जरूरत नहीं होती
 है।

जैविक खेती:

- FSSAI के अनुसार "जैविक खेती" (Organic Farming) रासायनिक उर्वरकों, कीटनाशकों, सिंथेटिक हार्मोन आदि के उपयोग के बिना कृषि उत्पादन की एक प्रणाली है।
- संबंधित पहल:
 - पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिये जैविक मूल्य शृंखला विकास मिशन (MOVCDNER)।
 - परंपरागत कृषि विकास योजना (PKVY) आदि।
- भारत के सिक्किम राज्य को विश्व का प्रथम जैविक राज्य होने का गौरव हासिल है और इसे संयुक्त राष्ट्र के फ्यूचर पॉलिसी गोल्ड अवार्ड (Future Policy Gold Award), 2018 से भी सम्मानित किया जा चुका है।

भारत में जैविक खाद्य के निर्यात की स्थिति:

- अप्रैल-फरवरी (2020-21) के दौरान भारत के जैविक खाद्य उत्पादों का निर्यात बीते वर्ष (2019-20) इसी अवधि की तुलना में बढ़कर 7078 करोड़ रुपए (51% की बढ़ोतरी) हो गया है। वहीं मात्रा के आधार पर जैविक खाद्य उत्पादों के निर्यात में 39% की वृद्धि हुई।
- भारत द्वारा निर्यात किये जाने वाले प्रमुख उत्पादों में ऑयल सीड, फलों की पल्प और प्यूरी, अनाज तथा बाजरा, मसाले, चाय, औषधीय पौधों के उत्पाद, सूखे फल, चीनी, दालें, कॉफी और आवश्यक तेल आदि शामिल हैं।
- भारत के जैविक उत्पादों को संयुक्त राज्य अमेरिका, यूरोपीय संघ, कनाडा, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, स्विट्जरलैंड, इजरायल और दक्षिण कोरिया सिंहत 58 देशों में निर्यात किया जाता है।

कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण

- इस प्राधिकरण की स्थापना भारत सरकार द्वारा कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1985 के अंतर्गत की
 गई थी।
- यह वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है।
- इसे मुख्य तौर पर निर्यात संवर्द्धन और अनुसूचित उत्पादों अर्थात् सि्बजयों, मांस उत्पादों, डेयरी उत्पादों, मादक और गैर-मादक पेय आदि के विकास को बढ़ावा देने का कार्य सौंपा गया है।
- इसे चीनी के आयात की निगरानी करने की जिम्मेदारी भी दी गई है।

मॉडल इंश्योरेंस विलेज

चर्चा में क्यों?

भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (IRDAI) ने ग्रामीण क्षेत्रों में बीमा संबंधी सेवाओं को बढ़ावा देने के लिये 'मॉडल इंश्योरेंस विलेज' (MIV) की अवधारणा को प्रस्तुत किया है।

- आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 के अनुसार, भारत में बीमा संबंधी सेवाओं की पहुँच, जो वर्ष 2001 में 2.71% थी, वर्ष 2019 में 3.76% तक बढ़ गई, लेकिन यह वृद्धि वैश्विक औसत 7.23% से काफी नीचे है।
- हाल ही में संसद ने बीमा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) की सीमा को 49% से बढ़ाकर 74% करने के लिये बीमा संशोधन विधेयक, 2021 पारित किया है।

प्रमुख बिंदुः

'मॉडल इंश्योरेंस विलेज' (MIV) की अवधारणा:

- इस अवधारणा के तहत ग्रामीणों के समक्ष आने वाले सभी बीमा योग्य जोखिमों के लिये व्यापक बीमा सुरक्षा प्रदान करने तथा रियायती अथवा
 सस्ती दरों पर बीमा कवर उपलब्ध कराने पर विचार किया गया है।
- बीमा प्रीमियम को सस्ता बनाने के लिये राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड), अन्य संस्थानों, कॉर्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी (CSR) फंड्स, सरकारी सहायता तथा पुनर्बीमा कंपनियों द्वारा वित्तीय सहायता प्रदान किये जाने की आवश्यकता है।
- प्रथम वर्ष के दौरान इसे देश के विभिन्न जिलों में न्यूनतम 500 गाँवों में लागू िकया जा सकता है इसके बाद आगामी दो वर्षों में इसका विस्तार
 1,000 गाँवों तक िकया जा सकता है।
- इस अवधारणा को आगे बढ़ाने और संचालित करने के लिये प्रत्येक सामान्य बीमा कंपनी और बीमा व्यवसाय को स्वीकार करने वाली पुनर्बीमा कंपनी जिसका कार्यालय भारत में है, को शामिल किया जाने की आवश्यकता है।

MIV के तहत संभावित प्रस्ताव:

- मौसम सूचकांक उत्पाद या हाइब्रिड उत्पाद जिसमें मौसम सूचकांक उत्पाद भी शामिल होते हैं और ऐसी विभिन्न फसलें जिन्हें प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY) के तहत बीमा सुरक्षा प्राप्त नहीं है, के लिये क्षतिपूर्ति आधारित बीमा सुरक्षा।
- फसलों, पशुधन, किसानों, खेत की व्यापक आवश्यकताओं को लक्षित करने वाली लचीली फार्म इंश्योरेंस पैकेज नीतियाँ।
- उच्च मूल्य कृषि, अनुबंध कृषि और कॉर्पोरेट कृषि समुदाय के लिये अलग-अलग उत्पाद का प्रस्ताव क्योंकि इनकी जरूरतें अलग हैं।
- आपदाओं के कारण उत्पन्न बड़े जोखिमों को कवर करने वाले पूर्व निर्धारित पैरामीट्रिक मौसम सूचकांक के आधार पर राज्यों को बड़े स्तर पर बीमा कवर की पेशकश की जा सकती है।

ग्रामीण क्षेत्रों में बीमा के प्रसार में चुनौतियाँ:

 जागरूकता की कमी, बीमा उत्पादों का सीमित विकल्प, लोगों के अनुकूल और पारदर्शी दावा निपटान तंत्रों की अनुपस्थिति तथा बीमा कंपनियों का कमजोर नेटवर्क आदि ग्रामीण बीमा व्यवसाय के विकास को आगे बढ़ाने से संबंधित मुद्दे/चुनौतियाँ हैं।

भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (IRDAI):

- मल्होत्रा सिमिति की रिपोर्ट की सिफारिशों के बाद, वर्ष 1999 में बीमा उद्योग को विनियमित करने और विकसित करने के लिये एक स्वायत्त
 निकाय के रूप में बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण (IRDA) का गठन किया गया था।
- अप्रैल 2000 में IRDA को एक सांविधिक निकाय का दर्जा दिया गया था।
- IRDA के प्रमुख उद्देश्यों में बीमा बाजार की वित्तीय सुरक्षा सुनिश्चित करते हुए उपभोक्ता की पसंद और कम प्रीमियम के माध्यम से
 प्राहकों की संतुष्टि को बढ़ाने के साथ ही प्रतिस्पर्द्धा को बढ़ावा देना भी शामिल है।
- इसका मुख्यालय हैदराबाद में है।

पुनर्बीमा (Reinsurance):

 यह एक प्रक्रिया है जिसके तहत एक इकाई (पुनर्बीमाकर्त्ता) प्रीमियम भुगतान पर विचार करते हुए एक बीमा कंपनी द्वारा जारी नीति के तहत कवर किये गए जोखिम को पूरी तरह से या इसके कुछ हिस्सों को कवर करती है। दूसरे शब्दों में, यह बीमा कंपनियों के लिये बीमा सुरक्षा का एक रूप है।

कोविड-19 की दूसरी लहर से उत्पन्न चुनौतियों का सामना करने के लिये RBI के उपाय

चर्चा में क्यों?

हाल ही में भारतीय रिज़र्व बैंक (Reserve Bank of India- RBI) ने कोविड-19 के संक्रमण की दूसरी लहर के खिलाफ देश की लड़ाई में सहयोग देने के लिये कई उपायों की घोषणा की है।

- ये उपाय महामारी के खिलाफ एक समुचित और व्यापक रणनीति का पहला हिस्सा हैं।
- रिज़र्व बैंक ने इससे पूर्व भी वर्ष 2020 में महामारी के कारण आई आर्थिक गिरावट से निपटने के लिये उपायों की घोषणा की थी।

प्रमुख बिंदु

हेल्थकेयर इंफ्रास्ट्रक्चर के लिये टर्म लिक्विडिटी सुविधाः

- आपातकालीन स्वास्थ्य सेवाओं के प्रदाताओं के लिये ऋण तक पहुँच को आसान बनाने हेतु रेपो दर (Repo Rate) पर 3 वर्ष तक के कार्यकाल के साथ 50,000 करोड़ रुपये की तरलता सुविधा।
- इस योजना के अंतर्गत बैंक वैक्सीन निर्माताओं, वैक्सीन के आयातकों/आपूर्तिकत्ताओं, अस्पतालों/डिस्पेंसरी, पैथोलॉजी लेब, ऑक्सीजन और वेंटिलेटर के आपूर्तिकर्ताओं आदि को ऋण सहायता प्रदान करेंगे।
- इन ऋणों पुनर्भुगतान या परिपक्वता अवधि, जो भी पहले हो, तक प्राथमिकता क्षेत्र के रूप में वर्गीकृत किया जाता रहेगा।
 - ऋण संबंधी यह सुविधा 31 मार्च, 2022 तक उपलब्ध रहेगी।

लघु वित्त बैंकों के लिये विशेष दीर्घकालिक रेपो परिचालनः

- RBI लघु वित्त बैंकों (Small Finance Banks-SFBs) के लिये रेपो दर पर 10,000 करोड़ रुपए का तीन वर्षीय विशेष दीर्घकालिक रेपो परिचालन (SLTRO) का आयोजन करेगा।
 - दीर्घकालिक रेपो परिचालन एक ऐसा उपकरण है, जिसके तहत केंद्रीय बैंक प्रचलित रेपो दर पर बैंकों को एक वर्ष से तीन वर्ष तक पैसा मृहैया कराता है।
- SFBs इससे प्रति उधारकर्त्ता को 10 लाख रुपए तक के नए ऋण की सुविधा देने में सक्षम होंगे।
- इसका उद्देश्य लघु व्यावसायिक इकाइयों, सूक्ष्म और लघु उद्योगों तथा अन्य असंगठित क्षेत्र की संस्थाओं को महामारी की वर्तमान लहर के दौरान सहायता प्रदान करना है।

प्राथमिकता क्षेत्र ऋणः

- लघु वित्त बैंकों को अब 500 करोड़ रुपए तक की परिसंपत्ति के आकार वाले माइक्रोफाइनेंस संस्थानों (Micro Finance Institution) को नए ऋण देने की अनुमति है।
 - 🔷 यह सुविधा 31 मार्च, 2022 तक उपलब्ध रहेगी।

MSME उद्यमियों के लिये ऋण प्रवाह:

• गैर-बैंकिंग सुविधा वाले सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों को बैंकिंग प्रणाली में शामिल करने के लिये फरवरी 2021 में प्रदान की गई छूट, जिसमें अधिसूचित बैंकों को नकद आरक्षित अनुपात (Cash Reserve Ratio) की गणना हेतु शुद्ध माँग और समय देयताएँ (Net Demand & Time Liability) में से नए MSME उधारकर्त्ताओं को दिये गए क्रेडिट की कटौती करने की अनुमित दी गई थी, को अब 31 दिसंबर, 2021 तक बढ़ा दिया गया है।

दबाव समाधान फ्रेमवर्क 2.0:

 यह फ्रेमवर्क उधारकर्ताओं की सबसे संवेदनशील श्रेणियों अर्थात् निजी व्यक्तियों, उधारकर्ताओं और MSMEs द्वारा महसूस किये जाने वाले दबाव से राहत देने के लिये है।

- ऐसे व्यक्ति, उधारकर्त्ता और सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम, जिन्होंने किसी भी पिछले फ्रेमवर्क के तहत पुनर्गठन का लाभ नहीं उठाया वे इस फ्रेमवर्क के तहत पात्र होंगे।
- समाधान फ्रेमवर्क 1.0 के अंतर्गत ऋणों के पुनर्गठन का लाभ उठाने वाले व्यक्तियों और छोटे व्यवसायों के लिये, उधार देने वाले संस्थान अब अविशष्ट अविध को 2 वर्ष की कुल अविध तक बढ़ा सकते हैं।
 - उधार देने वाली संस्थाओं को कार्यशील पूंजी के अनुमोदन की सीमाओं की समीक्षा करने की अनुमित है।

फ्लोटिंग प्रोविजन्स एंड काउंटर साइक्लिकल बफरः

- बैंक अब महामारी संबंधी दबाव को कम करने और पूंजी संरक्षण को सक्षम करने के उपाय के रूप में गैर निष्पादित परिसंपत्तियों (Non-Performing Asset) के लिये विशिष्ट प्रावधान करने हेतु 31 दिसंबर, 2020 तक उनके पास मौजूद फ्लोटिंग प्रोविजन्स का शत-प्रतिशत उपयोग कर सकते हैं। ऐसे उपयोग को 31 मार्च, 2022 तक क्रियान्वित किये जाने की अनुमति है।
- फ्लोटिंग प्रोविजन्स और काउंटर साइक्लिकल बफर (Floating Provisions and Countercyclical Provisioning Buffer) आमतौर पर उस विशिष्ट राशि को संदर्भित करती है, जिसे बैंकों को आरबीआई द्वारा निर्धारित अन्य न्यूनतम पूंजी आवश्यकताओं के अतिरिक्त रखने की आवश्यकता होती है। इसका उपयोग केवल आर्थिक मंदी के समय या असाधारण समय में किया जाता है। बैंकों ने वर्ष 2010 से ऐसे भंडार का निर्माण शुरू किया है।

राज्यों के लिये ओवरड़ाफ्ट सुविधा में छूट:

- राज्य सरकारों के लिये एक तिमाही में ओवरड्राफ्ट के दिनों की अधिकतम संख्या 36 से बढ़ाकर 50 दिन कर दी गई है। वहीं राज्यों के लिये लगातार ओवरड्राफ्ट लेने के दिनों की संख्या 14 से बढ़ाकर 21 दिन कर दी गई है।
 - यह सुविधा 30 सितंबर, 2021 तक उपलब्ध है।
 - ♦ इससे पहले राज्यों के अर्थोपाय अग्रिम (Ways and Means Advance) की सीमाएँ बढ़ा दी गई थीं।

KYC मानदंडों का युक्तीकरण:

 आरबीआई ने मालिकाना हक वाली फर्मों, अधिकृत हस्ताक्षरकर्त्ताओं और कानूनी संस्थाओं के लाभकारी मालिकों जैसे ग्राहकों की नई श्रेणियों के लिये वीडियो KYC (Knowing Your Customer) या V-CIP (वीडियो-आधारित ग्राहक पहचान प्रक्रिया) का दायरा बढाने का भी फैसला किया है।

आगे की राह

- वायरस की विनाशकारी गित को रोकने के लिये सबसे संवेदनशील वर्गों सिहत विभिन्न वर्गों को शामिल करते हुए तेज, व्यापक, क्रमबद्ध और सही समय पर कार्रवाई की जानी आवश्यक है।
- भारत ने दूसरी लहर के दौरान संक्रमण और मृत्यु दर में हुई भयंकर वृद्धि से बहादुरी के साथ लड़ते हुए टीकाकरण तथा चिकित्सा सहायता मुहैया कराने संबंधी अभियानों में बढ़ोतरी की है। ऐसी परिस्थिति में कार्यस्थलों, शिक्षा एवं आय तक पहुँच को सामान्य बनाना और आजीविका स्तर पर सामान्य स्थिति बहाल करना अनिवार्य हो जाता है।

सोशल स्टॉक एक्सचेंज पर रिपोर्ट

चर्चा में क्यों?

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI) द्वारा सोशल स्टॉक एक्सचेंज (SSE) पर गठित एक तकनीकी समूह ने हाल ही में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की है।

- सितंबर, 2020 में भारतीय प्रतिभृति और विनिमय बोर्ड (SEBI) ने नाबार्ड (NABARD) के पूर्व अध्यक्ष हर्ष भानवाला की अध्यक्षता में सोशल स्टॉक एक्सचेंज पर तकनीकी समूह का गठन किया था।
- इससे पूर्व इशात हुसैन की अध्यक्षता में सोशल स्टॉक एक्सचेंज (SSE) पर एक कार्यकारी समूह (WG) का गठन भी किया गया था, जिसने जून 2020 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी।

प्रमुख बिंदु

सोशल स्टॉक एक्सचेंज (SSE) के विषय में:

- संघीय बजट 2019-20 में पूंजी निर्माण के लिये सामाजिक उद्यम, स्वैच्छिक और कल्याणकारी संगठनों को सूचीबद्ध करते हुए सोशल स्टॉक एक्सचेंज (SSE) को एक मंच के रूप में गठित करने का प्रस्ताव रखा गया था।
 - ◆ सामाजिक उद्यम को एक ऐसी गैर-लाभांश भुगतान कंपनी के रूप में परिभाषित किया जा सकता है, जिसे किसी एक विशिष्ट सामाजिक समस्या को संबोधित करने के लिये स्थापित किया गया हो।
- इसे SEBI के विनियामक दायरे के तहत गठित करने का प्रस्ताव दिया गया था।
- इस पहल का उद्देश्य सामाजिक समस्याओं के समाधान हेतु इिक्वटी या ऋण या म्यूचुअल फंड की एक इकाई के रूप में पूंजी निर्माण कार्यों में संलग्न सामाजिक और स्वैच्छिक संगठनों की सहायता करना हैं।
- सिंगापुर, ब्रिटेन, कनाडा जैसे देशों में SSE पहले से ही स्थापित है। ये देश स्वास्थ्य, पर्यावरण और परिवहन जैसे क्षेत्रों में संचालित फर्मों को SSE जे माध्यम से पूंजी निर्माण के लिये अनुमति देते हैं।

समृह की सिफारिशें:

- संगठन का प्रकार: राजनीतिक और धार्मिक संगठनों, व्यापार संगठनों के साथ-साथ कॉपोरेट समूहों को SSE के माध्यम से पूंजी निर्माण की अनुमित नहीं दी जानी चाहिये ।
- यदि लाभकारी उद्यम (FPE) और गैर-लाभकारी संगठन (NPO) दोनों अपने प्राथमिक लक्ष्यों जैसे: सामाजिक धारणा और उन पर पड़ने वाले प्रभाव को दिखाने में सक्षम हैं, तो वे SSE के लाभ के लिये पात्र होंगे।
 - ◆ SSE पर सूचीबद्ध संस्थाओं को 'रणनीतिक धारणाओं और नियोजन, दृष्टिकोण, प्रभाव स्कोर कार्ड' जैसे पहलुओं के बारे में वार्षिक आधार पर अपने सामाजिक प्रभाव की रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी।
 - ♦ गैर-लाभकारी संगठनों (NPO) को आमतौर पर कंपनी अधिनियम की धारा 8 के अंतर्गत गैर-सरकारी संगठनों के रूप में (ट्रस्ट या सोसाइटी) गठित किया जाता है।
 - ◆ एक लाभकारी उद्यम (FPEs) प्राइवेट लिमिटेड कंपनियों के रूप में, भागीदारियों के रूप में या एकल स्वामित्त्व वाला हो सकता है।
- पूंजी निर्माण के विभिन्न उपाय:
 - ♦ गैर-लाभकारी संगठनों (NPO) को इक्विटी, जीरो कूपन जीरो प्रिंसिपल बॉन्ड, विकास प्रभाव बॉण्ड, सामाजिक प्रभाव निधि के
 साथ-साथ निवेशक म्यूच्यूअल फंड के माध्यम से 100 प्रतिशत अनुदानित या दान से कोष जुटाने में सामाजिक स्टॉक एक्सचेंज का विचार
 एक सराहनीय पहल है।
 - 🔷 लाभकारी उद्यमों के लिये इक्विटी, ऋण, विकास प्रभाव बॉण्ड और सामाजिक उद्यम निधि के माध्यम से धन का सृजन करना।
- योग्य गतिविधियाँ: सामाजिक उद्यम निम्निलिखित गितविधियों में संलग्न हो सकते हैं:
 - भूख, गरीबी, कुपोषण और असमानता का उन्मूलन; स्वास्थ्य देखभाल (मानिसक स्वास्थ्य सिंहत) तथा स्वच्छता को बढ़ावा देना; और सुरिक्षत पेयजल उपलब्ध कराना।
 - शिक्षा, नियोजिता और आजीविका को बढ़ावा देना।
 - ♦ लैंगिक समानता, महिला सशक्तीकरण और LGBTQA+ समुदायों को बढ़ावा देना।
 - 🔷 जलवायु परिवर्तन (शमन और अनुकूलन), वन और वन्य जीव संरक्षण को संबोधित करते हुए पर्यावरणीय स्थिरता सुनिश्चित करना।
 - गैर-कृषि क्षेत्र में छोटे और सीमांत किसानों और श्रमिकों की आय बढ़ाने के साथ-साथ ग्रामीण और शहरी गरीबों के लिये आजीविका को प्रोत्साहित करना।
 - सतत् और लचीले शहरों के निर्माण के लिये स्लम क्षेत्र के विकास, किफायती आवास और इस प्रकार के अन्य हस्तक्षेपों को बढ़ावा
 दिया जाना चाहिये।

आगे की राह

- वैश्विक अर्थव्यवस्था पर कोविड-19 के प्रभावों को देखते हुए पूंजी के विभिन्न सार्वजिनक और निजी स्रोतों के लिये यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि सामाजिक क्षेत्र में पूंजी प्रवाह पर महामारी का प्रभाव न पड़े और वैश्विक समुदाय के लिये स्थायी प्रभाव उत्पन्न करने हेतु पूंजी का प्रभावी ढंग से उपयोग किया जाए।
- सोशल स्टॉक एक्सचेंज (SSE) के माध्यम से दिये जाने वाला संस्थागत समर्थन यह सुनिश्चित करता है कि अधिक-से-अधिक निवेशक मात्र वित्तीय विवरणों से आगे बढ़कर विभिन्न उद्यमों के मूल्यांकन के लिये पर्यावरणीय पहलुओं (संसाधन संरक्षण, पर्यावरणीय रूप से स्थायी कामकाजी प्रथाओं), सामाजिक पहलुओं (गोपनीयता, डेटा संरक्षण, कर्मचारी कल्याण) और शासन संबंधी पहलुओं (जैसे बोर्ड विविधता, हितों के टकराव संबंधी मुद्दों के लिये समाधान तंत्र और प्रबंधन की स्वतंत्र निगरानी) आदि को एकीकृत कर सकें।
- इसके लिये सभी प्रयासों के माध्यम से यह सुनिश्चित किया जाना आवश्यकता है कि सोशल स्टॉक एक्सचेंज के गठन के लिये एक सक्षम नियामक वातावरण बनाया जाए, जहाँ उद्यमों, सामाजिक उद्यमियों और निवेशकों के लिये भी न्यूनतम अनुपालन दायित्त्व निर्धारित हो।

बॉण्ड यील्ड में गिरावट

चर्चा में क्यों?

हाल ही में भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने सरकारी प्रतिभूति अधिग्रहण कार्यक्रम (G-SAP) के तहत सरकारी प्रतिभूतियों (G-Sec) की खरीद का निर्णय लिया है, जिसके परिणामस्वरूप बेंचमार्क पर यील्ड के 10-वर्षीय बॉण्ड में 6% से कम की गिरावट दर्ज की गई।

भारत में, 10-वर्षीय सरकारी प्रतिभृतियों की यील्ड को बेंचमार्क माना जाता है, जो समग्र ब्याज दर के परिदृश्य को दर्शाता है।

प्रमुख बिंदु

बॉण्ड यील्ड :

- बॉण्ड यील्ड का आशय बॉण्ड पर मिलने वाले रिटर्न से होता है। बॉण्ड यील्ड की गणना करने के लिये वार्षिक कूपन दर को बॉण्ड के वर्तमान बाजार मुल्य से विभाजित किया जाता है
 - ♦ बॉण्ड: यह धन उधार लेने का एक साधन है। एक देश की सरकार या एक कंपनी द्वारा धन का सृजन करने के लिये एक बॉण्ड जारी
 किया जा सकता है।
 - ♦ निर्धारित ब्याज़ दर या कृपन दर : यह बॉण्ड के अंकित मूल्य पर बॉण्ड जारीकर्त्ता द्वारा निर्धारित ब्याज़ की दर है।

बॉण्ड यील्ड के गतिशील होने के सामान्य प्रभाव:

- बॉण्ड यील्ड की गतिशीलता सामान्यत: ब्याज दरों के रुझान पर निर्भर करती है, जिसके परिणामस्वरूप निवेशकों को पूंजीगत लाभ या हानि हो सकता है।
 - बाजार में बॉण्ड यील्ड की बढ़ोतरी से बॉण्ड की कीमतों में कमी आएगी।
 - 🔷 बॉण्ड में गिरावट से निवेशक को फायदा मिलेगा क्योंकि बॉण्ड की कीमत बढ़ने पूंजीगत लाभ में वृद्धि होगी।

बॉन्ड यील्ड में कमी के कारण:

- कोविड -19 के कारण उत्पन्न आर्थिक अनिश्चितता।
- अप्रैल, 2021 में RBI द्वारा G-SAP को लॉन्च किया गया, जिसके कारण सरकारी प्रतिभूति यील्ड में कमी आई, जो तब से जारी है।
 प्रभाव:
- बेहतर इक्विटी बाजार:
 - यील्ड में गिरावट इक्विटी बाजार के लिये फायदेमंद साबित होती है, क्योंकि धन का प्रवाह ऋण निवेश से इक्विटी निवेश की तरफ होने लगता है।
 - इिक्वटी बाजार: यह एक ऐसा बाजार है, जिसमें कंपिनयों के शेयर जारी कर उनका व्यापार, या तो एक्सचेंजों या ओवर-द-काउंटर बाजारों के माध्यम से किया जाता है। इसे शेयर बाजार के रूप में भी जाना जाता है।

- ♦ इसका मतलब है कि जैसे-जैसे बॉण्ड यील्ड में कमी आती जाती है, इिक्वटी बाजार बड़े लाभ के साथ आगे बढ़ते हैं और जैसे-जैसे बॉण्ड यील्ड में बढ़ोत्तरी होने लगती है, इिक्वटी बाजार लड़खड़ाने लगते हैं।
- पूंजी-लागत में कमी:
 - जब बॉण्ड यील्ड में बढ़ोतरी होती है, तो पूंजी की लागत भी बढ़ जाती है। इसका अभिप्राय यह है कि भविष्य के नकदी प्रवाह को उच्च
 दर पर छूट प्रदान की जाएगी।
 - ♦ डिस्काउंट या छूट भुगतान के वर्तमान मूल्य या भुगतान की एक प्रवाह निर्धारित करने की प्रक्रिया है, जो भविष्य में प्राप्त की जानी है।
 - ◆ यह इन शेयरों के मूल्यांकन को संकुचित करता है। यह एक कारण है कि जब भी RBI द्वारा ब्याज दरों में कटौती की जाती है, तो यह शेयरों के लिये सकारात्मक होता है।
- दिवालियापन के जोखिम को कम करना:
 - ♦ जब बॉण्ड यील्ड में बढ़ोतरी होती है, तो यह संकेत देता है कि कॉरपोरेट्स को ऋण पर अधिक ब्याज़ देना होगा।
 - जैसे-जैसे ऋण शोधन की लागत बढ़ती है, दिवालियापन और डिफॉल्ट का जोखिम भी बढ़ता है और इस प्रकार के जोखिम मिड-कैप और अत्यधिक लीवरेज्ड कंपनियों को कमजोर बनाते है।

RBI का रुख:

- RBI का उद्देश्य यील्ड को कम रखना है, ताकि बाजार में उधार दरों में किसी भी तरह के उतार-चढ़ाव को प्रतिबंधित करने हेतु सरकार की उधार की लागत को कम किया जा सके।
- बॉण्ड यील्ड में बढ़ोतरी से बैंकिंग सिस्टम में ब्याज़ दरों पर दबाव बढ़े,गा जिससे उधार देने की दर में बढ़ोतरी होगी। RBI ब्याज़ दरों को प्रारंभिक (िकक-स्टार्ट) निवेश के लिये स्थिर रखना चाहता है।
 सरकारी प्रतिभृति अधिग्रहण कार्यक्रम (G-SAP)

परिचय:

- RBI ने वर्ष 2021-22 के लिये एक द्वितीयक बाजार सरकारी प्रतिभूति (G-sec) अधिग्रहण कार्यक्रम या G-SAP 1.0 लागू करने का निर्णय लिया है।
 - ♦ यह RBI की 'खुली बाजार प्रक्रियाओं' (OMOs) का हिस्सा है।
- इस कार्यक्रम के तहत RBI सरकारी प्रतिभूतियों (G-Secs) की खुली बाजार खरीद के विशिष्ट मूल्य का संचालन करेगा।

उद्देश्य:

 विभिन्न वित्तीय बाजार साधनों के मूल्य निर्धारण में सरकारी प्रतिभूति बाजार की केंद्रीय भूमिका को देखते हुए सरकारी प्रतिभूति बाजार में अस्थिरता से बचना।

महत्त्वः

- यह बॉण्ड बाज़ार सहभागियों को वित्त वर्ष 2021-22 में RBI के समर्थन की प्रतिबद्धता के संबंध में निश्चितता प्रदान करेगा।
- इस संरचित कार्यक्रम की घोषणा से रेपो दर और 10-वर्षीय सरकारी बॉण्ड यील्ड के बीच के अंतर को कम करने में मदद मिलेगी।
 - परिणामस्वरूप यह वित्त वर्ष 2021-22 में केंद्र और राज्यों की उधार लेने की कुल लागत को कम करने में मदद करेगा।
 - ऐपो दर वह दर है जिस पर भारतीय रिज़र्व बैंक वाणिज्यिक बैंकों को धन उधार देता है।
- यह व्यवस्थित तरलता की स्थिति के बीच 'यील्ड कर्व' (Yield Curve) के स्थिर और व्यवस्थित विकास को सक्षमता प्रदान करेगा।
 - ♦ 'यील्ड कर्व' (Yield Curve): यह एक ऐसी रेखा है, जो समान क्रेडिट गुणवत्ता वाले, लेकिन अलग-अलग परिपक्वता तिथियों वाले बॉण्ड की ब्याज़ दर को दर्शाती है।
 - 'यील्ड कर्व' का ढलान भविष्य की ब्याज़ दर में बदलाव और आर्थिक गतिविधि को आधार प्रदान करता है।

भारत की 'संप्रभु रेटिंग'

चर्चा में क्यों?

'एसएंडपी ग्लोबल रेटिंग्स' के अनुसार, भारतीय अर्थव्यवस्था पर महामारी के प्रतिकूल प्रभाव के बावजूद आगामी दो वर्षों के लिये देश की संप्रभु रेटिंग मौजूदा 'BBB-' स्तर पर अपरिवर्तित रहेगी।

• S&P सबसे बड़ी क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों में से एक है, जो कंपनियों, देशों और उनके द्वारा जारी ऋण को AAA से D के पैमाने पर ग्रेड प्रदान करती है, जो कि उनके निवेश जोखिम की डिग्री का संकेत देते हैं।

प्रमुख बिंदुः

संप्रभ क्रेडिट रेटिंग:

- संप्रभु क्रेडिट रेटिंग किसी देश या संप्रभु इकाई की साख का एक स्वतंत्र मूल्यांकन है।
- यह निवेशकों को किसी भी राजनीतिक जोखिम सहित किसी विशेष देश के ऋण में निवेश से जुड़े जोखिम के स्तर की जानकारी देता है।
- बाहरी ऋण बाजारों में बॉण्ड जारी करने के अलावा, देशों के लिये एक संप्रभु क्रेडिट रेटिंग प्राप्त करने का एक अन्य लक्ष्य अधिक-से-अधिक विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (FDI) को आकर्षित करना भी है।
- किसी देश के अनुरोध पर एक क्रेडिट रेटिंग एजेंसी रेटिंग देने के लिये उसके आर्थिक और राजनीतिक वातावरण का मूल्यांकन करती है।
 - ◆ S&P उन देशों को BBB- या उच्च रेटिंग देता है, जिन्हें वह निवेश के लिये बेहतर मानती है और BB+ या निम्न ग्रेड वाले देश वे होते हैं, जहाँ भुगतान डिफॉल्ट होने का जोखिम होता है।
 - ♦ वहीँ मूडीज़ Baa3 या उच्च रेटिंग को निवेश योग्य मानता है और Ba1 और इससे नीचे की रेटिंग को अव्यवहार्य मानता है।

संप्रभु क्रेडिट रेटिंग और भारत:

- आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 ने अर्थव्यवस्था की बुनियादी बातों को दर्शाने के लिये संप्रभु क्रेडिट रेटिंग पद्धित को अधिक पारदर्शी, कम व्यक्तिपरक और बेहतर बनाने का आग्रह किया है।
 - इसमें जीडीपी विकास दर, मुद्रास्फीति, प्राथिमक सरकारी ऋण (जीडीपी के % के रूप में), आवर्ती रूप से समायोजित प्राथिमक संतुलन (संभावित जीडीपी के % के रूप में), चालू खाता शेष (जीडीपी के % के रूप में), राजनीतिक स्थिरता, कानून का शासन, भ्रष्टाचार पर नियंत्रण, निवेशक सुरक्षा, व्यापार करने में आसानी, अल्पकालिक बाह्य ऋण (भंडार का %), आरक्षित पर्याप्तता अनुपात और संप्रभु डिफॉल्ट इतिहास आदि शामिल हैं।
- सर्वेक्षण में कहा गया है कि भारत की भुगतान करने की क्षमता और इच्छा मुख रूप से देश के शून्य डिफॉल्ट संप्रभु इतिहास के माध्यम से प्रदर्शित होती है।
- भारत की भुगतान करने की क्षमता न केवल बेहद कम विदेशी मुद्रा-संप्रदाय ऋण से, बल्कि देश के विदेशी मुद्रा भंडार के व्यापक आकार से भी देखी जा सकती है, जो निजी क्षेत्र के लघु अविध ऋण के साथ-साथ भारत के समग्र संप्रभु और गैर-संप्रभु बाह्य ऋण का भुगतान करने में सक्षम है।

क्रेडिट रेटिंग:

- 🔸 सामान्य शब्दों में क्रेडिट रेटिंग किसी विशेष ऋण या वित्तीय दायित्व के संबंध में एक उधारकर्ता की साख की मात्रा का आकलन है।
- एक क्रेडिट रेटिंग किसी भी ऐसी संस्था को दी जा सकती है जो पैसे उधार लेना चाहती है, जिसमें एक व्यक्ति, निगम, राज्य या प्रांतीय प्राधिकरण, या संप्रभु सरकार भी शामिल हैं।
- रेटिंग एजेंसी एक ऐसी कंपनी होती है, जो विभिन्न कंपनियों और सरकारी संस्थाओं की वित्तीय शक्ति का आकलन करती है, विशेष रूप से उनके ऋणों पर मूलधन और ब्याज भुगतान करने की क्षमता का।
- फिच रेटिंग्स, मूडीज इन्वेस्टर्स सर्विस और स्टैंडर्ड एंड पूअर्स (S&P) तीन बड़ी अंतर्राष्ट्रीय क्रेडिट रेटिंग एजेंसियाँ हैं, जो लगभग 95% वैश्विक रेटिंग कारोबार को नियंत्रित करती हैं।

भारत में, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI) के तहत पंजीकृत कुल छह क्रेडिट रेटिंग एजेंसियाँ हैं, जिसमें CRISIL, ICRA,
 CARE, SMERA, फिच इंडिया और ब्रिकवर्क रेटिंग आदि शामिल हैं।

विनियमन समीक्षा प्राधिकरण 2.0

चर्चा में क्यों?

हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक (Reserve Bank Of India-RBI) ने दूसरे विनियमन समीक्षा प्राधिकरण (Regulations Review Authority- RRA 2.0) की सहायता के लिये एक सलाहकार समूह का गठन किया है।

• रिज़र्व बैंक द्वारा नियमों को सुव्यवस्थित करने और विनियमित संस्थाओं के अनुपालन बोझ को कम करने के उद्देश्य से 1 मई, 2021 से एक वर्ष की अविध के लिये RRA 2.0 का गठन किया गया था।

प्रमुख बिंदुः

पृष्ठभूमि:

- RBI ने वर्ष 1999 में जनता, बैंकों और वित्तीय संस्थानों से प्राप्त प्रतिपुष्टि (Feedback) के आधार पर विनियमों, परिपत्रों, रिपोर्टिंग प्रणालियों की समीक्षा के लिये पहले विनियमन समीक्षा प्राधिकरण (RRA) की स्थापना की थी।
 RRA 2.0:
- यह नियामक निर्देशों को सुव्यवस्थित करने, जहाँ भी संभव हो रिपोर्टिंग की प्रक्रियाओं तथा आवश्यकताओं को कम करके और विनियमित संस्थाओं के अनुपालन बोझ को कम करने आदि विषयों पर ध्यान केंद्रित करेगा।
 - इसके अलावा यह विनियमित संस्थाओं से भी प्रतिपुष्टि प्राप्त करेगा।
 - विनियमित संस्थाओं में वाणिज्यिक बैंक, शहरी सहकारी बैंक, गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपिनयाँ शामिल हैं।

भारतीय रिज़र्व बैंक

गठन:

- भारतीय रिजर्व बैंक (Reserve Bank of India-RBI) की स्थापना 1 अप्रैल, 1935 को भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 के प्रावधानों के अनुसार हुई थी।
- यद्यपि प्रारंभ में यह निजी स्वामित्व वाला बैंक था, लेकिन वर्ष 1949 में RBI के राष्ट्रीयकरण के बाद से इस पर भारत सरकार का पूर्ण स्वामित्व है।

मुख्य कार्यः

- मौद्रिक प्रिधकारी (Monetary Authority): यह मौद्रिक नीति का प्रारूपण, क्रियान्वयन और निगरानी करता है।
 - हाल की पहल: सरकारी प्रतिभूति अधिग्रहण कार्यक्रम (Government Securities Acquisition Programme-G-SAP)।
- वित्तीय प्रणाली का नियामक और पर्यवेक्षक: बैंकिंग पिरचालन के लिये विस्तृत मानदंड निर्धारित करता है, जिसके अंतर्गत देश की बैंकिंग और वित्तीय प्रणाली काम करती है।
- विदेशी मुद्रा प्रबंधक: यह विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999 का प्रबंधन करता है।
- मुद्रा जारीकर्त्ता: यह मुद्रा जारी करता है और उसका विनिमय करता है अथवा पिरचालन के योग्य नहीं रहने पर मुद्रा और सिक्कों को नष्ट करता है।
- विकासात्मक भूमिका: राष्ट्रीय उद्देश्यों की सहायता के लिये व्यापक स्तर पर प्रोत्साहक कार्य करता है।
- भुगतान और निपटान प्रणाली का नियामक तथा पर्यवेक्षक: यह व्यापक स्तर पर जनता की आवश्यकताओं को पूरा करने के उद्देश्य से देश में भुगतान प्रणालियों के सुरक्षित और कुशल तरीकों का परिचय तथा उन्नयन करता है।

- हाल की पहल: डिजिटल भुगतान सूचकांक, भुगतान अवसंरचना विकास कोष।
- ♦ भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (NPCI), देश में ख़ुदरा भुगतान और निपटान प्रणाली के संचालन के लिये एक अम्ब्रेला संगठन है।
 - इसे भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) और भारतीय बैंक संघ (IBA) द्वारा भारत में भुगतान एवं निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 (The Payment and Settlement Systems Act, 2007) के प्रावधानों के तहत एक मज़बूत भुगतान और निपटान अवसंरचना के विकास हेतु स्थापित किया गया है।
- संबंधित कार्यः
 - ★ सरकार का बैंक: यह केंद्र और राज्य सरकारों के लिये वाणिज्यिक बैंक के रूप में कार्य करता है तथा उनके बैंकर के रूप में भी कार्य करता है।
 - बैंकों का बैंक: सभी अनुसूचित बैंकों के बैंकिंग खातों का अनुरक्षण करता है।
 - वेज एंड मीन्स एडवांस (Ways and Means Advances- WMA) अल्पकालिक ऋण सुविधाएँ हैं, जो केंद्र और राज्यों को व्यय और प्राप्तियों के अंतर की पूर्ति करने के लिये RBI से धन उधार लेने की सुविधा प्रदान करता है।

RBI के प्रकाशनः

- उपभोक्ता आत्मविश्वास सर्वेक्षण (Consumer Confidence Survey- CCS): त्रैमासिक प्रकाशन।
- परिवारों की मुद्रास्फीति अपेक्षाओं का सर्वेक्षण (Inflation Expectations Survey of Households- IESH):
 त्रैमासिक प्रकाशन।
- वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट (Financial Stability Report): अर्द्धवार्षिक
- मौद्रिक नीति रिपोर्ट (Monetary Policy Report): अर्द्धवार्षिक
- विदेशी मुद्रा भंडार पर रिपोर्ट (Report on Foreign Exchange Reserves): अर्द्धवार्षिक

डिजिटल रूप से समावेशी भारत के लिये नीति आयोग की रिपोर्ट

चर्चा में क्यों?

हाल ही में नीति आयोग और मास्टरकार्ड ने 'कनेक्टेड कॉमर्स: क्रिएटिंग ए रोडमैप फॉर ए डिजिटल इन्क्लूसिव भारत' (Connected Commerce: Creating a Roadmap for a Digitally Inclusive Bharat) शीर्षक नाम से एक रिपोर्ट जारी की।

• यह रिपोर्ट भारत में डिजिटल वित्तीय समावेशन (Digital Financial Inclusion) की राह में आने वाली चुनौतियों की पहचान करती है और साथ ही 1.3 अरब नागरिकों तक डिजिटल सेवाओं को सुलभ बनाने के लिये जरूरी सिफारिशें प्रदान करती है।

डिजिटल वित्तीय समावेशन

इसे औपचारिक वित्तीय सेवाओं के उपयोग और उन तक डिजिटल पहुँच के रूप में पिरभाषित किया जा सकता है। इस तरह की सेवाएँ
 ग्राहकों की आवश्यकताओं के अनुकूल होनी चाहिये और ग्राहकों के लिये सस्ती कीमत पर जिम्मेदारी से वितरित की जानी चाहिये।

प्रमुख बिंदु

चुनौतियाँ:

- मांग पक्ष अंतराल:
 - ♦ डिजिटल वित्तीय समावेशन को प्राप्त करने के लिये बहुत प्रयास किये गए हैं, जिससे इसके आपूर्ति पक्ष, जैसे- ई-गवर्नेंस, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर योजनाओं आदि में बहुत सफलता मिली है।
 - ◆ हालाँिक डिजिटल वित्तीय प्रवाह में ठहराव अंत में आता है, जहाँ ज्यादातर खाताधारक अपने अंतिम उपयोग के लिये नकदी निकालते हैं।

- असफल एग्री-टेक:
 - ♦ कृषि अपने संबद्ध क्षेत्रों के साथ भारतीय आबादी के एक बड़े हिस्से को आजीविका प्रदान करती है। राष्ट्रीय सकल घरेलू उत्पाद (GDP) में कृषि का योगदान वर्ष 1983-84 के 34% से घटकर वर्ष 2018-19 में केवल 16% रह गया है।
 - ♦ अधिकांश कृषि तकनीक किसानों के लिये वित्तीय लेन-देन का डिजिटलीकरण करने या लेन-देन के आँकड़ों का लाभ उठाकर कम ब्याज दर पर औपचारिक ऋण देने में सफल नहीं हए हैं।
- एमएसएमई की औपचारिक वित्त तक सीमित पहुँच:
 - ♦ सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (Micro, Small and Medium Enterprises- MSME) भारतीय अर्थव्यवस्था के एक प्रमुख अंग रहे हैं। वर्ष 2020 की एक रिपोर्ट के अनुसार, इस क्षेत्र में लगभग 110 मिलियन लोग या गैर-कृषि कार्यबल के 40% से अधिक लोग कार्यरत हैं।
 - इन्हें उचित प्रलेखन, बैंक के स्वीकार्य योग्य संपार्श्विक, ऋण इतिहास और गैर-मानक वित्त की कमी अनौपचारिक ऋण का उपयोग करने के लिये मज़बूर करती है।
- डिजिटल कॉमर्स में विश्वास और सुरक्षा:
 - ♦ डिजिटल लेनदेन में वृद्धि से उपभोक्ताओं और व्यवसायों दोनों के लिये संभावित सुरक्षा उल्लंघनों का जोखिम बढ़ गया है।
 - जुन 2020 की एक मेडिसी (Medici) रिपोर्ट में कहा गया था कि भारत में लगभग 40,000 हजार साइबर हमलों ने बैंकिंग क्षेत्र के आईटी बुनियादी ढाँचे को लक्षित किया।
- डिजिटल एक्सेसिबल ट्रांजिट सिस्टम:
 - महामारी की शुरुआत के साथ भारत में संपर्क रहित भुगतान के साथ पारगमन प्रणालियों को और अधिक एकीकृत करने की आवश्यकता है।
 - ♦ वैश्विक स्तर पर रुझान ओपन-लूप ट्रांजिट सिस्टम (Open-Loop Transit System) की ओर है, जो यात्रियों को भुगतान योग्य समाधान के माध्यम से परिवहन के विभिन्न तरीकों को उपयोग करने की अनुमित देता है।

सिफारिशें:

- बाजार से संबंधित लोगों के लिये उपयोगकर्ता के अनुकूल डिजिटल उत्पादों और सेवाओं को बनाकर मांग के अंतर को पूरा करना महत्त्वपूर्ण है जो नकदी से डिजिटल तक व्यवहारिक परिवर्तन को प्रोत्साहित करते हैं।
 - ♦ फास्टटैग (FASTag) इसका एक सफल उदाहरण है।
- गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (Non-Banking Financial Companies) और बैंकों को बढ़ावा देने के लिये भुगतान संबंधित बुनियादी ढाँचे को मज़बूत करना।
- एमएसएमई के विकास के अवसरों को बढ़ाने के लिये पंजीकरण और अनुपालन प्रक्रियाओं का डिजिटलीकरण करना तथा ऋण स्रोतों में विविधता लाना।
- 'फ्रॉड रिपॉजिटरी' सहित सूचना साझाकरण प्रणाली का निर्माण और यह सुनिश्चित करना कि ऑनलाइन डिजिटल कॉमर्स प्लेटफॉर्म उपभोक्ताओं को धोखाधड़ी के जोखिम के प्रति सचेत करने के लिये चेतावनी दे।
- कृषि एनबीएफसी को कम लागत वाली पूंजी तक पहुँच बनाने के लिये सक्षम करना और बेहतर दीर्घकालिक डिजिटल परिणामों को प्राप्त करने हेतु एक 'फिजिटल' (भौतिक+डिजिटल) मॉडल को विस्तार करना। भू-अभिलेखों का डिजिटलीकरण भी इस क्षेत्र को बढ़ावा देगा।
- न्यूनतम भीड़-भाड़ के साथ शहरों में ट्रांजिट को सुलभ बनाने के लिये मौज़दा स्मार्टफोन और कॉन्टेक्टलेस कार्ड का लाभ उठाते हुए एक समावेशी, इंटरऑपरेबल और पूरी तरह से खुली प्रणाली बनाने का लक्ष्य होना चाहिये।

भारत में डिजिटल वित्तीय समावेशन हेत् पहलें

जन धन-आधार-मोबाइल (JAM) ट्रिनिटी:

आधार, प्रधानमंत्री जन-धन योजना (Pradhan Mantri Jan-Dhan Yojana) के संयोजन और मोबाइल संचार में वृद्धि ने सरकारी सेवाओं के उपयोग के तरीके को बदल दिया है।

• एक अनुमान के अनुसार, मार्च 2020 में जन धन योजना के तहत लाभार्थियों की कुल संख्या लगभग 380 मिलियन से अधिक थी।

ग्रामीण और अर्द्ध-शहरी क्षेत्रों में वित्तीय सेवाओं का विस्तार:

- भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) और राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (NABARD) ने ग्रामीण क्षेत्रों में वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने के लिये कई पहलें की हैं:
 - दूरस्थ क्षेत्रों में बैंक शाखाएँ खोलना।
 - ♦ किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) जारी करना।
 - ♦ बैंकों के साथ स्व-सहायता समूहों (SHGs) को जोड़ना।
 - एटीएम की संख्या में वृद्धि करना।
 - बिजनेस कॉरपोरेट्स बैंकिंग मॉडल।
 - ♦ भुगतान अवसंरचना विकास कोष (PIDF) योजना आदि।

सुरक्षित डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देनाः

- नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) द्वारा एकीकृत भुगतान प्रणाली (UPI) को मजबूत करके पूर्व की तुलना में डिजिटल भुगतान को सुरक्षित बनाया गया है।
- आधार-सक्षम भुगतान प्रणाली (Aadhar-Enabled Payment System), आधार सक्षम बैंक खाता (Aadhar Enabled Bank Account) को किसी भी स्थान पर और किसी भी समय माइक्रो एटीएम का उपयोग करने में सक्षम बनाती है।
- ऑफलाइन लेनदेन-सक्षम करने वाले प्लेटफॉर्म जैसे अनस्ट्रक्चर्ड सप्लीमेंट्री सर्विस डेटा (Unstructured Supplementary Service Data- USSD) के कारण भुगतान प्रणाली को और अधिक सुलभ बनाया गया है, जिससे सामान्य मोबाइल फोन पर भी इंटरनेट के बिना मोबाइल बैंकिंग सेवाओं का उपयोग करना संभव हो सके।

वित्तीय साक्षरता बढ़ानाः

- भारतीय रिजर्व बैंक ने "परियोजना वित्तीय साक्षरता" (Project Financial Literacy) नामक एक परियोजना शुरू की है।
 - इस परियोजना का उद्देश्य केंद्रीय बैंक और सामान्य बैंकिंग अवधारणाओं के विषय में विभिन्न लिक्षित समूहों, जिनमें स्कूल और कॉलेज जाने वाले बच्चे, मिहलाएँ, ग्रामीण और शहरी गरीब, रक्षा कर्मी और विषठ नागरिक शामिल हैं, के विषय में जानकारी का प्रसार करना है।
- पॉकेट मनी (Pocket Money) स्कूली छात्रों के बीच वित्तीय साक्षरता बढ़ाने के उद्देश्य से भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड
 (Securities and Exchange Board of India- SEBI) और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सिक्योरिटीज मार्केट (National
 Institute of Securities Market) का एक प्रमुख कार्यक्रम है।

सुपर साइकिल ऑफ कमोडिटीज़

चर्चा में क्यों?

हाल ही में वैश्विक कमोडिटी की कीमतों में वृद्धि दर्ज की गई है, जिसे एक नए 'कमोडिटी सुपर साइकिल' (Commodity Super Cycle) के रूप में पेश किया जा रहा है।

• कमोडिटी, वाणिज्य में उपयोग किये जाने वाली एक बुनियादी वस्तु होती है, जो कि उसी प्रकार की अन्य वस्तुओं के साथ विनिमय योग्य होती है। प्राय: अन्य वस्तुओं या सेवाओं के उत्पादन में इसका उपयोग इनपुट के रूप में किया जाता है।

प्रमुख बिंदु

सुपर साइकिल ऑफ कमोडिटीज़ के विषय में:

 'कमोडिटी सुपर साइकिल' का आशय मजबूत मांग वृद्धि की स्थिर अविध से है, जो एक वर्ष या कुछ मामलों में एक दशक या उससे भी अधिक हो सकती है।

वर्तमान स्थितिः

- धातुः
 - ♦ इस्पात, जो कि निर्माण क्षेत्र और उद्योगों में सबसे अधिक इस्तेमाल किया जाने वाला इनपुट है, की मांग अपने सबसे उच्चतम स्तर पर हैं, क्योंकि पिछले एक वर्ष में अधिकांश धातुओं की कीमतों में वृद्धि हुई है।
- कृषि उत्पाद:
 - चीनी, मक्का, कॉफी, सोयाबीन तेल, पाम ऑयल अमेरिकी कमोडिटी बाजार में तेजी से बढ़े हैं, जिसका असर घरेलू बाजार में भी देखा जा रहा है।
- कारण: नया 'कमोडिटी सुपर साइकिल' निम्निलिखित कारणों से उत्पन्न हो सकता है:
 - वैश्विक मांग में रिकवरी (चीन और अमेरिका में रिकवरी के कारण)।
 - आपूर्ति पक्ष की कमी।
 - वैश्विक केंद्रीय बैंकों की विस्तारवादी मौद्रिक नीति।
 - पिरसंपत्ति निर्माण में निवेश: यह उस मुद्रा का भी पिरणाम हो सकता है, जिसका उपयोग इस उम्मीद से पिरसंपित्तयों में निवेश के लिये
 िकया जाता है कि भिविष्य में मुद्रास्फीति में बढ़ोतरी होगी।
 - इस प्रकार यह मांग से प्रेरित नहीं होता, बिल्क मुद्रास्फीति का भय होता है जो कीमतों में बढ़ोतरी को प्रोत्साहन देता है।
 चिंताएँ:
- यह इनपुट लागतों को बढ़ावा देगा जो एक महत्त्वपूर्ण चिंता का विषय है, क्योंिक इससे न केवल भारत में बुनियादी अवसंरचना के विकास की लागत पर असर पड़ने की उम्मीद है, बल्कि समग्र मुद्रास्फीति, आर्थिक सुधार और नीति निर्माण पर भी प्रभाव पड़ेगा।
- धातुओं की उच्च कीमतें उच्च थोक मूल्य सूचकांक (Wholesale Price Index) मुद्रास्फीति को जन्म देंगी और इसिलये कोर मुद्रास्फीति को कम करना मुश्किल होगा।

विस्तारवादी और तंग मौद्रिक नीतियाँ

- ऐसी मौद्रिक नीति जो ब्याज़ दरों को कम करती हो और उधार को प्रोत्साहित करती हो, विस्तारवादी मौद्रिक नीति कहलाती है।
- इसके विपरीत ऐसी मौद्रिक नीति जो ब्याज दरों को बढ़ाती है और अर्थव्यवस्था में उधार को कम करती है, तंग मौद्रिक नीति कहलाती है।

मुद्रास्फीति

- मुद्रास्फीति का तात्पर्य दैनिक या आम उपयोग की अधिकांश वस्तुओं और सेवाओं जैसे- भोजन, कपड़े, आवास, मनोरंजन, पिरवहन आदि की कीमतों में वृद्धि से है।
- मुद्रास्फीति के अंतर्गत वस्तुओं और सेवाओं के औसत मूल्य परिवर्तन को मापा जाता है।
- मुद्रास्फीति किसी देश की मुद्रा की एक इकाई की क्रय शक्ति में कमी का संकेत है। इससे अंतत: आर्थिक विकास में मंदी आ सकती है।
- हालाँकि अर्थव्यवस्था में उत्पादन को बढ़ावा देने के लिये मुद्रास्फीति के संतुलित स्तर की आवश्यकता होती है।
- भारत में मुद्रास्फीति की गणना दो मूल्य सूचियों के आधार पर की जाती है- थोक मूल्य सूचकांक (WPI) एवं उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI)।, जो क्रमश: थोक और खुदरा मूल्य स्तर के परिवर्तनों को मापते हैं।

कोर मुद्रास्फीति

• इसका आशय वस्तुओं और सेवाओं की लागत में बदलाव से है, लेकिन इसमें खाद्य और ऊर्जा क्षेत्र की वस्तुओं और सेवाओं की लागत को शामिल नहीं किया जाता है, क्योंकि इनकी कीमतें अधिक अस्थिर होती हैं। इसका उपयोग उपभोक्ता आय पर बढती कीमतों के प्रभाव को निर्धारित करने के लिये किया जाता है।

आगे की राह

 निर्णय निर्माताओं को आपूर्ति और मांग में असंतुलन को देखने की जरूरत है और उन्हें यह पता लगाना चाहिये कि इस स्थिति से निपटने के लिये स्वयं को तैयार करने हेतु उत्पादन-लिंक्ड प्रोत्साहन (Production-Linked Incentive) योजना के माध्यम से कहाँ निवेश कर सकते हैं।

प्रमोटरों को 'पर्सन इन कंट्रोल' में बदलने का प्रस्ताव: SEBI

चर्चा में क्यों?

हाल ही में भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) ने प्रमोटरों की अवधारणा को दूर करके इसे 'पर्सन इन कंट्रोल' में स्थानांतरित करने का प्रस्ताव दिया है।

• इसने प्रमोटरों हेतु एक सार्वजनिक मुद्दा और 'इनीशियल पब्लिक ऑफरिंग' (IPO) के शेयरधारकों के लिये न्यूनतम लॉक-इन अविध को कम करने का भी सुझाव दिया है।

सेबी:

- SEBI, अप्रैल 1992 में भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 के प्रावधानों के अनुसार स्थापित एक वैधानिक निकाय है।
- भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड का मूल कार्य प्रतिभूतियों में निवेशकों के हितों की रक्षा करना और प्रतिभूति बाजार को बढ़ावा देना और विनियमित करना है।

प्रमुख बिंदुः

प्रमोटर:

- 'प्रवर्तक' और 'प्रवर्तक समूह' का अर्थ कंपनी अधिनियम, 2013 और SEBI (ICDR) विनियम, 2018 में परिभाषित किया गया है।
- आमतौर पर एक प्रमोटर किसी स्थान पर एक विशेष व्यवसाय स्थापित करने के एक विचार की कल्पना करता है और कंपनी शुरू करने के लिये आवश्यक विभिन्न औपचारिकताओं को पुरा करता है।
- प्रमोटर समूह में सिम्मिलत हैं-
 - कोई भी कॉरपोरेट निकाय जिसमें व्यक्तियों या कंपिनयों का एक समूह या कॉन्सर्ट का संयोजन होता है, जो उस कॉरपोरेट निकाय और इिक्वटी शेयर पूंजी का 20% या उससे अधिक हिस्सा रखता है।
 - ऐसे व्यक्तियों या कंपनियों या उनके संयोजनों के समूह के पास जारीकर्त्ता की इक्विटी शेयर पूंजी का 20% या उससे अधिक हिस्सा होता है।
 - जारीकर्ता एक कानूनी इकाई होती है जो अपने संचालन के वित्तपोषण करने के लिये प्रतिभूतियों का विकास, पंजीकरण और बिक्री करती है।

प्रमोटरों को 'पर्सन इन कंट्रोल' में बदलने की अवधारणाः

- आवश्यकताः
 - भारत में बदलते निवेशक परिदृश्य में बदलाव की आवश्यकता है, जहाँ निजी इक्विटी और संस्थागत निवेशकों जैसे नए शेयरधारकों के उद्भव के कारण, प्रमोटरों या प्रमोटर समूह के स्वामित्व और नियंत्रण अधिकार पूरी तरह से निहित नहीं होते हैं।
 - ♦ बोर्ड और प्रबंधन की गुणवत्ता पर निवेशकों का ध्यान बढ़ा है, जिससे प्रमोटर संबंधी अवधारणा की प्रासंगिकता कम हो गई है।
 - वर्तमान परिभाषा व्यक्तियों या इनके सामान्य समूह द्वारा 'होल्डिंग्स' पर कब्जा करने पर केंद्रित है और प्राय: आम वित्तीय निवेशकों के साथ असंबंधित कंपनियों को कैप्चर करने के परिणाम से संबंधित है।

- महत्त्व:
 - यह कदम फर्मों हेत् प्रकटीकरण के बोझ को हल्का करेगा।
 - ◆ स्वामित्व की प्रकृति में परिवर्तन उन स्थितियों को जन्म दे सकता है, जहाँ नियंत्रित अधिकार और अल्पसंख्यक हिस्सेदारी रखने वाले व्यक्तियों को एक प्रवर्तक के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।
 - ▼ प्रमोटर कहलाने के कारण ऐसे व्यक्ति अपने आर्थिक हितों के लिये सूचीबद्ध संस्था को अधिक प्रभावित कर सकते हैं, जो सभी हितधारकों के हित में नहीं होता है।

संक्रमणकालीन अवधिः

- इस अवधारणा में प्रमोटर से 'पर्सन इन कंट्रोल' में जाने के लिये तीन वर्ष की संक्रमण अवधि का सुझाव दिया गया है।
 IPO की 'लॉकिंग' अविध कम करना:
- यदि इस मुद्दे के उद्देश्य में पिरयोजना हेतु पूंजीगत व्यय के अलावा बिक्री या वित्तपोषण संबंधी एक प्रस्ताव शामिल है तो IPO में आवंटन की तारीख से एक वर्ष के लिये न्यूनतम 20% प्रवर्तकों के योगदान को लॉक-इन किया जाना चाहिये।
 - वर्तमान में लॉक-इन अवधि तीन वर्ष है।

इनीशियल पब्लिक ऑफरिंग:

- 'IPO' प्राथमिक बाजार में प्रतिभृतियों की बिक्री हेतु जारी किया जाता है।
 - ♦ प्राथमिक बाज़ार पहली बार जारी की जा रही नई प्रतिभूतियों से संबंधित है। इसे 'न्यू इश्यू मार्किट' के रूप में भी जाना जाता है।
 - ◆ यह द्वितीयक बाजार से अलग है, जहाँ मौजूदा प्रितभूतियों को खरीदा और बेचा जाता है। इसे शेयर बाजार या स्टॉक एक्सचेंज के रूप में भी जाना जाता है।
- जब एक असूचीबद्ध कंपनी या तो प्रतिभूतियों का एक ताजा मुद्दा बनाती है या अपनी मौजूदा प्रतिभूतियों की बिक्री के प्रस्ताव को पहली बार जनता के सामने पेश करती है।
 - असूचीबद्ध कंपिनयाँ वे हैं जो स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध नहीं हैं।
- यह आमतौर पर उन नई और मध्यम आकार की फर्मों द्वारा जारी किया जाता है जो अपने व्यवसाय को विकसित करने और विस्तार करने के लिए धन की तलाश में हैं।

IPO लॉकिंग अवधि:

- िकसी कंपनी के सार्वजिनक हो जाने के बाद कुछ समय के लिये यह जारी करना एक चेतावनी है, जब प्रमुख शेयरधारकों को अपने शेयरों को बेचने से प्रतिबंधित किया जाता है।
 ऑफर फॉर सेल:
- इस पद्धति के तहत प्रतिभृतियों को सीधे जनता के लिये जारी नहीं किया जाता है, बल्कि उन्हें बिचौलियों के माध्यम से जारी किया जाता है।

सॉवरेन गोल्ड बॉण्ड योजना 2021-22

चर्चा में क्यों?

भारत सरकार ने, भारतीय रिजर्व बैंक (Reserve Bank of India- RBI) के परामर्श से, मई 2021 से सितंबर 2021 तक छह किश्तों में सॉवरेन गोल्ड बॉण्ड (Sovereign Gold Bond) जारी करने का निर्णय लिया है।

प्रमुख बिंद्

शुरुआत: सरकार ने सोने की मांग को कम करने और घरेलू बचत के एक हिस्से (जिसका उपयोग स्वर्ण की खरीद के लिये किया जाता है)
 को वित्तीय बचत में बदलने के उद्देश्य से नवंबर 2015 में सॉवरेन गोल्ड बॉण्ड (Sovereign Gold Bond) योजना की शुरुआत की थी।

- निर्गमन: गोल्ड/स्वर्ण बॉण्ड सरकारी प्रतिभृति (GS) अधिनियम, 2006 के तहत भारत सरकार के स्टॉक के रूप में जारी किये जाते हैं।
 - ये भारत सरकार की ओर से भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी किये जाते हैं।
 - 🔷 बॉण्ड की बिक्री वाणिज्यिक बैंकों, स्टॉक होल्डिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (SHCIL), नामित डाकघरों (जिन्हें अधिसुचित किया जा सकता है) और मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंजों जैसे कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड तथा बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड के ज़रिये या तो सीधे अथवा एजेंटों के माध्यम से की जाती है।
- पात्रता: इन बॉण्डों की बिक्री निवासी व्यक्तियों, हिंदू अविभाजित परिवारों (HUFs), न्यासों/ट्रस्ट, विश्वविद्यालयों और धर्मार्थ संस्थानों तक ही सीमित है।

विशोषताएँ:

- विमोचन मूल्यः गोल्ड/स्वर्ण बॉण्ड की कीमत इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन (India Bullion and Jewellers Association- IBJA) द्वारा 999 शुद्धता वाले सोने (24 कैरट) के लिये प्रकाशित मूल्य पर आधारित होती है।
- निवेश सीमा: गोल्ड बॉण्ड एक ग्राम यूनिट के गुणकों में खरीदे जा सकते हैं जिसमें विभिन्न निवेशकों के लिये एक निश्चित सीमा निर्धारित
 - ♦ खुदरा (व्यक्तिगत) तथा हिंदू अविभाजित परिवारों (Hindu Undivided Families- HUFs) के लिये खरीद की अधिकतम 4 किलोग्राम है। ट्रस्ट एवं इसी तरह के निकायों के लिये प्रति वित्त वर्ष 20 किलोग्राम की अधिकतम सीमा लागू होती है।
 - संयुक्त धारिता के मामले में 4 किलोग्राम की निवेश सीमा केवल प्रथम आवेदक पर लागू होती है।
 - न्यूनतम स्वीकार्य निवेश सीमा 1 ग्राम सोना है।
- अवधि: इन बॉण्डों की परिपक्वता अवधि ८ वर्ष होती है तथा ५ वर्ष के बाद इस निवेश से बाहर निकलने का विकल्प उपलब्ध होता है।
- ब्याज दर: निवेशकों को प्रतिवर्ष 2.5 प्रतिशत की निश्चित ब्याज दर लागू होती है, जो छह माह पर देय होती है।
 - ♦ आयकर अधिनियम, 1961 के प्रावधान के अनुसार, गोल्ड बॉण्ड पर प्राप्त होने वाले ब्याज पर कर∕टैक्स अदा करना होगा।

लाभ:

- ऋण के लिये बॉण्ड का उपयोग संपार्श्विक (जमानत या गारंटी) के रूप में किया जा सकता है।
- किसी भी व्यक्ति को सॉवरेन गोल्ड बॉण्ड (SGB) के विमोचन पर होने वाले पूंजीगत लाभ को कर मुक्त कर दिया गया है।
 - ♦ विमोचन (Redemption) का तात्पर्य एक जारीकर्त्ता द्वारा परिपक्वता पर या उससे पहले बॉण्ड की पुनर्खरीद के कार्य से है।
 - ♦ पूंजीगत लाभ (Capital Gain) स्टॉक, बॉण्ड या अचल संपत्ति जैसी संपत्ति की बिक्री पर अर्जित लाभ है। यह तब प्राप्त होता है जब किसी संपत्ति का विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य से अधिक हो जाता है।

SGB में निवेश के नुकसान:

- यह भौतिक स्वर्ण (जिसे तुरंत बेचा जा सकता है) के विपरीत एक दीर्घकालिक निवेश है।
- सॉवरेन गोल्ड बॉण्ड एक्सचेंज पर सूचीबद्ध होते हैं लेकिन इनका ट्रेडिंग वॉल्य्रम ज़्यादा नहीं होता, इसलिये परिपक्वता से पहले बाहर निकलना मुश्किल होगा।

एकीकृत बागवानी विकास मिशन

चर्चा में क्यों?

हाल ही में कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय (Ministry of Agriculture and Farmers Welfare) ने वर्ष 2021-22 के लिये 'एकीकृत बागवानी विकास मिशन' (Mission for Integrated Development of Horticulture- MIDH) हेत् 2250 करोड रुपए आवंटित किये हैं।

बागवानी कृषि (Horticulture) सामान्यत: फलों, सब्जियों और सजावटी पौधों से संबंधित है। एम.एच. मैरीगौड़ा को भारतीय बागवानी का जनक कहा जाता है।

प्रमुख बिंदु

एकीकृत बागवानी विकास मिशन के विषय में:

- यह फल, सब्जी, मशरूम, मसालों, फूल, सुगंधित पौधों, नारियल, काजू, कोको, बाँस आदि बागवानी क्षेत्र के फसलों के समग्र विकास हेतु
 एक केंद्र प्रायोजित योजना है।
- नोडल मंत्रालय: इस योजना को कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय वर्ष 2014-15 से लगातार कार्यान्वित कर रहा है।
 - ♦ इसे हरित क्रांति-कृषोन्नित योजना (Green Revolution Krishonnati Yojana) के तहत लागू किया गया है।
- फंडिंग पैटर्न: इस योजना के तहत भारत सरकार पूर्वोत्तर और हिमालयी राज्यों को छोड़कर सभी राज्यों में विकास कार्यक्रमों के कुल पिरव्यय का 60% योगदान करती है, जिसमें 40% हिस्सा राज्य सरकारों द्वारा दिया जाता है।
 - भारत सरकार उत्तर-पूर्वी राज्यों और हिमालयी राज्यों के मामले में 90% योगदान करती है।

एमआईडीएच के अंतर्गत उप-योजनाएँ:

- राष्ट्रीय बागवानी मिशन:
 - इसे राज्य बागवानी मिशन (State Horticulture Mission) द्वारा 18 राज्यों और 6 केंद्रशासित प्रदेशों के चयनित जिलों में लागू किया जा रहा है।
- पूर्वोत्तर और हिमालयी राज्यों के लिये बागवानी मिशन:
 - इस योजना को पूर्वोत्तर और हिमालयी राज्यों में बागवानी के समग्र विकास के लिये लागू किया जा रहा है।
- राष्ट्रीय बागवानी बोर्डः
 - ◆ यह बोर्ड सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में एमआईडीएच के तहत विभिन्न योजनाओं को लागू कर रहा है।
- नारियल विकास बोर्ड:
 - ♦ यह बोर्ड देश के सभी नारियल उत्पादक राज्यों में एमआईडीएच के तहत विभिन्न योजनाओं को लागू कर रहा है।
- केंद्रीय बागवानी संस्थान:
 - ◆ इस संस्थान की स्थापना वर्ष 2006-07 में मेडी जिप हिमा (Medi Zip Hima), नगालैंड में की गई थी ताकि पूर्वोत्तर क्षेत्र में किसानों और खेतिहर मजदूरों के क्षमता निर्माण तथा प्रशिक्षण के माध्यम से उन्हें तकनीकी ज्ञान प्रदान किया जा सके।

एमआईडीएच की उपलब्धियाँ:

- भारत में वर्ष 2019-20 के दौरान अब तक का सबसे अधिक 320.77 मिलियन टन बागवानी उत्पादन दर्ज किया गया था।
- एमआईडीएच ने बागवानी फसलों के क्षेत्र को बढ़ाने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई है।
 - ♦ वर्ष 2014-15 से वर्ष 2019-20 के दौरान क्षेत्र और उत्पादन में क्रमश: 9% और 14% की वृद्धि हुई है।
- इसने कृषि भूमि की उपज और उत्पादकता की गुणवत्ता में सुधार लाने में महत्त्वपूर्ण योगदान दिया है।
- एमआईडीएच के लागू होने से भारत न केवल बागवानी क्षेत्र में आत्मिनर्भर हुआ है, बिल्क इसने भूख, अच्छा स्वास्थ्य और देखभाल, गरीबी में कमी, लैंगिक समानता जैसे सतत् विकास लक्ष्यों को हासिल करने में भी महत्त्वपूर्ण योगदान दिया है।

चुनौतियाँ:

बागवानी क्षेत्र फसल कटाई के बाद होने वाले नुकसान और प्रबंधन एवं सप्लाई चैन के बुनियादी ढाँचे के बीच मौजूद अंतर की वजह से अभी भी काफी चुनौतियों का सामना कर रहा है।

आगे की राह

- भारतीय बागवानी क्षेत्र में उत्पादकता बढ़ाने की संभावनाएँ काफी ज्यादा हैं, जो वर्ष 2050 तक देश के 650 मिलियन मीट्रिक टन फलों और सिंब्जियों की अनुमानित मांग को पूरा करने के लिये जरूरी है।
- इस दिशा में किये जाने वाले प्रयासों में सामग्री उत्पादन की रोपाई पर ध्यान केंद्रित करना, क्लस्टर विकास कार्यक्रम, कृषि अवसंरचना कोष (Agri Infra Fund) के माध्यम से ऋण मुहैया कराना, किसान उत्पादक संगठन (Farmers Producer Organisation) के गठन और विकास आदि शामिल हैं।

अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम

ताइवान द्वारा भारत की मदद

चर्चा में क्यों?

हाल ही में ताइवान द्वारा भारत को कोविड-19 महामारी का मुकाबला करने हेतु ऑक्सीजन कंसंट्रेटर (Oxygen Concentrators) और सिलेंडर (Cylinders) के रूप में सहायता उपलब्ध कराई गई है।

- यह सहायता भारत और ताइवान के मध्य बढ़ते संबंधों को दर्शाती है, विशेष रूप से ऐसे समय में जब वास्तविक नियंत्रण रेखा (Line of Actual Control- LAC) पर चीन के साथ गितरोध की स्थिति बनी हुई है और इस क्षेत्र में चीन द्वारा आक्रामक कार्रवाईयों को अंजाम दिया जा रहा है, जिसमें चीन द्वारा ताइवान के हवाई क्षेत्र का बार-बार उल्लंघन करना भी शामिल है।
- हालौंकि, भारत ने अभी तक चीन से किसी भी प्रकार की सहायता के प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया है तथा वाणिज्यिक आधार पर ही चीन से प्राप्त होने वाले चिकित्सा आपूर्ति स्रोतों को प्राथमिकता दी है।

ताइवान

- तकरीबन 23 मिलियन लोगों की आबादी वाला रिपब्लिक ऑफ चाइना यानी ताइवान चीन के दक्षिणी तट के पास स्थित द्वीप है, जिसे वर्ष 1949 के बाद से पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना से स्वतंत्र, एक लोकतांत्रिक सरकार द्वारा शासित किया जा रहा है।
- इसके पश्चिम में चीन (पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना), उत्तर-पूर्व में जापान और दक्षिण में फिलीपींस स्थित है।
- ताइवान सबसे अधिक आबादी वाला ऐसा राष्ट्र है, जो संयुक्त राष्ट्र (United Nations-UN) का सदस्य नहीं है और साथ ही यह संयुक्त राष्ट्र के बाहर सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था भी है।
- ताइवान एशिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है।
- यह चिप निर्माण में एक वैश्विक प्रतिनिधि और आईटी हार्डवेयर आदि का दूसरा सबसे बड़ा निर्माता है।
- चीन और ताइवान के बीच संबंध:
 - पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना (People's Republic of China- PRC) ताइवान को अपने एक प्रांत के रूप में देखता है, जबिक ताइवान में अपनी खुद की लोकतांत्रिक रूप से चुनी हुई सरकार है और वहाँ के लोगों ताइवान को मेनलैंड चाइना की राजनीतिक प्रणाली और विचारधारा से अलग मानते हैं।
 - चीन और ताइवान के मध्य संबंध काफी नाजुक हैं, जिसमें पिछले सात वर्षों के दौरान सुधार हुआ है, लेकिन समय-समय पर इनके संबंधों में उतार-चढाव देखा जाता है ।
 - ◆ 'एक चीन नीति' (One China Policy) का आशय चीन की उस कूटनीतिक से है, जिसमें केवल एक चीनी सरकार को मान्यता दी जाती है।
 - एक नीति के तौर पर इसका अर्थ है कि 'पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना' (चीनी जन-गणराज्य (PRC) जो कि चीन का मुख्य भू-भाग है) से कूटनीतिक संबंधों के इच्छुक देशों को 'रिपब्लिक ऑफ चाइना' (चीनी गणराज्य या ROC यानी ताइवान) से संबंध तोड़ने होंगे।

प्रमुख बिंदुः

भारत-ताइवान संबंध:

- कूटनीतिक संबंध:
 - भारत और ताइवान के बीच औपचारिक राजनियक संबंध नहीं हैं, लेकिन वर्ष 1995 में दोनों देशों ने एक-दूसरे की राजधानियों में प्रितिनिधि कार्यालय स्थापित किये थे। भारत द्वारा 'एक चीन नीति' का समर्थन किया जाता है।

- आर्थिक संबंध:
 - ◆ वर्ष 2000 में भारत और ताइवान के बीच कुल 1 बिलियन डॉलर का व्यापार हुआ था, वहीं वर्ष 2019 में यह बढ़कर 7.5 बिलियन डॉलर पर पहुँच गया है।
 - वर्ष 2018 में भारत और ताइवान ने द्विपक्षीय निवेश समझौते पर हस्ताक्षर किये।
 - भारत में इलेक्ट्रॉनिक्स, विनिर्माण, पेट्रोकेमिकल, मशीन, सूचना और संचार प्रौद्योगिकी और ऑटो पार्ट्स के क्षेत्र में लगभग 200 ताइवानी कंपनियाँ हैं।
 - ◆ दोनों पक्षों के बीच विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में, तीस से अधिक सरकार द्वारा वित्त पोषित संयुक्त अनुसंधान परियोजनाएँ चल रही हैं।
- सांस्कृतिक संबंध :
 - ♦ वर्ष 2010 में दोनों पक्षों के मध्य उच्च शिक्षा हेतु हुए' म्यूच्यूअल डिग्री रिकोगनाइज्ञेशन समझौते' (Mutual Degree Recognition Agreement) के बाद शैक्षिक आदान-प्रदान का विस्तार हुआ है।

संबंधों में चुनौती:

- एक चीन नीति: भारत के लिये ताइवान के साथ अपने द्विपक्षीय संबंधों को पूरी तरह से विकसित करना अपेक्षाकृत मुश्किल है। वर्तमान में,
 विश्व के लगभग 15 देशों द्वारा ताइवान को एक स्वतंत्र राज्य के रूप में मान्यता दी गई है। भारत मान्यता देने वाले 15 देशों में शामिल नहीं है।
- आर्थिक सहयोग में बाधाएँ: भारत में ताइवान का बढ़ता निवेश, सांस्कृतिक चुनौतियों और घरेलू उत्पादकों से दबाव का कारण बना हुआ है।

ताइवान के साथ बढ़ते संबंधों का दायरा

- ताइवान इंडो-पैसिफिक क्षेत्र की एक महत्त्वपूर्ण भौगोलिक इकाई है। भारत-प्रशांत क्षेत्र में भारत का समावेशी दृष्टिकोण है अत: भारत को ताइवान और अन्य समान विचारधारा वाले देशों की भागीदारी को प्रोत्साहित करना चाहिये।
- वर्ष 2016 में शुरू की गई 'ताइवान न्यू साउथबाउंड पॉलिसी' (Taiwan's New Southbound Policy) में भारत पहले से ही एक प्रमुख फोकस देश है। इसके तहत, ताइवान का उद्देश्य राजनीतिक, आर्थिक और पीपल-टू-पीपल संपर्क को बढ़ाकर अपनी अंतरराष्ट्रीय छवि को मजबूत करना है।
 - सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक्स के क्षेत्र में अग्रणी होने के चलते ताइवान, आईटीईएस (सूचना प्रौद्योगिकी-सक्षम सेवा) में भारत का पूरक हो सकता है।
 - ♦ यह भारत के मेक इन इंडिया (Make in India), डिजिटल इंडिया (Digital India) और स्मार्ट सिटीज (Smart Cities) अभियानों में योगदान दे सकता है।
 - ♦ ताइवान की कृषि-प्रौद्योगिकी और खाद्य प्रसंस्करण प्रौद्योगिकी भारत के कृषि क्षेत्र हेतु बहुत फायदेमंद साबित हो सकती है।
- ताइवान क्षेत्रीय आपूर्ति शृंखला तंत्र का एक अभिन्न हिस्सा है और ताइवान के साथ एक व्यापार समझौता भारत को चीन से अलग कर क्षेत्रीय आर्थिक गतिशीलता से जुड़े रहने में मदद करेगा।

आगे की राह:

- दोनों देश एक जीवंत लोकतंत्र का प्रतिनिधित्त्व करते हैं, ऐसी स्थिति में संसदीय वार्ता एवं दोनों देशों के मध्य आयोजित विभिन्न दौरे, कानून के शासन (Rule Of Law) तथा सुशासन (Good Governance) के प्रति दोनों देशों की प्रतिबद्धता को मजबूत कर सकते हैं।
- भारत-ताइवान संबंधों के मध्य गहरे जुड़ाव का उद्देश्य ताइवान के साथ संबंधों को चीन के साथ बढ़ती दुश्मनी के साथ प्रतिसंतुलित करना नहीं है, बल्कि भारत-ताइवान संबंधों को चीन से अलग करके देखने की आवश्यकता है। ताइवान अपनी पहुँच भारत तक बना रहा है भारत को भी इस दिशा में एक साथ कदम बढ़ाना चाहिये।

भारत-ब्रिटेन वर्चुअल सम्मेलन

चर्चा में क्यों?

हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री के बीच एक वर्चुअल सम्मेलन आयोजित किया गया।

🔸 भारत ने ब्रिटेन को कोविड-19 की दूसरी गंभीर लहर के मद्देनज़र उसके द्वारा प्रदान की गई त्वरित चिकित्सा सहायता के लिये धन्यवाद दिया।

प्रमुख बिंदु

रोडमैप 2030:

- यह द्विपक्षीय संबंधों को एक "व्यापक रणनीतिक साझेदारी" तक बढ़ाएगा।
- यह स्वास्थ्य, जलवायु, व्यापार, शिक्षा, विज्ञान और प्रौद्योगिकी तथा रक्षा क्षेत्र में ब्रिटेन-भारत संबंधों के लिये एक रूपरेखा प्रदान करेगा।
 - 🔷 यह वैश्विक स्वास्थ्य सुरक्षा और महामारी से निपटने में ब्रिटेन-भारत के बीच स्वास्थ्य साझेदारी का विस्तार करेगा।
 - इसमें महत्त्वपूर्ण दवाओं, टीकों और अन्य चिकित्सा उत्पादों को उन लोगों तक पहुँचाने के लिये अंतर्राष्ट्रीय आपूर्ति शृंखला को मज़बूती प्रदान करना शामिल है, जिनकी उन्हें सबसे ज़्यादा ज़रूरत है।
 - दोनों देश मौज़ूदा वैक्सीन साझेदारी (Vaccines Partnership) को बढ़ाने पर सहमत हुए।

उन्नत व्यापार साझेदारी की शुरुआत:

- यह बाजार के विशिष्ट क्षेत्रों में पहुँच को सुविधाजनक बनाने की पिरकल्पना करता है। इसके अंतर्गत ब्रिटेन अपने मत्स्य पालन क्षेत्र को भारतीयों के लिये खोलने, नर्सों हेतु अधिक अवसरों की सुविधा प्रदान करने और एक सामाजिक सुरक्षा समझौते पर सहमत हुआ।
- दूसरी ओर भारत ने ब्रिटिश फल उत्पादकों पर लगाये प्रतिबंध हटा दिये।
- ये दोनों देश कानूनी सेवाओं में पारस्पिरक सहयोग की दिशा में भी काम करेंगे।
- भारत और ब्रिटेन ने एक अंतरिम व्यापार समझौते पर विचार करने सिंहत एक व्यापक मुक्त व्यापार समझौते (Free Trade Agreement) पर बातचीत करने की घोषणा की।
- वर्ष 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना करने का एक महत्त्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित किया गया।

एक नए भारत-ब्रिटेन 'वैश्विक नवाचार साझेदारी' की घोषणा:

- ब्रिटेन अनुसंधान और नवाचार सहयोग में भारत का दूसरा सबसे बड़ा भागीदार है।
- इस साझेदारी का उद्देश्य चुनिंदा विकासशील देशों को समावेशी भारतीय नवाचारों का हस्तांतरण करने में आवश्यक सहयोग प्रदान करना है।
 इस दिशा में शुरुआत अफ्रीका से होगी।।

सुरक्षा और रक्षा:

- समुद्री क्षेत्र में जागरूकता पर सहयोग:
 - इसमें समुद्री सूचना साझाकरण पर नए समझौते, गुड़गाँव में भारत के सूचना संलयन केंद्र (Information Fusion Centre)
 में शामिल होने के लिये ब्रिटेन का निमंत्रण और एक महत्वाकांक्षी अभ्यास कार्यक्रम शामिल है, जिसमें संयुक्त त्रिपक्षीय अभ्यास शामिल हैं।
- ब्रिटेन का कैरियर स्ट्राइक ग्रुप:
 - ♦ ब्रिटेन का कैरियर स्ट्राइक ग्रुप (Carrier Strike Group) इस वर्ष के अंत में भारत का दौरा करेगा, जो भारतीय नौसेना और वायुसेना के साथ संबंधों को बढ़ावा देने के लिये पश्चिमी हिंद महासागर में भविष्य के सहयोग को सक्षम करने हेतु संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास करेगा।
- लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट मार्क 2:
 - ब्रिटेन, भारत के स्वदेशी लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट मार्क 2 (Light Combat Aircraft Mark 2) के विकास में सहायता करेगा।

- संभावित सहयोगः
 - 🔷 दोनों देशों ने अनुसंधान, क्षमता निर्माण, औद्योगिक सहयोग, रक्षा, अंतरिक्ष और साइबर जैसे क्षेत्रों में नए औद्योगिक सहयोग पर चर्चा की।

प्रवासन:

 भारत और ब्रिटेन ने 'प्रवासन एवं आवाजाही साझेदारी' (Migration and Mobility Partnership) पर हस्ताक्षर किये,
 जिसका उद्देश्य दोनों देशों के बीच विद्यार्थियों और कामगारों की आवाजाही के लिये और भी अधिक अवसर सुलभ कराना तथा अवैध आव्रजन को कम करना है।

जलवायु परिवर्तनः

• दोनों देशों ने आगामी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज COP-26 में एक महत्त्वाकांक्षी परिणाम सुनिश्चित करने के लिये एक साथ काम करने पर सहमत हुए और स्वच्छ ऊर्जा, परिवहन, नई तकनीक के विकास में तेजी लाने, प्रकृति और जैव विविधता की रक्षा तथा विकास में मदद करने सिहत जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिये ब्रिटेन-भारत साझेदारी का विस्तार किया।

द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास

- वायु सेना का अभ्यास 'इंद्रधनुष'।
- नौसेना अभ्यास 'कोंकण'।
- सैन्य अभ्यास 'अजेय वारियर'।

आगे की राह

- भारत 21वीं सदी की महाशक्ति बनाने की तरफ अग्रसर है। यह जल्द ही विश्व का सबसे प्रभावी देश बन जाएगा। यह वैश्विक दौड़ में नए भागीदारों की तलाश कर रहा है। ऐसे समय में ब्रिटेन के पास भारत के शिक्षा, अनुसंधान, नागरिक समाज और रचनात्मक क्षेत्र में सहयोग करके अपने रिश्ते को मजबूत करने का उपयुक्त अवसर है।
- हाल ही में यूरोपीय संघ से अलग हुए ब्रिटेन के वाणिज्यिक नुकसान की भरपाई भारत के कुशल श्रम, तकनीकी सहायता और व्यवसायिक बाज़ार कर सकते हैं।

G7 के विदेश मंत्रियों की बैठक

चर्चा में क्यों?

हाल ही में 'ग्रुप ऑफ सेवन' (G7) देशों (अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा, फ्राँस, जर्मनी, इटली और जापान) के विदेश मंत्रियों की बैठक लंदन, ब्रिटेन में संपन्न हुई।

47वाँ G7 शिखर सम्मेलन जून, 2021 में यूनाइटेड किंगडम की मेजबानी में आयोजित किया जाएगा।

प्रमुख बिंदुः

बैठक के विषय में:

- आमंत्रित अथिति:
 - ♦ इस सम्मेलन में ऑस्ट्रेलिया, भारत, दक्षिण कोरिया, दक्षिण अफ्रीका और दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन (Association of Southeast Asian Nations- ASEAN) के वर्तमान अध्यक्ष ब्रुनेई दारुस्सलाम आदि के प्रमुख शामिल थे।
 - ऑस्ट्रेलिया, भारत, दक्षिण कोरिया और दक्षिण अफ्रीका जून में आयोजित होने वाले G7 शिखर सम्मेलन में भी शामिल होंगे।
- वार्ता में शामिल मुद्देः
 - रूस के गैर-जिम्मेदाराना और अस्थिर व्यवहार: रूस द्वारा यूक्रेन (Ukraine's) की सीमाओं पर अवैध रूप से अतिक्रमण, रूस द्वारा क्रीमिया में अपने सैन्य बलों को भेजने की कार्यवाही और वहाँ किये गए निर्माण कार्यों पर चर्चा की गई।

- चीन से संबंधित: शिनजियांग और तिब्बत में चीन द्वारा मानवाधिकारों का उल्लंघन और दुरुपयोग, विशेष रूप से उइगर और अन्य जातीय और धार्मिक अल्पसंख्यक समूहों के सदस्यों को निशाना बनाने आदि पर भी चर्चा की गई।
 - चीन से हॉन्गकॉन्ग (Hong Kong's) की उच्च स्वायत्तता और अधिकारों और स्वतंत्रता (बेसिक लॉ) का सम्मान करने का आह्वान किया गया।
- इस दौरान म्याँमार में सैन्य तख्तापलट की भी निंदा की गई।
 - इंडो-पैसिफिक:
 - साथ ही सम्मेलन में इंडो-पैसिफिक क्षेत्र पर आसियान की केंद्रीयता का समर्थन किया गया।
 - एक स्वतंत्र और मुक्त इंडो-पैसिफिक के निर्माण के महत्त्व को दोहराया गया, जो कि समावेशी हो और कानून के शासन, लोकतांत्रिक मूल्यों, क्षेत्रीय अखंडता, पारदर्शिता, मानवाधिकारों और मौलिक स्वतंत्रता की रक्षा तथा विवादों शक्तियों के शांतिपूर्ण समाधान पर आधारित हो।
- नियम-आधारित अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्थाः
 - इसे सभी देशों द्वारा समय के साथ विकसित होने वाले सहमित के अनुसार अपनी गितिविधयों के संचालन हेतु एक साझा प्रतिबद्धता के रूप में वर्णित किया जा सकता है, जैसे कि अंतर्राष्ट्रीय कानून, क्षेत्रीय सुरक्षा व्यवस्था, व्यापार समझौते, आव्रजन प्रोटोकॉल और सांस्कृतिक व्यवस्था आदि।

ग्रुप ऑफ सेवन (G7):

- G7 के विषय में:
 - यह एक अंतर-सरकारी संगठन है, जिसका गठन वर्ष 1975 में हुआ था।
 - ♦ वैश्विक आर्थिक व्यवस्था, अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा और ऊर्जा नीति जैसे साझा हित के मुद्दों पर चर्चा करने हेतु इस समूह की बैठक वार्षिक रूप से संपन्न होती है।
 - ◆ G7 का कोई निर्धारित संविधान या मुख्यालय नहीं है। वार्षिक शिखर सम्मेलन के दौरान नेताओं द्वारा लिये गए निर्णय गैर-बाध्यकारी होते हैं।
 - चर्चा के लिये आरक्षित विषयों और अनुवर्ती बैठकों सिहत शिखर सम्मेलन के तमाम महत्त्वपूर्ण कार्य "शेरपा" (Sherpas) द्वारा किये जाते हैं, जो आमतौर पर व्यक्तिगत प्रतिनिधि या राजदृत होते हैं।
 - यूरोपीय संघ (European Union), आईएमएफ (IMF), विश्व बैंक (World Bank) और संयुक्त राष्ट्र (United Nations) जैसे महत्त्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के प्रतिनिधियों को भी आमंत्रित किया जाता है।
- मुद्दा:
 - ◆ वर्तमान में G7 में शामिल सभी देश सर्वाधिक उन्नत नहीं हैं। यद्यपि भारत सैन्य और आर्थिक दोनों मोर्ची पर उन्नित कर रहा है फिर भी यह G7 का हिस्सा नहीं है। यही कारण है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (UNSC) की तरह G7 में भी व्यापक बदलाव लाने पर जोर दिया जा रहा है।

भारत और G7:

- पूर्व भागीदारी:
 - अगस्त 2019 में फ्राँस के बिरिट्ज में संपन्न हुए 45वें शिखर सम्मेलन में भारत की उपस्थिति एक प्रमुख आर्थिक एवं मजबूत रणनीतिक साझेदारी को प्रतिबिंबित करती है।
 - ◆ वर्ष 2020 में संयुक्त राज्य अमेरिका में आयोजित होने वाले शिखर सम्मेलन में भी भारत को आमंत्रित किया गया था, हालाँकि महामारी के कारण इस सम्मेलन का आयोजन नहीं किया सका।
 - ◆ इससे पहले भारत ने वर्ष 2005 से वर्ष 2009 के मध्य कुल पाँच बार G8 (वर्ष 2014 में रूस के अलग होने के साथ इसे G7 कहा जाने लगा) शिखर सम्मेलन में भाग लिया था।

- G7 में भारत की भागीदारी का महत्त्व:
 - ♦ यह भारत को विकसित देशों के साथ सौहार्दपूर्ण संबंध विकसित करने का अवसर प्रदान करता है।
 - 🔷 यह भारत-प्रशांत क्षेत्र, विशेष रूप से हिंद महासागर में सदस्य देशों के साथ सुरक्षा सहयोग को बढ़ावा देगा।

भारत-यूरोपीय संघ के नेताओं की बैठक

चर्चा में क्यों?

हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री ने भारत-यूरोपीय संघ नेताओं की बैठक (India-European Union Leaders' Meeting) में भाग लिया।

- इस बैठक का आयोजन सभी 27 यूरोपीय संघ के सदस्य देशों के शीर्ष नेताओं के साथ-साथ यूरोपीय परिषद और यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष की भागीदारी के साथ किया गया था।
- यह पहली बार है जब यूरोपीय संघ ने भारत के साथ यूरोपीय संघ+27 प्रारूप में एक बैठक का आयोजन किया है।
 - ♦ इस बैठक का आयोजन यूरोपीय संघ परिषद के वर्तमान अध्यक्ष पुर्तगाल के प्रधानमंत्री की पहल पर किया गया।

प्रमुख बिंदु

मुक्त व्यापार वार्ताः

- इस बैठक में द्विपक्षीय व्यापार और निवेश समझौते (Bilateral Trade and Investment Agreement- BTIA) पर निलंबित वार्ता को फिर से शुरू करके मुक्त व्यापार वार्ता को पुन: शुरू करने के लिये सहमित व्यक्त की गई।
- भारत और यूरोपीय संघ ने व्यापक रूप से मुक्त व्यापार समझौते (Free Trade Agreement) पर वार्ता की गई, जिसे आधिकारिक तौर पर वर्ष 2007 में व्यापक BTIA कहा गया था।
 - ♦ BTIA ने व्यापार में माल, सेवाओं और निवेश को शामिल करने का प्रस्ताव किया था।
 - हालाँकि वर्ष 2013 में बाजार तक पहुँच और पेशेवरों की आवाजाही के अंतर को लेकर वार्ता रुक गई थी।
 - यूरोपीय संघ, भारत का वर्ष 2019-20 में वस्तुओं का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार था।
- यूरोपीय संघ वर्ष 2019-20 में चीन और अमेरिका की तुलना में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार था। इस अविध में दोनों पक्षों के बीच कुल व्यापार 90 बिलियन अमेरिकी डॉलर के करीब था।

कनेक्टिवटी भागीदारी:

- भारत और यूरोपीय संघ ने डिजिटल, ऊर्जा, पिरवहन और लोगों से लोगों के बीच संपर्क बढ़ाने पर केंद्रित एक महत्त्वाकांक्षी और व्यापक संपर्क साझेदारी का भी शुभारंभ किया।
 - यह साझेदारी सामाजिक, आर्थिक, राजकोषीय, जलवायु और पर्यावरणीय स्थिरता तथा अंतरराष्ट्रीय कानून एवं प्रतिबद्धताओं के सम्मान के साझा सिद्धांतों पर आधारित है।
 - यह साझेदारी संपर्क पिरयोजनाओं के लिये निजी और सार्वजनिक वित्त पोषण को प्रोत्साहन देगी। यह भारत-प्रशांत सिहत अन्य देशों में संपर्क पहल का समर्थन करने हेतु नए संबंधों को बढ़ावा देगी।
- पुणे मेट्रो रेल पिरयोजना के लिये यूरोपीय संघ से 150 मिलियन अमेरिकी डॉलर के वित्त अनुबंध पर भी हस्ताक्षर किये गए।

जलवायु परिवर्तनः

- भारत और यूरोपीय संघ के नेताओं ने पेरिस समझौते के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिये अपनी प्रतिबद्धता को दोहराया और जलवायु परिवर्तन के प्रभावों के शमन, अनुकूलन तथा लचीलेपन के संयुक्त प्रयासों को और दृढ़ बनाने के साथ-साथ COP-26 के संदर्भ में वित्तपोषण सिहत कार्यान्वयन के साधन प्रदान करने पर सहमति व्यक्त की।
 - भारत ने आपदा प्रतिरोधी बुनियादी ढाँचे के लिये गठबंधन (Coalition for Disaster Resilient Infrastructure)
 में शामिल होने के यूरोपीय संघ के फैसले का स्वागत किया।

प्रौद्योगिकी:

 भारत और यूरोपीय संघ ने डिजिटल तथा उभरती प्रौद्योगिकियों जैसे- 5जी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI), क्वांटम और हाई-परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग पर द्विपक्षीय सहयोग बढ़ाने के लिये भी सहमित व्यक्त की, जिसमें एआई एवं डिजिटल निवेश फोरम पर संयुक्त कार्यबल का प्रारंभिक परिचालन शामिल है।

साझेदारी का सुदृढ़ीकरण:

- इस बैठक के दौरान लोकतंत्र, मौलिक स्वतंत्रता, कानून के अनुरूप शासन और बहुपक्षवाद के लिये एक साझा प्रतिबद्धता के आधार पर भारत-यूरोपीय संघ रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत बनाने की इच्छा व्यक्त की गई।
- भारत ने दूसरी कोविड लहर का मुकाबला करने के लिये यूरोपीय संघ और उसके सदस्य देशों द्वारा प्रदान की गई त्वरित सहायता की सराहना की।
- भारत ने विश्व व्यापार संगठन (World Trade Organisation) में वैक्सीन उत्पादन से संबंधित पेटेंट पर 'ट्रेड रिलेटेड आस्पेक्ट्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स' (Trade Related Aspects of Intellectual Property- TRIPS) में छूट देने के लिये दक्षिण अफ्रीका के साथ अपने संयुक्त प्रस्ताव पर यूरोपीय संघ के समर्थन का भी अनुरोध किया।
 - अमेरिका ने इस प्रस्ताव का समर्थन किया है। हालाँकि भारत यूरोपीय नेताओं का समर्थन पाने में विफल रहा।

आगे की राह

- भारत-यूरोपीय संघ के नेताओं की बैठक ने सामिरक भागीदारी को एक नई दिशा प्रदान करते हुए जुलाई 2020 में आयोजित 15वें भारत-यूरोपीय संघ शिखर सम्मेलन में अपनाए गए महत्त्वाकांक्षी भारत-यूरोपीय संघ प्रारूप वर्ष 2025 को लागू करने हेतु एक नई प्रेरणा के साथ इस मामले में एक महत्त्वपूर्ण मील का पत्थर स्थापित किया है।
- दोनों पक्षों के बीच एक ऐसे व्यापक व्यापार समझौते की आवश्यकता है जो मज़बूत नियमों को लाता है, वस्तुओं और सेवाओं के व्यापार तथा निवेश की बाधाओं को दूर करता है। पारस्परिक विश्वास, लोगों के आवागमन और कनेक्टिविटी को सुविधाजनक बनाने से आपसी रिश्तों में सुधार हो सकता है तथा नवाचार एवं विकास के अवसर पैदा हो सकते हैं।
- यूरोपीय संघ और भारत के बीच उन्नत व्यापारिक सहयोग से इनकी रणनीतिक मूल्य शृखलाओं में विविधता आ सकती है और इनकी आर्थिक निर्भरता विशेष रूप से चीन पर कम हो सकती है।

चौथी भारत-स्विस वित्तीय वार्ता

चर्चा में क्यों?

हाल ही में चौथी भारत-स्विस वित्तीय वार्ता का आयोजन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किया गया।

प्रमुख बिंदुः

वार्ता की मुख्य विशेषताएँ:

 वार्ता के दौरान दोनों देशों द्वारा निवेश, अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण (IFSCA), राष्ट्रीय निवेश और बुनियादी ढाँचा कोष (NIIF), फिनटेक, स्थायी वित्त और सीमा पार वित्तीय सेवाओं सिंहत विभिन्न पहलुओं पर सहयोग हेतु अनुभवों को साझा किया गया।

- इसके अतिरिक्त बुनियादी ढाँचों के वित्तपोषण के साथ-साथ जी-20, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और अर्थव्यवस्था के डिजिटलीकरण से उत्पन्न कर चुनौतियों से संबंधित मामलों पर भी चर्चा की गई।
- दोनों पक्षों ने स्वच्छता और कोविड के पश्चात की दुनिया पर समन्वित द्विपक्षीय कार्यवाही के महत्त्व पर ज़ोर दिया।

भारत-स्विट्ज़रलैंड संबंध:

- राजनैतिक संबंधः
 - ◆ वर्ष 1948 में नई दिल्ली में भारत और स्विट्ज़रलैंड के बीच मित्रता की संधि पर हस्ताक्षर किये गए थे।
 - 🔷 भारत की गुटनिरपेक्षता की नीति और स्विटजरलैंड की तटस्थता की पारंपरिक नीति ने दोनों देशों के बीच घनिष्ठता को बढ़ावा दिया है।
- आर्थिक संबंध:
 - ♦ भारत-स्विट्जरलैंड द्विपक्षीय निवेश संधि (BIT) पर बातचीत चल रही है।
 - भारत-ईएफटीए व्यापार और आर्थिक भागीदारी समझौते (TEPA) पर भी बातचीत जारी है।
 - यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ (EFTA) आइसलैंड, लिकटेंस्टीन, नॉर्वे और स्विट्जरलैंड का अंतर-सरकारी संगठन है।
 - ये देश यूरोपीय संघ (EU) का हिस्सा नहीं हैं, जिसके साथ भारत एक अलग व्यापार समझौते पर बातचीत कर रहा है जिसे भारत-यूरोपीय संघ आधारित व्यापार और निवेश समझौता कहा जाता है।
- अन्य क्षेत्रों में सहयोग:
 - ♦ एक 'इंडो-स्विस ज्वाइंट रिसर्च प्रोग्राम' (ISJRP) वर्ष 2005 में शुरू किया गया था।
 - कौशल प्रशिक्षण: दोनों देशों के कई संस्थानों ने भारत में कौशल प्रशिक्षण के उच्चतम मानकों को लागू करने के लिये सहयोग किया है।
 जैसे:
 - भारतीय कौशल विकास परिसर और विश्वविद्यालय, जयपुर।
 - इंडो-स्विस सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, पुणे।
 - वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर, आंध्र प्रदेश।
 - निम्न कार्बन और जलवायु अनुकूल शहरों के विकास हेतु क्षमता निर्माण (CapaCITIES):
 - 'स्विस एजेंसी फॉर डेवलपमेंट एंड कोऑपरेशन' (SDC) भारतीय शहरों में CapaCITIES परियोजना के कार्यान्वयन का समर्थन कर रहा है।
 - CapaCITIES पिरयोजना का उद्देश्य भारतीय शहरों की क्षमताओं को मजबूत करना, ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन को कम करने के लिये उपायों की पहचान करना, योजना बनाना और एकीकृत तरीके से वर्तमान स्थितियों को जलवायु पिरवर्तन हेतु अनुकूल बनाना है।

अल-अक्सा मस्जिद और शेख जर्राह

चर्चा में क्यों?

हाल ही में इज़रायली सशस्त्र बलों ने यरुशलम में जायोनी राष्ट्रवादियों द्वारा वर्ष 1967 में शहर के पूर्वी हिस्से पर इजरायल के कब्जे को स्मरण करते हुए निकाले जाने वाले मार्च से पहले येरुशलम के हरम अस-शरीफ में अल-अक्सा मस्जिद पर हमला कर दिया।

- शेख जर्राह के निकट पूर्वी यरुशलम से दर्जनों फिलिस्तीनी पिरवारों को निष्कासित किये जाने की धमकी ने संकट को और बढ़ा दिया।
- जियोनिज्म (Zionism) एक विश्वव्यापी यहूदी आंदोलन है जिसके परिणामस्वरूप इजरायल राज्य की स्थापना और इसका विकास हुआ तथा वर्तमान में यह एक यहूदी मातृभूमि के रूप में इजरायल का समर्थन करता है।

प्रमुख बिंदु

अल-अक्सा मस्जिद:

 यह इस्लाम में आस्था रखने वालों के लिये सबसे पिवत्र संरचनाओं/भवनों में से एक है। यह 35 एकड़ के स्थल- जिसे मुस्लिमों द्वारा हरम अल शरीफ या पिवत्र पूजा स्थल (Noble Sanctuary) तथा यहूदियों द्वारा टेम्पल माउंट (Temple Mount) के रूप में जाना जाता है, में स्थित है।

- यह स्थल पुराने शहर यरुशलम का हिस्सा है, जिसे ईसाइयों, यहदियों और मुसलमानों के लिये पिवत्र माना जाता है।
- ऐसा माना जाता है कि इसका निर्माण आठवीं शताब्दी की शुरुआत में पूर्ण हो चुका था और इसके सामने 'डोम ऑफ द रॉक' नामक स्वर्ण-गुंबद वाला इस्लामी स्थल स्थित है जो यरुशलम की मान्यता का प्रतीक है।
- 'संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन' (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization- UNESCO ने यरुशलम के पुराने शहर और इसकी दीवारों को विश्व धरोहर स्थल (World Heritage Site) के रूप में वर्गीकृत किया है।

यरुशलम को लेकर संघर्ष:

- यरुशलम इजरायल-फिलिस्तन के मध्य संघर्ष का मुख्य केंद्र रहा है। वर्ष 1947 में संयुक्त राष्ट्र (United Nations- UN) की मूल विभाजन योजना के अनुसार, यरुशलम को एक अंतर्राष्ट्रीय शहर (International City) के रूप में प्रस्तावित किया गया था।
- परंतु वर्ष 1948 के प्रथम अरब इज़रायल युद्ध में इज़रायलियों ने शहर के पश्चिमी आधे हिस्से पर कब्ज़ा कर लिया और जॉर्डन ने पुराने शहर सहित पूर्वी हिस्से पर कब्ज़ा कर लिया, जिसमें हरम अस-शरीफ का निवास भी शामिल था।
- वर्ष 1967 में अरब-इजरायल युद्ध के छह दिनों की समयाविध में इजरायली सेना ने सीरिया से गोलन हाइट्स, जॉर्डन से वेस्ट बैंक तथा पूर्वी यरुशलम को अपने अधिकार क्षेत्र में कर लिया।
 - इसके बाद इजरायल ने पूर्वी यरुशलम में बस्तियों का विस्तार किया।
- इजरायल पूरे यरुशलम शहर को अपनी "एकीकृत, शाश्वत राजधानी" (Unified, Eternal Capital) के रूप में देखता है, जबिक राजनीतिक परिदृश्य में फिलिस्तीनियों के नेतृत्व ने इस बात को सुनिश्चित कर दिया है कि वे भविष्य के फिलिस्तीनी राज्य हेतु किसी भी समझौते को स्वीकार नहीं करेंगे जब तक कि पूर्वी यरुशलम को उसकी राजधानी के रूप में स्वीकार नहीं किया जाता है।

शेख जर्राह का मुद्दाः

- वर्ष 1948 में जब ऐतिहासिक फिलिस्तीन में इजरायल राज्य का निर्माण हुआ, तो हजारों फिलिस्तीनयों को उनके घरों से जबरन बेदखल कर दिया गया था।
 - बेदखल किये गए इन फिलिस्तीनियों के 28 परिवार बसने के लिये पूर्वी यरुशलम में स्थित शेख जर्राह चले गए।
- वर्ष 1956 में जब पूर्वी येरुशलम पर जॉर्डन का शासन था, जॉर्डन के निर्माण और विकास मंत्रालय तथा संयुक्त राष्ट्र राहत और निर्माण एजेंसी द्वारा शेख जर्राह में इन परिवारों को घरों के निर्माण करने हेतु सहायता उपलब्ध कराई गई लेकिन वर्ष 1967 में इज़रायल द्वारा जॉर्डन के पूर्वी यरुशलम पर कब्जा कर लिया गया।
 - ♦ 1970 के दशक के शुरुआती दौर में यहूदी एजेंसियों (Jewish Agencies) द्वारा इन परिवारों से जमीन छोड़ने की मांग करना शुरू कर दी गई।
- वर्ष 2021 की शुरुआत में पूर्वी यरुशलम के केंद्रीय न्यायालय ने यहूदी एजेंसियों के पक्ष में अपने निर्णय को बरकरार रखा, जिसमें न्यायालय ने चार फिलिस्तीनी परिवारों को शेख जर्राह से बेदखल होने के पक्ष में निर्णय दिया था।
- यह समस्या अभी भी अनसुलझी है जो गंभीर बनी हुई है।

इज़रायल-फिलिस्तीन मुद्दे पर भारत का रुख:

- भारत ने वर्ष 1950 में इजरायल को मान्यता दी थी लेकिन भारत फिलिस्तीन को फिलिस्तीन मुक्ति संगठन (Palestine Liberation Organisation- PLO) में एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में मान्यता देने वाला पहला गैर-अरब देश भी है।
 - भारत वर्ष 1988 में फिलिस्तीन को राज्य का दर्जा देने वाले पहले देशों में से एक है।
- वर्ष 2014 में भारत ने गाजा क्षेत्र में इज़रायल के मानवाधिकारों के उल्लंघन की जाँच हेतु संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद (The United Nations Human Rights Council- UNHRC) के प्रस्ताव का समर्थन किया। जाँच का समर्थन करने के बावजूद, वर्ष 2015 में UNHRC में भारत ने इजरायल के खिलाफ मतदान नहीं किया।

- वर्ष 2018 में लिंक वेस्ट पॉलिसी के रूप में भारत ने दोनों देशों (इज़रायल और फिलिस्तीन) के साथ परस्पर स्वतंत्र और अनन्य व्यवहार करने हेतु अपने संबंधों को डी- हाइफनेटेड (De-Hyphenated) किया गया है।
- जून 2019 में भारत ने संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद में इजरायल द्वारा प्रस्तुत किये गए एक निर्णय के पक्ष में मतदान किया,
 जिसमें एक फिलिस्तीनी गैर-सरकारी संगठन (Palestinian Non-Governmental Organization) को सलाहकार का दर्जा देने पर आपत्ति जताई गई थी।
- अभी तक भारत द्वारा फिलिस्तीन की स्वतंत्रता में अपने ऐतिहासिक नैतिक समर्थक की छवि को बनाए रखने की कोशिश की गई है साथ-ही-साथ इजरायल के साथ सैन्य, आर्थिक और अन्य रणनीतिक संबंधों में संलग्न होने का प्रयास किया गया है।

संबंधित गतिविधियाँ:

- मार्च 2021 में अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय (International Criminal Court- ICC) ने इजराइल (वेस्ट बैंक और गाजा पट्टी) के कब्जे वाले फ़िलिस्तीनी क्षेत्रों में युद्ध अपराधों की जाँच शुरू की।
- अप्रैल 2021 में अमेरिका ने फिलिस्तीनियों को कम-से-कम 235 मिलियन अमेरिकी डॉलर की वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई है।

आगे की राहः

- विश्व को एक बड़े पैमाने पर शांतिपूर्ण समाधान हेतु एक साथ आने की जरूरत है लेकिन इजरायल सरकार तथा अन्य शामिल दलों की अनिच्छा ने इस मुद्दे को और अधिक बढ़ा दिया है। एक संतुलित दृष्टिकोण अरब देशों के सिहत इजराइल के साथ अनुकूल संबंध बनाए रखने में मददगार साबित होगा।
- इजराइल और संयुक्त अरब अमीरात, बहरीन, सूडान तथा मोरक्को के मध्य हालिया सामान्यीकरण समझौते, जिन्हें अब्राहम समझौते (Abraham Accords) के रूप में जाना जाता है, इस दिशा में एक सही कदम है। सभी क्षेत्रीय शक्तियों को अब्राहम समझौते की तर्ज़ पर दोनों देशों के मध्य शांति की परिकल्पना करनी चाहिये।

-----नोट :

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी

चीन का स्थायी अंतरिक्ष स्टेशन

चर्चा में क्यों?

हाल ही में चीन ने अपने स्थायी अंतरिक्ष स्टेशन का एक मानवरिहत मॉड्यूल लॉन्च किया, जिसे वर्ष 2022 के अंत तक पूरा करने की योजना है।

- 'तियानहे' या 'हॉर्मनी ऑफ द हैवन्स' नामक इस मॉड्यूल को चीन के सबसे बड़े मालवाहक रॉकेट लॉन्ग मार्च 5 बी से लॉन्च किया गया
- भारत भी आगामी 5 से 7 वर्षों में अंतरिक्ष में सूक्ष्म गुरुत्व संबंधी प्रयोगों का संचालन करने के लिये 'लो अर्थ ऑर्बिट' में अपने स्वयं के अंतरिक्ष स्टेशन के निर्माण की दिशा में कार्य कर रहा है।

प्रमुख बिंदुः

पृष्ठभूमि:

- वर्तमान में एकमात्र स्पेस स्टेशन- अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन (ISS) मौजूद है, जहाँ चीन की पहँच नही है।
 - ♦ स्पेस स्टेशन एक अंतरिक्ष यान होता है जो चालक दल के सदस्यों को विस्तारित अवधि के लिये निवास संबंधी सुविधा देने में सक्षम होता है, साथ ही इसमें अन्य अंतरिक्ष यानों को भी डॉक किया जा सकता है।
 - ◆ ISS संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस, यूरोप, जापान और कनाडा द्वारा समर्थित है।
- अंतरिक्ष अन्वेषण के मामले में चीन ने काफी देरी से कदम उठाए हैं। चीन ने वर्ष 2003 में अपने पहले अंतरिक्ष यात्री को पृथ्वी की कक्षा में भेजा था, जिससे सोवियत संघ और अमेरिका के बाद ऐसा करने वाला वह तीसरा देश बन गया था।
- अब तक चीन ने दो अंतरिक्ष स्टेशनों को कक्षा में भेजा है। 'Tiangong-1' और 'Tiangong-2' ट्रायल स्टेशन थे, जिनमें अंतरिक्ष यात्रियों को अपेक्षाकृत कम समय तक रखने की क्षमता थी।

चीन का अंतर्राष्ट्रीय स्टेशनः

- 66 टन का नया मल्टी-मॉड्यूल 'तियांगोंग' स्टेशन कम-से-कम 10 वर्षों तक कार्य करेगा।
- 'तियानहे' चीन के पहले स्व-विकसित अंतरिक्ष स्टेशन के तीन मुख्य घटकों में से एक है, जो कि ISS का एकमात्र प्रतिद्वंद्वी है।
 - 'तियानहे' चीनी अंतिरक्ष स्टेशन में तीन चालक दल के सदस्यों के लिये निवास योग्य स्थान प्रदान करता है।
- अंतरिक्ष स्टेशन को पूरा करने के लिये आवश्यक 11 मिशनों में से पहला तियानहे लॉन्च किया गया है, जो 340 से 450 किलोमीटर की ऊँचाई पर पृथ्वी की परिक्रमा करेगा।
 - 🔷 बाद के अभियानों में चीन दो अन्य मुख्य मॉड्यूल, चार मानवयुक्त अंतरिक्ष यान और चार कार्गो अंतरिक्ष यान लॉन्च करेगा।

चीन के लिये महत्त्व:

- अंतरिक्ष कार्यक्रम के संबंध में:
 - 🔷 चीन ने वर्ष 2030 तक एक प्रमुख अंतरिक्ष शक्ति बनने का लक्ष्य रखा है। उसने अपने अंतरिक्ष कार्यक्रम को चंद्रमा पर जाने, मंगल ग्रह के लिये एक मानवरहित प्रोब लॉन्च करने और अपने स्वयं के अंतरिक्ष स्टेशन के निर्माण के लिये तैयार किया है।
- ISS की वर्ष 2024 तक समाप्ति:
 - ♦ इसके विपरीत दो दशकों से अधिक समय से कक्षा में स्थित ISS परियोजना वित्तपोषण के अभाव के कारण वर्ष 2024 में समाप्त होने वाली है। वहीं रूस ने हाल ही में वर्ष 2025 तक इस परियोजना से अलग होने की घोषणा कर दी है।

- चीन के साथ रूस का गहरा संबंध:
 - अमेरिका से तनाव के कारण रूस अंतरिक्ष क्षेत्र में चीन के साथ संबंध बढ़ा रहा है। इसने अमेरिकी नेतृत्व वाले 'आर्टेमिस मून एक्सप्लोरेशन प्रोग्राम' की आलोचना की है और इसके बजाय आने वाले वर्षों में चीन के साथ 'लूनर रिसर्च आउटपोस्ट' स्थापित करने पर विचार कर रहा है।

चीन के अन्य मिशन:

- चांग ई-5 मिशन (चंद्रमा)
- तियानवेन-1 (मंगल)

पॉज़िट्रॉन: इलेक्ट्रॉन का प्रतिरूपी प्रतिद्रव्य

चर्चा में क्यों?

बंगलूरू स्थित रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट (RRI) के शोधकर्त्ताओं ने इलेक्ट्रॉनों के प्रतिरूपी प्रतिद्रव्य 'पॉजिट्रॉन' और 'पॉजिट्रॉन एक्सेशन फिनोमिना' के रहस्य को सुलझाने में सफलता हासिल की है।

RRI विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग की एक स्वायत्त संस्था है।

प्रतिद्रव्य:

- प्रतिद्रव्य, सामान्य पदार्थ के विपरीत होता है। प्रतिद्रव्य के उप-परमाणु कणों में सामान्य पदार्थ के विपरीत गुण होते हैं।
 - 🔷 पदार्थ परमाणुओं से बना होता है, जो कि हाइड्रोजन, हीलियम या ऑक्सीजन जैसे रासायनिक तत्त्वों की मूल इकाइयाँ हैं।
 - परमाणु, पदार्थ की मूल इकाइयाँ और तत्त्वों की पिरभाषित संरचना होती है। परमाणु तीन कणों से मिलकर बने होते हैं:
 - प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन।

पॉज़िट्रॉन:

 इसका द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन के समान होता है, किंतु दोनो में अंतर यह है कि इलेक्ट्रॉन ऋण आवेश युक्त कण है तथा पॉजिट्रॉन धन आवेश युक्त कण है। पॉजिट्रॉन की खोज वर्ष 1932 में हुई थी।

प्रमुख बिंदुः

पॉज़िट्रॉन की अधिकता:

- इलेक्ट्रॉनों के इस प्रतिरूपी प्रतिद्रव्य उच्च ऊर्जा कणों की अधिक संख्या, जिन्हें पॉजिट्रॉन कहा जाता है, ने लंबे समय तक वैज्ञानिकों को भ्रमित किया है।
- पिछले कुछ वर्षों में खगोलविदों ने 10 गीगा-इलेक्ट्रॉन वोल्ट या 10 ${
 m GeV}$ से अधिक की ऊर्जा वाले पॉजिट्रॉन का अवलोकन किया है।
 - ◆ एक अनुमान के अनुसार, यह धनात्मक रूप से आवेशित 10,000,000,000 वोल्ट की बैटरी के बराबर इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा है। हालाँकि, 300 से अधिक GeV ऊर्जा वाले पॉजिट्रॉनों की संख्या खगोलिवदों की अपेक्षा के विपरीत कम है।
- 10 और 300 GeV की ऊर्जा के बीच पॉजिटॉन के इस व्यवहार को खगोलविद 'पॉजिटॉन की अधिकता' कहते हैं।

RRI का अध्ययनः

- 'मिल्की वे' में आणिवक हाइड्रोजन से निर्मित विशाल बादल होते हैं, जो कि नए तारों के गठन का स्थान होते हैं और सूर्य के द्रव्यमान से
 10 मिलियन गुना तक बडे हो सकते हैं।
 - वे 600 प्रकाश-वर्ष तक अपना विस्तार कर सकते हैं।
- सुपरनोवा विस्फोटों में उत्पन्न होने वाली कॉस्मिक किरणें पृथ्वी तक पहुँचने से पहले इन बादलों के माध्यम से प्रसारित होती हैं। कॉस्मिक किरणें आणिवक हाइड्रोजन के साथ क्रिया करती हैं और अन्य कॉस्मिक किरणें उत्पन्न कर सकती हैं।

- इन बादलों के माध्यम से प्रसारित होने के दौरान वे अपने मूल रूप से परिवर्तित होकर धीरे-धीरे इन बादलों को अपनी ऊर्जा प्रदान करके स्वयं की ऊर्जा खो देती हैं. हालाँकि ये दोबारा भी सिक्रय हो सकती हैं।
- RRI ने सार्वजनिक रूप से उपलब्ध कंप्यूटर कोड का उपयोग करते इन सभी खगोल भौतिकी प्रक्रियाओं का अध्ययन किया।

RRIs कोडः

- इस कोड के माध्यम से 'मिल्की वे' में उपस्थित 1638 आणविक हाइडोजन बादलों पर अनुसंधान किया गया, जिन्हें अन्य खगोलविदों द्वारा विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम के विभिन्न तरंगदैर्ध्य पर अवलोकित किया था।
- RRI ने एक व्यापक सूची का अनुसरण किया, जिसमें हमारे सूर्य के करीब स्थित दस आणविक बादल शामिल हैं।
- यह खगोलविदों को गीगा-इलेक्ट्रॉन वोल्ट कॉस्मिक किरणों की संख्या के रूप में एक महत्त्वपूर्ण सूचना प्रदान करता है।
 - यह उन्हें पृथ्वी तक पहुँचने वाले पॉजिट्रॉन की अधिक संख्या निर्धारित करने में मदद करते हैं।
- कंप्यूटर कोड गीगा-इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा पर पॉजिट्रॉन की देखी गई संख्या को पुन: सफलतापूर्वक उत्पन्न करने में सक्षम था।
- यह कंप्यटर कोड न केवल 'पॉजिट्रॉन की अधिकता' बल्कि प्रोटॉन, एंटीप्रोटोन, बोरॉन, कार्बन और कॉस्मिक किरणों के अन्य सभी घटकों के स्पेक्ट्रा को सटीक ढंग से पुन: प्रस्तुत करता है।

RRI का प्रस्तावः

- कॉस्मिक किरणें 'मिल्की वे' आकाशगंगा के माध्यम से प्रसार करते समय द्रव्यों से क्रिया करते हुए अन्य कॉस्मिक किरणों का उत्पादन करती हैं।
- सभी तंत्र, जिनके माध्यम से ब्रह्मांडीय किरणें आणविक बादलों के साथ क्रिया करती हैं, यह दर्शाते हैं कि आणविक बादल 'पॉजिट्रॉन एक्सेशन फिनोमिना' के रहस्य को सुलझाने में योगदान दे सकते हैं।

कॉस्मिक किरणें:

कॉस्मिक किरणें उच्च ऊर्जा वाले कण होते हैं, जो अंतरिक्ष के बाह्य भाग में उत्पन्न होती हैं। इनकी गति लगभग प्रकाश की गति के समान होती है और ये पृथ्वी के चारों तरफ पाई जाती हैं। इनकी खोज वर्ष 1912 में हुई थी।

प्रकाश वर्षः

- प्रकाश-वर्ष खगोलीय दूरी को व्यक्त करने के लिये प्रयोग की जाने वाली लंबाई की एक इकाई है और लगभग 9.46 ट्रिलियन किलोमीटर के बराबर है।
- अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ की परिभाषित के अनुसार, एक प्रकाश-वर्ष वह दूरी है जो प्रकाश एक जूलियन वर्ष में पूरा कर लेता है।

कोविड-19 और निएंडरथल जीनोम

चर्चा में क्यों?

हाल ही में विभिन्न देशों के विकासवादी जीव वैज्ञानिकों ने अपने अध्ययन में पाया कि गंभीर रूप से बीमार होने का खतरा उत्पन्न करने वाले और SARS-CoV-2 से सुरक्षा प्रदान करने में सक्षम होस्ट जीनोम पुरातन मानव निएंडरथल (Neanderthal) से विरासत में मिले हैं।

निएंडरथल होमिनिड्स की एक विलुप्त प्रजाति है, जो आधुनिक मानव के सबसे करीब थे।

प्रमुख बिंदु

अध्ययन के निष्कर्षः

- होस्ट गुणसूत्र 3 गंभीर रूप से बीमार होने की दिशा में आनुवंशिक जोखिम कारक के रूप में कार्य करता है और गुणसूत्र 6,12,19 और 21 पर जीन का एक समूह वायरस के विरुद्ध हमारी रक्षा करता है।
- आधुनिक मानव निएंडरथल के साथ क्रोमोसोम 3 में 50,000 न्यूक्लियोटाइड्स (ये DNA का मूल बिल्डिंग ब्लॉक होता है) का एक हिस्सा साझा करते हैं।

- ◆ दक्षिण एशिया की लगभग 50% जनसंख्या को गुणसूत्र 3 निएंडरथल जीनोम से मिला है, यही कारण है कि इसी क्षेत्र में वायरस से बीमार होने का सबसे अधिक खतरा है।
- होस्ट गुणसूत्र 12 का एक हिस्सा, जिसे वायरस से सुरक्षा प्रदान करने के लिये उत्तरदायी माना जाता है, भी निएंडरथल जीनोम से ही विरासत
 में मिला है।
 - गुणसूत्र 12 लगभग 30% दक्षिण एशियाई लोगों में पाया जाता है।

महत्त्वः

- ये वायरस केवल होस्ट कोशिकाओं में जीवित और वृद्धि कर सकते हैं। इसिलये होस्ट जीनोम को समझना किसी आबादी में वायरस के प्रति संवेदनशीलता तथा सुरक्षा दोनों का अध्ययन करने के लिये जरूरी है।
- निएंडरथल के कुछ विशिष्ट जीन वायरस के खिलाफ काम कर रहे हैं और हमें एक गंभीर बीमारी से बचा रहे हैं, जबिक कुछ अन्य जीन गंभीर रूप से बीमार होने का खतरा बढ़ा रहे हैं। यह प्रभाव, विकास के दौरान जीन के चयन से संबंधित विषय के जिटल तथ्यों को समझने में मदद कर सकता है।

मानव विकास

• मानव विकास एक विकासवादी प्रक्रिया है, जिसके परिणामस्वरूप शारीरिक रूप से आधुनिक मनुष्यों विशेष रूप से होमो सेपियंस (Homo Sapiens) का उदय हुआ है।

मानव के विकास के चरण:

- ड्रायोपिथेकस (Dryopithecus)
- रामापिथीकस (Ramapithecus)
- ऑस्ट्रेलोपिथेकस (Australopithecus)
- होमो (Homo)
 - ♦ होमो हैबिलिस (Homo Habilis)
 - ♦ होमो इरेक्टस (Homo Erectus)
 - ♦ होमो सेपियंस (Homo Sapiens)
 - होमो सेपियंस निएंडरथेलेंसिस (Homo Sapiens Neanderthalensis)
 - होमो सेपियंस सेपियंस (Homo Sapiens Sapiens)

निएंडरथल:

निएंडरथल (होमो निएंडरथेलेंसिस, होमो सेपियंस निएंडरथेलेंसिस) पुरातन मानव के एक समूह का सदस्य है, जो 2,00,000 वर्ष पहले प्लीस्टोसीन युग (लगभग 2.6 मिलियन से 11,700 वर्ष पूर्व) के दौरान अस्तित्त्व में था और प्रारंभिक आधुनिक मानव आबादी (होमो सेपियंस) द्वारा 35,000 से 24,000 वर्ष इन्हें पहले प्रतिस्थापित किया गया था।

जीनोम

- जीनोम, सभी जीवों में पाया जाने वाला एक वंशानुगत पदार्थ है। इसे किसी जीव के डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड (Deoxyribose Nucleic Acid- DNA) के पूर्ण सेट के रूप में परिभाषित किया जाता है,
- मनुष्यों के पूरे जीनोम की एक प्रति में 3 बिलियन से अधिक डीएनए जोड़े होते हैं।

गुणसूत्र

- डीएनए अणु कोशिका के नाभिक में धागे जैसी संरचनाओं में पैक रहता है जिसे गुणसूत्र कहा जाता है।
- गुणसूत्र डीएनए के तंतु रूपी पिंड हैं, जो हिस्टोन नामक प्रोटीन के आसपास जमा रहते है।
- मनुष्यों में गुणसूत्रों की संख्या 46 होती है, जो 23 के जोड़े में होते हैं।

- इनमें से दो जोडे जिन्हें 'ऑटोसोम' कहा जाता है, पुरुषों और महिलाओं दोनों में समान दिखते हैं।
- सेक्स गुणसूत्र (23वीं जोड़ी) पुरुषों और महिलाओं के बीच अलग-अलग होते हैं। मादाओं में X गुणसूत्र की दो प्रतियाँ होती हैं, जबिक पुरुषों में एक X और एक Y गुणसूत्र होता है।

कोरोना वेरिएंट का नामकरण और वर्गीकरण

चर्चा में क्यों?

हाल ही में भारत के स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा बताया गया है कि देश के 18 विभिन्न राज्यों में कोरोना वायरस के कई अन्य स्ट्रेन या वेरिएंट ऑफ कंसर्न (Variants of Concern- VOCs) के अलावा एक नए डबल म्युटेंट वेरिएंट (Double Mutant Variant) का पता चला है।

प्रमुख बिंदुः

वायरस वेरिएंट:

- वायरस के वेरिएंट में एक या एक से अधिक उत्परिवर्तन (Mutations) होते हैं जो इसे अन्य प्रचलित वेरिएंट से अलग करता है।
 अधिकांश उत्परिवर्तन वायरस के लिये हानिकारक साबित होते हैं तो कुछ उत्परिवर्तन वायरस के लिये फायदेमंद साबित होते हैं जो इसे जीवित रहने के लिये आसान बनाते हैं।
- SARS-CoV-2 (कोरोना) वायरस तेज़ी से विकसित हो रहा है जिस कारण यह वैश्विक स्तर पर लोगों को संक्रमित कर रहा है। वायरस के परिसंचरण या प्रसार के उच्च स्तर का मतलब है कि वायरस में उत्परिवर्तन की आसान एवं तीव्र दर विद्यमान है जिस कारण इसमें अपनी संख्या को दुगना करने की क्षमता पाई जाती है।
- मूल महामारी वायरस (फाउंडर वेरिएंट) Wu.Hu.1 था जिसे वुहान वायरस कहा गया। कुछ महीनों में इसका D614G वेरिएंट सामने उभरकर आया और विश्व स्तर पर प्रसारित हो गया।

वर्गीकरण:

- रोग नियंत्रण और रोकथाम हेतु अमेरिकी केंद्र (CDC) द्वारा वेरिएंट को तीन श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है:
- वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट (VOI):
 - यह एक विशिष्ट 'जेनेटिक मार्करों' (Genetic Markers) वाला वेरिएंट है जो 'रिसेप्टर बाइंडिंग' में परिवर्तन करने, पूर्व में हुए संक्रमण या टीकाकरण के दौरान उत्पन्न एंटीबॉडी द्वारा संक्रमण के प्रभाव को कम करने, नैदानिक प्रभाव तथा संभावित उपचार को कम करने या संक्रमण को प्रसारित करने या बीमारी की गंभीरता में वृद्धि करने से संबंधित है।
 - ◆ VOI का एक उदाहरण वायरस का B.1.617 वेरिएंट है, जिसमें दो उत्परिवर्तन होते हैं, जिन्हें E484Q तथा L452R कहा जाता है।
 - विश्व स्वास्थ्य संगठन (World Health Organization- WHO) द्वारा इस वेरिएंट को 'वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट' (VOI) के रूप में वर्गीकृत किया गया है।
 - कई कोरोना वायरस वेरिएंट में ये दोनो उत्परिवर्तन अलग-अलग पाए जाते हैं, लेकिन भारत में पहली बार इन दोनों को एक साथ देखा
 गया है।
- वेरिएंट ऑफ कंसर्न (VOC):
 - वायरस के इस वेरिएंट के परिणामस्वरूप संक्रामकता में वृद्धि, अधिक गंभीर बीमारी (जैसे- अस्पताल में भर्ती या मृत्यु हो जाना), पिछले संक्रमण या टीकाकरण के दौरान उत्पन्न एंटीबॉडी में महत्त्वपूर्ण कमी, उपचार या टीके की प्रभावशीलता में कमी या नैदानिक उपचार की विफलता देखने को मिलती है।
 - ◆ B.1.1.7 (यूके वेरिएंट), B.1.351 (दक्षिण अफ्रीका वेरिएंट), P.1 (ब्राजील वेरिएंट), B.1.427 और अमेरिका में मिलने वाले B.1.429 वेरिएंट को VOC के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

- अधिक गंभीर वेरिएंट:
 - ♦ अधिक गंभीर वेरिएंट से इस बात की पुष्टि होती हैं कि रोकथाम के उपाय या मेडिकल प्रतिउपायों ने पहले से प्रचलित वेरिएंट की सापेक्ष प्रभावशीलता को काफी कम कर दिया है।
 - ♦ अब तक, CDC को अमेरिका में 'अधिक गंभीर वेरिएंट' के प्रसार के प्रमाण नहीं मिले हैं।

वेरिएंट अंडर इन्वेस्टिगेशन (VUI):

- पिबलक हेल्थ इंग्लैंड (Public Health England- PHE) का कहना है कि अगर SARS-CoV-2 के वेरिएंट में महामारी,
 प्रतिरक्षा या रोगजनक गुण पाए जाते हैं तो इसकी औपचारिक जाँच (Formal Investigation) की जा सकती है।
- इस कार्य के लिये B.1.617 वेरिएंट को VUI के रूप में नामित किया गया है।

नामकरण:

- फायलोजेनेटिक असाइनमेंट ऑफ ग्लोबल आउटब्रेक लीनिएजेज (PANGOLIN):
 - ♦ इसे SARS-CoV-2 लीनिएजेज की वंशावली के नामकरण को लागू करने हेतु विकसित किया गया था, जिसे 'पेंगो' नामकरण (Pango Nomenclature) के रूप में जाना जाता है।
 - ♦ इसमें जीनोमिक निगरानी के एक अमूल्य उपकरण के रूप में आनुवंशिकता के आधार पर पदानुक्रमित प्रणाली का उपयोग किया जाता
 है।
 - ♦ इसमें अक्षर (ABCP) का उपयोग किया जाता है जो 1 नंबर से शुरू होते हैं। महामारी के 'वेरिएंट लीनिएजेज' (Variant lineages) भिन्न भिन्न भौगोलिक क्षेत्रों में पाए जाते हैं। लीनिएजेज 'बी' सबसे अधिक वृद्धि करने वाला लीनिएज है।

विभिन्न वेरिएंटस से संबंधित चिंताएँ:

- प्रसार में वृद्धिः
 - भारत सिहत कई देशों ने वेरिएंट के प्रसार के कारण महामारी संचरण की नई लहरों को और अधिक तीव्र कर दिया है।
- बढ़ता खतरा:
 - ◆ घातकता या गंभीरता (गंभीर∕जानलेवा बीमारी पैदा करने की प्रवृत्ति) के संदर्भ में इसका यूके वेरिएंट अधिक खतरनाक है। दक्षिण अफ्रीका और ब्राजील के वेरिएंट्स अधिक घातक नहीं हैं।
- प्रतिरक्षा में कमी:
 - ♦ वेरिएंटस से संबंधित तीसरी चिंता टीकाकरण में प्रयोग होने वाले D614G वेरिएंट से बने एंटीजन के उपयोग को लेकर है जिसका उपयोग वर्तमान में उपयोग होने वाले अधिकांश टीकों पर लागू होता है।
 - ◆ टीकों के प्रभाव का निम्न स्तर दक्षिण अफ्रीकी और उससे कम ब्राज़ील वेरिएंट में देखने को मिला है। इसलिये पूर्व में हुए D614G टीकाकरण के बावजूद पुनः संक्रमण होने का खतरा बना हुआ है।
 - वर्तमान में टीके की प्रभावकारिता तीन चरणों के परीक्षणों में निर्धारित की गई इनकी क्षमता से कम हो सकती है क्योंकि VOC प्रसार तब व्यापक रूप से नहीं था।
 - परंतु mRNA टीकों में विभिन्न कारणों से व्यापक प्रतिरक्षा विद्यमान है, और वे इन दो वेरिएंट के खिलाफ बेहतर सुरक्षा प्रदान करने में सक्षम हैं।

संभावित समाधानः

- स्वीडन स्थिति कारोलिंस्का संस्थान द्वारा एक नए वैरिएंट 'रिसेप्टर बाइंडिंग डोमेन' (RBD) पेप्टाइड का उपयोग करके एक एंटीजन विकसित किया गया है,।
 - एक RBD वायरस का छोटा इम्यूनोजेनिक अंश या टुकड़ा (Immunogenic Fragment) होता है जो मेजबान कोशिकाओं (Host Cells) में प्रवेश पाने हेतु एक विशिष्ट अंतर्जात 'रिसेप्टर अनुक्रम' (Endogenous Receptor Sequence) से बंधा होता है।

- ♦ सहायक पदार्थ वह है जो एक एंटीजन की उपस्थिति हेतु प्रतिरक्षा प्रणाली की प्रतिक्रिया को तीव्र कर देता है।
- इसके परिणामस्वरूप न केवल 'बूस्टर रिस्पांस' तीव्र होता है बल्कि यह व्यापक भी होता है, इसमें नए वेरिएंट भी शामिल होते हैं। अलग-अलग वैक्सीन के कारण इसे 'हेटेरो बूस्टिंग' (Hetero Boosting) दृष्टिकोण कहा गया है।

आगे की राहः

- जीवित रहने तथा आर्थिक विकास को बनाए रखने हेतु महामारी ने जैव चिकित्सा अनुसंधान और क्षमता निर्माण के महत्त्व पर लोगों का ध्यान केंद्रित किया है।
- हमें विश्वविद्यालयों, मेडिकल कॉलेजों और जैव प्रौद्योगिकी कंपिनयों में व्यापक स्तर पर अनुसंधान को बढ़ावा देने की आवश्यकता है, जिनमें सभी को समय पर वित्त पोषित, प्रोत्साहित और प्रतिभा को पुरस्कृत किया जाना चाहिये।
- हालॉॅंकि इस दिशा में कुछ प्रयास शुरू किये गए हैं, उन्हें बड़े पैमाने पर लागू करना होगा, साथ ही भारत को बायोसाइंसेज़ के क्षेत्र में भी भारी निवेश करना चाहिये।

5जी परीक्षण

चर्चा में क्यों?

हाल ही में भारत सरकार के दूरसंचार विभाग (Department of Telecommunications- DoT) ने दूरसंचार सेवा प्रदाताओं (Telecom Service Providers- TSPs) को 5जी प्रौद्योगिकी (5G Technology) के उपयोग और उससे संबंधित परीक्षण की अनुमित दे दी है।

 यह औपचारिक रूप से भारत में 5G प्रौद्योगिकी को लेकर चल रही प्रतिस्पर्द्धा से 'Huawei' और 'ZTE' जैसी चीन की कंपिनयों को बाहर कर देगा।

प्रमुख बिंदुः

परीक्षण के संदर्भ में:

- प्रारंभ में परीक्षणों की अविध 6 महीने के लिये है। इसमें उपकरणों की खरीद और स्थापना के लिये 2 महीने की अविध भी शामिल है।
- TSPs को शहरी क्षेत्रों, अर्द्ध-शहरी क्षेत्रों के साथ-साथ ग्रामीण क्षेत्रों में अपने सेट का परीक्षण करना होगा।
- TSPs को विभिन्न बैंडों में प्रायोगिक स्पेक्ट्रम प्रदान किये जाएंगे, जिसमें मिड-बैंड (3.2 गीगाहर्ट्ज से 3.67 गीगाहर्ट्ज), मिलीमीटर वेव बैंड (24.25 गीगाहर्ट्ज से 28.5 गीगाहर्ट्ज) और सब-गीगाहर्ट्ज बैंड (700 गीगाहर्ट्ज) शामिल हैं।
- इस दौरान टेली-मेडिसिन, टेली-शिक्षा, ऑगमेंटेड/वर्चुअल रियल्टी (Augmented/Virtual Reality), ड्रोन-आधारित कृषि निगरानी जैसे अनुप्रयोगों का परीक्षण किया जाएगा। परीक्षणों के दौरान प्राप्त आँकड़ों को भारत में ही संग्रहीत किया जाएगा।
- स्वदेशी प्रौद्योगिकी का उपयोग: TSPs को पहले से मौजूद 5जी प्रौद्योगिकी के अलावा 5जीआई प्रौद्योगिकी (5Gi Technology) का उपयोग कर परीक्षण करने के लिये प्रोत्साहित किया गया है।
 - ♦ 5Gi प्रौद्योगिकीकीवकालतभारतद्वाराकीगईथीऔरइसेअंतर्राष्ट्रीयदूरसंचारसंघ(International Telecommunications Union- ITU)- सूचना और संचार प्रौद्योगिकियों के लिये संयुक्त राष्ट्र की विशेष एजेंसी द्वारा अनुमोदित किया गया है।
 - ♦ 5Gi प्रौद्योगिकी का विकास आईआईटी मद्रास के वायरलेस टेक्नोलॉजी उत्कृष्ट केंद्र (IIT Madras, Centre of Excellence in Wireless Technology- CEWiT) और आईआईटी हैदराबाद (IIT Hyderabad) द्वारा किया गया है।
 - ◆ यह 5G टावरों और रेडियो नेटवर्क की व्यापक पहुँच को सुविधाजनक बनाता है।

5जी परीक्षण की आवश्यकता:

- वर्तमान में भारत में दूरसंचार बाज़ार केवल तीन निजी टेली कम्युनिकेशन कंपनियों (Telcos) तक ही सीमित रह गया है और शेष कंपनियाँ निवेश के मुकाबले कम आय के कारण लगभग लगभग बंद हो चुकी हैं अथवा बंद होने की कगार पर हैं। दूरसंचार क्षेत्र में वर्तमान में दो राज्य संचालित कंपनियाँ, महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड (MTNL) और भारत संचार निगम लिमिटेड (Bharat Sanchar Nigam Limited- BSNL) बची हुई हैं, परंतु ये भी आर्थिक क्षित का सामना कर रही हैं।
- ऐसे में अपने औसत राजस्व को बढ़ाने के लिये टेली कम्युनिकेशन कंपनियों के लिये जल्द-से-जल्द नई 5जी प्रौद्योगिकी पेशकश करना आवश्यक हो गया है।

भारत में चीनी दूरसंचार कंपनियाँ:

- भारतीय दूरसंचार मंत्रालय ने चीनी उपकरण निर्माताओं जैसे- 'Huawei' और 'ZTE' को 5जी परीक्षणों से बाहर कर दिया है, जो इन कंपनियों को प्रतिबंधित करने वाला नवीनतम देश बन गया है।
 - ◆ अमेरिका का कहना है कि चीन द्वारा 'Huawei' कंपनी के 5G उपकरणों का उपयोग जासूसी के लिये किया जा सकता है, अतः अमेरिका के संघीय संचार आयोग (FCC) ने कुछ अमेरिकी दूरसंचार कंपनियों को भी आदेश दिया है कि वे अपने नेटवर्क से 'Huawei' के उपकरणों को हटा दें।
- भारत ने अभी चीन की कंपनियों पर किसी भी प्रकार का आधिकारिक प्रतिबंध लागू नहीं किया है, क्योंकि चीन द्वारा भारत के मोबाइल प्रदाताओं को कई महत्त्वपूर्ण उपकरणों की आपूर्ति की जाती है।
- हालाँकि, सरकार ने देश के टेलीकॉम नेटवर्क के लिये एक सख्त और अधिक सुरक्षा-उन्मुख दृष्टिकोण का संकेत दिया है, ऐसे में यह माना जा रहा है कि भारत सरकार का यह दृष्टिकोण चीन की कंपनियों के खिलाफ कार्य करेगा।
 - ◆ दिसंबर 2020 में, सरकार ने दूरसंचार क्षेत्र के लिये नए राष्ट्रीय सुरक्षा निर्देशों के हिस्से के रूप में दूरसंचार के 'विश्वसनीय' स्रोतों की पहचान करने की घोषणा की थी, जिससे देश के विभिन्न दूरसंचार सेवा प्रदत्ता अपने नेटवर्क में 'विश्वसनीय' स्रोतों से आने वाले उत्पादों का प्रयोग कर सकें।
 - ◆ इन नए खरीद नियमों के जून 2021 में लागू होने की संभावना है और यह भारतीय नेटवर्क प्रदाताओं के लिये 'विश्वसनीय स्रोतों' से निश्चित प्रकार के उपकरण खरीदने को अनिवार्य बनाएगा। इसमें प्रतिबंधित आपूर्तिकर्ताओं की सूची भी शामिल हो सकती है।

5जी प्रौद्योगिकी:

5जी प्रौद्योगिकी की विशेषताएँ:

- 5जी में बैंड्स- 5G मुख्य रूप से 3 बैंड (लो, मिड और हाई बैंड स्पेक्ट्रम) में कार्य करता है, जिसमें सभी के बैंड्स के कुछ विशिष्ट उपयोग और कुछ विशिष्ट सीमाएँ हैं।
 - लो बैंड स्पेक्ट्रम (Low Band Spectrum): इसमें इंटरनेट की गित और डेटा के इंटरैक्शन-प्रदान की अधिकतम गित 100Mbps (प्रति सेकंड मेगाबिट्स) तक होती है।
 - मिड बैंड स्पेक्ट्रम (Mid-Band Spectrum): इसमें लो बैंड के स्पेक्ट्रम की तुलना में इंटरनेट की गित अधिक होती है, फिर भी इसके कबरेज क्षेत्र और सिग्नलों की कुछ सीमाएँ हैं।
 - हाई बैंड स्पेक्ट्रम (High-Band Spectrum): इसमें उपरोक्त अन्य दो बैंड्स की तुलना में उच्च गित होती है, लेकिन कवरेज और सिग्नल भेदन की क्षमता बेहद सीमित होती है।
- उन्नत LTE: 5जी 'लॉन्ग-टर्म एवोलूशन' (LTE) मोबाइल ब्रॉडबैंड नेटवर्क में सबसे नवीनतम अपग्रेड है।
- इंटरनेट स्पीड और दक्षता: 5जी के हाई-बैंड स्पेक्ट्रम में इंटरनेट की स्पीड को 20 Gbps (प्रति सेकंड गीगाबिट्स) तक दर्ज किया गया है, जबिक 4G में इंटरनेट की अधिकतम स्पीड 1 Gbps होती है।
 - ♦ 5G तीन गुना अधिक स्पेक्ट्रम दक्षता और अल्ट्रा लो लेटेंसी प्रदान करेगा।

 लेटेंसी, नेटवर्किंग से संबंधित एक शब्द है। एक नोड से दूसरे नोड तक जाने में किसी डेटा पैकेट द्वारा लिये गए कुल समय को लेटेंसी कहते हैं। लेटेंसी समय अंतराल या देरी को संदर्भित करता है।

5G के अनुप्रयोगः

- चौथी औद्योगिक क्रांति: इंटरनेट ऑफ थिंग्स (IoT), क्लाउड, बिग डेटा, कृत्रिम बुद्दिमत्ता (AI) और एज कंप्यूटिंग के साथ, 5G चौथी औद्योगिक क्रांति का एक महत्त्वपूर्ण प्रवर्तक हो सकता है।
 - सूचना का वास्तविक समय प्रसारण: 5जी के प्राथमिक अनुप्रयोगों में से एक सेंसर-एम्बेडेड नेटवर्क (Sensor-Embedded Networks) का कार्यान्वयन होगा, जो विभिन्न क्षेत्रों जैसे- विनिर्माण, उपभोक्ता टिकाऊ वस्तुओं और कृषि आदि में वास्तविक समय पर सूचना के प्रसारण की अनुमति देगा।
 - ♦ कुशल पिरवहन अवसंरचना: 5G पिरवहन अवसंरचना को स्मार्ट बनाकर अधिक कुशल बनाने में भी मदद कर सकता है। 5G वाहन-से-वाहन और वाहन-से-अवसंरचना के संचार को सक्षम करेगा और डाइवर रहित कारों के निर्माण में मदद करेगा।
- सेवाओं की पहुँच में सुधार: 5G नेटवर्क, मोबाइल बैंकिंग और स्वास्थ्य सेवा आदि की पहुँच में भी सुधार कर सकता है।
- स्थानीय अनुसंधान: यह स्थानीय अनुसंधान और विकास (Research and Development) पारिस्थितिकी तंत्र को प्रोत्साहित करेगा, ताकि वाणिज्यिक जरूरतों के अनुरूप अभिनव अनुप्रयोगों को विकसित किया जा सके।
- आर्थिक प्रभाव: सरकार द्वारा नियुक्त पैनल (2018) की एक रिपोर्ट के अनुसार, 5G से वर्ष 2035 तक भारत में 1 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर का संचयी आर्थिक प्रभाव पैदा होने की संभावना है।

पहली पीढ़ी से पाँचवीं पीढ़ी तक का विकास

- 1जी को 1980 के दशक में लॉन्च किया गया था और इसने एनालॉग रेडियो सिग्नल पर कार्य किया तथा केवल वॉयस कॉल को संभव बनाया।
- 2जी को 1990 के दशक में लॉन्च किया गया था, जो डिजिटल रेडियो सिग्नल का उपयोग करता है और 64 केबीपीएस की बैंडिविड्थ के साथ वॉयस और डेटा ट्रांसिमशन दोनों का कार्य करता है।
- 3जी को 2000 के दशक में 1 एमबीपीएस से 2 एमबीपीएस की गति के साथ लॉन्च किया गया था और इसमें डिजिटल वॉयस, वीडियो कॉल और कॉन्फ्रेंसिंग सिंहत टेलीफोन सिंग्नल प्रसारित करने की क्षमता है।
- 4जी को वर्ष 2009 में 100 एमबीपीएस से 1 जीबीपीएस की अधिकतम स्पीड के साथ लॉन्च किया गया था और यह 3डी आभासी वास्तविकता को भी सक्षम करता है।

शुक्र ग्रह

चर्चा में क्यों?

हाल ही में वैज्ञानिकों ने रेडियो तरंगों (Radio Waves) की सहायता से शुक्र ग्रह से संबंधित नया डेटा प्राप्त किया है।

 वैज्ञानिकों द्वारा वर्ष 2006 से वर्ष 2020 के मध्य कुल 21 बार रेडियो तरंगों को शुक्र ग्रह पर भेजा गया। कैलिफोर्निया के मोजावे रेगिस्तान (Mojave Desert) में स्थित नासा के गोल्डस्टोन एंटीना (NASA's Goldstone Antenna) से भेजी गईं तरंगों से उत्पन्न ध्विन का अध्ययन कर शुक्र के बारे में कई नई जानकारियाँ प्राप्त की गई हैं।

प्रमुख बिंदुः

खोज से प्राप्त परिणामः

- शुक्र का एक घूर्णन पृथ्वी के 243.0226 दिनों के बराबर है। इसका अर्थ है कि शुक्र का एक दिन पृथ्वी के एक वर्ष से अधिक का होता है, जो कि सूर्य के चारों ओर 225 दिनों में अपना एक चक्कर पूरा करता है।
- शुक्र ग्रह के कोर का व्यास लगभग 7,000 किलोमीटर है, जो कि पृथ्वी के कोर के व्यास (6,970) की तुलना में अधिक है।
- अपने अक्ष पर शुक्र का झुकाव 2.64 डिग्री है, जबिक पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री पर झुकी हुई है।

पूर्व में की गई खोज के परिणाम:

- पूर्व में शुक्र के वातावरण में फॉस्फीन (Phosphine) की उपस्थित का पता लगाया गया था। जो शुक्र ग्रह पर जीवन की उपस्थिति की संभावना को इंगित करता है।
- 'नेचर जियोसाइंस' (Nature Geoscience) में प्रकाशित एक अध्ययन के अनुसार, शुक्र अभी भी भौगोलिक रूप से सिक्रय (Geologically Active) है।
 - अध्ययन ने शुक्र की सतह पर रिंग के आकार की संरचना (Ring-Like Structures) के रूप में 37 सिक्रय ज्वालामुिखयों की पहचान की, जिन्हें कोरोने (Coronae) नाम दिया गया।

शुक्र ग्रह के बारे में:

- सूर्य से दूरी के हिसाब से यह दूसरा ग्रह है। संरचनात्मक रूप से पृथ्वी से कुछ समानता रखने के कारण इसे पृथ्वी का जुड़वाँ ग्रह (Earth's Twin) भी कहा जाता है।
- शुक्र ग्रह पर वातावरण काफी सघन और विषाक्त है, जिसमें मुख्य रूप से कार्बन डाइऑक्साइड गैस और सल्फ्यूरिक एसिड के बादल विद्यमान हैं।
- तेज़ी से बढ़ते ग्रीनहाउस प्रभाव/रनवे ग्रीन हाउस इफेक्ट (Runaway Greenhouse' Effec) के साथ, इसकी सतह का तापमान 471 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच गया है, जो इसकी सतह को गर्म करके पिघलने के लिये काफी है।
 - ◆ रनवे ग्रीन हाउस इफेक्ट तब उत्पन्न होता है, जब कोई ग्रह सूर्य से अधिक ऊर्जा अवशोषित कर उसे अंतिरक्ष में वापस उत्सर्जित करता है। इन परिस्थितियों में, सतह का तापमान जितनी तीव्र गित से बढ़ेगा है, सतह उतनी ही तेज़ी से गर्म होती है।
- शुक्र सिर्फ दो ग्रहों में से एक है जो पूर्व से पश्चिम की ओर घूमते हैं। केवल शुक्र और यूरेनस ही इस प्रकार रोटेशन करते है।
- शुक्र के पास अपना कोई चंद्रमा और वलय नहीं है।
- शुक्र पर, दिन-रात का एक चक्र पृथ्वी के 117 दिन के बराबर होता हैं क्योंिक शुक्र, सूर्य के चारों ओर अपनी कक्षीय घूर्णन के विपरीत दिशा में घूमता है।

शुक्र ग्रह से संबंधित मिशनः

- इसरो शुक्रयानः भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (Indian Space Research Organisation- ISRO) भी शुक्र ग्रह से संबंधित एक मिशन की योजना बना रहा है, जिसे फिलहाल 'शुक्रयान मिशन' कहा गया है।
- अकात्सुकी (वर्ष 2015- जापान)
- वीनस एक्सप्रेस (वर्ष 2005- यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी)
- नासा का मैजलन (वर्ष 1989)

नासा का 'ओसीरिस-रेक्स' अभियान

चर्चा में क्यों?

हाल ही में नासा के 'ओसीरिस-रेक्स' अंतरिक्ष यान (OSIRIS-REx Spacecraft) ने क्षुद्रग्रह बेन्नू (Asteroid Bennu) से पृथ्वी पर वापसी के लिये अपनी दो वर्षीय लंबी यात्रा शुरू कर दी है।

 'ओसीरिस-रेक्स' पृथ्वी के निकट मौजूद क्षुद्रग्रह का दौरा कर उसकी सतह का सर्वेक्षण करने तथा उससे नमूना एकत्र करने हेतु भेजा गया नासा का प्रथम मिशन है।

प्रमुख बिंदुः

'ओसीरिस-रेक्स' मिशन के बारे में:

• ओसीरिस-रेक्स (OSIRIS-REx) संयुक्त राज्य अमेरिका का पहला क्षुद्रग्रह 'सैंपल रिटर्न मिशन' (Sample Return Mission) है, जिसका उद्देश्य वैज्ञानिक अध्ययन के लिये क्षुद्रग्रह से प्राचीन अनछुए नम्नों को इकट्ठा कर उन्हें पृथ्वी पर वापस लाना है।

- वर्ष 2016 में ओसीरिस-रेक्स (ओरिजिंस, स्पेक्ट्रल इंटरप्रीटेशन, रिसोर्स आईडेंटीफिकेशन, सिक्योरिटी, रेगोलिथ एक्सप्लोरर) अंतरिक्ष यान को बेन्नू क्षुद्रग्रह की यात्रा हेतु लॉन्च किया गया था।
- इस मिशन की अविध कुल सात वर्ष है और इसका कोई भी अंतिम परिणाम तब सामने आएगा जब यह अंतरिक्ष यान कम-से-कम 60 ग्राम नमुने लेकर पृथ्वी पर वापसी (वर्ष 2023 में) करेगा।
- नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडिमिनिस्ट्रेशन (NASA) के मुताबिक यह मिशन, अपोलो मिशन के बाद सबसे बड़ी मात्रा में खगोलीय सामग्री को पृथ्वी पर लाने में सक्षम है।
 - ◆ 'अपोलो' नासा का एक कार्यक्रम था, जिसके तहत अमेरिकी अंतिरक्ष यात्रियों ने कुल 11 अंतिरक्ष उड़ानें भरी थीं और चंद्रमा की सतह
 पर लैंड किया था।
- इस अंतिरक्ष यान में 'बेन्नू' के अन्वेषण के लिये कुल पाँच उपकरण शामिल हैं, जिसमें कैमरे, एक स्पेक्ट्रोमीटर और एक लेजर अल्टीमीटर शामिल हैं।
- बीते दिनों अंतरिक्ष यान के 'टच-एंड-गो सैंपल एक्विजिशन मैकेनिज्म' (TAGSAM) नामक रोबोटिक आर्म ने एक नमूना स्थल से नमूना एकत्र किया था।

महत्त्व

- वैज्ञानिक क्षुद्रग्रह के नमूनों का उपयोग सौरमंडल के गठन और पृथ्वी जैसे रहने योग्य ग्रहों के अध्ययन के लिये करेंगे।
- नासा, मिशन के माध्यम से प्राप्त नमूनों के एक विशेष हिस्से को दुनिया भर की प्रयोगशालाओं में अध्ययन के लिये वितरित करेगी और शेष हिस्सा (75 प्रतिशत) भविष्य की पीढ़ियों के लिये सुरक्षित रखा जाएगा, जिससे भविष्य में और अधिक आधुनिक प्रौद्योगिकी के माध्यम से इसका अध्ययन किया जा सकेगा।

क्षुद्रग्रह बेन्नू (Bennu):

- बेन्नू एक प्राचीन क्षुद्रग्रह है, जो कि वर्तमान में पृथ्वी से लगभग 200 मिलियन मील से अधिक दूरी पर मौजूद है।
- यह अमेरिका की एम्पायर स्टेट बिल्डिंग जितना लंबा है और इसका नाम मिस्र के एक देवता के नाम पर रखा गया है।
- इस क्षुद्रग्रह की खोज नासा द्वारा वित्तपोषित 'लिंकन नियर-अर्थ एस्टेरॉयड रिसर्च टीम' के एक समूह द्वारा वर्ष 1999 में की गई थी।
- इसे एक 'बी-टाइप' क्षुद्रग्रह माना जाता है, जिसका अर्थ है कि इसमें महत्त्वपूर्ण मात्रा में कार्बन और विभिन्न अन्य खनिज शामिल हैं।
 - इसमें उपस्थित कार्बन की उच्च मात्रा के कारण, यह केवल 4% प्रकाश को ही परावर्तित करता है, जो कि शुक्र जैसे ग्रह की तुलना में काफी कम है, जो कि लगभग 65% प्रकाश को परावर्तित करता है। ज्ञात हो कि भारत 30% प्रकाश को परावर्तित करता है।
- बेन्नू का लगभग 20-40% अंतिरक्ष हिस्सा खाली है और वैज्ञानिकों का मानना है कि यह सौरमंडल के गठन के प्रारंभिक 10 मिलियन वर्षों
 में बना था, जिसका अर्थ है कि यह लगभग 4.5 बिलियन साल पुराना है।
- यह संभावना व्यक्त की जा रही है कि बेन्नू, जिसे 'नियर अर्थ ऑब्जेक्ट' (NEO) के रूप में वर्गीकृत किया गया है, अगली शताब्दी में वर्ष 2175 से वर्ष 2199 के बीच पृथ्वी से टकरा सकता है।
 - ◆ 'नियर अर्थ ऑब्जेक्ट' (NEO) का आशय ऐसे धूमकेतु या क्षुद्र ग्रह से होता है जो पास के ग्रहों के गुरुत्वाकर्षण द्वारा उनके ऑबिंट/ कक्षा में आ जाते हैं जो उन्हें पृथ्वी के करीब आने की अनुमित देता है।
- माना जाता है कि बेन्नू की उत्पत्ति मंगल और बृहस्पित के बीच मुख्य क्षुद्रग्रह बेल्ट में हुई है तथा अन्य खगोलीय पिंडों के गुरुत्वाकर्षण की वजह से यह पृथ्वी के करीब आ रहा है।
- बेन्नू वैज्ञानिकों को प्रारंभिक सौर प्रणाली के बारे में अधिक जानने का अवसर प्रदान करता है, क्योंकि इसने अरबों वर्ष पूर्व आकार लेना शुरू किया था और उस पर वे सामग्रियाँ मौजूद हो सकती हैं, जो पृथ्वी पर जीवन के लिये मददगार हैं।
 - गौरतलब है कि अरबों वर्षों पहले इसके निर्माण के बाद से बेन्नू में अधिक महत्त्वपूर्ण बदलाव नहीं आए हैं और इसिलये इसमें ऐसे रसायन तथा चट्टानें शामिल हो सकती हैं, जो सौर मंडल के जन्म के समय से यहाँ मौजूद हैं। साथ ही यह पृथ्वी के अपेक्षाकृत करीब भी है।

- ये सूर्य की परिक्रमा करने वाले चट्टानी पिंड हैं जो ग्रहों की तुलना में काफी छोटे होते हैं। इन्हें लघु ग्रह (Minor Planets) भी कहा जाता है।
- नासा के अनुसार, अब तक ज्ञात छुद्रग्रहों (4.6 बिलियन वर्ष पहले सौरमंडल के निर्माण के दौरान के अवशेष) की संख्या 9,94,383 है।
- छुद्रग्रहों को तीन श्रेणियों में विभाजित किया गया है:
 - ♦ पहली श्रेणी में वे छुद्रग्रह आते हैं जो मंगल तथा बृहस्पित के बीच छुद्रग्रह बेल्ट/पट्टी में पाए जाते हैं। अनुमानत: इस बेल्ट में 1.1-1.9 मिलियन छुद्रग्रह मौजूद हैं।
 - ♦ दूसरी श्रेणी के तहत ट्रोजन्स को शामिल किया गया है। ट्रोजन्स ऐसे छुद्रग्रह हैं जो एक बडे ग्रह के साथ कक्षा (Orbit) साझा करते हैं।
 - ♦ तीसरी श्रेणी पृथ्वी के निकट स्थित छुद्रग्रहों यानी नियर अर्थ एस्टेरोइड्स (NEA) की है जिनकी कक्षा ऐसी होती है जो पृथ्वी के निकट से होकर गुज़रती है। वे छुद्रग्रह जो पृथ्वी की कक्षा को पार कर जाते हैं उन्हें अर्थ क्रॉसर (Earth-crosser) कहा जाता है।
 - इस तरह के 10,000 से अधिक छुद्रग्रह ज्ञात हैं जिनमें से 1, 400 को संभावित खतरनाक छुद्रग्रह (Potentially Hazardous Asteroid-PHA) के रूप में वर्गीकृत किया गया है।
 - PHA ऐसे क्षुद्रग्रह होते हैं जिनके पृथ्वी के करीब से गुज़रने से पृथ्वी पर खतरा उत्पन्न होने की संभावना बनी रहती है।
 - PHA की श्रेणी में उन क्षुद्रग्रहों को रखा जाता है जिनकी 'न्यूनतम कक्षा अंतर दूरी' (Minimum Orbit Intersection Distance- MOID) 0.05 AU या इससे कम हो। साथ ही 'निरपेक्ष परिमाण' (Absolute Magnitude-H) 22.0 या इससे कम हो।
 - पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी को खगोलीय इकाई (Astronomical Unit-AU) से इंगित करते हैं।



पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण

वैश्विक वन लक्ष्य रिपोर्ट 2021: संयुक्त राष्ट्र

चर्चा में क्यों?

हाल ही में संयुक्त राष्ट्र (United Nation) द्वारा जारी 'वैश्विक वन लक्ष्य रिपोर्ट' (Global Forest Goals Report) 2021 के अनुसार कोविड-19 महामारी ने वनों के प्रबंधन में विभिन्न देशों के समक्ष आने वाली चुनौतियों को बढ़ा दिया है।

• इस रिपोर्ट को संयुक्त राष्ट्र के आर्थिक और सामाजिक मामलों के विभाग (Department of Economic and Social Affairs) द्वारा तैयार किया गया है। यह रिपोर्ट 'यूनाइटेड नेशन स्ट्रेटेजिक प्लान फॉर फॉरेस्ट' (United Nations Strategic Plan for Forests), 2030 में शामिल उद्देश्यों और लक्ष्यों की प्रगति पर समग्र अवलोकन प्रदान करती है।

प्रमुख बिंदु

रिपोर्ट के निष्कर्ष:

- कोविड-19 से प्रणालीगत भेद्यता और असमानता में बढ़ोतरी:
 - कोविड-19 सिर्फ एक स्वास्थ्य संकट से कहीं अधिक हमारे जीवन और आजीविका, गरीबी, असमानता और खाद्य सुरक्षा आदि विषयों को प्रभावित कर हमारे भविष्य पर खतरा उत्पन्न कर रहा है।
- वैश्विक उत्पादन पर कोविड-19 का प्रभाव:
 - ◆ यह अनुमान है कि विश्व सकल उत्पाद वर्ष 2020 में लगभग 4.3% तक गिर गया है। यह महामंदी के बाद से वैश्विक उत्पादन में सबसे बड़ी गिरावट है।
- कोविड-19 वनों द्वारा प्रदान लाइफलाइन को नुकसान पहुँचा रहा है:
 - लगभग 1.6 बिलियन या वैश्विक आबादी का 25% हिस्सा अपनी जीवन निर्वाह संबंधी आवश्यकताओं, आजीविका, रोजगार और आय के लिये वनों पर निर्भर है।
 - ग्रामीण क्षेत्रों के गरीबों में से लगभग 40% वनों और सवाना क्षेत्रों में रहते हैं और वैश्विक आबादी का लगभग 20% हिस्सा, विशेष रूप से महिलाएँ, बच्चे, भूमिहीन किसान तथा समाज के अन्य कमजोर वर्ग अपने भोजन एवं आय की जरूरतों को पूरा करने के लिये वनों पर निर्भर हैं।
- वन आश्रित जनसंख्या पर कोविड-19 का प्रभाव:
 - ♦ आर्थिक पिरपेक्ष में देखें तो वनों पर आश्रित आबादी की आय में कमी हुई है, इन्हें अपनी नौकरी खोनी पड़ी है और मौसमी रोजगार में संकुचन आदि चुनौतियों का भी का सामना करना पड़ा है।
 - ◆ सामाजिक रूप से इनमें से कई आबादी पहले से ही हाशिये पर हैं, जिनमें से अधिकांश सामाजिक-आर्थिक सुरक्षा का लाभ नहीं उठा पाते हैं।
 - कई वन आश्रित लोगों को विशेष रूप से दूरदराज और दुर्गम स्थानों पर निवास करने वाले लोगों को स्वास्थ्य सेवा तक पहुँचने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है।
- वनों पर अतिरिक्त दबाव:
 - महामारी संचालित स्वास्थ्य और सामाजिक-आर्थिक परिणामों से वनों पर दबाव बढ़ा है।
 - कोविड-19 के जोखिमों से अनेक स्वदेशी और स्थानीय समुदायों के वापस लौटने से भोजन, ईंधन, आश्रय एवं सुरक्षा के लिये वनों निर्भरता में बढोतरी दर्ज की गई है।

- जैव विविधता संकट:
 - ♦ 'जैव विविधता और पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं के लिये अंतर-सरकारी विज्ञान नीति मंच' (Intergovernmental Science-Policy Platform On Biodiversity and Ecosystem Services- IPBES) की 'जैव विविधता और पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं पर वैश्विक मूल्यांकन रिपोर्ट' (Global Assessment Report on Biodiversity and Ecosystem Services) के अनुसार वर्ष 1980 से वर्ष 2000 के बीच लगभग एक मिलियन प्रजातियों पर विलुप्त होने का खतरा था और लगभग 100 मिलियन हेक्टेयर उष्णकटिबंधीय वन खत्म हो गए।
 - जलवाय परिवर्तन परे विश्व की वन पारिस्थितिकी प्रणालियों और पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं की क्षमताओं को खतरे में डाल रहा है।
 - ♦ यद्यपि वन इन वैश्विक चुनौतियों के प्रकृति समाधान प्रदान करते रहे हैं, लेकिन वे स्वयं कभी भी इतने जोखिम में नहीं रहे हैं।

सुझाव:

- जलवायु और जैव विविधता संकट के साथ-साथ कोविड-19 महामारी से उबरने की राह स्वयं विश्व के जंगलों से जुड़ी हुई है।
 - वन और वन-आश्रित लोग इस समाधान का एक महत्त्वपूर्ण हिस्सा हैं।
- सतत् रूप से विकसित और प्रबंधित वन रोजगार, आपदा जोखिम में कमी करने के साथ-साथ खाद्य सुरक्षा और सामाजिक सुरक्षा को बढ़ा सकते हैं।
- वन जैव विविधता की रक्षा कर सकते हैं और जलवायु शमन तथा अनुकूलन दोनों को आगे बढ़ा सकते हैं।
- जंगलों की सुरक्षा और पुनर्स्थापना पर्यावरणीय कार्यों में से एक है ,जो भिवष्य में होने वाली बीमारी के प्रकोप के जोखिम को कम कर सकता
 है।
- इस रिपोर्ट में भविष्य में कोविड-19 महामारी, जलवायु परिवर्तन और जैव विविधता संकट के खतरे से निपटने हेतु स्थिर, वन प्रधान और समावेशी अर्थव्यवस्था के निर्माण के लिये आवश्यक कार्यवाही पर ज़ोर दिया गया है।

विश्व वन की स्थिति

- कुल वन क्षेत्र: वैश्विक वन संसाधन मूल्यांकन 2020 (FRA 2020) रिपोर्ट के अनुसार विश्व का कुल वन क्षेत्र 4.06 बिलियन हेक्टेयर है, जो कि कुल भूमि क्षेत्र का तकरीबन 31 प्रतिशत है। ध्यातव्य है कि यह क्षेत्र प्रति व्यक्ति 0.52 हेक्टेयर के समान है।
- फॉरेस्ट कवर में शीर्ष देश- विश्व के 54 प्रतिशत से अधिक वन केवल पाँच देशों (रूस, ब्राज़ील, कनाडा, अमेरिका और चीन) में ही मौजूद हैं।

भारत में वन

- भारत वन स्थिति रिपोर्ट, 2019 के अनुसार देश के भौगोलिक क्षेत्र का कुल वन और वृक्ष कवर 24.56% है।
- भारत में सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाले राज्य: मध्य प्रदेश> अरुणाचल प्रदेश> छत्तीसगढ़> ओडिशा> महाराष्ट्र।
- भारत की राष्ट्रीय वन नीति, 1988 में देश के 33% भौगोलिक क्षेत्र को वन और वृक्ष आच्छादित क्षेत्र के अंतर्गत रखने के लक्ष्य की परिकल्पना की गई है।

वनों के लिये संयुक्त राष्ट्र रणनीतिक योजना, 2017-2030

- इस योजना को स्थायी वन प्रबंधन को बढ़ावा देने और सतत् विकास के लिये एजेंडा-2030 (2030 Agenda for Sustainable Development) में वनों और वृक्षों के योगदान को बढ़ाने हेतु बनाया गया था।
- संयुक्त राष्ट्र फोरम फॉर फॉरेस्ट (UN Forum on Forest) के जनवरी 2017 में आयोजित एक विशेष सत्र में वनों के लिये पहली संयुक्त राष्ट्र रणनीतिक योजना पर समझौता किया गया था, जो वर्ष 2030 तक वैश्विक वनों पर एक महत्त्वाकांक्षी दृष्टिकोण प्रदान करती है।
- उद्देश्य और लक्ष्य: इसमें वर्ष 2030 तक प्राप्त होने वाले छ: वैश्विक वन लक्ष्यों और 26 संबद्ध लक्ष्यों का एक सेट शामिल है, जो स्वैच्छिक और सार्वभौमिक हैं।
 - ♦ इसमें वर्ष 2030 तक विश्व भर में वन क्षेत्र को 3% तक बढ़ाने का लक्ष्य शामिल है, अभी तक जिसमें 120 मिलियन हेक्टेयर की वृद्धि हुई है। यह क्षेत्र फ्राँस के आकार से दोगुना है।

• यह एजेंडा-2030 के लक्ष्य को आगे बढ़ाता है, जिसमें यह माना गया है कि वास्तविक परिवर्तन के लिये संयुक्त राष्ट्र प्रणाली के भीतर और बाहर निर्णायक तथा सामूहिक कार्रवाई की आवश्यकता है।

दिल्ली में वायु प्रदूषण

चर्चा में क्यों?

सफर (SAFAR- System of Air Quality and Weather Forecasting and Research) प्रणाली के अनुसार, हाल ही में दिल्ली की वायु गुणवत्ता 'मध्यम' से 'खराब' और 'बहुत खराब' स्तर पर पहुँच गई है।

प्रमुख बिंदु

खराब होते वायु गुणवत्ता के कारणः

- दिल्ली की हवा आमतौर पर अक्तूबर-नवंबर माह में प्रदूषित और मार्च-अप्रैल माह तक साफ हो जाती है। वर्तमान मौसम की स्थिति सर्दियों के विपरीत प्रतिकृल नहीं है।
 - ♦ सर्दियों के दौरान ठंडा और स्थिर मौसम विशेष रूप से इंडो-गंगा के मैदान में स्थित उत्तर भारतीय शहरों में दैनिक प्रदूषण फैलता है।
- स्थानीय उत्सर्जन के अलावा हवा की गुणवत्ता में गिरावट का प्रमुख कारण उत्तर भारत में पराली जलाने की घटनाओं में वृद्धि को भी माना जा रहा है।
- दिल्ली में वायु प्रदूषण के प्रमुख कारण:
 - शहर की लैंडलॉक भौगोलिक स्थित।
 - पड़ोसी राज्यों (पंजाब, हरियाणा और राजस्थान) में पराली जलाने की घटनाएँ।
 - वाहन उत्सर्जन।
 - औद्योगिक प्रदूषण।
 - बड़े पैमाने पर निर्माण गतिविधियाँ।

चिंताएँ:

- कोविड-19 के मामलों और इससे होने वाली मौतों की बढ़ती संख्या के बीच हवा की गुणवत्ता का खराब होना चिंताजनक है।
- दिल्ली को विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट (World Air Quality report), 2020 में 10वें सबसे प्रदूषित शहर और विश्व के शीर्ष प्रदूषित राजधानी शहर के रूप में सूचीबद्ध किया गया है।
 - ♦ हालाँकि, दिल्ली की वायु गुणवत्ता में वर्ष 2019 से वर्ष 2020 के बीच लगभग 15% का सुधार दर्ज किया गया है।
- ग्रीनपीस (गैर-सरकारी संगठन) ने जुलाई, 2020 में किये गए अपने एक अध्ययन में पाया था कि दिल्ली को सख्त लॉकडाउन के बावजूद
 28 वैश्विक शहरों में वायु प्रदूषण से सबसे अधिक आर्थिक नुकसान हुआ था और वर्ष 2020 की पहली छमाही में इसके कारण 24,000 लोगों की मृत्यु हुई थी।
- ग्लोबल स्टेट ऑफ ग्लोबल एयर, 2020 के मुताबिक, भारत में वर्ष 2019 में बाह्य और घरेलू (इनडोर) वायु प्रदूषण के कारण स्ट्रोक, दिल का दौरा, मधुमेह, फेफड़ों के कैंसर, फेफड़ों के पुराने रोगों और नवजात रोगों से 1.67 मिलियन से अधिक लोगों की मृत्यु हुई थी।

उठाये गए प्रमुख कदम:

- सरकार टर्बो हैप्पी सीडर (Turbo Happy Seeder-THS) खरीदने के लिये किसानों को सब्सिडी दे रही है, यह ट्रैक्टर के साथ लगाई जाने वाली एक प्रकार की मशीन होती है, जो पेड़ों की ठूँठ को उखाड़ फेंकती है।
- BS-VI वाहनों की शुरूआत, इलेक्ट्रिक वाहनों (EV) के लिये प्रोत्साहन, एक आपातकालीन उपाय के रूप में ऑड-ईवन और वाहनों को प्रदूषण कम करने के लिये पूर्वी और पश्चिमी परिधीय एक्सप्रेसवे का निर्माण।
- ग्रेडेड रेस्पांस एक्शन प्लान (Graded Response Action Plan) का कार्यान्वयन। इस आपातकालीन योजना के तहत शहर की वायु गुणवत्ता के आधार पर कड़े कदम उठाए जाते हैं।

• केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (Central Pollution Control Board) के तत्वावधान में सार्वजनिक सूचना के लिये राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता सूचकांक (National Air Quality Index) का विकास।

'वायु गुणवत्ता और मौसम पूर्वानुमान तथा अनुसंधान प्रणाली'- सफर

- यह पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय (Ministry of Earth Science) द्वारा महानगरों के किसी स्थान-विशिष्ट के समग्र प्रदूषण स्तर और वायु गुणवत्ता को मापने के लिये शुरू की गई एक राष्ट्रीय पहल है।
- यह भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान (Indian Institute of Tropical Meteorology- IITM) पुणे द्वारा निर्मित एक स्वदेशी प्रणाली है, जिसका संचालन भारत मौसम विभाग (India Meteorological Department-IMD) द्वारा किया जाता है।
- इस परियोजना का अंतिम उद्देश्य आम जनता के बीच अपने शहर में वायु गुणवत्ता के बारे में जागरूकता बढ़ाना है, तािक उचित शमन उपाय और व्यवस्थित कार्रवाई की जा सके।
- सफर, दिल्ली में भारत की पहली वायु गुणवत्ता आरंभिक चेतावनी प्रणाली (Air Quality Early Warning System) का एक अभिन्न अंग है।
- यह मौसम के सभी मापदंडों जैसे- तापमान, वर्षा, आर्द्रता, हवा की गित एवं दिशा, पराबैंगनी किरणों और सौर विकिरण आदि की निगरानी करता है।
- निगरानी किये जाने वाले प्रदूषक: पीएम2.5, पीएम10, ओजोन, कार्बन मोनोऑक्साइड (CO), नाइट्रोजन ऑक्साइड (NOx), सल्फर डाइऑक्साइड (SO2), बेंज़ीन, टोल्यूनि, जाइलीन और मरकरी।

आगे की राह

- धान के विपरीत गेहूँ के पराली को कम जलाया जाता है, क्योंिक इसके ठूँठ का प्रबंधन तुलनात्मक रूप से आसान है और इसके भूसे का किसानों द्वारा पशु आहार के रूप में इस्तेमाल कर लिया जाता है।
- अत: दिल्ली को वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिये पराली जलाने की घटनाओं पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय स्थानीय उत्सर्जन को देखना चाहिये।
- स्वच्छ वायु में साँस लेना प्रत्येक भारतीय नागरिक का मौलिक अधिकार है। इसलिये वायु प्रदूषण से निपटने के लिये मानव स्वास्थ्य को प्राथमिकता देनी चाहिये।

वित्तीय क्षेत्र और जलवायु परिवर्तन

चर्चा में क्यों?

हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) 'नेटवर्क फॉर ग्रीनिंग द फाइनेंशियल सिस्टम' (NGFS) में शामिल हुआ है।

• RBI को NGFS की सदस्यता से लाभ मिलने की उम्मीद है, क्योंकि इससे रिज़र्व बैंक को सीखने और हरित या जलवायु वित्त संबंधी वैश्विक प्रयासों में योगदान देने का अवसर प्राप्त होगा। ज्ञात हो कि बीते कुछ समय में जलवायु परिवर्तन के संदर्भ में हरित वित्त की महत्ता बढ़ी है।

नेटवर्क फॉर ग्रीनिंग द फाइनेंशियल सिस्टम (NGFS)

- यह केंद्रीय बैंकों और पर्यवेक्षक प्राधिकारियों का एक वैश्विक समूह है, जो अधिक सतत् वित्तीय व्यवस्था का समर्थन करता है।
- इसका उद्देश्य वित्तीय प्रणाली के लिये जलवायु पिरवर्तन के पिरणामों का विश्लेषण करना और निम्न-कार्बन आर्थिक विकास को सक्षम करने के लिये वैश्विक वित्तीय प्रवाह को पुनर्निर्देशित करना है।
- इसे दिसंबर 2017 में पेरिस में आयोजित 'वन प्लैनेट सिमट' (One Planet Summit) के दौरान बनाया गया और इसका सिचवालय बैंक्य डी फ्राँस (Banque de France) द्वारा संचालित है।

जलवायु वित्त

- जलवायु वित्त ऐसे स्थानीय, राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय वित्तपोषण को संदर्भित करता है, जो कि सार्वजनिक, निजी और वैकल्पिक वित्तपोषण स्रोतों से प्राप्त किया गया हो।
- यह ऐसे शमन और अनुकूलन संबंधी कार्यों का समर्थन करता है जो जलवायु परिवर्तन संबंधी समस्याओं का निराकरण करेंगे।

प्रमुख बिंदु

जलवाय परिवर्तन से वित्तीय स्थिरता को जोखिम:

- जलवायु परिवर्तन से वित्तीय स्थिरता में उत्पन्न जोखिम इस प्रकार है:
 - भौतिक जोखिम: चरम और धीमी मौसम की घटनाओं के कारण उत्पन्न जोखिम।
 - ट्रांजीशन जोखिम : निम्न-कार्बन अर्थव्यवस्था में पिरवर्तन करते हुए नीति, कानूनी और नियामक ढाँचे, उपभोक्ता वरीयताओं और तकनीकी विकास में बदलाव के कारण उत्पन्न जोखिम।
 - उदाहरण:
 - कई जलवायु अनुमानों के तहत जलवायु परिवर्तन से समुद्र स्तर में बढ़ोतरी और तूफान की तीव्रता में वृद्धि हो सकती है।
 - इन प्रभावों के परिणामस्वरूप तटीय भूमि पर बाढ़ में वृद्धि हो सकती है, जो या तो इस क्षेत्रों पर मौजूदा संरचनाओं को नुकसान पहुँचाएगा या इनकी निरंतर उत्पादक उपयोग के लिये निवेश और अनुकूलन की आवश्यकता को बढ़ाएगा।
 - जैसे-जैसे यह बाढ़ आती है, तटीय अचल संपत्ति के अपेक्षित मूल्य में कमी हो सकती है जिसके कारण अचल संपत्ति ऋणों, बंधक-समर्थित प्रतिभूतियों, उस संपत्ति का उपयोग करने वाली फर्मों की लाभप्रदता पर जोखिम उत्पन्न होता है और साथ ही राज्य तथा स्थानीय सरकारों के कर राजस्व में गिरावट होती है और उपचारात्मक लागतों में वृद्धि होती है।
- विश्व आर्थिक मंच (WEF) की वैश्विक जोखिम रिपोर्ट, 2021 में जलवायु कार्यवाही की विफलता तथा संक्रामक रोगों को सबसे गंभीर दीर्घकालिक जोखिम के रूप में पहचाना गया है।

भारत की स्थिति:

- विश्व बैंक की एक रिपोर्ट का अनुमान है कि जलवायु परिवर्तन के कारण वर्ष 2050 तक भारत के सकल घरेलू उत्पाद में कुल 1,178
 बिलियन अमेरिकी डॉलर का नुकसान हो सकता है।
- RBI ने जलवायु परिवर्तन से निपटने और सतत् व निम्न कार्बन विकास की दिशा में परिवर्तन लाने हेतु अधिक मात्रा में निवेश करने के लिये आवश्यक जलवायु-संबंधी वित्तीय प्रकटीकरण और निजी हरित वित्त के महत्त्व को इंगित किया है।
- 'शक्ति फाउंडेशन' नामक गैर-लाभकारी संस्था द्वारा बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (BSE) में सूचीबद्ध 100 कंपनियों के एक अध्ययन में पाया गया कि उनमें से अधिकांश भारतीय कंपनियाँ प्रासंगिक विशेषज्ञता की कमी, आवश्यक उपकरणों तथा विधियों तक सीमित पहुँच और सीमित विषय विशेषज्ञता के कारण जलवायु परिवर्तन प्रकटीकरण के मामले में काफी पीछे हैं।

संबंधित पहले:

- जलवायु-संबंधी वित्तीय प्रकटीकरण पर कार्य बल (TFCD):
 - ◆ जलवायु-संबंधी वित्तीय प्रकटीकरण पर कार्य बल (TFCD) को वित्तीय स्थिरता बोर्ड (FSB) द्वारा वर्ष 2015 में जलवायु संबंधी वित्तीय जोखिम की प्रकटीकरण निरंतरता को विकसित करने के लिये बनाया गया था। यह कंपनियों, बैंकों और निवेशकों द्वारा हितधारकों को जानकारी प्रदान करता है।
 - ◆ TFCD ने निजी क्षेत्र को जलवायु सकारात्मक कार्रवाई में योगदान देने के लिये प्रेरित करने और उन्हें जलवायु जोखिमों के प्रति लचीला बनाए जाने की सिफारिश की है।
 - ♦ इसकी सिफारिशों को अब व्यापक रूप से वैश्विक व्यापार स्थिरता रिपोर्ट फ्रेमवर्क के लिये एक मानक के रूप में मान्यता प्राप्त है, जो
 कॉर्पोरेट जलवायु प्रकटीकरण के लिये मानकीकृत और विस्तृत दिशा-निर्देश प्रदान करता है।
 - ♦ TFCD के लिये लगभग 32 भारतीय संगठनों ने हस्ताक्षर किये हैं, जिसमें महिंद्रा ग्रुप, विप्रो आदि शामिल हैं।

• हाल ही में न्यूज़ीलैंड जलवायु परिवर्तन के संबंध में कानून बनाने वाला पहला देश बन गया है। न्यूज़ीलैंड का यह कानून वित्तीय कंपनियों के लिये जलवायु-संबंधी जोखिमों की रिपोर्ट करना अनिवार्य बनाता है।

आगे की राह

- आर्थिक वसूली के साथ जलवायु-संरेखित संरचनात्मक परिवर्तन को पूरी तरह से एकीकृत करना एकमात्र तरीका है, जिसमें निजी वित्त में
 भारी वृद्धि के साथ पूरे वित्त प्रणाली में एक बुनियादी परिवर्तन की आवश्यकता है।
- भारत सरकार को सभी वित्तीय वक्तव्यों में जलवायु-संबंधी प्रकटीकरण को मानकीकृत और अनिवार्य करने के लिये दिशा-निर्देशों और नियमों को लागू करने की आवश्यकता है और निजी कंपनियों और वित्तीय संस्थानों को अपने घोषणापत्र और संचालन में जलवायु जोखिमों के संभावित खतरों को प्रबंधित करने के लिये आगे आना चाहिये।
- इससे न केवल जलवायु परिवर्तन के भौतिक व ट्रांजीशन संबंधी जोखिमों का सामना करने के लिये भारतीय कंपनियों को लचीलापन बढ़ाने में मदद मिलेगी, बल्कि 'ग्रीनवाशिंग' को कम करते हुए अधिक-से-अधिक जलवायु वित्त प्रवाह को सुविधाजनक बनाने में भी मदद मिलेगी।

एशियाई शेर

चर्चा में क्यों?

हाल ही में हैदराबाद के नेहरू प्राणी उद्यान (Nehru Zoological Park) में आठ एशियाई शेरों (Asiatic Lion) में कोविड-19 संक्रमण की पुष्टि हुई है।

- यह भारत में इस प्रकार का पहला ज्ञात मामला है।
- इससे पूर्व वर्ष 2020 में बाघ के कोविड-19 से संक्रमित होने की सूचना न्यूयॉर्क (ब्रोंक्स चिड़ियाघर) में दर्ज की गई थी।

प्रमुख बिंदु

एशियाई शेर के विषय में:

- एशियाई शेर, जिसे फारसी शेर या भारतीय शेर के नाम से भी जाना जाता है, पैंथेरा लियो पर्सिका (Panthera Leo Persica) उप-प्रजाति का सदस्य है, जो कि मूलत: भारत तक सीमित है।
 - पूर्व में ये पश्चिम और मध्य पूर्व एशिया में भी पाए जाते थे, लेकिन इन क्षेत्रों में आवासीय क्षित के कारण ये विलुप्त हो गए।
- एशियाई शेर, अफ्रीकी शेरों की तुलना में थोड़े छोटे होते हैं।
- एशियाई शेरों में पाए जाने वाली सबसे महत्त्वपूर्ण रूपात्मक विशेषता यह है कि उनके पेट की त्वचा पर विशिष्ट लंबवत फोल्ड होते हैं। यह विशेषता अफ्रीकी शेरों में काफी दुर्लभ होती है।

वितरण:

- एशियाई शेर एक समय में पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश और मध्य भारत के पारिस्थितिकी पर्यावास में पाए जाते थे।
- वर्तमान में गिर राष्ट्रीय उद्यान और वन्यजीव अभयारण्य (Gir National Park and Wildlife Sanctuary) एशियाई शेर का एकमात्र निवास स्थान है।
 - गुजरात वन विभाग ने वर्ष 2020 में गिर वन क्षेत्र में एशियाई शेरों की आबादी में वृद्धि दर्ज की थी।

संकट:

इन शेरों को प्राकृतिक आपदा, अवैध शिकार, मानव-पशु संघर्ष आदि से खतरा है।

संरक्षण की स्थिति:

- IUCN की रेड लिस्ट: लुप्तप्राय
- CITES: परिशिष्ट I
- वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम 1972: अनुसूची I

संरक्षण के प्रयास:

- केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (MoEFCC) द्वारा 'एशियाई शेर संरक्षण परियोजना' (Asiatic Lion Conservation Project) शुरू की गई है।
- इसे वर्ष 2018 से वर्ष 2021 तक तीन वित्तीय वर्षों के लिये अनुमोदित किया गया है।
- यह पिरयोजना रोग नियंत्रण और चिकित्सकीय देखभाल हेतु बहु-क्षेत्रीय एजेंसियों के साथ समुदायों की भागीदारी के माध्यम से वैज्ञानिक प्रबंधन द्वारा एशियाई शेरों के समग्र संरक्षण की पिरकल्पना करती है।

नेहरू प्राणी उद्यान

- यह उद्यान भारत के सबसे बड़े चिड़ियाघरों और हैदराबाद के शीर्ष दर्शनीय स्थलों में से एक है। तेलंगाना सरकार के वन विभाग द्वारा संचालित इस चिडियाघर का नाम देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के नाम पर रखा गया है।
- इसे वर्ष 1963 में जनता के लिये खोला गया था।
- यह ऐतिहासिक रूप से महत्त्वपूर्ण 'मीर आलम टैंक' के पास स्थित है, जो कि 200 वर्ष पुराना है और विश्व का पहला बहु-आर्क चिनाई (Multi-Arch Masonry) वाला बाँध है।

पुलायार समुदाय और अन्नामलाई टाइगर रिज़र्व

चर्चा में क्यों?

तमिलनाडु के अन्नामलाई टाइगर रिजर्व (Anamalai Tiger Reserve) की सीमा में स्थित पुलायार समुदाय की दो आदिवासी बस्तियों (कट्टूपट्टी और कुझिपट्टी) के लोग स्थानीय देवता, वीरपट्टन (Vairapattan) के वार्षिकोत्सव की तैयारी में लग गए हैं।

प्रमुख बिंदुः

पुलायार समुदाय के बारे में:

- पुलायार, जिसे पुलाया या होल्या भी कहा जाता है, केरल, कर्नाटक और तिमलनाडु में पाए जाने वाले प्रमुख सामाजिक समूहों में से एक हैं।
- पुलायार समुदाय को केरल और तिमलनाडु में अनुसूचित जाति (Scheduled Caste) के रूप में सूचीबद्ध किया गया है।
- पुलायास अपने संगीत, शिल्प कौशल और कुछ विशिष्ट नृत्य के लिये जाने जाते हैं, जिनमें शामिल हैं,
 - कुलाम-थुल्लल (Kōlam-thullal) एक मुखौटा नृत्य (Mask Dance) है, जो इनके जादू टोना या झाड़-फूँक अनुष्ठानों (Exorcism rituals) का एक हिस्सा है।
 - ♦ मुदी-अट्टम (Mudi-āttam) नृत्य का उद्भव प्रजनन अनुष्ठान से माना जाता है।
- महात्मा अय्यंकाली (Mahatma Ayyankali) को 'पुलया राजा' (Pulaya King) कहा था।
 - ♦ वर्ष 1893 में अय्यनकाली ने कुछ विशिष्ट हिंदू जातियों द्वारा सार्वजिनक सड़कों के प्रयोग पर तथाकथित अछूतों को 'प्रतिबंधित' करने को चुनौती दी और सड़क पर बैलगाड़ी की सवारी करने विरोध दर्ज करवाया।
 - अय्यनकली ने पुलायार समुदाय के अधिकारों की वकालत की और अय्यनकाली के नेतृत्व में हुए विरोध प्रदर्शनों के कारण ही वर्ष 1907
 में तथाकथित अछूत माने जाने वाले समुदायों के बच्चों को सरकारी स्कूलों में दाखिल करने का फरमान जारी किया गया।

अन्नामलाई टाइगर रिज़र्व:

- यह तमिलनाडु के चार टाइगर रिज़र्व में से एक है। यह दक्षिणी पश्चिमी घाट (Southern Western Ghats) का हिस्सा है।
- यह वर्ष 2003 में घोषित अनामलाई परंबिकुलम एलीफेंट रिजर्व (Anamalai Parambikulam Elephant Reserve) का हिस्सा है।
- यह पूर्व में चिनार वन्यजीव अभयारण्य और दक्षिण-पश्चिमी में एराविकुलम नेशनल पार्क (Eravikulam National Park) तथा परिम्बकुलम टाइगर रिजर्व (Parambikulam Tiger Reserve) से घिरा हुआ है।

- यह रिज़र्व केरल के नेनमारा वाजचल, मलयत्तुर और मरयूर आरक्षित वनों से भी घिरा हुआ है।
- इस अभयारण्य में पाई जाने वाली पर्वत श्रेणियों में अमरावती (Amaravathi), उदुमलपेट (Udumalpet) पोलाची (Pollachi), उलेडी (Ulandy) और वलपरई आदि शामिल हैं।

मानवीय विविधताः

- इस क्षेत्र में 3400 बस्तियों में रहने वाले छह जनजातियों के 4600 से अधिक आदिवासी लोगों की महत्त्वपूर्ण मानवीय विविधता पाई जाती है।
 - 🔷 इन जनजातियों में कादर, मालासर, मलमलसर , पुलायार, मुदुवर और एरावलान शामिल हैं।

वनस्पतिः

 इसमें नम सदाबहार वन (Wet Evergreen Forest) और अर्द्ध-सदाबहार वन (Semi-Evergreen Forest), मोंटाने घास के मैदान (Montane Grasslands), नम पर्णपाती (Moist Deciduous), शुष्क पर्णपाती (Dry Deciduous), कांटेदार वन (Thorn Forests) और दलदल (Marshes) शामिल हैं।

जीव-जंतुः

• यहाँ पाए जाने वाले महत्त्वपूर्ण स्तनधारियों में एशियाई हाथी, सांभर, चित्तीदार हिरण, बार्किंग हिरण, माउस हिरण, गौर, नीलिगिरि तहर, बाघ, आदि शामिल हैं।

तमिलनाडु में अन्य संरक्षित क्षेत्र:

मुद्रमलाई टाइगर रिज़र्व

- कालक्कड़ मुंडनथुराई टाइगर रिजर्व
- सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व
- नीलिगिरि बायोस्फीयर रिजर्व
- मुकुर्ती राष्ट्रीय उद्यान
- समुद्री राष्ट्रीय उद्यान, मन्नार की खाड़ी
- गुइंडी नेशनल पार्क

ठाणे क्रीक फ्लेमिंगो अभयारण्य के आस-पास पर्यावरण संवेदी क्षेत्र

चर्चा में क्यों?

हाल ही में पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (MoEFCC) ने ठाणे क्रीक फ्लेमिंगो अभयारण्य (TCFS) महाराष्ट्र के आस-पास एक पर्यावरण संवेदी क्षेत्र (Eco Sensitive Zone- ESZ) अधिसूचित किया है।

• ESZ का अर्थ संरक्षित क्षेत्रों के लिये एक बफर के रूप में कार्य करना और एक वन्यजीव अभयारण्य या राष्ट्रीय उद्यान के आस-पास विकास के दबाव को कम करना है।

प्रमुख बिंदुः

ठाणे क्रीक फ्लेमिंगो अभयारण्य के संबंध में:

- यह मालवन अभयारण्य (Malvan Sanctuary) के बाद महाराष्ट्र का दूसरा समुद्री अभयारण्य है और ठाणे क्रीक के पश्चिमी तट पर स्थित है।
- इसे बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी द्वारा एक "महत्त्वपूर्ण पक्षी क्षेत्र" के रूप में मान्यता प्राप्त है।
- ठाणे क्रीक फ्लेमिंगो अभयारण्य में मैन्प्रोव की 39 प्रजातियाँ पाई जाती हैं इसके अलावा यह फ्लेमिंगो जैसे पिक्षयों की 167 प्रजातियों, मछली की 45 प्रजातियों, तितिलयों की 59 प्रजातियों, कीट की 67 प्रजातियों और सबमें सियार जैसे स्तनधारी जानवरों का निवास स्थान है।

ठाणे क्रीकः

- यह अरब सागर की तटरेखा पर स्थित एक प्रवेश द्वार (Inlet) है जो मुंबई शहर को भारतीय मुख्य भूमि से अलग करता है।
- क्रीक को दो भागों में विभाजित किया गया है: घोड़बंदर-ठाणे स्ट्रेच और ठाणे-ट्रॉम्बे (उरण) स्ट्रेच।

महाराष्ट्र के अन्य संरक्षित क्षेत्र:

- संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान
- ताडोबा-अंधारी टाइगर रिज़र्व
- कोयना वन्यजीव अभयारण्य
- बोर वन्यजीव अभयारण्य
- उमरेड पौनी करहंडला वन्यजीव अभयारण्य
- सह्याद्री टाइगर रिज़र्व
- मेलघाट टाइगर रिज़र्व
- नवेगांव राष्ट्रीय उद्यान

पर्यावरण संवेदी क्षेत्र (ESZ):

- इसके संदर्भ में:
 - ◆ इको-सेंसिटिव जोन (ESZ) या पर्यावरण संवेदी क्षेत्र, संरक्षित क्षेत्रों, राष्ट्रीय उद्यानों और वन्यजीव अभयारण्यों के आसपास 10 किलोमीटर के भीतर के क्षेत्र हैं।
 - संवेदनशील गलियारे, संपर्क और पारिस्थितिक रूप से महत्त्वपूर्ण खंडों और प्राकृतिक संयोजन के लिये महत्त्वपूर्ण क्षेत्र होने की स्थिति में 10 किमी. से अधिक क्षेत्र को भी इको-सेंसिटिव जोन में शामिल किया जा सकता है।
- संबंधित मंत्रालयः
 - ESZ को पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 के तहत पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (MoEFCC) द्वारा अधिसूचित किया जाता है।
- उद्देश्य:
 - ◆ इनका मूल उद्देश्य राष्ट्रीय उद्यानों और वन्यजीव अभयारण्यों के आस-पास कुछ गतिविधियों को नियंत्रित करना है तािक संरक्षित क्षेत्रों की निकटवर्ती संवेदनशील पारिस्थितिक तंत्र पर ऐसी गतिविधियों के नकारात्मक प्रभाव को कम किया जा सके।
- ESZ में गतिविधियों का विनियमन:
 - ♦ प्रतिबंधित गितविधियाँ: वाणिज्यिक खनन, मिलों, उद्योगों के कारण होने वाले प्रदूषण (वायु, जल, मिट्टी, शोर आदि), प्रमुख जलिवद्युत पिरियोजनाओं की स्थापना (HEP), लकड़ी का व्यावसायिक उपयोग, राष्ट्रीय उद्यान के ऊपर गर्म हवा के गुब्बारे जैसी पर्यटन गितिविधियाँ, निर्वहन अपशिष्ट या किसी भी ठोस अपशिष्ट या खतरनाक पदार्थों का उत्पादन जैसी गितिविधयाँ।
 - ◆ विनियमित गतिविधियाँ: वृक्षों की कटाई, होटल और रिसॉर्ट्स की स्थापना, प्राकृतिक जल संसाधनों का वाणिज्यिक उपयोग, बिजली के तारों का निर्माण, कृषि प्रणाली का व्यापक परिवर्तन आदि।
 - अनुमत गतिविधियाँ: कृषि या बागवानी प्रथाओं, वर्षा जल संचयन, जैविक खेती, नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों का उपयोग, सभी गतिविधियों
 के लिये हरित प्रौद्योगिकी को अपनाने आदि की अनुमित होती है।
- लाभ:
 - ♦ इको-सेंसिटिव जोन (ESZ) घोषित करने का उद्देश्य संरक्षित क्षेत्र और उसके आसपास के क्षेत्रों की गतिविधियों को विनियमित और प्रबंधित करके संभावित जोखिम को कम करना है।
 - ये उच्च सुरक्षा वाले क्षेत्रों से कम सुरक्षा वाले क्षेत्रों में संक्रमण क्षेत्र के रूप में भी कार्य करते हैं।

- ◆ ESZs इन-सीटू (स्व-स्थाने) संरक्षण में मदद करते हैं, जो अपने प्राकृतिक आवास में एक लुप्तप्राय प्रजाति के संरक्षण से संबंधित है, उदाहरण के लिये काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, असम के एक-सींग वाले गैंडे का संरक्षण।
- ♦ इसके अलावा ESZs, वन क्षय और मानव-पशु संघर्ष को कम करते हैं।
- चुनौतियाँ:
 - ♦ जलवायु परिवर्तन: वैश्विक तापमान में वृद्धि ने ESZs पर भूमि, जल और पारिस्थितिक तनाव उत्पन्न किया है।
 - ◆ स्थानीय समुदाय: कृषि में उपयोग की जाने वाली स्लैश और बर्न तकनीक, बढ़ती आबादी का दबाव तथा जलावन की लकड़ी एवं वन उपज की बढ़ती मांग आदि इन संरक्षित क्षेत्रों पर दबाव डालती है।

वैश्विक मीथेन आकलनः मीथेन उत्सर्जन कम करने के लाभ और लागत

चर्चा में क्यों?

हाल ही में वैश्विक मीथेन आकलन: मीथेन उत्सर्जन कम करने के लाभ और लागत (Global Methane Assessment: Benefits and Costs of Mitigating Methane Emission) नामक एक रिपोर्ट में सुझाव दिया गया कि विश्व को जलवायु परिवर्तन (Climate Change) से बचने के लिये अपने मीथेन उत्सर्जन में अत्यधिक कटौती करने की आवश्यकता है।

• इस रिपोर्ट को जलवायु और स्वच्छ वायु संघ (Climate and Clean Air Coalition) तथा संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम (United Nations Environment Programme- UNEP द्वारा जारी किया गया था।

मीथेन

मीथेन के विषय में:

- मीथेन गैस पृथ्वी के वायुमंडल में कम मात्रा में पाई जाती है। यह सबसे सरल हाइड्रोकार्बन है, जिसमें एक कार्बन परमाणु और चार हाइड्रोजन परमाणु (CH4) शामिल होते हैं। मीथेन एक शक्तिशाली ग्रीनहाउस गैस (Greenhouse Gas) है। यह एक ज्वलनशील गैस है जिसे पूरे विश्व में ईंधन के रूप में उपयोग किया जाता है।
- इसका निर्माण कार्बनिक पदार्थ के टूटने या क्षय से होता है। इसे आईभूमियों, मवेशियों, धान के खेत जैसे प्राकृतिक और कृत्रिम माध्यमों द्वारा वातावरण में उत्सर्जित किया जाता है।

मीथेन का प्रभाव:

- मीथेन कार्बन की तुलना में 84 गुना अधिक शक्तिशाली गैस है और यह वायुमंडल में लंबे समय तक नहीं रहती है। इसके उत्सर्जन को अन्य ग्रीनहाउस गैसों की तुलना में कम करके ग्लोबल वार्मिंग को ज्यादा कम किया जा सकता है।
- यह जमीनी स्तर के ओजोन (Ozone) को खतरनाक वायु प्रदूषक बनाने के लिये जिम्मेदार है।

प्रमुख बिंदु

वर्तमान स्थितिः

- 🕨 वर्ष 1980 के दशक के बाद से मानव-निर्मित मीथेन का उत्सर्जन किसी अन्य समय की तुलना में तेज़ी से बढ़ रहा है।
- कोविड-19 महामारी के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड का स्तर गिरा है। हालाँकि वातावरण में मीथेन पिछले वर्ष रिकॉर्ड स्तर पर पहुँच गया
 था।
- यह चिंता का कारण है क्योंिक यह पूर्व-औद्योगिक समय से लगभग 30% ग्लोबल वार्मिंग के लिये जिम्मेदार था।
 मीथेन उत्सर्जन को इसके प्रमुख स्रोतों से कम करना:
- जीवाश्म ईंधन:
 - ♦ कुल मीथेन उत्सर्जन में तेल और गैस निष्कर्षण, प्रसंस्करण तथा वितरण जैसे जीवाश्म ईंधन क्षेत्र 23% तक जिम्मेदार है। कोयला खनन से मीथेन उत्सर्जन 12% तक होता है।

- ♦ जीवाश्म ईंधन उद्योग के पास कम लागत वाली मीथेन कटौती की सबसे बडी क्षमता है, तेल और गैस उद्योग में 80% तक उपायों को नकारात्मक या कम लागत पर लागू किया जा सकता था।
- ◆ इस क्षेत्र में लगभग 60% मीथेन कटौती आर्थिक रूप से लाभदायक हो सकती है क्योंकि इसके रिसाव को कम करने से बिक्री हेत् अधिक गैस उपलब्ध होगी।
- अपशिष्ट:
 - अपशिष्ट क्षेत्र में लगभग 20% उत्सर्जन लैंडिफल और अपशिष्ट जल से होता है।
 - अपशिष्ट क्षेत्र पूरे विश्व में सीवेज के निपटान में सुधार करके मीथेन उत्सर्जन में कटौती कर सकता है।
- कृषि:
 - 🔷 कुल मीथेन उत्सर्जन में पशुओं के अपशिष्ट से बने खाद और आंत्र किण्वन का लगभग 32% और धान की खेती का 8% हिस्सा है।
 - अगले कुछ दशकों में प्रति वर्ष 65-80 मिलियन टन मीथेन उत्सर्जन को कम करने में खाद्य अपशिष्ट और नुकसान को कम करना. पशुधन प्रबंधन में सुधार तथा स्वस्थ आहार को अपनाना ये तीन व्यवहार परिवर्तन मदद कर सकते हैं।

क्षेत्र-वार उत्पर्जन में कमी :

- यरोपः
 - 🔷 यहाँ खेती से मीथेन उत्सर्जन पर अंकुश लगाने की बडी संभावना है साथ ही जीवाश्म ईंधन संचालन और अपशिष्ट प्रबंधन में भी यह क्षमता है।
 - यूरोपीय आयोग ने यूरोपीय संघ मीथेन रणनीति (European Union Methane Strategy) को अपनाया था।
- - यहाँ अपशिष्ट क्षेत्र में मीथेन उत्सर्जन को कम करने की सबसे बड़ी क्षमता है।
- चीन:
 - मीथेन शमन क्षमता कोयला उत्पादन और पशुधन में सबसे अच्छी थी।
- अफ्रीका:
 - यहाँ के पशुधन में मीथेन उत्सर्जन को कम करने की क्षमता सबसे अधिक है, इसके बाद तेल और गैस क्षेत्र हैं।

आवश्यकता और लाभ:

- जलवायु परिवर्तन के बुरे प्रभावों से बचने के लिये मानव जिनत मीथेन उत्सर्जन में 45% की कटौती की जानी चाहिये।
- इस तरह की कटौती से वर्ष 2045 तक ग्लोबल वार्मिंग में 0.3 डिग्री सेल्सियस तक की वृद्धि को रोका जा सकेगा। यह वार्षिक रूप से समय से पूर्व होने वाली 260,000 लाख मौतों, 7,75,000 लाख अस्थमा से संबंधित मरीजों के साथ-साथ 25 मिलियन टन फसल के नुकसान को भी रोक सकता है।
- मीथेन उत्सर्जन में कटौती से निकट भविष्य में वार्मिंग की दर में तेज़ी से कमी आ सकती है।

इस संदर्भ में भारत की पहलें:

समुद्री शैवाल आधारित पशु चारा:

सेंट्रल साल्ट एंड मरीन केमिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट (Central Salt & Marine Chemical Research Institute) ने देश के तीन प्रमुख संस्थानों के साथ मिलकर एक समुद्री शैवाल आधारित पशु आहार विकसित किया है, जिसका उद्देश्य मवेशियों से मीथेन उत्सर्जन कम करना है और मवेशियों तथा मुर्गी पालन में प्रतिरक्षा को बढ़ावा देना है।

भारत का ग्रीनहाउस गैस कार्यक्रम:

इंडिया GHG कार्यक्रम डब्ल्युआरआई इंडिया (WRI India- गैर लाभकारी संगठन), कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री (CII) और द एनर्जी एंड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट (TERI) के नेतृत्व में ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन को मापने और प्रबंधित करने के लिये एक उद्योग-नेतृत्व वाली स्वैच्छिक रूपरेखा है।

यह कार्यक्रम उत्सर्जन को कम करने और भारत में अधिक लाभदायक, प्रतिस्पर्द्धी और टिकाऊ व्यवसायों तथा संगठनों को चलाने के लिये
 व्यापक माप एवं प्रबंधन रणनीतियों का निर्माण करता है।

जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजनाः

• जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना (National Action Plan on Climate Change) वर्ष 2008 में शुरू की गई थी, जिसका उद्देश्य जनता के प्रतिनिधियों, सरकार की विभिन्न एजेंसियों, वैज्ञानिकों, उद्योग और समुदायों के बीच जलवायु परिवर्तन से उत्पन्न खतरे तथा निपटने के विषय में जागरूकता पैदा करना है।

भारत स्टेज-VI मानक:

भारत ने उत्सर्जन मानक भारत स्टेज-IV (BS-IV) की जगह भारत स्टेज-VI (BS-VI) को अपना लिया है।

जलवायु और स्वच्छ वायु संघ

- इसे वर्ष 2019 में शुरू िकया गया था। यह जलवायु की रक्षा और वायु गुणवत्ता में सुधार हेतु प्रतिबद्ध सरकारों, अंतर सरकारी संगठनों,
 व्यावसायिक संगठनों, वैज्ञानिक संस्थानों तथा नागरिक समाज संगठनों की एक स्वैच्छिक साझेदारी है।
 - भारत इस संघ का सदस्य है।

संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम

शुरुआत:

यह 5 जून, 1972 को स्थापित एक प्रमुख वैश्विक पर्यावरण प्राधिकरण है।

कार्य:

 यह विश्व स्तर पर पर्यावरणीय कार्यक्रमों को तैयार करता है, संयुक्त राष्ट्र (United Nations) प्रणाली के भीतर सतत् विकास को बढावा देता है और वैश्विक पर्यावरण संरक्षण का समर्थन करता है।

प्रमुख रिपोर्ट:

• उत्सर्जन गैप रिपोर्ट (Emission Gap Report), वैश्विक पर्यावरण आउटलुक (Global Environment Outlook), फ्रंटियर्स (Frontiers), इन्वेस्ट इनटू हेल्दी प्लेनेट (Invest into Healthy Planet)।

प्रमुख अभियान:

 बीट प्रदूषण (Beat Pollution), UN75, विश्व पर्यावरण दिवस (World Environment Day), वाइल्ड फॉर लाइफ (Wild for Life)।

मुख्यालय:

नैरोबी, केन्या।

ग्रेट निकोबार द्वीप के लिये नीति आयोग की परियोजना

चर्चा में क्यों?

हाल ही में एक पर्यावरण मूल्यांकन समिति, जिसने ग्रेट निकोबार द्वीप से संबंधित परियोजना पर चिंता व्यक्त की थी, ने अब पर्यावरणीय प्रभाव आकलन (EIA) अध्ययनों के लिये इस परियोजना को 'संदर्भ की शर्तों के अनुदान' हेतु अनुशंसित किया है।

 अगस्त, 2020 में प्रधानमंत्री ने घोषणा की थी कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को 'मेरीटाइम एंड स्टार्टअप हब' के रूप में विकसित किया जाएगा।

प्रमुख बिंदुः

परियोजना के बारे में:

- इस प्रस्ताव में एक अंतर्राष्ट्रीय कंटेनर ट्रांस-शिपमेंट टर्मिनल, एक ग्रीनफील्ड अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, एक बिजली संयंत्र और 166 वर्ग किलोमीटर में फैला एक टाउनशिप कॉम्प्लेक्स का निर्माण शामिल है। यह निर्माण मुख्य रूप से प्राचीन तटीय प्रणाली और उष्णकटिबंधीय वनों की भूमि पर किया जाएगा।
- इस पर होने वाला अनुमानित व्यय 75,000 करोड़ रुपए है।

परियोजना से संबंधित मुद्देः

- भूकंपीय और सूनामी खतरों, मीठे पानी की आवश्यकता और विशालकाय लेदरबैक कछुओं पर पड़ने वाले प्रभाव से संबंधित विवरण का अभाव।
- वनोन्मूलन से संबंधित विवरण का अभाव- इस पिरयोजना में 130 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में लाखों की संख्या में पेड़ों को काटा जा सकता है। इस क्षेत्र में भारत के कुछ बेहतरीन उष्णकटिबंधीय वन मौजूद हैं।
- इसके अतिरिक्त इसमें कई अन्य मुद्दे जैसे गैलाथिया खाड़ी, बंदरगाह निर्माण का स्थान और नीति आयोग के प्रस्ताव के केंद्र बिंदु आदि भी शामिल हैं।
 - → गैलाथिया की खाड़ी, दुनिया के सबसे बड़े समुद्री कछुए 'एंजीमेटिक जिआंट टर्टल' का 'नेस्टिंग' स्थल है, यह दुनिया का सबसे बड़ा समुद्री कछुआ है जो तीन दशकों में किये गए सर्वेक्षणों के माध्यम से खोजा गया है।
 - ♦ पिछले कुछ वर्षों में पारिस्थितिक सर्वेक्षणों ने ऐसी कई नई प्रजातियों की सूचना दी है, जो केवल गैलाथिया क्षेत्र तक सीमित हैं।
 - ◆ इनमें गंभीर रूप से लुप्तप्राय निकोबार छछूँदर (Nicobar Shrew), ग्रेट निकोबार क्रेक, निकोबार मेंढक, निकोबार कैट स्नेक (Nicobar Cat Snake), एक नया स्किंक (Lipinia Sp), एक नई छिपकली (Dibamus Sp) और लाइकोडोन एसपी (Lycodon Sp) का एक साँप शामिल है।
- बंदरगाह हेतु साइट का चयन मुख्य रूप से तकनीकी और वित्तीय मानदंडों के आधार पर किया गया है, इसमें पर्यावरणीय पहलुओं की अनदेखी की गई।

समिति द्वारा सूचीबद्ध एक्शन प्लान:

- तेल रिसाव सिंहत ड्रेजिंग, पुनर्ग्रहण और बंदरगाह संचालन के प्रभाव पर अध्ययन के साथ-साथ स्थलीय और समुद्री जैव विविधता के स्वतंत्र मूल्यांकन की आवश्यकता है।
- पर्यावरण और पारिस्थितिकी प्रभाव पर ध्यान केंद्रित करने के लिये बंदरगाह हेतु वैकिल्पिक साइटों के अध्ययन की आवश्यकता के साथ विशेष रूप से लेदरबैक कछुओं पर आने वाले जोखिम से निपटने की क्षमताओं के विश्लेषण की भी आवश्यकता है।
- भूवैज्ञानिक अध्ययन और सतही जल पर परियोजना के प्रभाव का आकलन करने के लिये एक भूकंपीय और सूनामी खतरा मानचित्र, एक आपदा प्रबंधन योजना, श्रम का विवरण, श्रम शिविरों और इसके संचयी प्रभाव के आकलन की आवश्यकता है।

ग्रेट निकोबार:

- ग्रेट निकोबार 'निकोबार द्वीप समूह' का सबसे दक्षिणी द्वीप है।
- इसमें 1,03,870 हेक्टेयर के अद्वितीय और संकटग्रस्त उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पारिस्थितिकी तंत्र शामिल हैं।
- यह एक बहुत ही समृद्ध पारिस्थितिकी तंत्र है, जिसमें एंजियोस्पर्म, फर्न, जिम्नोस्पर्म, ब्रायोफाइट्स की 650 प्रजातियाँ शामिल हैं।
- जीवों के संदर्भ में बात करें तो यहाँ 1800 से अधिक प्रजातियाँ हैं, जिनमें से कुछ इस क्षेत्र की स्थानिक प्रजातियाँ भी हैं।

पारिस्थितिकी विशेषताएँ:

ग्रेट निकोबार बायोस्फीयर रिजर्व, उष्णकटिबंधीय आर्द्र सदाबहार वनों, पर्वत शृंखलाओं और समुद्र तल से 642 मीटर (माउंट थ्यूलियर)
 की ऊँचाई वाले पारिस्थितिक तंत्रों की एक विस्तृत शृंखला है।

जनजाति:

- मंगोलोइड शोम्पेन जनजाति, जिसमें लगभग 200 सदस्य हैं, विशेष रूप से निदयों और नदी धाराओं के किनारे जैवमंडल रिजर्व के वनों में पाई जाती है।
 - 🔷 वे शिकार और भोजन के लिये तथा अपनी जीविका हेतु वन और समुद्री संसाधनों पर निर्भर हैं।
- 🕨 एक अन्य मंगोलोइड जनजाति, निकोबारी में लगभग 300 सदस्य थे और ये पश्चिमी तट के किनारे बस्तियों में निवास करती थी।
 - वर्ष 2004 में आई सुनामी, जिसने पश्चिमी तट पर बनी बस्ती को तबाह कर दिया, के बाद उन्हें उत्तरी तट और कैम्पबेल बे में अफरा खाडी में स्थानांतरित कर दिया गया।

तीसरी आर्कटिक विज्ञान मंत्रिस्तरीय बैठक

चर्चा में क्यों?

हाल ही में भारत ने 'तीसरी आर्कटिक विज्ञान मंत्रिस्तरीय' (ASM) बैठक में भाग लिया और आर्कटिक क्षेत्र में अनुसंधान कार्य और सहयोग के लिये दीर्घकालिक योजनाओं को भी साझा किया है।

• पहली दो बैठकों- ASM1 और ASM2 का आयोजन क्रमश: वर्ष 2016 (अमेरिका) और वर्ष 2018 (जर्मनी) में किया गया था।

आर्कटिक क्षेत्र:

- आर्कटिक क्षेत्र के अंतर्गत आर्कटिक महासागर और कुछ विशिष्ट हिस्से, जैसे- अलास्का (संयुक्त राज्य अमेरिका), कनाडा, फिनलैंड, डेनमार्क (ग्रीनलैंड), आइसलैंड, नॉर्वे, रूस और स्वीडन को शामिल किया जाता है।
- ये देश एक साथ मिलकर आर्कटिक काउंसिल नामक एक अंतर-सरकारी फोरम का निर्माण करते हैं।
 - मुख्यालयः नॉर्वे

प्रमुख बिंदु

तीसरी आर्कटिक विज्ञान मंत्रिस्तरीय बैठक:

- आयोजक देश : इसका आयोजन आइसलैंड और जापान द्वारा संयुक्त रूप से किया गया था।
 - ♦ यह एशिया (टोक्यो, जापान) में आयोजित की जाने वाली पहली आर्कटिक विज्ञान मंत्रिस्तरीय बैठक है ।
- उद्देश्य: इस बैठक का आयोजन आर्किटक क्षेत्र के बारे में सामूहिक समझ को बढ़ाने के साथ-साथ इसकी निरंतर निगरानी पर जोर देते हुए शिक्षाविदों, स्थानीय समुदायों, सरकारों और नीति निर्माताओं सिहत विभिन्न हितधारकों को इस दिशा में अवसर प्रदान करने के लिये किया गया है।
- थीम (Theme): 'संवहनीय आर्कटिक के लिये जानकारी' (Knowledge for a Sustainable Arctic)

भारत का रूख:

- भारत ने आर्कटिक में, 'इन-सीट्र' (in-situ) और 'रिमोट सेंसिंग', दोनों प्रकार की अवलोकन प्रणालियों में योगदान दिया है।
- भारत महासागरीय सतही गतिविधियों और समुद्री मौसम संबंधी मापदंडों की दीर्घकालिक निगरानी के लिये आर्कटिक महासागर में स्थित खुले सागर में नौबंध (Mooring) की तैनाती करेगा।
- भारत द्वारा अमेरिका (USA) के सहयोग से 'NISAR' (NASA-ISRO Synthetic Aperture Radar) उपग्रह मिशन का शुभारंभ किया जा रहा है।
- सतत् आर्कटिक निगरानी नेटवर्क (Sustained Arctic Observational Network- SAON) में भारत का योगदान जारी रहेगा।

नासा-इसरो सिंथेटिक एपर्चर रडार (NISAR)

- निसार (NISAR) अपने तीन-वर्षीय मिशन के दौरान प्रत्येक 12 दिनों में पृथ्वी की सतह का चक्कर लगाकर पृथ्वी की सतह, बर्फ की चादर, समुद्री बर्फ के दृश्यों का चित्रण करेगा, तािक ग्रह का एक अभूतपूर्व दृश्य मिल सके और बेहतर तरीके से समझा जा सके।
- इसका उद्देश्य उन्नत रडार इमेजिंग की मदद से पृथ्वी की सतह के परिवर्तन के कारणों और परिणामों का वैश्विक मापन करना है।

सतत् आर्कटिक निगरानी नेटवर्क (SAON)

- यह अंतर्राष्ट्रीय आर्कटिक विज्ञान समिति (IASC) और आर्कटिक परिषद की एक संयुक्त गतिविधि है।
 - ◆ IASC एक गैर-सरकारी, अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक संगठन है।
- इसका उद्देश्य सतत् और समन्वित संपूर्ण-आर्कटिक अवलोकन और डेटा साझाकरण प्रणालियों के लिये बहुराष्ट्रीय समझौते के विकास हेतु
 समर्थन को और मजबूत करना है।

आर्कटिक में भारत की उपस्थिति :

- आर्कटिक क्षेत्र में भारत की उपस्थिति वर्ष 1920 में पेरिस की स्वालबार्ड संधि पर हस्ताक्षर के साथ शुरू हुई थी।
- भारत ने वर्ष 2008 में आर्कटिक क्षेत्र में एक स्थायी अनुसंधान स्टेशन का निर्माण किया। इसे 'हिमाद्री' कहा जाता है। हिमाद्री नॉर्वे के स्वालबार्ड क्षेत्र के न्यालेसुंड में स्थित है।
- भारत को वर्ष 2013 में आर्कटिक परिषद में 'पर्यवेक्षक' देश का दर्जा प्रदान किया गया तथा वर्तमान में चीन सिंहत विश्व के कुल 13 देशों को 'पर्यवेक्षक' का दर्जा प्राप्त है। वर्ष 2018 में भारत के 'पर्यवेक्षक' दर्जे का नवीनीकरण किया गया था।
- भारत द्वारा, जुलाई 2014 से कांग्सजॉर्डन फोर्ड (Kongsfjorden fjord) में इंडआर्क (IndARC) नामक एक बहु-संवेदक यथास्थान वेधशाला (Multi-Sensor Moored Observatory) भी तैनात की गई।
- आर्कटिक क्षेत्र में भारत के अनुसंधान कार्यों का समन्वयन, संचालन और प्रचार-प्रसार भारत सरकार के पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के तहत गोवा स्थित 'राष्ट्रीय ध्रुवीय एवं समुद्री अनुसंधान केंद्र' (NCPOR) द्वारा किया जाता है।
- हाल ही में भारत ने एक नया आर्कटिक नीति मसौदा भी तैयार किया है, जिसका उद्देश्य आर्कटिक क्षेत्र में वैज्ञानिक अनुसंधान, स्थायी पर्यटन और खनिज तेल एवं गैस की खोज को बढावा देना है।

भारत के लिये आर्कटिक अध्ययन का महत्त्व:

- यद्यपि भारत का कोई भी क्षेत्र सीधे आर्कटिक क्षेत्र में नहीं आता है, किंतु यह एक महत्त्वपूर्ण क्षेत्र है, क्योंिक आर्कटिक पृथ्वी के पारिस्थितिकी तंत्र के वायुमंडलीय, समुद्र संबंधी और जैव-रासायिनक चक्रों को प्रभावित करता है।
- आर्कटिक क्षेत्र मे बढ़ती गर्मी और इसकी बर्फ पिघलना वैश्विक चिंता का विषय है, क्योंिक यह जलवायु, समुद्र के स्तर को विनियमित करने और जैव विविधता को बनाए रखने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाता हैं।
- इसके अलावा, आर्कटिक और हिंद महासागर (जो भारतीय मानसून को नियंत्रित करता है) के बीच करीब संबंध होने के प्रमाण हैं। इसिलये,
 भौतिक प्रक्रियाओं की समझ में सुधार करना और भारतीय गर्मियों के मानसून पर आर्किटक बर्फ के पिघलने के प्रभाव को कम करने की दिशा में यह महत्त्वपूर्ण है।

काज़ीरंगा एनिमल कॉरिडोर

चर्चा में क्यों?

काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान और टाइगर रिज़र्व के पारिस्थितिक-संवेदनशील क्षेत्र के भीतर कम से कम तीन एनिमल कॉरिडोर पर वन भूमि, खुदाई और निर्माण गतिविधियों की मंज़्री से संबंधित मुद्दे सामने आए हैं।

 भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने वर्ष 2019 के एक आदेश में कहा था कि "नौ संसूचित एनिमल कॉरिडोर के क्षेत्रों में निजी भूमि पर किसी भी नए निर्माण की अनुमति नहीं दी जाएगी।"

प्रमुख बिंदु

एनिमल कॉरिडोर के बारे में:

- वन्यजीव या एनिमल कॉरिडोर का अभिप्राय पशुओं हेतु दो पृथक निवास स्थानों के बीच सुरक्षित मार्ग सुनिश्चित करना।
- वन्य जीवन के संदर्भ में, गिलयारे या कॉरिडोर मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं: कार्यात्मक और संरचनात्मक।
 - कार्यात्मक गिलयारे पशुओं के दृष्टिकोण से कार्यक्षमता के संदर्भ में पिरभाषित किये जाते हैं (मूल रूप से उन क्षेत्रों में जहाँ वन्यजीवों की आवाजाही दर्ज की गई है)।
 - ◆ संरचनात्मक गिलयारे, वनाच्छादित क्षेत्रों में निर्मित संरेखित पिट्टयों को कहते हैं और ये संरचनात्मक पिरदृश्य रूप से अन्य खंडित भागों को जोडते हैं।
- जब संरचनात्मक गिलयारे मानवजिनत गितिविधियों से प्रभावित होते हैं, तो कार्यात्मक गिलयारे पशुओं की आवाजाही के कारण स्वचािलत रूप से विस्तृत हो जाते हैं।

काज़ीरंगा एनिमल कॉरिडोर:

- सर्वोच्च न्यायालय द्वारा गठित एक विशेष सिमिति ने अपनी रिपोर्ट में काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान (KNP) में नौ पशु गिलयारों के पिरसीमन की सिफारिश की थी। नौ संसूचित पशु गिलयारे हैं:
 - असम के नागाँव जिले में अमगुरी, बागोरी, चिरांग, देवसूर, हरमाती, हाटीडंडी एवं कंचनजुरी तथा गोलाघाट जिलों में हल्दीबाड़ी और पनबारी गिलयारे स्थित है।
 - पहले से स्थित नौ गिलयारे कार्यात्मक गिलयारों के रूप में व्यवहार करते हैं, लेकिन नई सिफारिश के अनुसार, अब ये गिलयारे आवश्यकता के आधार पर संरचनात्मक और कार्यात्मक दोनों के रूप में कार्य करेंगे।
- रिपोर्ट ने सुझाव दिया कि संरचनात्मक गलियारों को वानिकी और वन्यजीव प्रबंधन प्रयासों को छोड़कर सभी मानव-जनित गतिविधियों (गडबिडियों) से मुक्त किया जाना चाहिये।
 - दूसरी ओर, कार्यात्मक गलियारे (जब संरचनात्मक गलियारों में विसंगति उत्पन्न होती है तो वह महत्वपूर्ण हो सकते हैं), भूमि उपयोग में परिवर्तन पर रोक लगाने के साथ-साथ बह-उपयोग को विनियमित कर सकते हैं।
- एनिमल कॉरिडोर का महत्त्व:
 - ये गिलयारे विभिन्न पशुओं जैसे:-गैंडा, हाथी, बाघ, हिरण और अन्य जानवरों के लिये महत्त्वपूर्ण हैं, जो मानसून अविध के दौरान काजीरंगा के बाढ़ वाले क्षेत्रों से निकलकर कार्बी आंगलोंग जिले की पहाड़ियों के सुरक्षित मार्गों से होते हुए राजमार्ग क्षेत्रों से दूर स्थित टाइगर रिजर्व की दक्षिणी सीमा क्षेत्रों में निवास करते हैं।
 - मानसून अविध समाप्त होने के बाद, ये सभी जानवर घास के मैदानों में वापस आ जाते हैं।

काज़ीरंगा राष्ट्रीय उद्यान एवं टाइगर रिज़र्वः

- यह असम राज्य में स्थित है और 42,996 हेक्टेयर क्षेत्रफल में फैला हुआ है।
- यह ब्रह्मपुत्र घाटी के बाढ़ मैदानों में सबसे बड़ा अविभाजित और प्रतिनिधि क्षेत्र है।
- इस उद्यान को वर्ष 1974 में राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था।
- इसे वर्ष 2007 में बाघ आरिक्षत क्षेत्र घोषित किया गया।
- इसे वर्ष 1985 में यूनेस्को की विश्व धरोहर घोषित किया गया था।
- इसे बर्डलाइफ इंटरनेशनल द्वारा एक महत्त्वपूर्ण पक्षी क्षेत्र के रूप में मान्यता दी गई है।
- विश्व में सर्वाधिक एक सींग वाले गैंडे काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में ही पाए जाते हैं।
 - गैंडो की संख्या में असम के काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान के बाद पोबितोरा (Pobitora) वन्यजीव अभयारण्य का दूसरा स्थान है जबिक पोबितोरा अभयारण्य विश्व में गैंडों की उच्चतम जनसंख्या घनत्व वाला अभयारण्य है।
- इस उद्यान क्षेत्र से राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-37 गुजरता है।

उद्यान में लगभग 250 से अधिक मौसमी जल निकाय (Water Bodies) हैं, इसके अलावा डिपहोलू नदी (Dipholu River) इससे होकर गुजरती है।

असम में स्थित अन्य राष्ट्रीय उद्यान:

- डिब्र्-सैखोवा राष्ट्रीय उद्यान,
- मानस राष्ट्रीय उद्यान
- नामेरी राष्ट्रीय उद्यान
- राजीव गांधी ओरंग राष्ट्रीय उद्यान

बायोडिग्रेडेबल योगा मैट

चर्चा में क्यों?

हाल ही में असम के मछुआरे समुदाय की छह युवा लड़िकयों ने एक बायोडिग्रेडेबल और कम्पोस्टेबल योगा मैट (Biodegradable and Compostable Yoga Mat) विकसित किया है जिसे 'मुरहेन योगा मैट' (Moorhen Yoga Mat) कहा जाता है।

- इसकी शुरुआत उत्तर-पूर्व प्रौद्योगिकी अनुप्रयोग एवं पहुँच केंद्र (North East Centre for Technology Application and Reach- NECTAR) द्वारा एक पहल के माध्यम से की गई थी।
- NECTAR एक स्वायत्तशासी केंद्र है, जो भारत सरकार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के तहत स्थापित है, इसका मुख्यालय शिलॉन्ग (मेघालय) में है।

प्रमुख बिंदु

बायोडिग्रेडेबल योगा मैट के विषय में:

- 'मूरहेन योगा मैट' का नाम काम सोराई (Kam Sorai- दीपोर बील वन्यजीव अभयारण्य में पाए जाने वाला पक्षी पर्पल मूरहेन) के नाम पर रखा गया है।
- यह हाथ से बुनी हुई 100% बायोडिग्रेडेबल (Biodegradable) और जलकुंभी (Water Hyacinth) से विकसित 100% कम्पोस्टेबल (Compostable) मैट है।
- यह मैट जलकुंभी को हटाकर दलदली भूमि (दीपोर बील) के जलीय इकोसिस्टम में सुधार ला सकती है, सामुदायिक भागीदारी के जरिये उपयोगी उत्पादों के उत्पादन में सहायता कर सकती है और स्थानीय समुदायों के लिये आजीविका के अवसर पैदा कर सकती है।

जलकुंभी:

- जलकुंभी एक प्रकार का तैरता आक्रामक खरपतवार है जो पूरे विश्व के जल निकायों में पाया जाता है।
- यह जल प्रणालियों में सूर्य की रोशनी और ऑक्सीजन के स्तर को अवरुद्ध करता है, जिसके परिणामस्वरूप जल की गुणवत्ता को नुकसान पहुँचता है। इस प्रकार जलीय पारिस्थितिकी तंत्र में रहने वाले विभिन्न जीवों का जीवन गंभीर रूप से प्रभावित हो जाता है।
- इसे बंगाल के आतंक के रूप में भी जाना जाता है, जिसका प्रभाव स्थानीय पारिस्थितिकी और लोगों के जीवन पर पडता है।
- यह सिंचाई, पनिबजली उत्पादन और नेविगेशन पर प्रभाव डालता है।
- यह मछली उत्पादन, जलीय फसलों के उत्पादन में कमी और मच्छरों के कारण होने वाली बीमारियों में वृद्धि को बढ़ावा देता है।

दीपोर बील:

- दीपोर बील (बील का अर्थ है असम में वेटलैंड या बड़ी जलीय निकाय) गुवाहाटी शहर से लगभग 10 किमी. दक्षिण-पश्चिम में स्थित है। इसे असम की ब्रह्मपुत्र घाटी में स्थित बड़े और महत्त्वपूर्ण आर्द्रभूमि में से एक माना जाता है।
- दीपोर बील का गुवाहाटी शहर के लिये प्रमुख जल भंडारण बेसिन होने के अलावा जैविक और पर्यावरणीय महत्त्व भी है।

- यह भारत में प्रवासी पिक्षयों का एक प्रमुख स्थल है, जहाँ सिर्दियों के दौरान जलीय पिक्षयों की बड़ी संख्या इकठ्ठा होती है।
- दीपोर बील को एवियन जीवों की प्रचुरता के कारण बर्डलाइफ इंटरनेशनल (Birdlife International) द्वारा महत्त्वपूर्ण पक्षी क्षेत्र (Important Bird Area) साइट्स में से एक के रूप में चुना गया है।
- दीपोर बील को नवंबर 2002 में रामसर साइट (Ramsar Site) के रूप में भी नामित किया गया है।

बीमा बाँस

चर्चा में क्यों?

हाल ही में तिमलनाडु कृषि विश्वविद्यालय (Tamil Nadu Agricultural University-TNAU) के कोयंबटूर पिरसर में बीमा बाँस (Beema Bamboo) से एक 'ऑक्सीजन पार्क' (Oxygen Park) का निर्माण किया गया है।

प्रमुख बिंदुः

बीमा बाँस के बारे में:

- बीमा या भीमा बाँस (Beema or Bheema Bamboo) एक उच्च क्लोन (Superior Clone) है, जिसे बंबूसा बालकोआ (Bambusa Balcooa) जो कि बाँस की एक उच्च उपज देने वाली प्रजाति है, से प्राप्त किया गया है। बाँस के इस क्लोन को पारंपरिक प्रजनन विधि (Conventional Breeding Method) द्वारा विकसित किया गया है।
- इस प्रजाति को सर्वाधिक तीव्र गित से विकसित होने वाले पौधों में से एक माना जाता है। यह उष्णकटिबंधीय परिस्थितियों (Tropical Conditions) में प्रतिदिन डेढ़ फीट बढ़ता है।
- इसे कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन (Carbon Dioxide Emissions) को कम करने हेतु सबसे अच्छा 'कार्बन सिंक' (Carbon Sink) माना जाता है।

बंबूसा बालकोआ:

- बंबूसा बालकोआ एक बहुत बड़े तथा मोटे आवरण वाला गुच्छेदार बाँस (Clumping Bamboo) है, जो 25 मीटर की ऊँचाई और 150 मिलीमीटर की मोटाई तक बढ़ता है।
- बंबूसा बालकोआ की लंबाई और मज़बूती इसे उद्योगों हेतु एक उपयोगी सामग्री बनाती है।
- यह कम वर्षा में उत्पन्न होने वाली एक सूखा प्रतिरोधी प्रजाति (Drought-Resistant Species) है जो प्रति हेक्टेयर 100 मीट्रिक टन से अधिक पैदावार देती है।

महत्त्व:

- स्थायी हरित आवरण:
 - बाँस एक स्टराइल पौधा (Sterile plant) है, अर्थात् इससे बीज का उत्पादन नहीं होता है तथा यह कई सौ वर्षों तक जीवित रहता है तथा वृद्धि करता है। नतीजतन, बाँस की यह प्रजाति विशेष रूप से स्थायी हरित आवरण निर्मित करने में सक्षम है।
- लंबे समय तक पुनः रोपण की आवश्यकता नहीं:
 - चूँिक बाँस के पौधे को टिशू कल्चर के माध्यम से तैयार किया जाता है इस कारण इसका कल्म (बाँस का तना) ठोस हो जाता है जो स्वयं को विभिन्न प्रकार की मिट्टी और जलवायु पिरिस्थितियों के अनुकूल विकसित करता है। प्रत्येक फसल चक्र के बाद यह फिर से बढ़ता है और दशकों तक इसके पुन: रोपण की आवश्यकता नहीं होती है।
 - विशेष रूप से पुष्प आने के समय घास या अनाज के पौधे का तना/कल्म खोखला होता है।
 - ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु परिवर्तन को कम करने में सहायक: इसके प्रकंद और जड़ इसे मज़बूती प्रदान करते हैं, इस कारण बाँस का पौधा प्राकृतिक आपदाओं का मज़बूती से सामना करने में सक्षम होता है तथा ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु परिवर्तन को कम करने में प्रमुख भूमिका निभाता है।

- विविध उपयोग:
 - बाँस का कैलोरी मान कोयले के बराबर होता है। सीमेंट उद्योग में बाँस की प्रजाति का उपयोग बाँयलरों हेतु किया जाता है। कपड़ा उद्योग में कपड़े और वस्त्र बनाने हेतु बाँस के फाइबर का उपयोग किया जाता है।
 - ♦ विश्वेश्वरैया राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान (Visvesvaraya National Institute of Technology- VNIT) नागपुर के विशेषज्ञ 'बीमा' बाँस और कॉयर (नारियल की जटा) से बने क्रैश बैरियर के डिजाइन पर काम कर रहे हैं।

बाँस से संबंधित सरकारी पहल:

बाँस क्लस्टर्सः

हाल ही में केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण, ग्रामीण विकास तथा पंचायती राज मंत्री द्वारा 9 राज्यों (मध्य प्रदेश, असम, कर्नाटक, नगालैंड, त्रिपुरा, ओडिशा, गुजरात, उत्तराखंड व महाराष्ट्र) के 22 बाँस क्लस्टर्स की शुरुआत की गई।

राष्ट्रीय बाँस मिशन (NBM):

- बाँस क्षेत्र के संपूर्ण मूल्य शृंखला के समग्र विकास हेतु वर्ष 2018-19 में पुनर्गठित NBM का शुभारंभ किया गया और इसे हब और स्पोक मॉडल (Spoke Model) में लागू किया जा रहा है।
- इसका उद्देश्य किसानों को बाजारों से जोड़ना है तािक किसान द्वारा उगाए जाने वाले बाँस को तैयार बाजार मिल सके और घरेलू उद्योग को उचित कच्चे माल की आपूर्ति बढ़ाई जा सके।
- बाँस को वृक्ष की श्रेणी से हटानाः
 - 🔷 वर्ष 2017 में बाँस को वृक्ष की श्रेणी से हटाने हेतु भारतीय वन अधिनियम 1927 में संशोधन किया गया था।
 - पिरणामस्वरूप कोई भी बाँस की खेती और व्यवसाय कर सकता है और इसकी कटाई करने तथा उत्पादों को बेचने हेतु अनुमित लेने की आवश्यकता नहीं होती है।

आगे की राहः

- पृथ्वी पर लगभग 3 ट्रिलियन पेड़ विद्यमान हैं, इसके अतिरिक्त 1.2 ट्रिलियन पेड़ लगाने हेतु ग्रह पर पर्याप्त जगह मौजूद है जो वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करने में लाभदायक साबित होगी।
- बीमा बाँस पृथ्वी को हरा-भरा बनाए रखने तथा जलवायु परिवर्तन को कम करने के संदर्भ में एक श्रेष्ठ विकल्प साबित हो सकता है।

भूगोल एवं आपदा प्रबंधन

जलवायु परिवर्तन कारकों से पृथ्वी के अक्ष में परिवर्तन

चर्चा में क्यों?

अमेरिकन जियोफिजिकल यूनियन (AGU) के 'जियोफिजिकल रिसर्च लेटर्स' में प्रकाशित एक अध्ययन से पता चलता है कि 1990 के दशक से वैश्विक तापमान में वृद्धि के कारण ग्लेशियरों के पिघलने से पृथ्वी का अक्षीय घूर्णन सामान्य से अधिक गति कर रहा है।

 जबिक इस परिवर्तन से दैनिक जीवन के प्रभावित होने की उम्मीद नहीं है लेकिन यह कुछ मिलीसेकंड तक दिन की लंबाई को परिवर्तित कर सकता है।

प्रमुख बिंदु

पृथ्वी की घूर्णन धुरी:

- यह वह रेखा है जिस पर पृथ्वी अपने अक्ष पर घूर्णन करने के साथ-साथ सूर्य के चारों ओर घूमती है।
 - ♦ पृथ्वी का अक्षीय झुकाव (जिसे अंडाकार आकृति के रूप में भी जाना जाता है) लगभग 23.5 डिग्री है। इस अक्षीय झुकाव के कारण, सूर्य वर्ष भर विभिन्न कोणों पर विभिन्न अक्षांशों पर चमकता है। पृथ्वी के अक्ष का यह झुकाव विभिन्न मौसमों के लिये भी जिम्मेदार है।
- यह ग्रहों के अक्षीय सतह को जिन बिंदुओं पर काटता है, उन्हें भौगोलिक ध्रुव (उत्तरी एवं दक्षिणी ध्रुव) कहते है।
 - ♦ ध्रुवों का स्थान निश्चित नहीं है। ग्रह के चारों ओर वितिरत पृथ्वी के द्रव्यमान में पिरवर्तन के कारण धुरी चलायमान है। इस प्रकार धुरी या अक्ष के घूमने पर ध्रुव गित करता है और इस गित को "ध्रुवीय गित" कहा जाता है।
 - सामान्य तौर पर ध्रुवीय गित जलमंडल, वायुमंडल, महासागरों या पृथ्वी में ठोस परिवर्तन के कारण होती है लेकिन अब जलवायु परिवर्तन उस मार्ग को प्रभावित कर रहा है जिसमें ध्रुवीय भंवर या पोलर वोर्टेक्स जैसी हवाएँ चलती है।
- नासा के अनुसार, 20 वीं शताब्दी के आँकड़ों से पता चलता है कि धुरी का घुमाव प्रति वर्ष लगभग 10 सेंटीमीटर प्रवाहित होता है। एक सदी में ध्रवीय गित 10 मीटर से अधिक होती है।

नए अध्ययन के परिणामः

- 1990 के दशक से जलवायु पिरवर्तन के कारण महासागरों में अरबों टन हिमाच्छादित बर्फ पिघल गई है। यही कारण है कि पृथ्वी की ध्रुवीय दिशाओं में पिरवर्तन हो रहा है।
- 1990 के दशक से जलमंडल में पिरवर्तन के कारण उत्तरी ध्रुव एक नए मार्ग का अनुसरण करते हुए पूर्व दिशा की ओर स्थानांतिरत हो गया है।(जिसका अर्थ है कि पृथ्वी पर जल का भंडार है)।
- वर्ष 1995 से 2020 तक इसके प्रवाह की औसत गति 1981 से 1995 की तुलना में 17 गुना तीव्र थी।
- इसके अतिरिक्त पिछले चार दशकों में ध्रुवीय प्रवाह लगभग 4 मीटर तक हुआ है।
- यह गणना नासा के 'ग्रेविटी रिकवरी एंड क्लाइमेट एक्सपेरिमेंट' (GRACE) मिशन के उपग्रह डेटा पर आधारित थी।

ध्रुवीय प्रवाह के कारण:

- बर्फ पिघलनाः
 - ◆ 1990 के दशक में ग्लोबल वार्मिंग के कारण बर्फ के तेज़ी से पिघलने का सबसे संभावित कारण ध्रुवीय प्रवाहों का दिशात्मक परिवर्तन था।

- ♦ जैसे-जैसे ग्लेशियर पिघलते हैं, जल का द्रव्यमान पुन:विस्तारित होता है, जिससे ग्रहों की धुरी में स्थानांतरण होता है।
- गैर-हिमनद क्षेत्रों में परिवर्तन (भौमिकी जल संग्रहण):
 - ♦ गैर-हिमनद क्षेत्रों में जलवायु परिवर्तन और भूजल के दोहन के कारण सिंचाई और अन्य मानवजनित गतिविधियों में परिवर्तन होता है।
- भू-जल रिक्तिकरण:
 - ♦ भूजल में कमी भी इस घटना में इजाफा करती है। चूँिक पेयजल, उद्योगों या कृषि के लिये प्रत्येक वर्ष भूमि के अंदर से लाखों टन जल बाहर निकाला जाता है, अंतत: यह जल समुद्र में शामिल हो जाता है, जिससे ग्रह के द्रव्यमान का पुनर्वितरण होता है।

भारत में अग्निशमन सुरक्षा का अभाव

चर्चा में क्यों?

हाल ही में पिछले एक वर्ष में अस्पताल की इमारतों में घातक आग लगने की घटनाएँ देखी गई हैं, इनमें वो अस्पताल भी शामिल हैं जिसमें कोविड -19 रोगियों का इलाज किया गया है।

• राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (National Crime Records Bureau- NCRB) के अनुसार, वर्ष 2019 में आग लगने से वाणिज्यिक भवनों में 330 एवं आवासीय भवनों में 6,329 लोगों की मौत हुई थी।

प्रमुख बिंदुः

आग लगने के प्रमुख कारणः

- इलेक्ट्रिकल फॉल्ट्स (Electrical faults) को आग के प्रमुख कारण के रूप में उद्भृत किया जाता है, लेकिन राज्य सरकारों को व्यापक रूप से सुरक्षा कानूनों में शिथिलता बरतने और सार्वजिनक भवनों को आधुनिक तकनीक से लैस करने में विफल होने के कारण आलोचना का सामना करना पड़ता है।
- अस्पताल के आईसीयू (इंटेंस केयर यूनिट्स) में आग लगने का उच्च जोखिम विद्यमान होता है क्योंकि आईसीयू में ऑक्सीजन की उपलब्धता होती है, अत: ऐसी स्थिति में उच्च मानकों को पूरा करने की आवश्यकता है।

भारत में अग्नि सुरक्षा से संबंधित प्रावधान:

- संवैधानिक प्रावधान:
 - अग्निशमन सेवा राज्य सूची का विषय है, इसे अनुच्छेद 243 (W) के तहत भारतीय संविधान की बारहवीं अनुसूची में नगरपालिका के कार्यों की सूची में शामिल किया गया है।
- भारतीय भवन निर्माण संहिता (NBC) 2016:
 - ♦ NBC के भाग-4 में अग्नि एवं जीवन सुरक्षा (Fire and Life Safety) से संबंधित प्रावधान है।
 - NBC, भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा प्रकाशित, एक "सिफारिश संबंधी दस्तावेज" (Recommendatory Document)
 है, जिसमें राज्यों को NBC से संबंधित दस्तावेज के उपबंधों को स्थानीय भवन उपनियम (Local Building Bylaws)
 में शामिल करने हेतु अनिवार्य सिफारिशें की गई हैं।
 - सभी मौजूदा और नई इमारतों को उनके उपयोग के आधार पर आवासीय, शैक्षिक, संस्थागत, असेंबली (जैसे सिनेमा और ऑडिटोरियम), व्यवसाय, व्यापारिक, औद्योगिक और भंडारण इमारतों के रूप में वर्गीकृत किया गया है।
 - भवन निर्माण संहिता के प्रमुख प्रावधान:
 - आग से बचाव: इसमें इमारतों के डिजाइन और निर्माण से संबंधित आग की रोकथाम के पहलुओं को शामिल किया गया है। इसमें विभिन्न प्रकार की इमारतों की निर्माण सामग्री और उनकी फायर रेटिंग का भी वर्णन किया गया है।
 - जीवन सुरक्षा: इसमें आग और इसी तरह की आपात स्थिति में जीवन सुरक्षा प्रावधानों को कवर करने के साथ ही निर्माण और निवास सुविधाओं के बारे में जानकारी है जो आग, धुएँ, लपटों या आग से जीवन को होने वाले खतरे को कम करने के लिये आवश्यक हैं।

- मॉडल बिल्डिंग बाय लॉज, 2016 (Model Building Bye-laws, 2016):
 - शहरी विकास मंत्रालय द्वारा "मॉडल बिल्डिंग बाय लॉज 2016" नामक एक परिपत्र तैयार किया गया है जो भारत में किसी भी निर्माण परियोजना को शुरू करने से पहले नियामक तंत्र और इंजीनियरिंग मापदंडों के बारे में बताता है।
 - अग्नि-संबंधित किसी भी प्रकार की स्वीकृति के लिये बिंदुवार जिम्मेदारी मुख्य अग्निशमन अधिकारी (Chief Fire Officer)
 को दी गई है।
 - भवनों के संबंध में स्वीकृति प्राप्त करने के लिये संबंधित विकास प्राधिकरण भवन/इमारत योजनाओं को मुख्य अग्निशमन अधिकारी के
 पास भेजेगा।
- राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (NDMA) द्वारा जारी दिशा-निर्देश:
 - NDMA द्वारा न्यूनतम खुले सुरक्षित स्थान, संरक्षित निकास तंत्र और आपदा के समय खाली करने हेतु ड्रिल एक्सरसाइज हेतु दिशा-निर्देशों के अलावा सार्वजनिक भवनों एवं अस्पतालों में अग्नि से सुरक्षा हेतु आवश्यक मानदंडों को निर्धारित किया गया है।
- केंद्र सरकार द्वारा 'मॉडल बिल ऑन मेंटेनेंस ऑफ फायर एंड इमरजेंसी सर्विस, 2019 (Model Bill on Maintenance of Fire & Emergency Services 2019) लाया गया।

चिंताएँ:

- अग्निशमन से संबंधित आवश्यक दिशा-निर्देश हेतु कुछ राज्यों में एकीकृत अग्निशमन सेवाओं (Unified Fire Services) का अभाव पाया जाता है।
- भारत में अधिकांश अग्निशमन विभागों में कर्मियों की उचित संगठनात्मक संरचना, प्रशिक्षण और करियर में पदोन्नित का अभाव है।
- अपर्याप्त आधुनिक उपकरण और उनकी स्केलिंग, प्राधिकरण और मानकीकरण का अभाव है।
- उचित और पर्याप्त धन का अभाव, जो अग्निशमन की तकनीकी प्रगति को रोकता है।
- ढाँचागत सुविधाओं का अभाव जिनमें फायर स्टेशन और कर्मियों का आवास आदि शामिल हैं।
- ज्यादातर आग लगने के कारणों का विश्लेषण नहीं किया जाता है।
- सार्वजनिक जागरूकता का अभाव तथा नियमित रूप से 'मॉक ड्रिल' और निकासी अभ्यास (Evacuation Drills) आयोजित नहीं किये जाते हैं।
- एक समान अग्नि सुरक्षा कानून का अभाव।
 - ♦ हाल ही में कुछ राज्यों जैसे महाराष्ट्र, तिमलनाडु और केरल में NBC का उल्लंघन देखने को मिला।

आगे की राहः

- हालाँकि दिसंबर 2020 में सर्वोच्च न्यायालय (Supreme Court) ने सभी राज्यों में स्थित कोविड -19 समर्पित अस्पतालों में अग्नि सुरक्षा ऑडिट (Fire Safety Audits) करने हेतु निर्देश दिये थे। इससे यह स्पष्ट हो गया है कि NCB सहित राज्य बलों के पास सुरक्षा कोडों का निरीक्षण करने और उन्हें सुनिश्चित करने हेतु आवश्यक मानव शक्ति की कमी है, जहाँ इनकी अनिवार्यता है।
- इसका एक विकल्प यह हो सकता है कि बड़े स्तर पर सभी सार्वजनिक भवनों का अनिवार्य अग्नि देयता बीमा (Fire Liability Insurance) किया जाए जो उनमें रहने वालों और आने वाले लोगों को सुरक्षा प्रदान करेगा और बाहरी स्तर (इमारत की सुरक्षा) पर भी सुरक्षा का निरीक्षण करेगा।

भारतीय और ऑस्ट्रेलियाई मानसून में समानता

चर्चा में क्यों?

जीवाश्म पत्तों (Fossil Leaves) के आधार पर किये गए एक हालिया अध्ययन के अनुसार, 25 मिलियन वर्ष पूर्व भारतीय मानसून, ऑस्ट्रेलिया के वर्तमान से समानता रखता था।

भारतीय मानसून की पूर्ववर्ती गतिशीलता को समझते हुए भविष्य में मानसून की भविष्यवाणी करने के लिये जलवाय मॉडलिंग (Climate Modelling) में मदद मिलेगी।

प्रमुख बिंदुः

अध्ययन के विषय में:

- इस अध्ययन में दक्कन ज्वालामुखी प्रांत, मेघालय के पूर्वी गारो हिल्स, राजस्थान में गुरहा खदान और असम में माकूम कोलफील्ड से एकत्र किये गए विभिन्न भूवैज्ञानिक अवधियों की जीवाश्म पत्तियों के रूपात्मक विशेषताओं का विश्लेषण किया गया।
 - 🔷 पत्तियों की रूपात्मक विशेषताएँ जैसे- शीर्ष, आधार और उसकी आकृति आदि वर्ष भर आने वाले सभी मौसमों में पारिस्थितिक रूप से विद्यमान जलवायु परिस्थितियों के अनुरूप पाई गई हैं।
- अध्ययन में प्राप्त संकेत इस बात की तरफ इशारा करते हैं कि भारत में प्राप्त जीवाश्म पत्तियाँ भारत की वर्तमान मानसून प्रणाली के अनुकूल न होकर ऑस्ट्रेलियाई मानसून के अनुकूल थीं।
 - भारत के गोंडवाना से अलग होने के बाद, इसने दक्षिणी गोलार्द्ध से उत्तर की तरफ 9000 किलोमीटर की यात्रा की तथा इसकी वर्तमान स्थित और इसके यूरेशिया के साथ जुड़ने में 160 मिलियन वर्ष का समय लगा।
- पुनर्निर्मित तापमान डेटा बताते हैं कि अध्ययन में शामिल किये गए सभी जीवाश्म स्थलों (उष्णकटिबंधीय से उपोष्णकटिबंधीय) की जलवाय गर्म थी तथा जीवाश्म स्थलों के तापमान में 16.3 से 21.3 डिग्री सेल्सियस की भिन्नता देखी गई।
- सभी जीवाश्म स्थलों में वर्षा का उच्च स्तर विद्यमान था. जिसमे 191.6 सेमी से 232 सेमी तक भिन्नता देखी गई। गोंडवाना से भारत का अलग होना:
- 140 मिलियन वर्ष से अधिक समय पहले, भारत गोंडवाना (Gondwana) नामक विशाल भू-भाग का हिस्सा था।
 - वर्तमान दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, अंटार्कटिका और ऑस्ट्रेलिया भी गोंडवाना का हिस्सा थे ।
 - ◆ टेथिस महासागर- जोिक एक विशाल जलीय भू-भाग था, ने गोंडवाना को यूरेशिया से अलग कर दिया।
- जब इस विशाल भू-भाग का विभाजन हुआ तो एक विवर्तनिक प्लेट (Tectonic Plate) से भारत और आधुनिक मेडागास्कर का निर्माण हुआ।
- फिर, भारत मेडागास्कर से अलग हुआ तथा लगभग 20 सेमी/वर्ष की गति के साथ उत्तर-पूर्व की ओर आगे बढ़ा।
- हिमालय की उत्पत्ति के समय लगभग 50 मिलियन वर्ष पूर्व यह महाद्वीप यूरेशिया से टकराया।
- भारत अभी भी उसी दिशा में बढ़ रहा है लेकिन यूरेशियन प्लेट के प्रतिरोध के कारण वर्तमान में इसकी गति लगभग 4 सेमी/वर्ष है।

भारतीय मानसून:

- भारतीय जलवायु को 'मानसुनी' प्रकार की जलवायु के रूप में वर्णित किया गया है। एशिया में, इस प्रकार की जलवायु मुख्य रूप से दक्षिण और दक्षिण-पूर्व में पाई जाती है।
- भारत में मौसम को कुल चार हिस्सों में विभाजित किया जाता है, जिसमें से 2 मानसून से संबंधित हैं:
 - दक्षिण-पश्चिम मानसून (Southwest Monsoon)- दक्षिण-पश्चिम मानसून से होने वाली वर्षा 'मौसमी' प्रकृति की होती है. जो जुन और सितंबर के मध्य देखी जाती है।
 - ♦ मानसून का निवर्तन (Retreating Monsoon)- अक्तूबर और नवंबर माह मानसून के निवर्तन के समय के रूप में जाने जाते हैं।
- दक्षिण पश्चिम मानसून के निर्माण को प्रभावित करने वाले कारक:
 - ♦ भूमि और जल के ठंडा और गर्म होने का अंतर भारतीय भू-भाग पर निम्न दबाव का निर्माण करता है, जबकि समुद्र में तुलनात्मक रूप से उच्च दबाव होता है।
 - गर्मियों के समय इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन (Inter Tropical Convergence Zone- ITCZ) की स्थिति में बदलाव होता है, जो गंगा के मैदान पर खिसक जाता है।(यह भूमध्यरेखीय गर्त सामान्य रूप से भूमध्य रेखा के लगभग 5 ° N पर स्थित होता है। इसे मानसून-गर्त के रूप में भी जाना जाता है)।

- मेडागास्कर के पूर्व में, हिंद महासागर में लगभग 20 ° S पर एक उच्च दबाव वाले क्षेत्र का निर्माण होता है। इस उच्च दबाव वाले क्षेत्र की तीव्रता और स्थिति भारतीय मानसून को प्रभावित करती है।
- तिब्बत का पठार गर्मियों के दौरान तीव्रता से गर्म हो जाता है, जिसके परिणामस्वरूप समुंद्री तल से लगभग 9 किमी की ऊँचाई पर मजबूत ऊर्ध्वाधर हवा की धाराओं (Vertical Air Currents) और निम्न दबाव के क्षेत्र का निर्माण होता है।
- गर्मियों के दौरान भारतीय उपमहाद्वीप के ऊपर 'उष्णकटिबंधीय पूर्वी जेट स्ट्रीम' (Tropical Easterly Jet Stream) तथा हिमालय के उत्तर में 'उपोष्ण पछुआ जेट स्ट्रीम' (Westerly Jet Stream) की उपस्थित।
- उष्णकटिबंधीय पूर्वी स्ट्रीम (अफ्रीकी ईस्टर जेट) की मौजूदगी।
- अल नीनो/दक्षिणी दोलन (SO): प्राय: जब उष्णकिटबंधीय पूर्वी-दिक्षण प्रशांत महासागर क्षेत्र में उच्च दबाव का निर्माण होता है, तो उष्णकिटबंधीय पूर्वी हिंद महासागर में निम्न दबाव का क्षेत्र निर्मित होता है, परंतु कुछ ऐसे विशिष्ट वर्ष होते हैं जब दबाव की यह स्थिति विपरीत या परिवर्तित हो जाती है तथा पूर्वी हिंद महासागर की तुलना में पूर्वी प्रशांत क्षेत्र में कम दबाव का निर्माण होता है। दबाव की स्थिति में इस आविधक परिवर्तन को दिक्षणी दोलन के रूप में जाना जाता है।

यूरेनियम की अवैध बिक्री

चर्चा में क्यों?

हाल ही में परमाणु ऊर्जा अधिनियम, 1962 (Atomic Energy Act, 1962) के तहत दो लोगों को बिना लाइसेंस के यूरेनियम रखने और इसे अवैध रूप से बेचने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है।

• जब्त किये गए यूरेनियम के नमूनों की जाँच, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र (Bhabha Atomic Research Centre- BARC) द्वारा की गई, जिसमें इस बात की पुष्टि हुई कि यह प्राकृतिक यूरेनियम (Natural Uranium) है।

प्रमुख बिंदुः

यूरेनियम:

- यूरेनियम, प्राकृतिक रूप से कम सांद्रता में मिट्टी, चट्टान और जल में पाया जाता है। यह एक कठोर, सघन, लचीली, चांदी के समान सफेद रेडियोधर्मी धातु (Radioactive Metal) है।
 - यूरेनियम धातु का घनत्व बहुत अधिक होता है।
- यदि इसे सूक्ष्म रूप से विभाजित किया जाए तो यह ठंडे जल के साथ प्रतिक्रिया कर सकता है। वायु में यूरेनियम ऑक्साइड द्वारा लेपित करने
 पर यह तीव्र गित से धूमिल/दूषित (Tarnishing) होता है।
- यह कई धातुओं के साथ ठोस विलयन (Solids Solutions) और अंत:धात्विक यौगिकों (Intermetallic Compounds)
 का निर्माण करने में सक्षम है।

अनुप्रयोग:

- ऊर्जा उत्पादन: नागरिक या असैन्य क्षेत्र में यूरेनियम का मुख्य उपयोग परमाणु ऊर्जा (Nuclear Energy) उत्पादन हेतु वाणिज्यिक परमाणु ऊर्जा संयंत्रों में ईंधन के रूप में किया जाता है।
 - इस कार्य हेतु यूरेनियम को यूरेनियम-235 समस्थानिक के साथ संवर्द्धित किये जाने की आवश्यकता होती है साथ ही इसमें शृंखला अभिक्रिया को भी नियंत्रित किया जाना महत्त्वपूर्ण होता है, जिससे प्रबंधकीय तरीके से ऊर्जा प्राप्त की जा सके।
- परमाणु बम बनाने में: युद्ध में प्रयुक्त पहला परमाणु बम एक यूरेनियम बम था।
 - ♦ इस बम में शृंखला अभिक्रिया को शुरू करने हेतु यूरेनियम-235 समस्थानिक का प्रयोग किया गया था, जिसके कारण कुछ ही समय के भीतर यूरेनियम परमाणुओं का विखंडन हुआ और नतीजतन आग के गोले के रूप ऊर्जा (Fireball Of Energy) मुक्त हुई।
- विकिरण से सुरक्षा: क्षीण यूरेनियम का उपयोग विकिरण चिकित्सा के समय चिकित्सा प्रक्रियाओं में विकिरण से सुरक्षा हेतु एक शील्ड के रूप में भी किया जाता है, इसके अलावा रेडियोधर्मी सामग्री के परिवहन के दौरान भी इसका उपयोग किया जाता है।

- यद्यपि यूरेनियम स्वयं रेडियोधर्मी होता है, किंतु उसका उच्च घनत्व विकिरण को रोकने में काफी कारगर है।
- काउंटरवेट के रूप में उपयोगी: अपने उच्च घनत्व के कारण यूरेनियम, एयरक्राफ्ट और औद्योगिक मशीनरी के लिये काउंटरवेट के रूप में भी उपयोगी होता है।
- रेडियोमेट्रिक डेटिंग: यूरेनियम-238 समस्थानिक का उपयोग आग्नेय चट्टानों की आयु का पता लगाने और अन्य प्रकार के रेडियोमेट्रिक डेटिंग (Radiometric Dating) कार्यों में किया जाता है।
- उर्वरक: आमतौर पर फास्फेट उर्वरकों के निर्माण में प्रयोग की जाने वाली सामग्रियों में यूरेनियम की उच्च मात्रा विद्यमान होती है, जिस कारण फास्फेट उर्वरकों में यूरेनियम की उच्च मात्रा पाई जाती है।

स्वास्थ्य और पर्यावरण पर प्रभाव:

- स्वास्थ्य पर प्रभाव: संभावित रूप से क्षीण यूरेनियम रासायनिक और रेडियोलॉजिकल दोनों ही प्रकार से विषाक्त होता है, जो शरीर के दो महत्त्वपूर्ण अंगों- गुर्दे और फेफड़ों को प्रभावित करता है।
- पर्यावरण पर प्रभाव: यूरेनियम संबंधी खनन गतिविधियों से यूरेनियम अपशिष्ट का भी उत्पादन होता है, जिसका निपटान प्राय: खदान के आसपास ही कर दिया जाता है।
 - 🔷 यह अपशिष्ट रेडॉन उत्सर्जन, विंड ब्लास्ट डस्ट डिस्पर्स और भारी धातुओं तथा पानी में आर्सेनिक सहित दूषित पदार्थों के निक्षालन (Leaching) के रूप में गंभीर पर्यावरणीय और स्वास्थ्य जोखिम पैदा करता है।

भारत में यूरेनियम भंडार:

- भारत में यूरेनियम के भंडार धारवाड़ चट्टानों (Dharwar Rocks) में पाए जाते हैं।
- झारखंड के सिंहभूम कॉपर बेल्ट (Singhbhum Copper Belt) के अलावा राजस्थान के उदयपुर, अलवर और झुंझुनू जिले, छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले, महाराष्ट्र के भंडारा जिले तथा हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले में भी यूरानियम के भंडार पाए जाते हैं।
- हाल ही में आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के शेषचलम वन (Seshachalam Forest) और श्रीशैलम (आंध्र के दक्षिणी छोर से तेलंगाना के दक्षिणी छोर) के मध्य महत्त्वपूर्ण यूरेनियम भंडार का पता चला है।

भारत में वैधानिक ढाँचा:

- संसद ने सूची I (संघ सूची) के क्रमांक 54 का अनुसरण करते हुए, 'खान और खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1957 (MMDR Act) पारित किया है।
 - हालाँकि, इस अधिनियम के माध्यम से सूक्ष्म खनिजों (Minor Minerals) के संबंध में, राज्यों को नियम बनाने वाली शक्तियाँ सौंपी गई हैं।
 - ♦ चूँिक यूरेनियम एक प्रमुख खनिज है, इसे केंद्र सरकार द्वारा MMDR अधिनियम के प्रावधानों के तहत प्रबंधित किया जाता है।
- यद्यपि देश में प्रमुख खिनजों से संबंधित नीति और कानून का प्रबंधन खान मंत्रालय द्वारा किया जाता है, लेकिन यूरेनियम एक परमाणु खिनज है, जिसका प्रबंधन परमाणु ऊर्जा विभाग (Department of Atomic Energy- DAE) द्वारा किया जाता है।
 - परमाणु ऊर्जा अधिनियम, 1962 (Atomic Energy Act, 1962) रेडियोधर्मी पदार्थों और संयंत्रों को नियंत्रित करने, विकिरण से होने वाली दुर्घटनाओं को रोकने हेतु उपाय करने, सार्वजनिक सुरक्षा को बनाए रखने और रेडियोधर्मी कचरे के सतर्क निपटान हेतु मानक निर्धारित करता है।
- इनमें से कई खनिज भंडार, समृद्ध वन क्षेत्रों में पाए जाते हैं तथा जिनके उत्खनन हेतु केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की मंज़्री आवश्यक होती है।

भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र:

डॉ. होमी भाभा द्वारा भारत में परमाणु कार्यक्रम की संकल्पना की गई थी। वर्ष 1945 में डॉ. भाभा ने परमाणु विज्ञान अनुसंधान हेतु टाटा मूलभूत अनुसंधान संस्थान (Tata Institute of Fundamental Research- TIFR) की स्थापना की।

- जनवरी 1954 में राष्ट्र हित को बढावा देने तथा परमाणु ऊर्जा के दोहन के प्रयास को तीव्रता प्रदान करने के उद्देश्य डॉ. भाभा ने भारत के महत्त्वाकांक्षी परमाणु कार्यक्रम की आवश्यक को ध्यान में रखते हुए बहु-विषयक अनुसंधान कार्यक्रम हेतु 'परमाणु ऊर्जा संस्थान ट्रॉम्बे' (Atomic Energy Establishment, Trombay- AEET) की स्थापना की।
- वर्ष 1966 में AEET का नाम परिवर्तित कर भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र (Bhabha Atomic Research Center-BARC) कर दिया गया।



सामाजिक न्याय

अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस

चर्चा में क्यों?

प्रत्येक वर्ष विश्व के कई हिस्सों में 1 मई को 'मई दिवस' (May Day) अथवा 'अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस' के रूप में मनाया जाता है।

- यह दिवस नए समाज के निर्माण में श्रमिक और श्रमिकों के योगदान के रूप में मनाया जाता है।
- अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (ILO) संयुक्त राष्ट्र की एक एजेंसी है जो अंतर्राष्ट्रीय श्रम मानकों को स्थापित करने की दिशा में काम करती है।

प्रमुख बिंदु

इतिहास और महत्त्व:

- संयुक्त राज्य अमेरिकाः
 - ♦ 19वीं शताब्दी में अमेरिका के ऐतिहासिक श्रमिक संघ आंदोलन में श्रमिक दिवस को मान्यता मिली।
 - हालाँकि अमेरिका और कनाडा में श्रमिक दिवस प्रत्येक वर्ष सितंबर माह के पहले सोमवार को मनाया जाता है।
 - सर्वप्रथम वर्ष 1889 में समाजवादी समूहों और ट्रेड यूनियनों के एक अंतर्राष्ट्रीय महासंघ ने शिकागो में हुई 'हे मार्केट' (Haymarket,
 1886) घटना को याद करते हुए श्रमिकों के समर्थन में 1 मई को 'मई दिवस' के रूप में नामित किया था।
 - हे मार्केट घटना श्रिमकों के समर्थन में एक शांतिपूर्ण रैली थी जिसमें पुलिस के साथ हिंसक झड़प हुई, जिसमें कई लोगों की मृत्यु हुई और कुछ लोग गंभीर रुप से घायल हुए। जिन लोगों की इस झड़प में मृत्यु हुई उन्हें "हे मार्केट शहीदों" के रूप में सम्मानित किया गया।
 - ◆ कई आंदोलनकारी, जो श्रमिकों के अधिकारों के उल्लंघन का विरोध कर रहे थे तथा काम के घंटे कम करने एवं अधिक मजदूरी की मांग कर रहे थे उन्हें गिरफ्तार किया गया और आजीवन कारावास अथवा मौत की सजा दी गई।
- यूरोप:
 - जुलाई 1889 में यूरोप में पहली 'इंटरनेशनल कॉन्प्रेस ऑफ़ सोशलिस्ट पार्टीज' द्वारा एक प्रस्ताव पारित किया गया, जिसमें यह ऐलान किया गया कि 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस/मई दिवस के रूप मनाया जाएगा। इसके बाद 1 मई, 1890 को पहला मई दिवस मनाया गया था।
- यूएसएसआर (USSR):
 - रूसी क्रांति, 1917 के पश्चात् सोवियत संघ और पूर्वी ब्लॉक राष्ट्रों ने मज़दूर दिवस मनाना शुरू किया।
 - मार्क्सवाद और समाजवाद जैसी नई विचारधाराओं ने कई समाजवादी और कम्युनिस्ट समूहों को प्रेरित किया और किसानों, श्रिमकों
 से संबंधित मुद्दों की तरफ ध्यान आकर्षित किया और उन्हें राष्ट्रीय आंदोलन का एक अभिन्न अंग बनाया।

भारत:

- भारत में 1 मई, 1923 को पहली बार चेन्नई (तत्कालीन मद्रास) में मज़दूर दिवस का आयोजन किया गया। यह पहल सर्वप्रथम हिंदुस्तान की 'लेबर किसान पार्टी' के प्रमुख सिंगारावेलु द्वारा की गई थी।
- 🔸 लेबर किसान पार्टी के प्रमुख मलयपुरम सिंगारावेलु चेट्टियार ने इस अवसर पर दो बैठकों का आयोजन किया।
- इन बैठकों में सिंगारावेलु ने एक प्रस्ताव पारित किया, जिसमें कहा गया था कि ब्रिटिश सरकार को भारत में मई दिवस या मज़दूर दिवस पर राष्ट्रीय अवकाश की घोषणा करनी चाहिये।
- मज़दूर दिवस या मई दिवस को भारत में 'कामगार दिन', कामगार दिवस और अंतर्राष्ट्रीय मज़दूर दिवस के रूप में भी जाना जाता है।

श्रम से संबंधित संवैधानिक प्रावधान

भारतीय संविधान श्रम अधिकारों की सुरक्षा के लिये कई सुरक्षा उपाय प्रदान करता है। ये सुरक्षा उपाय मौलिक अधिकारों और राज्य की नीति के निदेशक सिद्धांत के रूप में हैं।

अनुच्छेद 14 के अंतर्गत विधि के समक्ष समता एवं विधियों के समान संरक्षण का उपबंध किया गया है। संविधान का यह अनुच्छेद भारत के राज्यक्षेत्र के भीतर भारतीय नागरिकों एवं विदेशी दोनों के लिये समान व्यवहार का उपबंध करता है।

अनुच्छेद 19(1) (ग) नागरिकों को संघ या सहकारी समिति बनाने का अधिकार देता है।

अनुच्छेद 21 प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण प्रदान करता है।

अनुच्छेद 23 मानव के दुर्व्यापार और बलात श्रम का प्रतिषेध।

अनुच्छेद 24 कारखानों आदि में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध अर्थात् चौदह वर्ष से कम आयु के बालकों के किसी कारखाने, खान या किसी अन्य जोखिमयुक्त व्यवसाय में कार्य करने पर रोक लगाता है।

अनुच्छेद 39 (क) राज्य अपने नागरिकों को आजीविका के पर्याप्त साधनों हेतु समान कार्य के लिये समान वेतन का प्रावधान करता है। अनुच्छेद 41 के अनुसार, राज्य अपनी आर्थिक सामर्थ्य और विकास की सीमाओं के भीतर, काम पाने, शिक्षा प्राप्त करने और बेकारी, बुढ़ापा, बीमारी एवं नि:शक्तता तथा अन्य प्रकार के अभाव की दशाओं में लोक सहायता पाने के अधिकार को प्राप्त कराने का प्रभावी उपबंध करेगा।

अनुच्छेद 42 के अनुसार, राज्य काम की न्यायसंगत और मानवोचित दशाओं को सुनिश्चित करने के लिये तथा प्रसूति सहायता के लिये उपबंध करेगा।

अनुच्छेद 43 राज्य उपयुक्त विधान या आर्थिक संगठन द्वारा या किसी अन्य रीति से कृषि, उद्योग या अन्य प्रकार के सभी कर्मकारों को काम, निर्वाह मज़दूरी, शिष्ट जीवन स्तर और अवकाश का संपूर्ण उपभोग सुनिश्चित करने वाली काम की दशाएँ तथा सामाजिक एवं सांस्कृतिक अवसर प्राप्त कराने का प्रयास करेगा और विशिष्टतया ग्रामों में कुटीर उद्योगों को वैयक्तिक और सहकारी आधार पर बढ़ाने का प्रयास करेगा।

अनुच्छेद 43 क राज्य को उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी सुनिश्चित करने की दिशा में काम करने के अधिकार देता है।

क्रानूनी प्रावधान :

- भारत की संसद ने देश के 50 करोड़ से अधिक संगठित और असंगठित श्रिमकों को समाविष्ट करते हुए श्रम कल्याण सुधार के उद्देश्य से 3
 श्रम संहिता विधेयक पारित किये हैं।
- तीन श्रम संहिता विधेयक इस प्रकार हैं-
 - सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020
 - व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य स्थिति सिहंता, 2020
 - औद्योगिक संबंध संहिता, 2020

राज्य विधानसभाओं में महिलाओं एवं युवाओं की भागीदारी

चर्चा में क्यों?

तीन नई राज्य विधानसभाओं (पश्चिम बंगाल, केरल और तिमलनाडु) से संबंधित हालिया आँकड़े विधानसभा सदस्यों (MLAs) के बीच महिलाओं और युवाओं की कम संख्या को दर्शाते हैं।

- वर्ष 2019 के लोकसभा चुनावों के आँकड़े भी महिलाओं की कम भागीदारी को दर्शाते हैं। वर्ष 2019 में अंतर-संसदीय संघ (Inter-Parliamentary Union) द्वारा संकलित सूची के अनुसार, निम्न सदन में महिलाओं के प्रतिशत के मामले में भारत विश्व में 190 देशों में से 153वें स्थान पर है।
- भारत युवाओं का देश है, परंतु देश में युवा नेताओं का अभाव है। भारत में औसत आयु लगभग 29 वर्ष है, जबिक देश में सांसदों की औसत आयु 55 वर्ष है।

प्रमुख बिंदुः

महिला विधायकों की कम संख्या के कारण:

- निरक्षरता- यह महिलाओं को राजनीतिक रूप से सशक्त बनाने में मुख्य बाधाओं में से एक है।
- कार्य और परिवार- पुरुषों और महिलाओं के बीच घरेलू काम का असमान वितरण भी इस संबंध में महत्त्वपूर्ण भूमिका अदा करता है।
- राजनीतिक नेटवर्क का अभाव- राजनीतिक निर्णयन में खुलेपन तथा स्पष्टता का अभाव और अलोकतांत्रिक आंतिरक प्रक्रियाओं के कारण अक्सर नए लोगों के समक्ष चुनौतियाँ उत्पन्न होती हैं, लेकिन ये चुनौतियाँ विशेष रूप से महिलाओं के समक्ष अधिक समस्या उत्पन्न करती हैं, क्योंकि महिलाओं के पास राजनीति की गहरी समझ या राजनीतिक नेटवर्क की कमी अधिक देखी जाती है।
- संसाधनों की कमी- राजनीतिक दलों के आंतरिक ढाँचे में महिलाओं का कम अनुपात महिला प्रतिनिधियों के लिये अपने राजनीतिक निर्वाचन क्षेत्रों हेत् आवश्यक संसाधन जुटाना और समर्थन प्राप्त करना चुनौतीपूर्ण बना देता है।
- वित्तीय सहायता का अभाव- महिलाओं को चुनाव लड़ने हेतु राजनीतिक दलों से पर्याप्त वित्तीय सहायता नहीं मिलती है।
- सामाजिक और सांस्कृतिक मानदंड- महिलाओं पर लगाए गए सामाजिक और सांस्कृतिक मानदंड उन्हें राजनीति में प्रवेश करने से रोकते हैं।
- अनुकूल परिवेश का अभाव: कुल मिलाकर राजनीतिक दलों का वातावरण महिलाओं के अनुकूल नहीं है, उन्हें पार्टी में जगह बनाने हेतु कठिन संघर्ष करना पड़ता है और बहुआयामी मुद्दों का सामना करना पड़ता है।

युवा विधायकों की कम संख्या के कारण:

- गलत धारणा- राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि और नीति निर्माता अक्सर यह मानते हैं कि चूँिक युवाओं ने जीवन को पर्याप्त रूप में नहीं देखा
 है, इसिलिये वे शीर्ष राजनीति के लिये तैयार नहीं हैं।
- युवाओं को गंभीरता से नहीं लिया जाना- राजनीतिक दलों को इस बात का डर होता है कि पुराने नेताओं का सम्मान करने वाले भारतीय मतदाता युवा उम्मीदवारों को गंभीरता से नहीं लेंगे।
- दिग्गजों को नहीं छोड़ना- आमतौर पर पार्टी के प्रमुख निर्णय निर्माता, पार्टी के दिग्गजों को नजरंदाज नहीं कर पाते हैं उन्हें इस बात की भय होता है कि इससे पार्टी के अंदर अंतरिक्ष कहल की स्थिति उत्पन्न हो सकती है।
- बल की राजनीति- राजनेताओं द्वारा राजनीति में अच्छे लोगों के प्रवेश को रोकने हेतु बल और धन शक्ति का उपयोग किया जाता है।
- सफलता की कम संभावना- युवाओं के प्रति असफलता की संभावना का भय अधिक रहता है।
- अच्छे लोग द्वारा राजनीति में आने से परहेज एक राजनीतिज्ञ के बारे में आम आदमी की सामान्य धारणा है कि अधिकांश राजनीतिज्ञ धोखेबाज और भ्रष्ट होते हैं, इसलिये प्राय: जमीनी स्तर से जुड़े लोग स्वयं को राजनेताओं की श्रेणियों में सूचीबद्ध होने से बचाते हैं।
- अनैतिक आचरण- कई लोग गंदी राजनीति के कारण अपनी अच्छी छिव को नुकसान पहुँचने से बचाने हेतु राजनीति में प्रवेश करने से कतराते हैं। वस्तुत: भारतीय राजनीति में अनैतिक आचरण, एक आदर्श के रूप में स्थापित हो गया है।
- भाई-भतीजावाद- यह एक महत्त्वपूर्ण कारक है और इसी वजह से अक्सर यह देखा जाता है कि कई युवा जो सफल राजनीतिज्ञ बन जाते हैं
 वे प्रभावशाली राजनीतिक परिवारों से ही संबंध रखते हैं।
- अन्य कारण- नगरपालिका, पंचायत और महापौर चुनावों अभियान में बढ़ते खर्च और आरक्षण आदि कारणों ने भी युवा राजनेताओं की सफलता में चुनौतियाँ पैदा की हैं।

संबंधित पहल:

- महिला आरक्षण विधेयक, 2008:
 - यह विधेयक भारतीय संसद के निचले सदन अर्थात् लोकसभा और सभी राज्यों की विधानसभाओं में महिलाओं हेतु 1/3 सीटें आरिक्षत करने के लिये भारतीय संविधान में संशोधन करने का प्रस्ताव करता है।
- पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिये आरक्षण:
 - ◆ संविधान के अनुच्छेद 243D का खंड (3) पंचायत स्तर पर प्रत्यक्ष चुनाव से भरी जाने वाली सीटों और पंचायत अध्यक्षों के कार्यालयों में कम-से-कम एक-तिहाई सीटें महिलाओं के लिये आरक्षित करके पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करता है।

- राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव:
 - 🔷 राष्ट्रीय सेवा योजना (National Service Scheme- NSS) और नेहरू युवा केंद्र संगठन (Nehru Yuva Kendra Sangathan- NYKS) द्वारा युवा मामलों और खेल मंत्रालय के तत्त्वाधान में इस महोत्सव का आयोजन किया जाता है। इसके उद्देश्यों में शामिल है:
 - 18-25 आयु वर्ग के युवाओं के विचारों को जानना, जिन्हें वोट देने की अनुमित तो है, लेकिन वे चुनाव में नहीं लड़ सकते।
 - युवाओं को सार्वजिनक मुद्दों से जुड़ने, आम आदमी की बात को समझने, अपनी राय बनाने और इन्हें एक स्पष्ट तरीके से व्यक्त करने के लिये प्रोत्साहित करना।
- राष्ट्रीय युवा संसद योजनाः
 - संसदीय कार्य मंत्रालय द्वारा वर्ष 1966 से युवा संसद कार्यक्रम का क्रियान्वयन किया रहा है।
 - इसका उद्देश्य लोकतंत्र की जड़ों को मजबूत करना, अनुशासन की आदतों को अपनाने हेतु प्रोत्साहित करना, दूसरों के दृष्टिकोण को समझने में सहायता करना और छात्र समदाय को संसद की प्रथाओं और प्रक्रियाओं के बारे में जानने में मदद करना है।

आगे की राहः

- भारत जैसे देश में यह आवश्यक है कि मुख्यधारा की राजनीतिक गतिविधि में समाज के सभी वर्गों की समान भागीदारी हो, अत: इस लक्ष्य को प्राप्त करने लिये आवश्यक कदम उठाए जाने चाहिये।
- संवैधानिक रूप से युवा और महिला कोटा को ध्यान में रखते हुए राजनीतिक दलों को भी एक रोटेशन क्रम में युवाओं और महिलाओं हेतु आरक्षित सीटों पर विचार करना चाहिये।
- नगरपालिका और पंचायत चुनावों में उन नेताओं को मौका मिलना चाहिये देना चाहिये जिनके पास जमीनी स्तर पर अनुभव है। ऐसे नेताओं को कुछ और अनुभव के बाद, राज्य और अंतत: केंद्रीय विधायी सीटों हेतू आगे आने का अवसर दिया जाना चाहिये।
- पार्टी में आंतरिक स्तर पर लोकतंत्र को बढ़ावा देना चाहिये, जहाँ एक लोकतांत्रिक राजनीतिक दल में अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष आदि जैसे विभिन्न पद चुनाव प्रक्रिया द्वारा भरे जाते हैं।

स्टेट ऑफ वर्किंग इंडिया 2021: वन ईयर ऑफ कोविड-19' रिपोर्ट

चर्चा में क्यों?

हाल ही में अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी- सेंटर फॉर सस्टेनेबल एम्प्लॉयमेंट (बंगलूरू) द्वारा 'स्टेट ऑफ वर्किंग इंडिया 2021: वन ईयर ऑफ कोविड-19' शीर्षक से एक वार्षिक रिपोर्ट का प्रकाशन किया गया है।

इस रिपोर्ट में मार्च 2020 से दिसंबर 2020 तक की अवधि को शामिल किया गया है और यह रिपोर्ट एक वर्षीय अवधि के दौरान रोजगार, आय. असमानता तथा गरीबी पर कोविड-19 के प्रभावों का उल्लेख करती है।

प्रमुख बिंदु

रोजगार पर प्रभावः

- अप्रैल-मई 2020 में लागू लॉकडाउन के दौरान लगभग 100 मिलियन लोगों की नौकरियाँ छूट गईं।
- हालाँकि इनमें से अधिकांश श्रमिकों को जून 2020 तक रोजगार मिल गया था, लेकिन अभी भी लगभग 15 मिलियन लोग काम से वंचित थे।

आय पर प्रभाव:

- चार सदस्यों के औसत परिवार वाले घरों के लिये. जनवरी 2020 में प्रति व्यक्ति मासिक आय (5,989 रुपये) की तुलना में अक्तबर 2020 में प्रति व्यक्ति मासिक आय (4,979 रुपये) में गिरावट दर्ज की गई।
- महामारी के दौरान श्रमिकों की मासिक आय में औसतन 17% तक की गिरावट दर्ज की गई. जिसमें स्वरोजगार और अनौपचारिक वेतनभोगी श्रमिकों को कमाई का सबसे अधिक नुकसान हुआ।

अनौपचारिकता:

• लॉकडाउन के बाद, लगभग आधे वेतनभोगी श्रमिकों ने अनौपचारिक कार्यो या तो स्व-नियोजित (30%), आकस्मिक वेतन (10%) या अनौपचारिक वेतनभोगी (9%) कार्यों की ओर रुख किया ।

आर्थिक प्रभाव की प्रतिगामी प्रकृति:

- अप्रैल और मई 2020 के महीनों में सबसे गरीब 20% परिवारों ने किसी भी प्रकार की आय का उपार्जन नहीं किया।
- दूसरी ओर, देश के शीर्ष 10% परिवारों को लॉकडाउन के दौरान सबसे कम नुकसान उठाना पड़ा और संपूर्ण लॉकडाउन के दौरान उन्हें फरवरी माह की आय का लगभग 20% का ही नुकसान हुआ।

महिलाओं पर प्रतिकुल प्रभावः

- लॉकडाउन के दौरान और बाद के महीनों में, 61 प्रतिशत कामकाजी पुरुष कार्यरत रहे है, जबिक 7 प्रतिशत लोगों ने रोजगार खो दिया और काम पर वापस नहीं आए।
- लेकिन महिलाओं के संदर्भ में, केवल 19 प्रतिशत महिलाएँ ही कार्यरत रहीं और 47 प्रतिशत को लॉकडाउन के दौरान स्थायी नौकरी का नुकसान उठाना पड़ा और 2020 के अंत तक भी उनको रोजागार नहीं मिला या वे काम पर वापस नहीं आ सकीं।

गरीबी दर में वृद्धिः

- नौकरी खोने और आय में कमी के कारण गरीबी में सर्वाधिक वृद्धि हुई।
 - परिवारों को अपने खाद्य उपभोग में कमी करके, संपत्ति बेचकर और मित्रों, रिश्तेदारों तथा साहूकारों से अनौपचारिक ऋण लेकर आय की क्षित का सामना करना पडा।
- महामारी के दौरान राष्ट्रीय न्यूनतम वेतन सीमा से नीचे रहने वाले लोगों की संख्या (अनूप सतपथी सिमिति द्वारा अनुशंसित 375 रुपए प्रिति
 दिन) में 230 मिलियन की वृद्धि हुई है। गरीबी दर ग्रामीण क्षेत्रों में 15 प्रतिशत अंक और शहरी क्षेत्रों में लगभग 20 प्रतिशत अंकों तक बढ़ी है।

सुझाव

- जैसा कि भारत ने कोविड-19 की दूसरी लहर का सामना किया है और हालिया वर्षों में यह संभवत: मानव जीवन की सबसे चुनौतीपूर्ण स्थिति है, ऐसे में पहले से ही संकटग्रस्त आबादी की सहायता करने के लिये तत्काल नीतिगत उपायों को अपनाने की आवश्यकता है।
- प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना (PMGKY) के तहत अतिरिक्त सार्वजिनक वितरण प्रणाली (PDS) की पात्रता को वर्ष के अंत तक बढाया जाना चाहिये।
- मौजूदा डिजिटल अवसंरचना का प्रयोग करते हुए विभिन्न संवेदनशील परिवारों को तीन माह के लिये 5,000 रुपए के नकद हस्तांतरण की सुविधा दी जा सकती है। इसमें जन धन खातों का उपयोग किया जा सकता है, किंतु यह सुविधा केवल जन धन खातों तक ही सीमित नहीं होनी चाहिये।
- मनरेगा (महात्मा राष्ट्रीय गांधी रोजगार गारंटी अधिनियम) ने एक महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई है और इसके आवंटन को विस्तारित करने की आवश्यकता है।
- महामारी से सबसे अधिक प्रभावित जिलों में एक शहरी रोजगार कार्यक्रम को पायलट-प्रोजेक्ट के रूप में शुरू किया जा सकता है, जो संभवत:
 महिला श्रमिकों पर केंद्रित हो।
- जमीनी स्तर पर वायरस से मुकाबला कर रहीं 2.5 मिलियन आंगनवाड़ी और आशा कार्यकर्त्ताओं के लिये 30,000 रुपए का एक कोविड-19 कठिनाई भत्ता (छह माह के लिये 5,000 रुपए प्रति माह) घोषित किया जाना चाहिये।

शहरी और ग्रामीण गरीबों पर कोविड-19 का प्रभाव

चर्चा में क्यों?

हाल ही में हंगर वॉच (Hunger Watch) की एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि कोविड-19 ने शहरी गरीबों को अधिक भुखमरी तथा ग्रामीण गरीबों से ज़्यादा कुपोषण की स्थिति में पहुँचा दिया है।

- हंगर वॉच सामाजिक समूहों और आंदोलनों का एक संगठन है।
- इससे पहले संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (United Nations Development Programme) के एक अध्ययन में पाया गया था कि लगभग 207 मिलियन लोग कोरोनावायरस महामारी के गंभीर दीर्घकालिक प्रभाव के कारण वर्ष 2030 तक अत्यधिक गरीब हो जाएंगे।
- साथ ही प्यू रिसर्च सेंटर (Pew Research Center) द्वारा किये गए एक नए शोध में पाया गया है कि कोविड-19 ने लगभग 32 मिलियन भारतीयों को मध्यम वर्ग से बाहर कर दिया है, जिससे भारत में गरीबी बढ़ गई है।

प्रमुख बिंदु

आर्थिक प्रभाव:

- खाद्य असुरक्षा ने अधिक लोगों को श्रम बल में प्रवेश करने के लिये प्रेरित किया है (उत्तरदाताओं के बीच श्रम बल में 55% की वृद्धि)।
 - इससे बाल श्रम में भी वृद्धि देखी गई।
- आर्थिक संकट गहरा रहा था क्योंिक नौकरी गंवाने वाले लोग अभी तक वैकिल्पक रोजगार नहीं ढूँढ पाए थे और अनौपचारिक क्षेत्र में आजीविका के अवसर लॉकडाउन के बाद बहुत कम बन पाए थे।
- आधे से अधिक शहरी उत्तरदाताओं के आय में आधा या एक चौथाई की कमी आई जबिक यह ग्रामीण उत्तरदाताओं के आय में यह कमी एक तिहाई से थोडी अधिक थी।

सार्वज़निक वितरण प्रणाली और सामाजिक क्षेत्र की योजनाओं का कवरेज:

- ग्रामीण निवासियों का एक बड़ा वर्ग सार्वजनिक वितरण प्रणाली (Public Distribution System- PDS) के माध्यम से खाद्यान्न की वजह से महामारी से प्रेरित आर्थिक व्यवधान को खत्म कर पाया, लेकिन शहरी गरीबों तक ऐसे राशन की पहुँच बहुत कम थी।
- सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का ग्रामीण गरीबों के बीच अपेक्षाकृत बेहतर कवरेज था, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में पीडीएस की बेहतर पहुँच थी।
- शहरी क्षेत्रों के घरों के एक बड़े हिस्से की राशन कार्डों तक पहुँच नहीं थी।

पोषण और भूख:

- पोषण संबंधी गुणवत्ता और मात्रा में गिरावट शहरी उत्तरदाताओं में अधिक थी क्योंकि इन्हें भोजन खरीदने के लिये पैसे उधार लेने की आवश्यकता थी।
- कुल मिलाकर, भूख और खाद्य असुरक्षा का स्तर उच्च रहा। अत: इस स्थिति में रोजगार के नए अवसर, खाद्य सहायता जैसे उपायों के बिना सुधार की कम उम्मीद है।
- भारत का खाद्यान्न उत्पादन वर्ष 2018-19 (291.1 मिलियन टन) की तुलना में वर्ष 2019-20 (296.65 मिलियन टन) में 4% अधिक
 था, फिर भी भुखमरी की स्थिति पहले से व्यापक हो गई है और कुछ लोगों को तो पूरे दिन में आवश्यकता से कम भोजन मिल रहा है।
- सामाजिक रूप से कमजोर समूहों जैसे- एकल महिलाओं के नेतृत्व वाले घर, विकलांग लोगों के घर, ट्रांसजेंडर आदि की स्थिति बहुत खराब हो गई थी।

राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के आँकड़े:

• हंगर वॉच रिपोर्ट के ऑंकड़े चिंताजनक हैं, विशेषकर जब इन्हें राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण (National Family Health Survey- NFHS) के ऑंकड़ों के साथ मिलाकर देखते हैं।

- NFHS के आँकड़ों ने कुपोषण के परिणामों में या तो बढ़ोत्तरी या ठहराव दर्शाया है, जैसे कि चाइल्ड स्टंटिंग और वेस्टिंग (Wasting) का प्रचलन तथा महिलाओं एवं बच्चों में एनीमिया का उच्च स्तर।
 कोविड के प्रभाव को कम करने के लिये सरकारी पहलें:
- प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना।
- भारतीय रिज़र्व बैंक का कोविड-19 आर्थिक राहत पैकेज।
- आत्मिनर्भर भारत अभियान।

आगे की राह

 चूँिक अधिकांश गरीबों के पास पहले से ही कम आय थी, घरेलू आय में यह कमी भुखमरी को बढ़ावा देने वाले उत्प्रेरक के समान है। इसे कम करने के लिये शहरी क्षेत्रों में रियायती भोजन और रोजगार की गारंटी के प्रावधान वाली योजनाओं सिहत सामाजिक सुरक्षा उपायों पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है।

UDID पोर्टल

चर्चा में क्यों?

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय (Ministry of Social Justice & Empowerment) ने एक अधिसूचना जारी करके सभी राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों के लिये 01.06.2021 से ऑनलाइन मोड में अद्वितीय अक्षमता पहचान (Unique Disability ID-UDID) पोर्टल के माध्यम से दिव्यांगता प्रमाण पत्र जारी करना अनिवार्य कर दिया है।

प्रमुख बिंदु

अद्वितीय अक्षमता पहचान (UDID) पोर्टल:

- इस परियोजना को राष्ट्रीय स्तर पर दिव्यांगजनों का डेटाबेस तैयार करने और प्रत्येक दिव्यांग (PwDs) को एक विशिष्ट अद्वितीय अक्षमता पहचान पत्र जारी करने के उद्देश्य से कार्यान्वित किया जा रहा है।
- यह परियोजना न केवल विकलांग लोगों को सरकारी लाभ देने में पारदर्शिता, दक्षता और सुगमता को प्रोत्साहित करेगी बल्कि एकरूपता भी सिनिश्चित करेगी।
- यह परियोजना कार्यान्वयन के सभी स्तरों- ग्रामीण स्तर, ब्लॉक स्तर, जिला स्तर, राज्य स्तर और राष्ट्रीय स्तर पर लाभार्थियों की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति की टैकिंग को सरल बनाने में भी मदद करेगी।

दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016:

- दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016, दिव्यांग व्यक्ति (समान अवसर, अधिकारों का संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995 को प्रतिस्थापित करता है।
- इस अधिनियम में विकलांगता को एक विकसित और गतिशील अवधारणा के आधार पर परिभाषित किया गया है तथा अपंगता के मौजूदा प्रकारों को 7 से बढ़ाकर 21 कर दिया गया है।
- इस अधिनियम द्वारा दिव्यांग व्यक्तियों के लिये सरकारी नौकरियों में आरक्षण को 3% से बढ़ाकर 4% तथा उच्च शिक्षण संस्थानों में आरक्षण को 3% से बढ़ाकर 5% कर दिया गया है।
- यह अधिनियम दिव्यांगता से संबंधित नियमों को 'विकलांग व्यक्तियों के लिये संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन' (UN Convention on the Rights of Persons with Disabilities- UNCRPD) के अनुरूप बनाता है। उल्लेखनीय है कि भारत इस कन्वेंशन का हस्ताक्षरकर्त्ता है।

दिव्यांग्जनों के लिये अन्य कार्यक्रम /पहल:

• सुगम्य भारत अभियान (Accessible India Campaign): दिव्यांगजनों हेतु एक सक्षम और बाधारहित वातावरण तैयार करने के लिये।

- दीनदयाल दिव्यांग पुनर्वास योजना (DeenDayal Disabled Rehabilitation Scheme): इस योजना के तहत दिव्यांग व्यक्तियों को विभिन्न सेवाएँ प्रदान करने के लिये गैर-सरकारी संगठनों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।
- एडिप योजना: सहायक यंत्रों/उपकरणों की खरीद/फिटिंग के लिये विकलांग व्यक्तियों को सहायता योजना (Assistance to Disabled persons for purchasing/fitting of aids/appliances scheme- ADIP) का उद्देश्य दिव्यांगजनों की सहायता हेतु उचित, टिकाऊ, परिष्कृत और वैज्ञानिक रूप से निर्मित, आधुनिक, मानक सहायता तथा उपकरणों तक उनकी पहुँच सुनिश्चित करना है।
- दिव्यांग छात्रों के लिये राष्ट्रीय फैलोशिप: इसका उद्देश्य दिव्यांग छात्रों को उच्च शिक्षा प्राप्त करने हेतु अवसरों में वृद्धि करना है।

कोविड-19: मेक इट द लास्ट पेंडेमिक रिपोर्ट

चर्चा में क्यों?

हाल ही में 'महामारी के विरुद्ध तैयारी और प्रतिक्रिया के लिये स्वतंत्र पैनल' (IPPPR) ने अपनी रिपोर्ट "कोविड -19: मेक इट द लास्ट पेंडेमिक" में निष्कर्ष निकाला है कि कोविड-19 महामारी के भयावह दृश्य को रोका जा सकता था।

विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) के सदस्य राज्यों द्वारा मई 2020 में इस रिपोर्ट हेतु अनुरोध किया गया था।

प्रमुख बिंदुः

बढ़ी हुई कोविड समस्या के कारण:

- खराब निर्णय:
 - ♦ रिपोर्ट के अनुसार, खराब निर्णयों की एक विस्तृत शृंखला के कारण कोविड -19 से अब तक कम-से-कम 3.3 मिलियन व्यक्तियों की मृत्यु हो गई और वैश्विक अर्थव्यवस्था भी तबाह होने की कगार पर पहुँच गई।
 - ◆ खराब रणनीतिक विकल्प, असमानताओं से निपटने की अनिच्छा और एक असंगठित प्रणाली ने एक विषाक्त स्थिति को जन्म दिया, जिसने महामारी को एक भयावह मानव संकट में बदलने का कार्य किया।
- विभिन्न संस्थानों का अक्रियाशील होना:
 - विभिन्न स्वास्थ्य संस्थान लोगों की रक्षा करने में विफल रहे।
 - 🔷 इस महामारी की दूसरी लहर के खतरे को नज़रअंदाज़ कर दिया गया था और देश इससे निपटने के लिये पूरी तरह से तैयार नहीं थे।
- तात्कालिकता की कमी:
 - ♦ दिसंबर 2019 में चीन के वृहान में पाए गए इस प्रकोप की शुरुआती प्रतिक्रियाओं में तात्कालिकता का अभाव था, फरवरी 2020 एक संवेदनशील माह था क्योंकि इस दौरान देश इस स्थिति पर ध्यान देने में विफल रहे।
- देरी:
 - 🔷 कोविड -19 की दूसरी लहर के उद्भव के कारणों में शुरुआती और त्वरित कार्रवाई की कमी थी।
 - ♦ WHO द्वारा इस स्थिति को अंतर्राष्ट्रीय चिंता का सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल (PHEIC) घोषित किया जा सकता था।

अनुशंसाएँ:

- अमीरों को गरीबों की मदद करनी चाहिये:
 - अमीर देशों द्वारा टीकाकरण की आवश्यकता वाले देशों को 'कोवैक्स योजना' के अंतर्गत 92 सबसे गरीब क्षेत्रों को सितंबर 2021 तक कम-से-कम एक बिलियन वैक्सीन खुराक और वर्ष 2022 के मध्य तक दो बिलियन से अधिक खुराक प्रदान करनी चाहिये।
 - ◆ G-7 औद्योगीकृत राष्ट्रों को वर्ष 2021 में WHO के 'कोविड टूल्स एक्सेलेरेटर' कार्यक्रम के माध्यम से टीके, निदान और चिकित्सा विज्ञान के लिये आवश्यक 19 बिलियन अमेरिकी डॉलर के 60% का भुगतान करना चाहिये।
 - ◆ G20 देशों और अन्य को बाकी सहायता प्रदान करनी चाहिये।

- अंतर्राष्ट्रीय संगठनों को प्रौद्योगिकी हस्तांतरण की सुविधा प्रदान करनी चाहिये:
 - ♦ WHO और विश्व व्यापार संगठन (WTO) को भी प्रमुख वैक्सीन उत्पादक देशों और निर्माताओं को कोविड -19 टीकों हेतु स्वैच्छिक लाइसेंस और प्रौद्योगिकी हस्तांतरण के लिये सहमत होना चाहिये।
 - यदि तीन महीने के भीतर कार्रवाई नहीं होती है, तो बौद्धिक संपदा अधिकारों के तहत छूट तुरंत लागू होनी चाहिये।
 - भारत और दक्षिण अफ्रीका पहले से ही विश्व व्यापार संगठन के सदस्य देशों को महामारी से समान रूप से लड़ने के लिये इस तरह
 की छूट प्रदान करने हेतु सहमत होने का प्रयास कर रहे हैं।

भविष्य की महामारी को रोकने हेतु सुझाव:

- वैश्विक स्वास्थ्य संकट परिषद:
 - भविष्य के प्रकोपों और महामारियों से निपटने के लिये इस पैनल ने वैश्विक स्वास्थ्य संकट परिषद का आह्वान किया, जो वैश्विक नेताओं से निर्मित परिषद के साथ-साथ एक महामारी सम्मेलन भी है।
- अंतर्राष्ट्रीय महामारी वित्तपोषण सुविधाः
 - ◆ G-20 को एक अंतर्राष्ट्रीय महामारी वित्तपोषण सुविधा का निर्माण करना चाहिये, जो तैयारियों पर प्रतिवर्ष 5-10 बिलियन अमेरिकी डॉलर खर्च करने में सक्षम हो तथा संकट की स्थिति में 50 से 100 बिलियन अमेरिकी डॉलर खर्च करने के लिये तैयार हो।
- WHO का पुनरीक्षण:
 - ♦ WHO के स्वयं के वित्त पोषण पर अधिक नियंत्रण और नेतृत्व के लिये तथा इसके पुनरीक्षण का प्रस्ताव रखा गया है।
 - इसकी चेतावनी प्रणाली को तीव्र करने की आवश्यकता है और इसके पास देशों की अनुमित की प्रतीक्षा किये बिना विशेषज्ञ मिशनों को तुरंत भेजने का अधिकार होना चाहिये।

'महामारी के विरुद्ध तैयारी और प्रतिक्रिया के लिये स्वतंत्र पैनल'(IPPPR):

- इसकी स्थापना वर्ष 2020 में WHO के महानिदेशक द्वारा विश्व स्वास्थ्य सभा के प्रस्ताव 73.1 के उत्तर के रूप में की गई थी।
- संकल्प 73.1 ने स्वास्थ्य आपात स्थितियों के लिये बेहतर तैयारी और अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य विनियमों के अनुपालन की प्रतिबद्धता को नवीनीकृत किया।

सचिवालय:

यह स्वतंत्र पैनल जिनेवा में स्थित अपने स्वयं के स्वतंत्र सिचवालय द्वारा समर्थित है।

मिशन:

 यह सुनिश्चित किया जाना चाहिये कि भविष्य के लिये एक साक्ष्य-आधारित मार्ग प्रदान करने हेतु तथा वर्तमान और अतीत की घटनाओं से प्रभावित देशों एवं वैश्विक संस्थानों की सफलता सुनिश्चित करने के लिये, विशेष रूप से WHO सिंहत अन्य संस्थाएँ स्वास्थ्य संबंधी खतरों को प्रभावी ढंग से संबोधित करती हैं।

लॉकडाउन के दौरान बाल विवाह में बढ़ोतरी

चर्चा में क्यों?

हाल ही में कर्नाटक के कुछ सामाजिक कार्यकर्त्ताओं और संगठनों ने महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के समक्ष लॉकडाउन के दौरान बाल विवाह संबंधी मामलों में हो रही बढ़ोतरी का मुद्दा उठाया है।

• 'चाइल्डलाइन इंडिया' नामक गैर-सरकारी संगठन द्वारा दिसंबर 2020 में प्रकाशित एक रिपोर्ट के मुताबिक, महामारी और उसके बाद लागू किये गए लॉकडाउन के कारण मध्य प्रदेश के ग्रामीण इलाकों में बाल विवाह के मामलों में बढ़ोतरी दर्ज की गई है।

प्रमुख बिंदु

बाल विवाह

- बाल विवाह का आशय 18 वर्ष की आयु से पूर्व किसी लड़की या लड़के के विवाह से है और यह औपचारिक तथा अनौपचारिक दोनों
 प्रकार के विवाहों को संदर्भित करता है, जिसमें 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चे (लड़की अथवा लड़का) वैवाहिक रूप से एक साथ रहते हैं।
- संयुक्त राष्ट्र बाल कोष (यूनिसेफ) का अनुमान है कि भारत में प्रतिवर्ष 18 वर्ष से कम उम्र की कम-से-कम 1.5 मिलियन लड़िकयों का विवाह किया जाता है, यही कारण है कि भारत में विश्व की सबसे अधिक (तकरीबन एक तिहाई) बाल वधु हैं।
- 'द लैंसेट' के हालिया अध्ययन से पता चलता है कि कोविड-19 महामारी के कारण आगामी 5 वर्षों में दुनिया भर में 2.5 मिलियन से अधिक लड़िकयों (18 वर्ष से कम) पर विवाह का खतरा है।

लॉकडाउन के दौरान बाल विवाह में बढ़ोतरी के कारण:

- चेतावनी तंत्र का अभाव
 - महामारी और लॉकडाउन के पूर्व मैरिज हॉल और मंदिरों आदि में होने वाले बाल विवाह के बारे में आसपास के जागरूक लोग, संबंधित अधिकारियों या सामाजिक कार्यकर्त्ताओं को सूचित कर देते थे, जिससे वे बाल विवाह को रोकने के लिये समय पर पहुँच जाते थे। लेकिन अब लॉकडाउन के कारण घरों में ही शादियाँ हो रही हैंं, जिसकी वजह से चेतावनी तंत्र कमज़ोर हो गया है।
- महामारी प्रेरित दबाव
 - ♦ महामारी के कारण आर्थिक दबाव ने गरीब माता-पिता और परिजनों को लड़िकयों की जल्द शादी करने के लिये प्रेरित किया है।
 - स्कूल बंद होने के कारण बच्चों, विशेषकर लड़िकयों की सुरक्षा बच्चों के खिलाफ हिंसा और बाल विवाह में वृद्धि का एक प्रमुख कारण है।

बाल विवाह के सामान्य कारक

- आयु
 - ♦ कुछ माता-पिता 15-18 की आयु को अनुत्पादक मानते हैं, विशेष रूप से लड़िकयों के लिये, ऐसे में वे इस आयु के दौरान अपने बच्चे हेतु जीवनसाथी खोजना शुरू कर देते हैं।
 - लड़कों की तुलना में कम आयु की लड़िकयों में बाल विवाह की संभावना अधिक होती है।
 - 🔷 इसके अलावा शिक्षा का अधिकार अधिनियम केवल 14 वर्ष की आयु तक शिक्षा को नि:शुल्क और अनिवार्य बनाता है।
- असुरक्षा
 - ♦ कानून-व्यवस्था अभी भी किशोर उम्र में लड़िकयों के लिये एक सुरिक्षत वातावरण प्रदान करने में सक्षम नहीं है, इस वजह से भी कुछ माता-िपता अपनी बालिकाओं का विवाह कम उम्र में ही कर देते हैं।
- अन्य कारण
 - निर्धनता/गरीबी
 - राजनीतिक और वित्तीय कारण
 - शिक्षा का अभाव
 - पितृसत्ता और लैंगिक असमानता आदि।

प्रभाव

- विलंबित जनसांख्यिकीय लाभांश
 - ♦ बाल विवाह संयुक्त और बड़े पिरवारों के निर्माण में योगदान देता है, नतीजतन जनसंख्या में बढ़ोतरी होती है। यह जनसांख्यिकीय लाभांश में देरी/विलंब करता है, जो कम प्रजनन दर और शिक्षा में निवेश से प्राप्त किया जा सकता है।

- परिवार के लिये हानिकारक
 - ◆ कम आयु में विवाह करने वाले बच्चे विवाह की जिम्मेदारियों को नहीं समझते हैं। इससे परिवार के सदस्यों के बीच तालमेल और समन्वय में कमी होती है, जो कि एक संस्था के रूप में परिवार के लिये हानिकारक है।
- बाल वधू पर
 - यह बच्चों के शिक्षा, स्वास्थ्य और सुरक्षा संबंधी अधिकारों को नकारात्मक रूप से प्रभावित करता है।
 - बाल विवाह के कारण लड़िकयों के स्कूल न जाने और इस तरह सामाजिक एवं सामुदायिक विकास में योगदान न देने की संभावना अधिक बढ जाती है।
 - ♦ बाल विवाह के कारण लड़िकयाँ घरेलू हिंसा और एचआईवी/एड्स आदि से संक्रमित होने के प्रति अधिक संवेदनशील हो जाती हैं।
 - गर्भावस्था और प्रसव के दौरान जिंटलताओं के कारण मातृत्व मृत्यु की संभावना अधिक बढ़ जाती है।

बाल विवाह रोकने के लिये सरकार द्वारा किये गए प्रयास

- वर्ष 1929 का बाल विवाह निरोधक अधिनियम, देश में बाल विवाह की प्रथा को प्रतिबंधित करता है।
- विशेष विवाह अधिनियम, 1954 और बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम, 2006 के तहत महिलाओं और पुरुषों के लिये विवाह की न्यूनतम आयु क्रमश: 18 वर्ष और 21 वर्ष निर्धारित की गई है।
 - बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम, 2006 को बाल विवाह निरोधक अधिनियम (1929) की किमयों को दूर करने के लिये लागू किया गया था।
- केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने मातृत्व आयु, मातृ मृत्यु दर और महिलाओं के पोषण स्तर में सुधार से संबंधित मुद्दों की जाँच करने के लिये एक समिति का गठन किया है। यह समिति जया जेटली की अध्यक्षता में गठित की गई है।
 - इस सिमिति को केंद्रीय बजट 2020-21 में प्रस्तावित किया गया था।
- बाल विवाह जैसी कुप्रथा का उन्मूलन सतत् विकास लक्ष्य-5 (SDG-5) का हिस्सा है, जो कि लैंगिक समानता प्राप्त करने तथा सभी महिलाओं एवं लड़िकयों को सशक्त बनाने से संबंधित है।

आगे की राह

- महामारी के दौरान बाल विवाह पर रोक लगाने हेतु यह सुनिश्चित किया जाना महत्त्वपूर्ण है कि आवश्यक स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं के साथ-साथ बाल संरक्षण कार्यकर्ताओं का भी एक मजबूत समूह स्थापित किया जाए।
- भारत में जमीनी स्तर के कार्यकर्त्ताओं की एक मज़बूत प्रणाली है, जिन्होंने यह सुनिश्चित करने में सराहनीय काम किया है कि इस कठिन समय में भी स्वास्थ्य और अन्य सामाजिक सुरक्षा संबंधी सेवाएँ आम जनमानस तक सही तरीके से पहुँच सकें।
- यदि ऐसे कार्यकर्त्ताओं को इस प्रणाली में शामिल किया जाता है, तो वे बाल विवाह को रोकने हेतु आवश्यक कदम उठा सकते हैं और इसे नियंत्रित करने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। ये प्रयास जागरूकता परामर्श और संबंधित परिवार तक कुछ लाभ पहुँचाने आदि के रूप में हो सकते हैं।

कला एवं संस्कृति

गुरु तेग बहादुर की 400वीं जयंती

चर्चा में क्यों?

हाल ही में नौवें सिख गुरु, गुरु तेग बहादुर (Guru Tegh Bahadur) के 400वें प्रकाश पर्व (जन्म शताब्दी) को चिह्नित करने के लिये उनके जन्म स्थान गुरुद्वारा गुरु के महल (Gurdwara Guru Ke Mahal) में श्री अखंड पाठ (Sri Akhand Path) का उद्घाटन किया गया।

प्रमुख बिंदु

गुरु तेग बहादुर (1621-1675):

- गुरु तेग बहादुर नौवें सिख गुरु थे, जिन्हें अक्सर सिखों द्वारा 'मानवता के रक्षक' (श्रीष्ट-दी-चादर) के रूप में याद किया जाता था।
- गुरु तेग बहादुर एक महान शिक्षक के अलावा एक उत्कृष्ट योद्धा, विचारक और किव भी थे, जिन्होंने आध्यात्मिक, ईश्वर, मन और शरीर की प्रकृति के विषय में विस्तृत वर्णन किया।
- उनके लेखन को पवित्र ग्रंथ 'गुरु ग्रंथ साहिब' (Guru Granth Sahib) में 116 काव्यात्मक भजनों के रूप में रखा गया है।
- ये एक उत्साही यात्री भी थे और उन्होंने पुरे भारतीय उपमहाद्वीप में उपदेश केंद्र स्थापित करने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई।
- इन्होंने ऐसे ही एक मिशन के दौरान पंजाब में चाक-नानकी शहर की स्थापना की, जो बाद में पंजाब के आनंदपुर साहिब का हिस्सा बन गया।
- गुरु तेग बहादुर को वर्ष 1675 में दिल्ली में मुगल सम्राट औरंगज़ेब के आदेश के बाद मार दिया गया।

सिख धर्म:

- पंजाबी भाषा में 'सिख' शब्द का अर्थ है 'शिष्य'। सिख भगवान के शिष्य हैं, जो दस सिख गुरुओं के लेखन और शिक्षाओं का पालन करते
 हैं।
- सिख एक ईश्वर (एक ओंकार) में विश्वास करते हैं। इनका मानना है कि उन्हें अपने प्रत्येक काम में भगवान को याद करना चाहिये। इसे सिमरन कहा जाता है।
- सिख अपने पंथ को गुरुमत (गुरु का मार्ग- The Way of the Guru) कहते हैं। सिख परंपरा के अनुसार, सिख धर्म की स्थापना गुरु नानक (1469-1539) द्वारा की गई थी और बाद में नौ अन्य गुरुओं ने इसका नेतृत्व किया।
- सिख धर्म का विकास भिक्त आंदोलन और वैष्णव हिंदू धर्म से प्रभावित था।
- खालसा (Khalsa) प्रतिबद्धता, समर्पण और एक सामाजिक विवेक के सर्वोच्च सिख गुणों को उजागर करता है।
 - ◆ खालसा ऐसे पुरुष और महिलाएँ हैं, जिन्होंने सिख बपितस्मा समारोह में भाग लिया हो और जो सिख आचार संहिता एवं परंपराओं का सख्ती से पालन करते हैं तथा पंथ की पाँच निर्धारित भौतिक वस्तुओं केश, कंघा, कड़ा, कच्छा और कृपाण को धारण करते हैं।
- सिख धर्म व्रत, तीर्थ स्थानों पर जाना, अंधविश्वास, मृतकों की पूजा, मूर्ति पूजा आदि अनुष्ठानों की निंदा करता है।
- यह उपदेश देता है कि विभिन्न नस्ल, धर्म या लिंग के लोग भगवान की नज़र में समान हैं।
- सिख साहित्यः
 - ♦ आदि ग्रंथ को सिखों द्वारा शाश्वत गुरु का दर्जा दिया गया है और इसी कारण इसे 'गुरु ग्रंथ साहिब' के नाम से जाना जाता है।
 - दशम ग्रंथ के साहित्यिक कार्य और रचनाओं को लेकर सिख धर्म के अंदर कुछ संदेह और विवाद है।
- शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक समिति:
 - यह सिमिति पूरे विश्व में रहने वाले सिखों का एक सर्वोच्च लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित निकाय है, जिसे धार्मिक मामलों और सांस्कृतिक तथा ऐतिहासिक स्मारकों की देखभाल के लिये वर्ष 1925 में संसद के एक विशेष अधिनियम के तहत स्थापित किया गया था।

सिख धर्म के दस गुरु

गुरु नानक देव (1469-1539)

- ये सिखों के पहले गुरु और सिख धर्म के संस्थापक थे।
- इन्होंने 'गुरु का लंगर' की शुरुआत की।
- वह बाबर के समकालीन थे।
- गुरु नानक देव की 550वीं जयंती पर करतारपुर कॉरिडोर को शुरू किया गया था।

गुरु अंगद (1504-1552)

• इन्होंने गुरु-मुखी नामक नई लिपि का आविष्कार किया और 'गुरु का लंगर' प्रथा को लोकप्रिय किया।

गुरु अमर दास (1479-1574)

- इन्होंने आनंद कारज विवाह (Anand Karaj Marriage) समारोह की शुरुआत की।
- इन्होंने सिखों के बीच सती और पर्दा व्यवस्था जैसी प्रथाओं को समाप्त कर दिया।
- ये अकबर के समकालीन थे।

गुरु राम दास (1534-1581)

- इन्होंने वर्ष 1577 में अकबर द्वारा दी गई जमीन पर अमृतसर की स्थापना की।
- इन्होंने अमृतसर में स्वर्ण मंदिर (Golden Temple) का निर्माण शुरू किया।

गुरु अर्जुन देव (1563-1606)

- इन्होंने वर्ष 1604 में आदि ग्रंथ की रचना की।
- इन्होंने स्वर्ण मंदिर का निर्माण पूरा किया।
- वे शाहिदीन-दे-सरताज (Shaheeden-de-Sartaj) के रूप में प्रचलित थे।
- इन्हें जहाँगीर ने राजकुमार खुसरो की मदद करने के आरोप में मार दिया।

गुरु हरगोबिंद (1594-1644)

- इन्होंने सिख समुदाय को एक सैन्य समुदाय में बदल दिया। इन्हें "सैनिक संत" (Soldier Saint) के रूप में जाना जाता है।
- इन्होंने अकाल तख्त की स्थापना की और अमृतसर शहर को मज़बृत किया।
- इन्होंने जहाँगीर और शाहजहाँ के खिलाफ युद्ध छेड़ा।

गुरु हर राय (1630-1661)

 ये शांतिप्रिय व्यक्ति थे और इन्होंने अपना अधिकांश जीवन औरंगजेब के साथ शांति बनाए रखने तथा मिशनरी काम करने में समर्पित कर दिया।

गुरु हरकिशन (1656-1664)

- ये अन्य सभी गुरुओं में सबसे छोटे गुरु थे और इन्हें 5 वर्ष की आयु में गुरु की उपाधि दी गई थी।
- इनके खिलाफ औरंगजेब द्वारा इस्लाम विरोधी कार्य के लिये सम्मन जारी किया गया था।

गुरु तेग बहादुर (1621-1675)

इन्होंने आनंदपुर साहिब की स्थापना की।

गुरु गोबिंद सिंह (1666-1708)

- इन्होंने वर्ष 1699 में 'खालसा' नामक योद्धा समुदाय की स्थापना की।
- इन्होंने एक नया संस्कार "पाहुल" (Pahul) शुरू किया।
- ये मानव रूप में अंतिम सिख गुरु थे और उन्होंने 'गुरु ग्रंथ साहिब' को सिखों के गुरु के रूप में नामित किया।

आंतरिक सुरक्षा

P-8I पैट्रोल विमान

चर्चा में क्यों?

अमेरिकी राज्य विभाग ने भारत को छह P-8I पैट्रोल विमान और संबंधित उपकरणों की बिक्री को मंज़्री दी है।

- यह छह विमान एन्क्रिप्टेड सिस्टम (Encrypted Systems) से युक्त होकर भारत आएंगे, जैसा कि भारत ने अमेरिका के साथ संचार संगतता और सुरक्षा समझौते (COMCASA) पर हस्ताक्षर किया था।
- वर्ष 2019 में रक्षा अधिग्रहण परिषद ने विमान की खरीद को मंज़्री दी।

प्रमुख बिंदु

P-8I विमान के बारे में:

- यह एक लंबी दूरी का समुद्री गश्ती एवं पनडुब्बी रोधी युद्धक विमान है।
- यह P-8A पोसाइडन विमान का एक प्रकार है जिसे बोइंग कंपनी ने अमेरिकी नौसेना के पुराने P-3 बेड़े के प्रतिस्थापक के रूप में विकसित किया है।
- 907 किमी प्रति घंटे की अधिकतम गति और 1,200 समुद्री मील से अधिक की दूरी पर एक ऑपरेटिंग रेंज के साथ P-8I खतरों का पता लगाता है और आवश्यकता पड़ने पर भारतीय तटों के आसपास पहुँचने से पहले उन्हें अप्रभावी कर देता है।
- वर्ष 2009 में भारतीय नौसेना P-8I विमान के लिये पहला अंतर्राष्ट्रीय ग्राहक बनी।

भारत-अमेरिका रक्षा संबंध:

- यह प्रस्तावित बिक्री अमेरिका-भारत रणनीतिक संबंधों को मजबूती प्रदान करने में मदद करता है।
 - अमेरिका के लिये, हिंद-प्रशांत और दक्षिण एशियाई क्षेत्र में राजनीतिक स्थिरता, शांति एवं आर्थिक प्रगित की दिशा में भारत एक महत्वपूर्ण शक्ति बना हुआ है।
- संयुक्त राज्य अमेरिका से रक्षा खरीद दोनों देशों के बीच बढ़ते संबंधों का एक अभिन्न अंग है।
 - भारत-अमेरिका के बीच रक्षा व्यापार वर्ष 2008 में लगभग शून्य था जो वर्ष 2020 में लगभग 20 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुँच गया है, जिसने दोनों देशों के बीच प्रमुख नीति उन्नयन में मदद की।
- वर्ष 2016 में अमेरिका ने भारत को एक "मेजर डिफेंस पार्टनर" नामित किया था। वर्ष 2018 में अमेरिका ने सामिरक व्यापार प्राधिकरण-1
 (STA-1) के तहत भारत को नाटो सहयोगी देश और ऑस्ट्रेलिया, जापान और दक्षिण कोरिया के समान रक्षा प्रौद्योगिकी तक पहुँच प्रदान की है।

संचार संगतता और सुरक्षा समझौता (COMCASA):

- संचार संगतता और सुरक्षा समझौता (COMCASA) अमेरिका और भारत के संचार सुरक्षा उपकरणों के हस्तांतरण के लिये एक कानूनी
 ढाँचा है जो उनकी सेनाओं के बीच " इंटरऑपरेबिलिटी या अंत:संचालन" की सुविधा और संभवत: डेटा लिंक सुरक्षा के लिये अन्य सेनाओं
 के साथ अमेरिका-आधारित तंत्र का उपयोग करेगा।
- यह उन चार मूलभूत समझौतों में से एक है जो अमेरिका के सहयोगी और करीबी पार्टनर देशों को उच्च क्षमता तकनीक एवं सेनाओं के बीच अंत:संचालन की सुविधा का संकेत देता है।
- यह संचार और सूचना पर सुरक्षा ज्ञापन समझौते (CISMOA) का एक भारत-विशिष्ट संस्करण है।

अमेरिका और उनके भागीदारों के बीच चार मूलभूत समझौते

- मिलिट्री इनफार्मेशन एग्रीमेंट ऑफ़ जनरल सिक्योरिटी (GSOMIA)
 - यह सेनाओं को उनके द्वारा एकत्रित खुिफया जानकारी को साझा करने की अनुमित देता है।
 - इस पर भारत ने वर्ष 2002 में हस्ताक्षर किया।
- लॉजिस्टिक्स एक्सचेंज मेमोरैंडम ऑफ एग्रीमेंट (LEMOA):
 - यह समझौता दोनों देशों की सेनाओं की एक-दूसरे की सैन्य सुविधाओं तक पहुँच को आसान बनाता है। यह नौसेना का यू.एस.ए. के साथ समुद्र में ईंधन हस्तांतरण के लिये एक ईंधन विनिमय समझौता है।
 - इस पर भारत ने वर्ष 2016 में हस्ताक्षर किये।
- संचार और सूचना पर सुरक्षा ज्ञापन समझौता (CISMOA)
 - ♦ COMCASA समझौता, CISMOA का संचार और सूचना से संबंधित भारत-विशिष्ट संस्करण है।.
 - इस पर भारत ने वर्ष 2018 में हस्ताक्षर किया।
- ब्रिनयादी विनिमय और सहयोग समझौता (BECA)
 - ♦ BECA भारत और अमेरिकी सैनिकों को एक दूसरे के साथ भू-स्थानिक जानकारी और उपग्रह डेटा साझा करने की अनुमित देगा।
 - ♦ BECA पर भारत ने वर्ष 2020 में हस्ताक्षर किये।

रक्षा अधिग्रहण परिषद (DAC)

- रक्षा अधिग्रहण परिषद तीन सेवाओं (सेना, नौसेना और वायु सेना) और भारतीय तटरक्षक बल के लिये नई नीतियों व पूँजी अधिग्रहण संबंधी मामलों पर निर्णय लेने वाली रक्षा मंत्रालय की सर्वोच्च संस्था है।
- DAC की अध्यक्षता रक्षा मंत्री द्वारा की जाती है।
- कारिंगल युद्ध (वर्ष 1999) के पश्चात् राष्ट्रीय सुरक्षा प्रणाली में सुधार पर मंत्रिमंडल की सिफारिशों के बाद वर्ष 2001 में रक्षा अधिग्रहण परिषद की स्थापना गई थी।

UNHCR जा सकते हैं म्याँमार शरणार्थी: मणिपुर उच्च न्यायालय

चर्चा में क्यों?

हाल ही में मणिपुर के उच्च न्यायालय (High Court) ने मणिपुर के एक सीमावर्ती शहर में फँसे म्याँमार के सात नागरिकों को नई दिल्ली स्थित संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायोग (United Nations High Commissioner for Refugees- UNHCR) के समक्ष जाने की अनुमित दी है।

- इन सभी सातों नागरिकों ने म्याँमार में सैन्य तख्तापलट के बाद भारत में प्रवेश किया था।
- इस तख्तापलट ने वर्ष 2011 (वर्ष 1962 से सत्ता में रही सेना ने संसदीय चुनाव और अन्य सुधारों को लागू किया था) में शुरू हुए अर्द्ध-लोकतंत्र को थोड़े समय बाद पुन: सैन्य शासन में बदल दिया।

प्रमुख बिंदु

मणिपुर उच्च न्यायालय की टिप्पणी:

- हालाँकि भारत के पास कोई शरणार्थी सुरक्षा नीति या ढाँचा नहीं है, लेकिन फिर भी यह पड़ोसी देशों से आए बड़ी संख्या में शरणार्थियों को शरण देता है।
 - ♦ भारत आमतौर पर अफगानिस्तान और म्याँमार से आए शरणार्थियों की स्थिति पर UNHCR की मान्यता का सम्मान करता है।
- यद्यपि भारत संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी अभिसमयों का पक्षकार देश नहीं है, किंतु यह 'मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा' (Universal Declaration of Human Rights), 1948 तथा 'अंतर्राष्ट्रीय नागरिक एवं राजनीतिक अधिकार नियम' (International Covenant on Civil and Political Rights), 1966 का हस्ताक्षरकर्त्ता है।

- भारतीय संविधान के अनुच्छेद- 21 में शरणार्थियों को उनके मूल-देश में वापस नहीं भेजे जाने यानी 'नॉन-रिफाउलमेंट' (Non-Refoulement) का अधिकार शामिल है।
 - नॉन-रिफाउलमेंट, अंतर्राष्ट्रीय कानून के अंतर्गत एक सिद्धांत है, जिसके अनुसार अपने देश से उत्पीड़न के कारण भागने वाले व्यक्ति को उसी देश में वापस जाने के लिये मज़बूर नहीं किया जाना चाहिये।

भारत-म्याँमार सीमाः

- सीमावर्ती राज्य: भारत और म्याँमार के बीच 1,643 किलोमीटर (मिजोरम 510 किलोमीटर, मणिपुर 398 किलोमीटर, अरुणाचल प्रदेश 520 किलोमीटर और नगालैंड 215 किलोमीटर) की सीमा है तथा दोनों तरफ के लोगों के बीच पारिवारिक संबंध है।
- मुक्त संचरण व्यवस्थाः
 - ♦ भारत और म्याँमार के बीच एक मुक्त संचरण व्यवस्था (Free Movement Regime) मौज़ूद है।
 - ◆ इस व्यवस्था के अंतर्गत पहाड़ी जनजातियों के प्रत्येक सदस्य, जो भारत या म्याँमार के नागरिक हैं और भारत-म्याँमार सीमा (IMB) के दोनों ओर 16 किमी. के भीतर निवास करते हैं, एक सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी सीमा पास (एक वर्ष की वैधता) के साथ सीमा पार कर सकते हैं तथा प्रत्येक यात्रा के दौरान दो सप्ताह तक वहाँ रह सकते हैं।
- म्याँमार से भारत में हाल के पलायन:
 - भारत में पहले से ही बहुत सारे रोहिंग्या, म्याँमार से पलायन करके आए हुए हैं।
 - रोहिंग्या म्याँमार के जातीय मुस्लिम हैं, जो अराकान क्षेत्र में राखीन प्रांत में रहते हैं।
 - म्याँमार में बौद्ध संप्रदाय के लोगों के साथ झड़प के बाद वर्ष 2012 से लगभग 1,68,000 रोहिंग्या भारत आ चुके हैं।
 - म्याँमार सेना ने 1 फरवरी, 2021 को तख्तापलट के माध्यम से म्याँमार की सत्ता पर कब्जा कर लिया था, तब से भारत के उत्तर-पूर्वी राज्यों में लोगों का अंतर्वाह शुरू हुआ है।
 - इन शरणार्थियों में म्याँमार के चिन जनजातीय समूह के लोकतंत्र समर्थक कार्यकर्त्ताओं के साथ म्याँमार के कई पुलिसकर्मी भी शामिल
 हैं, जिन्होंने प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाने के आदेशों को मानने से इंकार कर दिया था।

शरणार्थियों पर भारत का पक्ष:

- भारत बीते लंबे समय से शरणार्थियों को शरण देता रहा है। वर्तमान में भारत में लगभग 3,00,000 लोग शरणार्थी के रूप में रहते हैं, लेकिन यह वर्ष 1951 के शरणार्थी कन्वेंशन या वर्ष 1967 के इसके प्रोटोकॉल का हस्ताक्षरकर्त्ता नहीं है और न ही इसके पास कोई शरणार्थी नीति या शरणार्थी कानून है।
- इससे भारत के लिये शरणार्थियों के प्रहसन पर निर्णय लेने हेतु तमाम विकल्प खुले हैं। भारत सरकार शरणार्थियों के किसी भी समूह को अवैध आप्रवासी घोषित कर सकती है, उदाहरण के लिये UNHCR के सत्यापन के बावजूद भारत सरकार द्वारा रोहिंग्या शरणार्थियों से संबंधित मुद्दों से निपटने के लिये विदेशी अधिनियम (Foreigners Act) या भारतीय पासपोर्ट अधिनियम (Indian Passport Act) के प्रयोग का निर्णय लिया गया।
- हाल ही में भारत ने नागरिकता संशोधन अधिनियम, 2019 के द्वारा अपनी एक शरणार्थी नीति स्पष्ट की है, जिसके अंतर्गत भारतीय नागरिकता प्रदान करने हेतु धर्म के आधार पर शरणार्थियों के बीच भेदभाव की नीति अपनाई गई है।

संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी संधि, 1951

- यह संयुक्त राष्ट्र (United Nation) की एक बहुपक्षीय संधि है, जिसमें शरणार्थी की परिभाषा, उनके अधिकार तथा हस्ताक्षरकर्ता देश की शरणार्थियों के प्रति जिम्मेदारियों से संबंधित प्रावधान शामिल हैं।
- यह संधि युद्ध अपराधियों, आतंकवाद से जुड़े व्यक्तियों को शरणार्थी के रूप में मान्यता नहीं देती है।
- यह संधि जाति, धर्म, राष्ट्रीयता, किसी विशेष सामाजिक समूह से संबद्धता या पृथक राजनीतिक विचारों के कारण उत्पीड़न तथा अपना देश छोड़ने को मजबूर लोगों के अधिकारों को संरक्षण प्रदान करती है।
- यह संधि वर्ष 1948 की 'मानवाधिकारों पर सार्वभौम घोषणा' (UDHR) के अनुच्छेद-14 से प्रेरित है। UDHR किसी अन्य देश में पीड़ित व्यक्ति को शरण मांगने का अधिकार प्रदान करती है।

- वर्ष 1967 का प्रोटोकॉल सभी देशों के शरणार्थियों को शामिल करता है, इससे पूर्व वर्ष 1951 में की गई संधि सिर्फ यूरोप के शरणार्थियों को ही शामिल करती थी।
- भारत इस संधि/अभिसमय का पक्षकार नहीं है।

संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायुक्त

- संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायुक्त (UNHCR) एक संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी एजेंसी और एक वैश्विक संगठन है जो शरणार्थियों के जीवन बचाने, उसके अधिकारों की रक्षा करने और उनके लिये बेहतर भविष्य के निर्माण के प्रति समर्पित है।
- संयुक्त राष्ट्र की इस एजेंसी की स्थापना वर्ष 1950 में की गई थी।
- इसका मुख्यालय जिनेवा, स्विट्जरलैंड में स्थित है।

आयरन डोम एयर डिफेंस सिस्टमः इज़रायल

चर्चा में क्यों?

हाल ही में इजरायल ने यरुशलम में हुई हिंसक झड़पों में अपने आयरन डोम एयर डिफेंस सिस्टम (Iron Dome Air Defence System) का इस्तेमाल किया।

प्रमुख बिंदु

आयरन डोम एयर डिफेंस सिस्टम के विषय में:

- यह छोटी दूरी का जमीन से हवा में मार करने वाला एयर डिफेंस सिस्टम है, जिसमें एक रडार (Radar) और तामिर (Tamir) इंटरसेप्टर मिसाइल शामिल हैं जो इजरायल पर हमला करने वाली मिसाइलों या रॉकेटो को ट्रैक करके उन्हें बेअसर कर देता है।
- इसका उपयोग रॉकेट, तोप और मोर्टार के साथ-साथ विमान, हेलीकॉप्टर तथा मानव रहित हवाई वाहनों (UAV) का प्रतिरोध करने के लिये किया जाता है।
 - यह दिन और रात सिहत सभी मौसमों में कार्य करने में सक्षम है।
- इसे राज्य द्वारा संचालित राफेल एडवांस्ड डिफेंस सिस्टम (Rafael Advanced Defense System) और इजरायल एयरोस्पेस इंडस्ट्रीज (Israel Aerospace Industries) द्वारा विकसित किया गया है तथा इसे वर्ष 2011 में तैनात किया गया था।
- राफेल इसकी सफलता दर 90% से अधिक का दावा करती है, जिसमें 2,000 से अधिक अवरोधन (Interception) हैं। हालाँकि विशेषज्ञ इसकी सफलता दर 80% से अधिक मानते हैं।
- यह तैनात और युद्धाभ्यासरत बलों, फॉरवर्ड ऑपरेटिंग बेस (Forward Operating Base) तथा शहरी क्षेत्र को अप्रत्यक्ष एवं हवाई खतरों से बचा सकता है।

घटकः

- आयरन डोम में तीन मुख्य प्रणालियाँ होती हैं, जो अपनी तैनाती क्षेत्र को सुरक्षा कवच प्रदान करने के लिये एक साथ कार्य करती हैं।
 - रडार: इसमें किसी भी खतरे का पता लगाने के लिये एक डिटेक्शन और ट्रैकिंग रडार है।
 - ♦ हथियार नियंत्रण: इसमें युद्ध प्रबंधन और हथियार नियंत्रण प्रणाली (BMC) है।
 - ◆ मिसाइल फायर: इसमें मिसाइल फायरिंग यूनिट भी है। बीएमसी मूल रूप से रडार और इंटरसेप्टर मिसाइल के बीच संपर्क स्थापित करता है।

भारतीय विकल्पः

- एस-४०० ट्रायम्फः
 - एस-400 ट्रायम्फ के विषय में:
 - भारत के पास एस-400 ट्रायम्फ (S-400 TRIUMF) प्रणाली है, जो तीन खतरों यथा- रॉकेट, मिसाइल और क्रूज मिसाइल से निपटने में सक्षम है, लेकिन इनकी रेंज काफी अधिक होती है।

- इसमें खतरों से निपटने के लिये बहुत बड़ा एयर डिफेंस कवच है।
- यह रूस द्वारा डिजाइन की गई सतह से हवा में मार करने वाली गतिशील मिसाइल प्रणाली है।
- रेंज और प्रभावशीलताः
 - यह प्रणाली 400 किमी. की सीमा के भीतर 30 किमी. तक की ऊँचाई पर सभी प्रकार के हवाई लक्ष्यों को भेद सकती है।
 - यह प्रणाली 100 हवाई लक्ष्यों को ट्रैक कर सकती है और उनमें से छह को एक साथ निशाना बना सकती है।
- पृथ्वी एयर डिफेंस और एडवांस एयर डिफेंस:
 - पृथ्वी एयर डिफेंस और एडवांस एयर डिफेंस के विषय में:
 - यह एक दो-स्तरीय प्रणाली है जिसमें दो भूमि और समुद्र-आधारित इंटरसेप्टर मिसाइल शामिल हैं, अर्थात् उच्च ऊँचाई अवरोधन के लिये पृथ्वी एयर डिफेंस (Prithvi Air Defence) मिसाइल और कम ऊँचाई अवरोधन हेतु एडवांस एयर डिफेंस (Advanced Air Defence) मिसाइल।
 - ♦ रेंज:
 - यह 5,000 किमी. दूर से प्रक्षेपित किसी भी आने वाली मिसाइल को रोकने में सक्षम है। इस प्रणाली में प्रारंभिक चेतावनी और ट्रैकिंग रडार का एक अतिव्यापी नेटवर्क तथा साथ ही कमांड एवं नियंत्रण पोस्ट (Control Post) भी शामिल हैं।
- अश्विन एडवांस एयर डिफेंस इंटरसेप्टर मिसाइल:
 - अश्विन एडवांस एयर डिफेंस इंटरसेप्टर मिसाइल के विषय में:
 - यह रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन (Defence Research and Development Organisation-DRDO) द्वारा विकसित एक स्वदेशी रूप से निर्मित एडवांस एयर डिफेंस (AAD) इंटरसेप्टर मिसाइल है।
 - यह कम ऊँचाई वाली सुपरसोनिक बैलिस्टिक इंटरसेप्टर मिसाइल का उन्नत संस्करण है।
 - इसमें मोबाइल लॉन्चर, इंटरसेप्शन के लिये सुरक्षित डेटा लिंक, स्वतंत्र ट्रैकिंग, परिष्कृत रडार आदि शामिल हैं।
 - रेंज:
 - यह एंडो-स्फेरिक (Endo-Spheric- पृथ्वी के वायुमंडल के भीतर) इंटरसेप्टर का उपयोग करती है जो 60,000 से 100,000 फीट की अधिकतम ऊँचाई पर और 90 मील तथा 125 मील के बीच की सीमा में बैलिस्टिक मिसाइलों को मार गिराती है।

चर्चा भें

पाइथन-5 मिसाइल

हाल ही में सफल परिक्षण के बाद इजराइल की पायथन-5 एयर-टू-एयर मिसाइल (AAM) फायरिंग प्रणाली को भारत के स्वदेशी लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस $(Light\ Combat\ Aircraft\ Tejas)$ के बेड़े में शामिल कर लिया गया है।

- साथ ही इन परीक्षणों का उद्देश्य तेजस में पहले से ही समन्वित 'डर्बी बियॉन्ड विजुअल रेंज' (Derby Beyond Visual Range)
 एयर-टू-एयर मिसाइल की बढ़ी हुई क्षमता का आकलन करना भी था।
- ये परीक्षण रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन (DRDO) द्वारा किये गए थे।

प्रमुख बिंदु

पाइथन-5 मिसाइल के विषय में:

- इसे इजरायली रक्षा कंपनी राफेल एडवांस्ड डिफेंस सिस्टम्स (Rafael Advanced Defense System) द्वारा विकसित किया गया है। यह पायथन परिवार का सबसे नवीनतम संस्करण है।
- 5वीं पीढ़ी की हवा-से-हवा में मार करने वाली यह मिसाइल, पायलट को दुश्मन के विमान से चारों तरफ से घेरने की सुविधा प्रदान करती है।
- यह मिसाइल दुश्मन के विमानों को बहुत कम दूरी से लेकर लगभग दृश्य सीमा से परे (बियॉन्ड विज्ञुअल रेंज) तक मार गिराने में सक्षम है।
- यह एक दोहरी उपयोग वाली मिसाइल है जो हवा-से-हवा के साथ-साथ सतह-से-हवा में भी मार करने में सक्षम है।
- यह मिसाइल एक ठोस प्रणोदक रॉकेट इंजन वाली है, जो इसे मैक 4 तक की गति और 20 किलोमीटर से अधिक दूरी की मारक क्षमता प्रदान करता है।
- यह लॉक-ऑन-बिफोर (Lock-on-Before) और लॉक-ऑन-आफ्टर (Lock-on-After) लॉन्च क्षमताओं से भी लैस है।

लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजसः

- तेजस एकल इंजन युक्त, हल्के वजन वाला, अत्यधिक फुर्तीला, मल्टी रोल सुपरसोनिक फाइटर है।
- स्वदेश में विकसित इस विमान का निर्माण हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड (Hindustan Aeronautics Limited) द्वारा किया गया है और इसे भारतीय वायु सेना और भारतीय नौसेना के लिये वैमानिकी विकास एजेंसी (Aeronautical Development Agency) द्वारा डिजाइन किया गया है।
- यह हवा-से-हवा, हवा-से-सतह, सटीक-निर्देशित, हथियारों की एक रेंज को ले जाने के लिये डिजाइन किया गया है।

बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर-ट्-एयर मिसाइल

- यह एक हवा-से-हवा में मार करने वाली मिसाइल है, जो 37 किलोमीटर या उससे अधिक की रेंज में मार करने में सक्षम होती है। इस सीमा को बूस्टर रॉकेट मोटर (Booster Rocket Motor) और रैमजेट सस्टेर मोटर (Ramjet Sustainer Motor) का उपयोग करके हासिल किया गया है।
- यह मिसाइल इस रेंज में अपने लक्ष्य को ट्रैक करने या उड़ते लक्ष्य को टारगेट करने में भी सक्षम है।
- यह तकनीक लड़ाकू पायलटों को दुश्मन के ठिकानों को दृश्य क्षमता से परे सटीक रूप से शूट करने में सक्षम बनाती है।
 - ♦ इस तकनीक का उपयोग अस्त्र मिसाइल (Astra Missile) में किया गया है।

MACS 1407: सोयाबीन की किस्म

चर्चा में क्यों?

हाल ही में भारतीय वैज्ञानिकों ने सोयाबीन की एक उच्च उपज एवं कीट प्रतिरोधी वाली किस्म विकसित की है, जिसे एमएसीएस 1407 (MACS 1407) नाम दिया गया है।

 सोयाबीन की इस किस्म को एमएसीएस-अगरकर अनुसंधान संस्थान (MACS- Agharkar Research Institute), पुणे तथा भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (Indian Council of Agricultural Research), नई दिल्ली के वैज्ञानिकों द्वारा विकसित किया गया है।

प्रमुख बिंदुः

MACS 1407:

- पारंपिरक क्रॉस ब्रीडिंग (Conventional Cross Breeding) तकनीक का उपयोग करते हुए, वैज्ञानिकों द्वारा MACS 1407
 को विकसित किया गया है, जो प्रति हेक्टेयर 39 क्विंटल की उपज देती है, जो इसे अधिक उपज देने वाली किस्म बनाता है।
- इस किस्म को 50% 'फ्लावरिंग' (Flowering) हेतु औसतन 43 दिन की आवश्यकता होती है और बुवाई की तारीख से परिपक्व होने में 104 दिन का समय लगता है।
- इसमें सफेद रंग के फूल, पीले रंग के बीज और काले रंग का 'हिलम' (Black Hilum) होता है। इसके बीजों में 19.81% तेल और 41% प्रोटीन की मात्रा होती है, साथ ही इनमें बेहतर रोगाणु क्षमता (Germinability) भी होती है।
- इसके पौधों का तना मोटा (7cm) होता है और इनकी फलियाँ बिखरती नहीं होती है, इसलिये यह यांत्रिक विधि से कटाई करने हेतु उपयुक्त है।
- यह पूर्वोत्तर भारत की वर्षा आधारित परिस्थितयों के लिये उपयुक्त है।
 - इसे असम, पश्चिम बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़ और पूर्वोत्तर राज्यों में प्रयोग किया जा सकता है।
- सोयाबीन की यह किस्म गर्डल बीटल, लीफ माइनर, लीफ रोलर, स्टेम फ्लाई, एफिड्स, व्हाइट फ्लाई और डिफोलिएटर जैसे प्रमुख कीट-पतंगों के प्रति भी प्रतिरोधी है।
- इसके बीज वर्ष 2022 के खरीफ के मौसम (Kharif season) के दौरान किसानों को बुवाई हेतु उपलब्ध कराए जाएंगे।
 - ♦ सोयाबीन की यह किस्म बिना किसी उपज हानि के 20 जून से 5 जुलाई के दौरान बुआई के लिये अत्यधिक अनुकूल है।

महत्त्व:

- वर्ष 2019 में, भारत द्वारा लगभग 90 मिलियन टन सोयाबीन का उत्पादन किया गया और भारत सोयाबीन के विश्व के प्रमुख उत्पादकों में से एक बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। भारत में इसका उत्पादन व्यापक रूप से तेल के बीज के साथ-साथ पशु आहार और कई पैकेज्ड भोजन में प्रोटीन के स्रोत के रूप में किया जाता है।
- सोयाबीन की उच्च पैदावार तथा रोग प्रतिरोधी किस्में इस लक्ष्य को प्राप्त करने में मदद कर सकती हैं।

खरीफ का मौसमः

- इसके तहत फसलें जून से जुलाई तक बोई जाती हैं और सितंबर-अक्तूबर के मध्य उनकी कटाई की जाती है।
- फसलें: चावल, मक्का, ज्वार, बाजरा, अरहर, मूंग, उड़द, कपास, जूट, मूंगफली, सोयाबीन आदि।
- राज्य: असम, पश्चिम बंगाल, ओडिशा के तटीय क्षेत्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, केरल और महाराष्ट्र।

रबी का मौसम:

- इसके तहत फसलें अक्तूबर से दिसंबर के मध्य बोई जाती हैं और अप्रैल-जून के मध्य उनकी कटाई की जाती है।
- फसलें: गेहूँ, जौ, मटर, चना और सरसों आदि।
- राज्यः पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश।

जायद का मौसमः

- रबी और खरीफ के मौसम के मध्य, गर्मियों के महीनों के दौरान एक छोटा मौसम होता है जिसे जायद का मौसम कहा जाता है।
- फसलें: तरबूज, कस्तूरी, ककड़ी, सिब्जियाँ और चारा फसलें।

राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष

चर्चा में क्यों?

हाल ही में केंद्र सरकार ने कोविड-19 की दूसरी लहर के मद्देनजर राज्यों को राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष ($State\ Disaster\ Response\ Fund-\ SDRF$) की पहली किस्त जारी की है।

प्राय: वित्त आयोग (Finance Commission) की सिफारिशों के अनुसार पहली किस्त जून माह में जारी की जाती है।

प्रमुख बिंदुः

SDRF के विषय में:

- SDRF का गठन आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 48 (1) (a) के तहत किया गया है।
 - ♦ इसका गठन 13वें वित्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर किया गया था।
- यह राज्य सरकार के पास उपलब्ध प्राथमिक निधि होती है, जिसका उपयोग प्राय: अधिसूचित आपदाओं हेतु तत्काल राहत प्रदान करने के लिये किया जाता है।
- प्रतिवर्ष भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक (Comptroller and Auditor General of India- CAG) द्वारा इसका ऑडिट किया जाता है।

योगदानः

- केंद्र सरकार SDRF आवंटन में सामान्य श्रेणी के राज्यों हेतु 75% तथा विशेष श्रेणी के राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को 90% का योगदान देती है।
- वित्त आयोग की सिफारिश के अनुसार वार्षिक केंद्रीय योगदान दो समान किश्तों में जारी किया जाता है।

SDRF के अंतर्गत शामिल आपदाएँ:

• चक्रवात, सूखा, भूकंप, आग, बाढ़, सुनामी, ओलावृष्टि, भूस्खलन, हिमस्खलन, बादल फटना, कीट का हमला, ठंढ और शीत लहरें आदि।

स्थानीय आपदाएँ:

 राज्य सरकार ऐसी प्राकृतिक आपदाओं से पीड़ित लोगों को तत्काल राहत प्रदान करने हेतु SDRF के तहत उपलब्ध धन का 10% तक उपयोग कर सकती है, जिसे वे राज्य में स्थानीय संदर्भ में 'आपदा' मानते हैं और जिन्हें गृह मंत्रालय की आपदाओं सूची में शामिल नहीं किया गया है।

ऑपरेशन समुद्र सेतु-II

भारतीय नौसेना ने भारत में ऑक्सीजन से भरे कंटेनरों की शिपमेंट के लिये 'ऑपरेशन समुद्र सेतु-II' की शुरुआत की है।

ज्ञात हो कि ऑपरेशन समुद्र सेतु को कोविड-19 महामारी के दौरान विदेशों में फँसे भारतीय नागरिकों को वापस लाने के राष्ट्रीय प्रयास के
तहत मई 2020 में लॉन्च किया गया था।

प्रमुख बिंदु

ऑपरेशन समुद्र सेतु-II

- इस ऑपरेशन के हिस्से के रूप में सात भारतीय नौसेना जहाजों अर्थात् कोलकाता, कोच्चि, तलवार, टाबर, त्रिकंड, जलश्व तथा ऐरावत को विभिन्न देशों से लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन-फील्ड क्रायोजेनिक कंटेनर्स और संबंधित मेडिकल इक्विपमेंट की शिपमेंट के लिये तैनात किया गया है।
- दो जहाज INS कोलकाता और INS तलवार, मुंबई के लिये 40 टन तरल ऑक्सीजन लाने हेतु मनामा और बहरीन के बंदरगाहों में प्रवेश कर चुके हैं।
- INS जलाश्व और INS ऐरावत भी इसी प्रकार के मिशन के साथ क्रमश: बैंकॉक और सिंगापुर के मार्ग पर हैं।

ऑपरेशन समुद्र सेतुः

- इसे वंदे भारत मिशन (VBM) के साथ लॉन्च किया गया था।
 - कोरोना वायरस के मद्देनजर लागू िकये गए यात्रा प्रतिबंधों के बीच विदेश में फँसे भारतीय नागरिकों को वापस लाने के लिये VBM सबसे बड़ा नागरिक निकासी अभियान है।
 - ♦ यह खाड़ी युद्ध की शुरुआत में वर्ष 1990 में एयरलिफ्ट किये गए 1,77,000 लोगों की संख्या से भी आगे निकल गया है।
- इस ऑपरेशन में भारतीय नौसेना के पोत जलश्व, ऐरावत, शार्दुल और मगर ने भाग लिया।
- कोविड-19 के प्रसार के बीच पड़ोसी देशों में फँसे लगभग 4000 भारतीय नागरिकों को सफलतापूर्वक भारत वापस भेज दिया गया।
- भारतीय नौसेना ने इससे पहले वर्ष 2006 (बेरूत) में ऑपरेशन सुकून और वर्ष 2015 में ऑपरेशन राहत (यमन) के रूप में इसी तरह के निकासी अभियान चलाए हैं।

क्रय प्रबंधक सूचकांक

चर्चा में क्यों?

आईएचएस मार्किट इंडिया (IHS Markit India) द्वारा जारी 'क्रय प्रबंधक सूचकांक' (Purchasing Managers' Index-PMI) अप्रैल माह में 55.5 अंक पर पहुँच गया है, जिसमें मार्च माह (55.4) के मुकाबले थोड़ा सुधार देखने को मिला है।

प्रमुख बिंदुः

- यह एक सर्वेक्षण-आधारित प्रणाली है, जिसमें उत्तरदाताओं से पिछले माह की तुलना में प्रमुख व्यावसायिक चरों (Variables) के बारे में उनकी धारणा में आए बदलाव को लेकर प्रश्न पूछा जाता है।
- PMI का उद्देश्य कंपनी के निर्णय निर्माताओं, विश्लेषकों और निवेशकों को वर्तमान और भविष्य की व्यावसायिक स्थितियों के बारे में जानकारी प्रदान करना है।
- PMI की गणना विनिर्माण और सेवा क्षेत्रों हेतु अलग-अलग की जाती है, जिसके पश्चात् एक समग्र सूचकांक का तैयार किया जाता है।
- PMI को 0 से 100 तक के सूचकांक पर मापा जाता है।
 - 50 से ऊपर का आँकड़ा व्यावसायिक गतिविधि में विस्तार या विकास को दर्शाता है।
 - जबिक 50 का मतलब किसी भी प्रकार का परिवर्तन न होने की स्थिति से है।
- यदि पिछले माह का PMI चालू माह के PMI से अधिक है, तो यह अर्थव्यवस्था के 'संकुचित' (Contracting) होने की स्थिति को दर्शाता है।
- यह आमतौर पर PMI को हर माह की शुरुआत में जारी किया जाता है। इसलिये, यह आर्थिक गतिविधि का एक अच्छा एवं प्रमुख संकेतक माना जाता है।
- IHS मार्किट द्वारा विश्व भर में 40 से अधिक अर्थव्यवस्थाओं हेतु PMI का संकलन किया जाता है।

- IHS मार्किट विश्व भर की अर्थव्यवस्थाओं के प्रमुख उद्योगों और बाजारों हेतु सूचना, विश्लेषण और समाधान प्रस्तुत करने वाली एक अग्रणी वैश्विक कंपनी है।
- चूँिक औद्योगिक उत्पादन, विनिर्माण और सकल घरेलू उत्पाद से संबंधित आँकड़े काफी देर से प्राप्त होते हैं, ऐसे में PMI प्रारंभिक स्तर पर सूचित निर्णय लेने में मदद करता है।
- यह औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (Index of Industrial Production- IIP) से अलग है, जो अर्थव्यवस्था में गतिविधि के स्तर को भी दर्शाता है।
 - ◆ PMI की तुलना में IIP व्यापक औद्योगिक क्षेत्र को कवर करता है।
 - ♦ हालाँकि, मानक औद्योगिक उत्पादन सूचकांक की तुलना में PMI अधिक गतिशील है।

प्रधानमंत्री मुद्रा योजना

चर्चा में क्यों?

प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (Pradhan Mantri Mudra Yojana- PMMY) के शुभारंभ के बाद से गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (Non Banking Financial Companies- NBFCs) और सूक्ष्म वित्त संस्थानों (Micro Finance Institutions- MFIs) द्वारा 14.96 लाख करोड़ रुपए की धनराशि के 28.68 करोड़ से अधिक ऋण स्वीकृत किये गए हैं।

प्रमुख बिंदुः

प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (PMMY) के विषय में:

- शुभारंभ और उद्देश्य:
 - प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की शुरुआत अप्रैल, 2015 में गैर-कॉर्पोरेट और गैर-कृषि लघु∕सूक्ष्म उद्यमों को 10 लाख रुपए तक के ऋण प्रदान करने हेतु की गई थी।
- वित्तीय प्रावधानः
 - मुद्रा (MUDRA) यानी माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रिफाइनेंस एजेंसी लिमिटेड (Micro Units Development & Refinance Agency Ltd) सरकार द्वारा स्थापित एक वित्तीय संस्थान है।
 - ♦ इसके तहत बैंकों, गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपिनयों (NBFCs) और सूक्ष्म वित्त संस्थाओं (MFI) जैसे विभिन्न वित्तीय संस्थानों के माध्यम से नॉन-कॉपोरिट स्माल बिज्जनस सेक्टर (Non-Corporate Small Business Sector) को वित्तपोषित किया जाता है।
 - MUDRA के थर सीधे सूक्ष्म उद्यिमयों/ व्यक्तियों को उधार नहीं देता है।
- ऋण की तीन श्रेणी:
 - ◆ मुद्रा ऋण तीन श्रेणियों में प्रदान किये जाते हैं- 'शिशु' (Shishu) 'किशोर' (Kishore) तथा 'तरुण' (Tarun) और ये ऋण लेने वालों के विकास तथा धन संबंधी आवश्यकताओं के चरण को दर्शाते हैं:
 - शिशु: 50,000 रुपए तक के ऋण।
 - किशोर: 50,000 रुपए से 5 लाख लाख रुपए तक के ऋण।
 - तरुण: 5 लाख रुपए से 10 लाख रुपए तक के ऋण।
 - ♦ इस योजना के तहत दिया जाने वाला ऋण संपार्श्विक मुक्त ऋण (Collateral-Free Loans) होता है।

उपलब्धियाँ:

• मुद्रा योजना में समाज के वंचित वर्गों जैसे- महिला उद्यमी, एससी/एसटी/ओबीसी उधारकर्त्ताओं, अल्पसंख्यक समुदाय उधारकर्ताओं आदि को ऋण दिया गया है। साथ ही इसके तहत नए उद्यमियों पर भी ध्यान केंद्रित किया गया है।

- श्रम और रोजगार मंत्रालय द्वारा किये गए सर्वेक्षण के अनुसार, PMMY ने वर्ष 2015 से वर्ष 2018 तक 1.12 करोड़ कुल अतिरिक्त
 रोजगार सृजन में सहायता की है।
 - 🔷 रोजगार में हुई अनुमानित वृद्धि के अनुसार, 1.12 करोड़ में 69 लाख महिलाएँ (62 प्रतिशत) शामिल हैं।

स्वामित्व योजना

हाल ही में पंचायती राज मंत्रालय ने स्वामित्व योजना (SVAMITVA Scheme) को राष्ट्रव्यापी स्तर पर लागू करने के लिये फ्रेमवर्क जारी किया है।

• SVAMITVA का पूर्ण रूप "Survey of Villages And Mapping with improvised Technology In Village Areas" है।

प्रमुख बिंदुः

- शुरुआत: स्वामित्व योजना एक केंद्र प्रायोजित योजना है। इसकी शुरूआत 24 अप्रैल, 2020 को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के अवसर पर की गई थी।
- उद्देश्यः ग्रामीण भारत हेतु एकीकृत संपत्ति सत्यापन समाधान (Integrated Property validation Solution) प्रदान करना।
- विशेषताएँ:
 - मामीण आबादी वाले क्षेत्रों का सीमांकन ड्रोन सर्वेक्षण और सतत् परिचालन संदर्भ स्टेशन-कॉर्स (Continuously Operating Reference Stations- CORS) नेटवर्क का उपयोग करके किया जाएगा, जो 5 सेमी तक की मैपिंग सटीकता प्रदान करता है।
 - यह ग्रामीण क्षेत्रों में बसे हुए निवासियों को संपत्ति का अधिकार प्रदान करता है।
 - वर्ष 2021-2025 के दौरान संपूर्ण देश के लगभग 6.62 लाख गाँवों को कवर किया जाएगा।
- उद्देश्य:
 - ★ ऋण एवं अन्य वित्तीय लाभ प्राप्त करने के लिये ग्रामीण नागरिकों को अपनी संपत्ति का उपयोग वित्तीय संपत्ति के रूप में करने के लिये सक्षम बनाकर ग्रामीण भारत में नागरिकों को वित्तीय स्थिरता प्रदान करना।
 - ग्रामीण नियोजन हेतु सटीक भू-अभिलेख का निर्माण।
 - संपत्ति कर का निर्धारण।
 - ◆ सर्वेक्षण संबंधी बुनियादी ढाँचे और भौगोलिक सूचना प्रणाली (Geographic Information System- GIS) मानिचत्रों का निर्माण जिसका उपयोग किसी भी विभाग द्वारा किया जा सकता है।
 - ◆ GIS मानिचत्रों का उपयोग कर बेहतर गुणवत्ता वाली ग्राम पंचायत विकास योजना (Gram Panchayat Development Plan- GPDP) तैयार करने में सहायता करना।
 - संपत्ति संबंधी विवादों और कानूनी मामलों को कम करना।
- नोडल मंत्रालय: पंचायती राज मंत्रालय (MoPR)
 - ♦ राज्यों में राजस्व विभाग/भूमि अभिलेख विभाग नोडल विभाग होगा और राज्य पंचायती राज विभागों के सहयोग से इस योजना को आगे बढ़ाएगा।
 - भारतीय सर्वेक्षण विभाग इस योजना हेतु प्रौद्योगिकी कार्यान्वयन एजेंसी है।

दाहला बांध

हाल ही में तालिबान ने अफगानिस्तान के दूसरे सबसे बड़े बांध- दाहला बांध पर कब्ज़ा कर लिया है।

प्रमुख बिंदु

दाहला बांध के बारे में:

- दाहला बांध को अरघानदाब (Arghandab) बांध के रूप में भी जाना जाता है।
- यह अफगानिस्तान के कंधार प्रांत के शाह वली कोट जिले में स्थित है।
- इस बांध का निर्माण वर्ष 1952 में संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा किया गया था।
- यह बांध अरघानदाब नदी पर निर्मित है।
 अफगानिस्तान में भारत द्वारा बनाए गए बांध:
- काबुल नदी पर शहतूत बांध (Shahtoot Dam) के निर्माण हेतु दोनों देशों के बीच एक समझौता किया गया है।
- अफगान-भारत मैत्री बांध (सलमा बांध)।

म्युकरमाइकोसिस

कोविड-19 से संक्रमित कई रोगियों में म्युकरमाइकोसिस (Mucormycosis) नामक कवक का संक्रमण देखा जा रहा है, जिसे 'ब्लैक फंगस' (Black Fungus) के नाम से भी जाना जाता है।

प्रमुख बिंदुः

म्यूकोर्मोसिस:

- यह एक गंभीर लेकिन दुर्लभ कवक संक्रमण है। यह म्युकरमायिसिटिस (Mucormycetes) नामक फफूँद (Molds) के कारण होता है, जो पर्यावरण में प्रचुर मात्रा में मौजूद है।
- यह मुख्य रूप से उन लोगों को प्रभावित करता है, जिन्हें स्वास्थ्य संबंधी समस्याएँ हैं या वे ऐसी दवाओं का सेवन करते हैं, जो कीटाणुओं और बीमारी से लड़ने की शरीर की क्षमता को कम करती हैं।
- म्युकरमाइकोसिस के प्रकार: राइनोसेरेब्रल (साइनस और मस्तिष्क) म्युकरमाइकोसिस, पल्मोनरी (फेफड़ों संबंधी) म्युकरमाइकोसिस,
 क्यूटेनियस (त्वचा संबंधी) म्युकरमाइकोसिस, डिसेमिनेटेड म्युकरमाइकोसिस

संचरण (Transmission):

- इसका संचरण श्वास, संरोपण (Inoculation) या पर्यावरण में मौजूद बीजाणुओं के अंतर्ग्रहण द्वारा होता है।
- म्युकरमाइकोसिस का संचार मानव-से-मानव तथा मानव-से-पशुओं के मध्य नहीं होता है।

लक्षणः

- इसके लक्षणों में आंखों और/या नाक के आसपास दर्द और लालिमा, बुखार, सिरदर्द, खांसी, सांस लेने में तकलीफ, खूनी उल्टी, और बदलती मानसिक स्थितियाँ शामिल हैं।
- गंभीर लक्षणों में दांत दर्द, दांतों का गिरना, दर्द के साथ धुंधलापन या दोहरी दृष्टि (Double Vision) आदि शामिल हैं।

रोकथाम:

• निर्माण या उत्खनन स्थलों जैसे अधिक धूल वाले क्षेत्रों से बचना, तूफान और प्राकृतिक आपदाओं के बाद पानी से क्षतिग्रस्त इमारतों तथा बाढ़ के पानी के सीधे संपर्क में आने से बचना और उन गतिविधियों से बचना, जिनमें मिट्टी का निकट संपर्क शामिल है।

- म्युकरमाइकोसिस के संक्रमण को रोकने हेतु कवकरोधी दवा (Antifungal Medicine) का इस्तेमाल किया जाना चाहिये।
- प्राय: म्युकरमाइकोसिस संक्रमण के कुछ मामलों में सर्जरी आवश्यक हो जाती है, जिसमें संक्रमित ऊतक को काटकर अलग कर दिया जाता है।

महाराणा प्रताप जयंती

हाल ही में भारतीय प्रधानमंत्री द्वारा महाराणा प्रताप को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि दी गई।

प्रमुख बिंदुः

विवरण:

- राणा प्रताप सिंह, जिन्हें महाराणा प्रताप के नाम से भी जाना जाता है, का जन्म 9 मई, 1540 में राजस्थान के कुंभलगढ़ में हुआ था।
- वे मेवाड़ के 13वें राजा थे और उदय सिंह द्वितीय के सबसे बड़े पुत्र थे।
 - महाराणा उदय सिंह द्वितीय ने अपनी राजधानी चित्तौड़ से मेवाड़ राज्य पर शासन किया।
 - ◆ उदय सिंह द्वितीय द्वारा उदयपुर (राजस्थान) शहर की स्थापना की गई।

हल्दीघाटी का युद्धः

- वर्ष 1576 में हल्दीघाटी का युद्ध मेवाड़ के राणा प्रताप सिंह और मुगल सम्राट अकबर की सेना के मध्य लडा गया था, जिसमें मुगल सेना का नेतृत्व आमेर के राजा मान सिंह द्वारा किया गया था।
- महाराणा प्रताप ने वीरतापूर्ण इस युद्ध को लड़ा, लेकिन मुगल सेना ने उन्हें पराजित कर दिया ।
- ऐसा कहा जाता है कि महाराणा प्रताप को युद्ध के मैदान से बाहर निकालने के दौरान 'चेतक' (Chetak) नामक उनके वफादार घोड़े ने अपनी जान दे दी थी।

पुनःप्राप्तिः

- वर्ष 1579 के बाद मेवाड पर मुगलों का प्रभाव कम हो गया और महाराणा प्रताप ने कुंभलगढ़, उदयपुर और गोगृन्दा सहित पश्चिमी मेवाड को पुनः प्राप्त कर लिया गया।
- इस अवधि के दौरान, उन्होंने वर्तमान डुंगरपुर के पास एक नई राजधानी चावंड (Chavand) का निर्माण भी किया।

मृत्यु:

19 जनवरी, 1597 को महाराणा प्रताप का निधन हो गया। महाराणा प्रताप की मृत्यु के बाद उनके पुत्र राणा अमर सिंह ने उनका स्थान लिया और मुगलों के विरुद्ध वीरतापूर्वक संघर्ष किया, हालाँकि वर्ष 1614 में राणा अमर सिंह ने अकबर के पुत्र सम्राट जहाँगीर के साथ संधि कर ली।

रवींद्रनाथ टैगोर

7 मई, 2021 को प्रधानमंत्री द्वारा गुरुदेव रवींद्रनाथ टैगोर (Gurudev Rabindranath Tagore) की 160वीं जयंती पर श्रद्धांजलि दी गई।

प्रमुख बिंदुः

जन्म:

उनका जन्म 7 मई, 1861 को कलकत्ता में हुआ था।

रवींद्रनाथ टैगोर के विषय में:

- इन्हें 'गुरुदेव' (Gurudev) , 'कबीगुरू' (Kabiguru) और 'बिस्वाकाबी' (Biswakabi) के नाम से भी जाना जाता है।
- डब्लू. बी. येट्स (W.B Yeats) द्वारा रवींद्रनाथ टैगोर को आधुनिक भारत का एक उत्कृष्ट एवं रचनात्मक कलाकार कहा गया। ये एक बंगाली कवि, उपन्यासकार और चित्रकार थे, जिन्होंने पश्चिम में भारतीय संस्कृति को अत्यधिक प्रभावशाली ढंग से पेश किया।
- वह एक असाधारण और प्रसिद्ध साहित्यकार थे, जिन्होंने साहित्य और संगीत को महत्त्वपूर्ण रूप से प्रभावित किया।।
- वे महात्मा गांधी के अच्छे मित्र थे और माना जाता है कि उन्होंने ही महात्मा गांधी को 'महात्मा' की उपाधि दी थी।
- उन्होंने सदैव इस बात पर जोर दिया कि विविधता में एकता भारत के राष्ट्रीय एकीकरण का एकमात्र संभव तरीका है।
- वर्ष 1929 तथा वर्ष 1937 में उन्होंने विश्व धर्म संसद (World Parliament for Religions) में भाषण दिया।

योगदानः

- माना जाता है कि उन्होंने 2000 से अधिक गीतों की रचना की है और उनके गीतों और संगीत को 'रबींद्र संगीत' (Rabindra Sangeet) कहा जाता है।
- उन्होंने बंगाली गद्य और कविता के आधुनिकीकरण हेतु उत्तरदायी माना जाता है।
- उनकी उल्लेखनीय कृतियों में गीतांजिल, घारे-बैर, गोरा, मानसी, बालका, सोनार तोरी आदि शामिल है, साथ ही उन्हें उनके गीत 'एकला चलो रे' (Ekla Chalo Re) के लिये भी याद किया जाता है।
 - ♦ उन्होंने अपनी पहली कविताएँ 'भानुसिम्हा' (Bhanusimha) उपनाम से 16 वर्ष की आयु में प्रकाशित की थीं।
- उन्होंने न केवल, भारत और बांग्लादेश हेतु राष्ट्रगान की रचना की बल्कि श्रीलंका के राष्ट्रगान को कलमबद्ध करने और उसकी रचना करने हेतु एक श्रीलंकाई छात्र को प्रेरित किया।
- अपनी सभी साहित्यिक उपलिब्धियों के अलावा वे एक दार्शनिक और शिक्षाविद भी थे, जिन्होंने वर्ष 1921 में विश्व-भारती विश्वविद्यालय (Vishwa-Bharati University) की स्थापना की जिसने पारंपरिक शिक्षा को चुनौती दी।

पुरस्कार:

- रवींद्रनाथ टैगोर को उनकी काव्यरचना गीतांजिल के लिये वर्ष 1913 में साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था।
 - यह पुरस्कार जीतने वाले वह पहले गैर-यूरोपीय थे।
- 1915 में उन्हें ब्रिटिश किंग जॉर्ज पंचम (British King George V) द्वारा नाइटहुड की उपाधि से सम्मानित किया गया। वर्ष 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड (Jallianwala Bagh Massacre) के बाद उन्होंने नाइटहुड की उपाधि का त्याग कर दिया।

मृत्य:

7 अगस्त, 1941 को कलकत्ता में इनका निधन हो गया।

प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना

हाल ही में 13 राज्यों ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (PMGKAY) के तहत खाद्यान्न वितरण शुरू किया है।

 इस योजना को दो माह (मई और जून 2021) के लिये पुन: शुरू िकया गया है, क्योंिक महामारी के कारण देश की स्वास्थ्य सेवा अवसंरचना काफी प्रभावित हुई है और कई राज्यों ने महामारी के प्रसार को रोकने के लिये पूर्ण लॉकडाउन या रात्रि कर्फ्यू जैसे कदम उठाए हैं।

प्रमुख बिंदु

परिचय

- 'प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना' कोविड-19 के विरुद्ध लड़ाई में गरीब और संवेदनशील वर्ग की सहायता करने के लिये 'प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज' (PMGKP) के हिस्से के रूप में शुरू की गई थी।
 - इसका नोडल मंत्रालय वित्त मंत्रालय है।

- प्रारंभ में इस योजना की शुरुआत तीन माह (अप्रैल, मई और जून 2020) की अविध के लिये की गई थी, जिसमें कुल 80 करोड़ राशन कार्डधारक शामिल थे। बाद में इसे नवंबर 2020 तक बढ़ा दिया गया था।
 - ♦ हालाँकि अप्रैल 2021 में, सरकार ने 'प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना' को फिर से शुरू कर दिया था।
- इस योजना के तहत सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) के माध्यम से पहले से ही प्रदान किये गए 5 किलोग्राम अनुदानित खाद्यान्न के अलावा, प्रत्येक व्यक्ति को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के तहत 5 किलोग्राम अतिरिक्त अनाज (गेहूँ या चावल) मुफ्त में उपलब्ध कराने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।
- PMGKAY के इस नए संस्करण में इसके महत्त्वपूर्ण घटकों में से एक का अभाव है जो कि वर्ष 2020 के PMGKAY में उपस्थित था: NFSA के अंतर्गत आने वाले प्रत्येक घर के लिये प्रतिमाह 1 किलोग्राम मुफ्त दाल।

व्यय:

 भारत सरकार राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को खाद्य सिब्सिडी और केंद्रीय सहायता के लिये 26,000 करोड़ रुपए से अधिक का सारा खर्च वहन करेगी।

अब तक आवंटनः

- PMGKAY के तहत 39.69 लाख मीट्रिक टन (MT) के कुल मासिक आवंटन में से 15.55 लाख MT को राज्यों को पहले ही दिया जा चुका है।
- मई 2021 तक 2.03 करोड़ लाभार्थियों को 1.01 लाख मीट्रिक टन खाद्यान्न वितरित किया गया है।

चुनौती:

 एक प्रमुख मुद्दा यह है कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के लाभार्थी अंतिम जनगणना (2011) पर आधारित हैं, हालाँकि तब से खाद्य-असुरक्षित लोगों की संख्या में वृद्धि हुई है, जो अब इस योजना के तहत शामिल नहीं हैं।

राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस

भारत में हर वर्ष 11 मई को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाया जाता है।

प्रमुख बिंदुः

- यह दिन पहली बार 11 मई, 1999 को मनाया गया था, इसका उद्देश्य भारतीय वैज्ञानिकों, इंजीनियरों की वैज्ञानिक और तकनीकी उपलिब्धियों का स्मरण करना है।
 - 🔷 इस दिन का नाम पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा रखा गया था।
- भारत में हर वर्ष प्रौद्योगिकी विकास बोर्ड भारत में विज्ञान और प्रौद्योगिकी में योगदान के लिये व्यक्तियों को राष्ट्रीय पुरस्कार देकर सम्मानित करता है।
 - ♦ प्रौद्योगिकी विकास बोर्ड भारत सरकार का एक सांविधिक निकाय है जो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के अधीन कार्य करता है।
 - यह भारतीय उद्योगों और अन्य एजेंसियों को स्वदेशी प्रौद्योगिकियों के व्यावसायीकरण या व्यापक घरेलू अनुप्रयोगों के लिये आयातित
 प्रौद्योगिकियों के अनुकूलन हेतु वित्तीय सहायता प्रदान करता है।

वर्ष 2021 की थीम:

एक सतत् भविष्य के लिये विज्ञान और प्रौद्योगिकी।

महत्त्वः

- इस दिन भारत ने 11 मई, 1998 को पोखरण में परमाणु बमों का सफलतापूर्वक परीक्षण किया था।
 - परमाणु मिसाइल का राजस्थान में भारतीय सेना के पोखरण टेस्ट रेंज में परीक्षण किया गया। मई 1974 में पोखरण- I के ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा के बाद आयोजित यह दूसरा परीक्षण था।

- भारत ने पोखरण- II नामक एक ऑपरेशन में अपनी शक्ति -1 परमाणु मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया, जिसे ऑपरेशन शक्ति
 के रूप में जाना गया, जिसका नेतृत्व दिवंगत राष्ट्रपित डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम ने किया था।
- उसी दिन भारत ने त्रिशूल मिसाइल (सतह से हवा में कम दूरी की मिसाइल) की सफल परीक्षण फायरिंग की और पहले स्वदेशी विमान 'हंसा 3 'का परीक्षण किया।

कर्नाटक की हक्कीपिक्की जनजाति

हाल ही में देखा गया कि कर्नाटक में हाक्कीपिक्की (HakkiPikki) जनजाति के कुछ लोग कोविड-19 से बच गए।

प्रमुख बिंदु

हक्कीपिक्की जनजाति के विषय में:

- हक्कीपिक्की जनजातियाँ अर्द्ध घुमंतू जनजातीय लोग हैं, इनके गुजराथीओ (Gujrathioa), कालीवाला (Kaliwala), मेवाड़ा (Mewara) और पनवारा (Panwara) चार वंश हैं।
- ये कई दक्षिण भारतीय भाषाओं जैसे- कन्नड़, तिमल, तेलुगू और मलयालम के साथ-साथ वाग्रिबूली (Vagribooli) भी बोलते हैं जो गुजराती के समान है।
- 'हक्कीपिक्की' का अर्थ कन्नड़ में "पक्षी पकड़ने वाले" (Bird Catcher) से है।
- यह कर्नाटक की एक अनुसूचित जनजाति (Scheduled Tribe) है।

उत्पत्ति और इतिहास:

- हक्कीपिक्की आदिवासी समुदायों का एक समृद्ध इतिहास है। इनका पैतृक संबंध महाराणा प्रताप सिंह के साथ होने का दावा किया जाता है।
- हक्कीपिक्की एक क्षत्रिय या योद्धा आदिवासी समुदाय है, जिन्हें मुगलों से पराजित होने के बाद दक्षिण भारत में पलायन करना पड़ा।



नेट ज़ीरो प्रोड्यूसर्स फोरम

हाल ही में सऊदी अरब ने संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, नॉर्वे और कतर के साथ 'नेट ज़ीरो प्रोड्यूसर्स फोरम' में शामिल होने की घोषणा की है। इस नए मंच के माध्यम से सभी देश जलवायु परिवर्तन पर पेरिस समझौते के क्रियान्वयन का समर्थन करने संबंधी उपायों पर चर्चा करेंगे। साथ ही इस मंच के माध्यम से वर्ष 2050 तक शुद्ध-शुन्य उत्सर्जन का लक्ष्य प्राप्त करने पर भी चर्चा की जाएगी। ज्ञात हो कि कनाडा, नॉर्वे, कतर, सऊदी अरब और संयुक्त राज्य अमेरिका, वैश्विक रूप से तेल तथा गैस उत्पादन के 40 प्रतिशत हिस्से का प्रतिनिधित्व करते हैं। इस फोरम के माध्यम से विश्व के कुछ प्रमुख तेल और गैस उत्पादक देशों द्वारा मीथेन न्यूनीकरण में सुधार करने, चक्रीय कार्बन अर्थव्यवस्था दृष्टिकोण को बढावा देने; स्वच्छ-ऊर्जा का विकास करने; कार्बन कैप्चर, उपयोग एवं भंडारण प्रौद्योगिकी का विकास करने; हाइडोकार्बन राजस्व पर निर्भरता से विविधता लाने जैसे विभिन्न उपायों पर चर्चा की जाएगी, साथ ही इन उपायों के विकास के दौरान विभिन्न देशों की अपनी स्थानीय परिस्थितियों को भी ध्यान में रखा जाएगा। ज्ञात हो कि सऊदी अरब ने अपने कार्बन उत्सर्जन को कम करने के लिये वर्ष 2030 तक नवीकरणीय ऊर्जा से देश की ऊर्जा का 50 प्रतिशत हिस्सा उत्पन्न करने का लक्ष्य निर्धारित किया है।

नेटवर्क फॉर ग्रीनिंग द फाइनेंशियल सिस्टम

हाल ही में भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) 'नेटवर्क फॉर ग्रीनिंग द फाइनेंशियल सिस्टम' में शामिल हुआ है। यह केंद्रीय बैंकों का एक स्वैच्छिक समृह है। रिज़र्व बैंक, एक स्थायी और सतत् अर्थव्यवस्था के प्रति ट्रांजीशन का समर्थन करने के लिये वित्त जुटाने हेत् वित्तीय क्षेत्र में पर्यावरण और जलवायु जोखिम प्रबंधन से संबंधित सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करने तथा उनमें योगदान देने हेतु शामिल हुआ है। इन नेटवर्क में वर्तमान में कल 62 केंद्रीय बैंक शामिल हैं और इसका उद्देश्य सदस्यों के लिये ऐसी नीतियों का निर्माण करना है, जो वित्तीय क्षेत्र में पर्यावरण एवं जलवाय जोखिम लचीलेपन को सुनिश्चित कर सकें। जलवाय परिवर्तन, भौतिक जोखिम (चरम मौसम की घटनाओं के कारण उत्पन्न जोखिम) और ट्रांजीशन जोखिम (निम्न-कार्बन अर्थव्यवस्था में परिवर्तन करते हुए नीति, कानुनी और नियामक ढाँचे, उपभोक्ता वरीयताओं और तकनीकी विकास में बदलाव के कारण उत्पन्न जोखिम) के रूप में वित्तीय स्थिरता के लिये चुनौतियाँ उत्पन्न कर सकता है। ज्ञात हो कि हाल ही में न्यूजीलैंड जलवायु परिवर्तन के संबंध में कानून बनाने वाला पहला देश बन गया है। न्यूज़ीलैंड का यह कानून वित्तीय कंपनियों के लिये जलवायु-संबंधी जोखिमों की रिपोर्ट करना अनिवार्य बनाता है।

महाराष्ट्र और गुजरात का स्थापना दिवस

भारत में प्रतिवर्ष 01 मई को देश के दो बड़े राज्यों (महाराष्ट्र और गुजरात) के स्थापना दिवस के रूप में मनाया जाता है। राज्य पुनर्गठन अधिनियम, 1956 के तहत भाषाई आधार पर भारत संघ के भीतर राज्यों के लिये सीमाओं को परिभाषित किया गया था। परिणामस्वरूप 1 नवंबर, 1956 को 14 राज्यों और 6 केंद्रशासित प्रदेशों का गठन किया गया। इस अधिनियम के तहत बॉम्बे राज्य का गठन मराठी, गुजराती, कच्छी (Kutchi) एवं कोंकणी भाषी लोगों के लिये किया गया था। हालाँकि यह विविधता की अवधारणा सफल नहीं हो सकी और संयुक्त महाराष्ट्र समिति के तहत बॉम्बे राज्य को दो राज्यों (एक राज्य गुजराती एवं कच्छी भाषी लोगों के लिये और दूसरा राज्य मराठी एवं कोंकणी भाषी लोगों के लिये) में विभाजित किये जाने को लेकर एक आंदोलन की शुरू हो गया। यह आंदोलन वर्ष 1960 तक चला और इस दौरान महाराष्ट्र तथा गुजरात बॉम्बे प्रांत का हिस्सा रहे। वर्ष 1960 में बंबई पुनर्गठन अधिनियम, 1960 द्वारा द्विभाषी राज्य बंबई को दो पृथक राज्यों (महाराष्ट्र मराठी भाषी लोगों के लिये और गुजरात, गुजराती भाषी लोगों के लिये) में विभाजित कर दिया गया। इस तरह 1 मई, 1960 को महाराष्ट्र और गुजरात दो स्वतंत्र राज्यों के रूप में अस्तित्त्व में आए। भारतीय संविधान के तहत 'गुजरात' भारतीय संघ का 15वाँ राज्य बना।

तेलंगाना को कोविड-19 हेत् ड्रोन प्रयोग की अनुमति

नागरिक उड्डयन मंत्रालय (MoCA) और नागर विमानन महानिदेशालय (DGCA) ने तेलंगाना सरकार को कोविड वैक्सीन डिलीवरी के लिये ड्रोन की तैनाती की सीमित अनुमति दे दी है। यह अनुमति एक वर्ष की अवधि या अगले आदेश तक के लिये मान्य है। साथ यह आदेश तभी मान्य रहेगा, जब तक तेलंगाना द्वारा सभी शर्तों और नियमों का सख्ती से पालन किया जाएगा। इस प्रकार की अनुमति का प्राथमिक उद्देश्य तीव्रता से वैक्सीन का वितरण करने और बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुँच सुनिश्चित करने के दोहरे लक्ष्यों को प्राप्त करना है। इस प्रकार की व्यवस्था से देश में चिकित्सा आपूर्ति शृंखला में सुधार करने में भी मदद मिल सकती है। इससे पूर्व 'भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद' (ICMR) को भी IIT-कानपुर के सहयोग से ड्रोन का उपयोग करते हुए कोविड-19 वैक्सीन वितरण की व्यवहार्यता का अध्ययन करने हेतु इसी प्रकार की अनुमित दी गई थी।

सत्यजीत रे

02 मई, 2021 को विश्व प्रसिद्ध फिल्म निर्देशक 'सत्यजीत रे' की जन्म शताब्दी मनाई गई। सत्यजीत रे का जन्म 2 मई, 1921 को कलकत्ता (भारत) के एक संपन्न परिवार में हुआ था। 20वीं सदी के सबसे महान निर्देशकों में से एक के रूप में चर्चित 'सत्यजीत रे' को भारत के साथ-साथ वैश्विक स्तर पर भी काफी ख्याित प्राप्त हुई। 'सत्यजीत रे' ने अपने कॅरियर की शुरुआत एक ग्राफिक डिजाइनर के तौर पर की थी। इसके बाद 'सत्यजीत रे' लंदन गए और इस दौरान उन्होंने 'विटोरियो डी सिका' के निर्देशन में बनी इटली की नव-यथार्थवादी (न्यू-रीयिलिस्टिक) फिल्म 'बाइसिकल थीव्ज' (1948) देखी, जिससे वे स्वतंत्र फिल्म निर्माण और खासतौर पर इटली के नव-यथार्थवादी आंदोलन से काफी प्रेरित हुए, जो कि उनकी फिल्मों में भी स्पष्ट नजर आता है। 'सत्यजीत रे' ने अपने संपूर्ण फिल्मी कॅरियर में लगभग 36 फिल्मों का निर्देशन किया, जिनमें फीचर फिल्म, डॉक्यूमेंट्री और शॉर्ट फिल्म शामिल हैं। इसके अलावा वह एक बेहतरीन फिक्शन लेखक, प्रकाशक, चित्रकार, संगीतकार, ग्राफिक डिजाइनर और फिल्म समीक्षक भी थे। उन्होंने बच्चों और किशोरों को केंद्र में रखते हुए कई लघु कथाएँ और उपन्यास लिखे। वह भारत के पहले और एकमात्र ऑस्कर विजेता निर्देशक थे, साथ ही उन्हें ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय द्वारा मानद उपाधि से सम्मानित किया गया था। 'सत्यजीत रे' की पहली फिल्म 'पाथेर पांचाली' (1955) ने वर्ष 1956 के कान्स फिल्म फेस्टिवल में कुल ग्यारह अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार जीते थे। भारत सरकार ने सिनेमा के क्षेत्र में उनके योगदान को देखते हुए उन्हें वर्ष 1992 में 'भारत रत्न' से भी सम्मानित किया था।

अंतर्राष्ट्रीय खगोल विज्ञान दिवस

विश्व भर में प्रतिवर्ष दो बार 'अंतर्राष्ट्रीय खगोल विज्ञान दिवस' का आयोजन किया जाता है। पहला 2 मई को, जबिक दूसरा 26 सितंबर को। इस दिवस के अवसर पर विभिन्न संग्रहालयों और खगोलीय संस्थानों द्वारा खगोल विज्ञान के संबंध में में जागरूकता फैलाने के लिये सेमिनार, कार्यशालाओं और अन्य गतिविधियों का आयोजन किया जाता है। वर्ष 1973 में, उत्तरी कैलिफोर्निया के खगोलीय संघ के अध्यक्ष 'डौग बर्जर' ने पहले खगोल विज्ञान दिवस का आयोजन किया था। इस दिवस के आयोजन का प्राथमिक उद्देश्य आम जनमानस को खगोल विज्ञान के महत्त्व और संपूर्ण ब्रह्मांड के संबंध में जागरूक करना है और उन्हें इसके प्रति रुचि विकसित करने में मदद करना है। खगोल विज्ञान का अध्ययन बीते लगभग 5,000 वर्षों से प्रचलित है और इसे संबद्ध विज्ञान शाखाओं में सबसे पुराना माना जाता है। वर्ष 1608 में टेलीस्कोप के आविष्कार के बाद ब्रह्मांड के रहस्य को जानने में खलोग विज्ञान का महत्त्व और भी अधिक बढ़ गया। समय के साथ-साथ बीते कुछ दशकों में प्रौद्योगिकी ने महत्त्वपूर्ण वृद्धि की है और कई सिद्धांत एवं अवलोकन प्रस्तुत किये गए हैं, जिससे खगोल विज्ञान और अधिक प्रगति कर रहा है।

विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस

प्रत्येक वर्ष विश्व भर में 3 मई को 'विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस' मनाया जाता है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस का उद्देश्य प्रेस और मीडिया की आजादी के महत्त्व के प्रित लोगों में जागरूकता फैलाना है। एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में प्रेस को लोकतंत्र का 'चौथा स्तंभ' माना जाता है। सरकार की जवाबदेही सुनिश्चित करने और प्रशासन तक आम लोगों की आवाज को पहुँचाने में प्रेस/मीडिया की काफी महत्त्वपूर्ण भूमिका मानी जाती है। ऐसे में मीडिया की स्वतंत्रता इसके लिये कुशलतापूर्वक कार्य करने हेतु अत्यंत महत्त्वपूर्ण मानी जाती है। यूनेस्को की जनरल कॉन्फ्रेंस की सिफारिश के बाद दिसंबर 1993 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस की घोषणा की थी। 'विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस' (3 मई) 'विंडहोक' (Windhoek) घोषणा की वर्षगांठ को चिह्नित करता है। वर्ष 1991 की 'विंडहोक घोषणा' एक मुक्त, स्वतंत्र और बहुलवादी प्रेस के विकास से संबंधित है। इस वर्ष विश्व प्रेस दिवस की थीम 'इनफॉर्मेशन एज ए पब्लिक गुड' है। यह विषय प्रेस द्वारा प्रचारित महत्त्वपूर्ण सूचना को लोकहित के रूप में देखने पर जोर देती है।

करेन नेशनल यूनियन

करेन नेशनल यूनियन (KNU) फॉर्स ने हाल ही में पूर्वी म्याँमार में उत्तर-पश्चिमी थाईलैंड की सीमा के करीब एक सैन्य पोस्ट पर हमला कर उसे जब्त कर लिया है। करेन नेशनल यूनियन (KNU) की सशस्त्र शाखा करेन नेशनल लिबरेशन आर्मी, वर्ष 1949 से म्याँमार की सरकार के विरुद्ध सशस्त्र संघर्ष कर रही है। यह विद्रोह म्याँमार के जातीय अल्पसंख्यक समूह 'करेन' के राष्ट्रवादियों द्वारा शुरू किया गया है, जो कि एक

स्वतंत्र देश की स्थापना की मांग कर रहे हैं। ज्ञात हो कि 1 फरवरी, 2021 को हुए तख्तापलट के बाद से म्याँमार सैन्य नियंत्रण में है और तख्तापलट के बाद लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित नेता 'आंग सान सू की' समेत विभिन्न नेताओं को हिरासत में ले लिया गया था। म्याँमार जिसे बर्मा के नाम से भी जाना जाता है, दक्षिण पूर्व एशिया में अवस्थित एक देश है, जो कि थाईलैंड, लाओस, बांग्लादेश, चीन और भारत आदि देशों के साथ अपनी सीमा साझा करता है।

अंतर्राष्ट्रीय अग्निशमन दिवस

प्रतिवर्ष 4 मई को विश्व भर में अंतर्राष्ट्रीय अग्निशमन दिवस का आयोजन किया जाता है। इस दिवस के आयोजन का प्राथमिक उद्देश्य उन अग्निशमन किमीयों को याद करना है, जिन्होंने समाज की रक्षा करते हुए अपने जीवन का बिलदान दिया है। जात हो कि 4 जनवरी, 1999 को ऑस्ट्रेलिया के वनों में लगी आग बुझाने के दौरान पाँच अग्निशमन किमीयों की मृत्यु हो गई थी और इसी घटना को चिन्हित करते हुए प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस दिवस का आयोजन किया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय अग्निशमन दिवस का प्रतीक लाल और नीला रिबन है। इसमें लाल रंग आग को दर्शाता है और नीला रंग पानी को; और ये रंग दुनियाभर में आपातकालीन सेवाओं का संकेत देते हैं। यह दिवस अग्निशमकों को उनकी असाधारण प्रतिबद्धता, असाधारण साहस और उनकी नि:स्वार्थ सेवा के लिये धन्यवाद करने हेतु मनाया जाता है। इसके अलावा भारत में 14 अप्रैल को राष्ट्रीय अग्निशमन दिवस के रूप में मनाया जाता है। वर्ष 1944 में 14 अप्रैल को मुंबई बंदरगाह पर एक मालवाहक जहाज में अचानक आग लग गई थी, जिसमें काफी मात्रा में रुई, विस्फोटक और युद्ध उपकरण रखे हुए थे। इस आग पर काबू पाने की कोशिश में 66 अग्निशमनकर्मी आग की चपेट में आकर अपने प्राण गाँवा बैठे थे। इन्हीं अग्निशमन किमीयों की स्मृति में प्रत्येक वर्ष 14 अप्रैल को राष्ट्रीय अग्निशमन दिवस के रूप में मनाया जाता है।

टी. रबी शंकर

केंद्रीय मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) के डिप्टी गवर्नर पद के लिये टी. रबी शंकर के नाम की पुष्टि कर दी है। टी. रबी शंकर वर्तमान में रिज़र्व बैंक में कार्यकारी निदेशक (भुगतान और निपटान) के रूप में कार्यरत हैं। इस संबंध में जारी अधिसूचना के मुताबिक, टी. रबी शंकर को डिप्टी गवर्नर के पद पर कुल तीन वर्ष की अविध के लिये नियुक्त किया गया है। ध्यातव्य है कि टी. रबी शंकर डिप्टी गवर्नर के रूप में एस.पी. कानूनगो का स्थान लेंगे, जो कि 02 अप्रैल को सेवानिवृत्त हुए थे। टी. रबी शंकर के अतिरिक्त वर्तमान में रिज़र्व बैंक में तीन अन्य डिप्टी गवर्नर हैं, जिनमें माइकल पात्रा, महेश कुमार जैन और एम. राजेश्वर राव शामिल हैं। डिप्टी गवर्नर के पद पर रहते हुए टी. रबी शंकर भुगतान और निपटान के अलावा फिनटेक, सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, जोखिम निगरानी और RTI (सूचना का अधिकार) आदि विभागों का भी प्रबंधन करेंगे। टी. शंकर को केंद्रीय बैंक संबंधी विभिन्न कार्यों में कई दशकों लंबा अनुभव है। वह सितंबर 1990 में एक अनुसंधान अधिकारी के रूप में रिज़र्व बैंक में शामिल हुए थे।

P-8I पेट्रोल एयरक्राफ्ट की प्रस्तावित बिक्री

अमेरिकी विदेश विभाग ने भारत को 2.42 बिलियन डॉलर की अनुमानित लागत वाले छह P-8I पेट्रोल एयरक्राफ्ट की बिक्री के प्रस्ताव को मंज़ूरी दे दी है। भारतीय नौसेना ने जनवरी 2009 में बोइंग से आठ P-8I पेट्रोल एयरक्राफ्ट प्रत्यक्ष वाणिज्यिक बिक्री के माध्यम से खरीदे थे और जुलाई 2016 में अतिरिक्त चार विमानों के लिये अनुबंध किया था। इस तरह अतिरिक्त छह P-8I पेट्रोल एयरक्राफ्ट की यह प्रस्तावित बिक्री आगामी 30 वर्ष के लिये भारतीय नौसेना की समुद्री निगरानी क्षमता का विस्तार करेगी। बोइंग कंपनी द्वारा निर्मित 'P-8I लंबी दूरी की पनडुब्बी-रोधी वारफेयर, एंटी-सरफेस वारफेयर, इंटेलिजेंस और सर्विलांस विमान' हैं और व्यापक क्षेत्र (Broad Area), तटीय तथा समुद्री परिचालन में सक्षम हैं। लॉन्ग रेंज पनडुब्बी रोधी, सतह रोधी, खुफिया और निगरानी का उपयोग समुद्री और तटीय युद्ध कार्रवाइयों के लिये किया जाता है। यह प्रस्तावित बिक्री अमेरिका-भारत रणनीतिक संबंधों को मजबूत करके और एक प्रमुख रक्षात्मक साझेदार के रूप में भारत की सुरक्षा में सुधार करके संयुक्त राज्य की विदेश नीति और राष्ट्रीय सुरक्षा का समर्थन करेगी, जो इंडो-पैसिफिक और एशिया क्षेत्र में राजनीतिक स्थिरता, शांति और आर्थिक प्रगति के लिये महत्त्वपूर्ण है।

अनुच्छेद 311

हाल ही में जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल द्वारा पहली बार अनुच्छेद 311 का उपयोग करते हुए एक सरकारी कर्मचारी को बर्खास्त किया गया है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 311 के तहत 'संघ या राज्य के अधीन कार्यरत सरकारी कर्मचारियों को उनके पद से बर्खास्त करने, हटाने अथवा अथवा रैंक कम करने से संबंधित प्रावधान शामिल हैं, हालाँकि ऐसा केवल उपयुक्त जाँच के बाद ही किया जा सकता है। यद्यपि अनुच्छेद 311 उन कर्मचारियों को सुनवाई का स्पष्ट अधिकार प्रदान करता है, जिनके विरुद्ध इस अनुच्छेद को लागू किया गया है, किंतु नवीनतम मामले में उपराज्यपाल द्वारा अनुच्छेद 311 की धारा 2 (C) लागू की गई है, जो कि जाँच और सुनवाई की शर्त की अनिवार्यता को खत्म कर देती है यदि राष्ट्रपति या राज्यपाल इस बात को लेकर संतुष्ट हैं कि राष्ट्र की सुरक्षा के हित में, इस तरह की जाँच करना समीचीन नहीं है। ऐसी स्थित में उस सरकारी कर्मचारी को बिना किसी सुनवाई के बर्खास्त कर दिया जाता है।

ओडिशा में पत्रकार- 'फ्रंटलाइन वर्कर्स'

ओडिशा सरकार ने हाल ही में कोविड-19 महामारी के दौरान राज्य के पत्रकारों को 'फ्रंटलाइन वर्कर्स' के रूप में घोषित किया है। इस संबंध में जारी अधिसूचना के मुताबिक, 'राज्य में कोरोना वायरस से संबंधित विषयों पर लोगों को जागरूक कर राज्य के पत्रकार समाज के प्रति महत्त्वपूर्ण भूमिका अदा कर रहे हैं। ज्ञात हो कि राज्य सरकार के इस निर्णय से राज्य के 6,944 कामकाजी पत्रकारों को फायदा होगा। इस घोषणा के साथ ही राज्य के कार्यशील पत्रकारों को 'गोपाबंधु सम्बादिका स्वास्थ्य बीमा योजना' के तहत कवर किया जाएगा, जिसके तहत उन्हें 2 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा कवर प्राप्त होगा। इसके अलावा ओडिशा सरकार ने अपनी इ्यूटी निभाते हुए कोविड-19 के कारण मरने वाले वाले पत्रकारों के परिवारजनों के लिये 15 लाख रुपए की अनुग्रह राशि की भी घोषणा की है। इससे पूर्व, उत्तराखंड ने भी पत्रकारों और मीडिया संगठनों के प्रतिनिधियों को 'फ्रंटलाइन वर्कर्स' के रूप में घोषित किया था और उन्हें प्राथमिकता के साथ टीका लगाने का आदेश दिया था। कोरोना वायरस संक्रमण के बढ़ते मामलों के मद्देनजर 'एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया' (स्वतंत्र मीडिया प्रतिनिधि संगठन) ने हाल ही में केंद्र सरकार से पत्रकारों को 'फ्रंटलाइन वर्कर्स' के रूप में घोषित करने का आग्रह किया था, जिससे उन्हें कोविड संबंधी टीकाकरण अभियान में प्राथमिकता दी जा सके। आँकड़ों की मानें तो 01 अप्रैल, 2020 से अब तक कोरोना संक्रमण की वजह से 100 से अधिक पत्रकारों की मृत्यु हो चुकी है।

यूरेनियम-214

हाल ही में चीन के वैज्ञानिकों ने एक नए प्रकार के यूरेनियम की खोज की है, जिसे अब तक का सबसे हल्का यूरेनियम माना जा रहा है। यह खोज वैज्ञानिकों को अल्फा कण के बारे में अधिक जानने में मदद कर सकती है, जो कि क्षय (Decay) होकर कुछ रेडियोधर्मी तत्त्वों से अलग हो जाते हैं। वैज्ञानिकों द्वारा खोजे गए इस 'यूरेनियम-214' नामक यूरेनियम में प्रोटॉन की तुलना में 30 अधिक न्यूट्रॉन मौजूद हैं, इस तरह इसमें अब तक ज्ञात सबसे हल्के यूरेनियम संस्करण/आइसोटोप की तुलना में एक कम न्यूट्रॉन मौजूद है। इस प्रकार चूँिक न्यूट्रॉन में द्रव्यमान होता है, इसलिये यूरेनियम-214 अन्य सभी यूरेनियम संस्करणों जैसे- यूरेनियम-235 आदि की तुलना में अधिक हल्का है। ज्ञात हो कि यूरेनियम-235 का उपयोग परमाणु रिएक्टरों में किया जाता है और इसमें प्रोटॉन की तुलना में 51 अतिरिक्त न्यूट्रॉन होते हैं। यह नया आइसोटोप न केवल काफी हल्का है, बल्कि इसने अपने क्षय के दौरान अद्वितीय व्यवहार भी प्रदर्शित किया। इस प्रकार यह खोज वैज्ञानिकों को रेडियोधर्मी क्षय प्रक्रिया समझने में भी मदद करेगी, जिसे अल्फा क्षय के रूप में जाना जाता है, जिसमें एक परमाणु नाभिक में दो प्रोटॉन और दो न्यूट्रॉन के एक समूह (सामूहिक रूप से इसे एक अल्फा कण कहा जाता) का क्षय हो जाता है।

कांगो में इबोला वायरस प्रकोप की समाप्ति

कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य ने इबोला वायरस के एक हालिया प्रकोप की समाप्ति की घोषणा की है, जिसने पूर्वी किवू के उत्तरी प्रांत में 12 लोगों को संक्रमित किया और उनमें से छह लोगों की मृत्यु हुई। कांगो में यह इबोला वायरस का 12वाँ प्रकोप था। इस हालिया प्रकोप को रोकने के लिये 'मर्क' की इबोला वायरस वैक्सीन का उपयोग किया गया, यह वैक्सीन संक्रमित व्यक्तियों के संपर्क में आने वाले 1,600 से अधिक लोगों को दी गई। ये हालिया मामले आनुवंशिक रूप से वर्ष 2018-20 इबोला महामारी से जुड़े हुए थे, जिसमें 2,200 से अधिक लोगों की मृत्यु हुई थी। इबोला वायरस रोग एक गंभीर और जानलेवा बीमारी है, जिससे पीड़ित लोगों में 90% तक मृत्यु होने की संभावना रहती है। अफ्रीका में फ्रूट बैट चमगादड़ इबोला वायरस के वाहक हैं जिनसे पशु (चिंपांजी, गोरिल्ला, बंदर, वन्य मृग) संक्रमित होते हैं। मनुष्यों को या तो संक्रमित पशुओं से या संक्रमित मनुष्यों से संक्रमण होता है, जब वे संक्रमित शारीरिक द्रव्यों या शारीरिक स्नावों के निकट संपर्क में आते हैं। इसमें वायु जिनत संक्रमण नहीं होता है।

थिसारा परेरा

श्रीलंका के ऑलराउंडर और पूर्व कप्तान थिसारा परेरा ने हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है। 3 अप्रैल, 1989 को जन्मे 32 वर्षीय थिसारा परेरा ने अपने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट कॅरियर में श्रीलंका की ओर से कुल छह टेस्ट, 166 वनडे और 84 टी-20 मैच खेले। अपने संपूर्ण कॅरियर में थिसारा परेरा ने टेस्ट क्रिकेट में 203 रन, वनडे में 2338 रन और टी20 में 1204 रन बनाए, इसके अलावा वह एक बेहतरीन गेंदबाज भी थे और उन्होंने टेस्ट क्रिकेट, वनडे तथा टी20 में क्रमश: 11, 175 और 51 विकेट प्राप्त किये। थिसारा परेरा ने अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय मैच भारत के विरुद्ध ईडन गार्डन (कोलकाता) में 24 दिसंबर, 2009 को खेला था।

पार्कर सोलर प्रोब

हाल ही में अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने शुक्र ग्रह के वातावरण में कम आवृत्ति के रेडियो सिग्नल का पता लगाया है। ये रेडियो सिग्नल नासा के 'पार्कर सोलर प्रोब' द्वारा ग्रह की नियमित उड़ान के बीच रिकॉर्ड किये गए हैं, जो कि बीते 30 वर्ष में पहली बार है जब इस ग्रह के वातावरण संबंधी कोई प्रत्यक्ष माप रिकॉर्ड हुआ है। रिकॉर्ड किये गए डेटा के विश्लेषण को जारी करते हुए नासा ने कहा कि पिछली बार वर्ष 1992 में रिकॉर्ड किये गए डेटा की तुलना में वर्तमान में शुक्र ग्रह के ऊपरी वायुमंडल में काफी परिवर्तन आया है और वह और अधिक हल्के होने के क्रम में आगे बढ़ रहा है। नासा के मुताबिक, पृथ्वी की तरह ही शुक्र ग्रह पर भी वायुमंडल के ऊपरी हिस्से में इलेक्ट्रिक रूप से चार्ज गैस की एक परत है, जिसे आयनोस्फीयर कहा जाता है, जो प्राकृतिक रूप से रेडियो तरंगों का उत्सर्जन करती है, जिन्हें यंत्रों के माध्यम से रिकॉर्ड किया जा सकता है। ज्ञात हो कि शुक्र ग्रह और पृथ्वी को तकरीबन जुडवाँ ग्रह माना जाता है, दोनों ग्रह की सतह चट्टानी है और दोनों आकार तथा संरचना में भी समान हैं। हालाँकि पृथ्वी के विपरीत, शुक्र ग्रह में सतह का लगभग 864 डिग्री फारेनहाइट या 462 डिग्री सेल्सियस है, जो कि निवास करने योग्य नहीं है साथ ही यहाँ का वातावरण भी काफी विषाक्त है। साथ ही पृथ्वी के विपरीत, शुक्र में चुंबकीय क्षेत्र भी नहीं है। नासा के 'पार्कर सोलर प्रोब' मिशन को वर्ष 2018 में सर्य का अध्ययन करने और उससे संबंधित विभिन्न तथ्यों को उजागर करने के उद्देश्य से किया गया था। यह 'प्रोब' अपने सात वर्ष के कार्यकाल के दौरान सूर्य के वातावरण से होकर गुजरेगा और निकटता से सूर्य का अध्ययन करेगा।

सॉरोपॉड डायनासोर के जीवाश्म

भारतीय भू-वैज्ञानिक सर्वेक्षण (GSI) के शोधकर्त्ताओं ने मेघालय के पश्चिम खासी हिल्स जिले के आसपास के इलाके से लगभग 100 मिलियन वर्ष पुराने सॉरोपॉड डायनासोर के जीवाश्म हड्डी के टुकड़ों की पहचान की है। शोधकर्ताओं के मुताबिक, यह इस क्षेत्र में खोजा गया संभावित टाइटनोसॉरियन मूल के सॉरोपॉड डायनासोर का पहला रिकॉर्ड है। सॉरोपॉड के पास बहुत लंबी गर्दन, लंबी पूंछ, शरीर के बाकी हिस्सों के सापेक्ष छोटे सर और चार मोटे स्तंभ जैसे पैर थे। इन्हें अपने विशाल शरीर के लिये जाना जाता है और ये पृथ्वी पर अब तक मौजूद सबसे बड़े और विशाल जानवरों में से एक हैं। गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और तिमलनाडु के बाद मेघालय टाइटनोसॉरियन से संबंधित सॉरोपॉड के अवशेषों को रिकॉर्ड करने वाला भारत का पाँचवा और पूर्वोत्तर का पहला राज्य बन गया है। टाइटनोसॉरियन, सॉरोपॉड डायनासोर का एक विविध समूह था, जिसमें अफ्रीका, एशिया, दक्षिण अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका में पाए जाने वाले सॉरोपॉड शामिल थे।

विश्व अस्थमा दिवस

प्रतिवर्ष मई माह के पहले मंगलवार को 'विश्व अस्थमा दिवस' (World Asthma Day) का आयोजन किया जाता है। इस वर्ष विश्व अस्थमा दिवस 04 मई, 2020 को मनाया गया। इस दिवस के आयोजन का प्राथमिक उद्देश्य विश्व भर में अस्थमा की बीमारी एवं पीड़ितों की देखभाल के बारे में जागरूकता फैलाना है। इस वर्ष विश्व अस्थमा दिवस का थीम 'अनकवरिंग अस्थमा मिसकंसेप्शन' है, जिसका उद्देश्य अस्थमा की जटिलताओं से जुड़ी भ्रांतियों को दूर करना है। इस दिवस को विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) के सहयोग से वर्ष 1993 में 'ग्लोबल इनिशिएटिव फॉर अस्थमा' (GINA) द्वारा शुरू किया गया था। अस्थमा फेफड़ों का एक चिरकालिक रोग है, जिसके कारण रोगी को सांस लेने में समस्या होती है। यह गैर-संचारी रोगों में से एक है। इस बीमारी के दौरान श्वसन मार्ग में सूजन से सीने में जकडन, खांसी, सांस लेने में तकलीफ जैसी स्थित उत्पन्न होती है। ये लक्षण आवृत्ति एवं गंभीरता में भिन्न होते हैं। जब लक्षण नियंत्रण में नहीं होते हैं तो साँस लेना मुश्किल हो सकता है। वर्तमान में यह बीमारी बच्चों में सबसे अधिक देखने को मिलती है। यद्यपि अस्थमा को ठीक नहीं किया जा सकता है, किंतु अगर सही समय पर सही इलाज के साथ इसका प्रबंधन किया जाए तो इसे नियंत्रित किया जा सकता है।

उत्तरी सिक्किम में सेना का सौर ऊर्जा संयंत्र

भारतीय सेना ने हाल ही में तकरीबन 16000 फीट की ऊँचाई पर उत्तरी सिक्किम में वैनेडियम आधारित बैटरी तकनीक का उपयोग करते हुए 56 KVA के पहले हरित सौर ऊर्जा संयंत्र का उद्घाटन किया है। इस संयंत्र का उद्देश्य सैन्य दलों की दैनिक जरूरतों के लिये आवश्यक ऊर्जा के रूप में नवीकरणीय ऊर्जा के उपयोग को बढावा देना है। भारतीय सेना द्वारा इस परियोजना को भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान-मुंबई (IIT-M) के सहयोग से पूरा किया गया है। यह परियोजना दुर्गम स्थानों पर सैनिकों को अत्यधिक लाभान्वित करेगी और पर्यावरण के अनुकूल भी होगी। यह परियोजना वैनेडियम बैटरी पर आधारित है। वैनेडियम एक रासायनिक तत्त्व है जिसका प्रतीक (V) है। यह एक दुर्लभ तत्त्व है, जो अपनी प्रकृति में कठोर, सिल्की ग्रे, मुलायम और लचीली संक्रमणीय धातु है।

भारतीय सेना का कोविड प्रबंधन प्रकोष्ठ

देश भर में कोविड-19 संक्रमण संबंधी मामलों में हो रही वृद्धि के मद्देनजर भारतीय सेना ने सभी कोविड-संबंधी सहायता कार्यों के लिये संबंधित नागरिक अधिकारियों के साथ समन्वय करने हेतु 'कोविड प्रबंधन प्रकोष्ठ' का गठन किया है। यह प्रकोष्ठ महानिदेशक स्तर (थ्री-स्टार रैंक) के अधिकारी के तहत काम करेगा, जो प्रत्यक्ष तौर पर सेना उपाध्यक्ष को रिपोर्ट करेंगे। ज्ञात हो कि महामारी की दूसरी लहर के दौरान, सशस्त्र बल राहत प्रयासों में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। ऐसे में सेना के अधिकारियों और नागरिक प्राधिकरण के बीच उचित समन्वय स्थापित करने के लिये एक तंत्र गठित किया जाना आवश्यक है। साथ ही इससे दिल्ली सिहत देश भर में कोविड मरीजों की संख्या में असाधारण वृद्धि की समस्या से निपटने में अधिक दक्षता के साथ सहयोग किया जा सकेगा। देश भर में रक्षा मंत्रालय द्वारा संचालित विभिन्न कोविड सुविधाओं पर डॉक्टरों, निर्संग स्टाफ और पैरामेडिकल सिहत सशस्त्र बलों के 500 से अधिक चिकित्सा कियों को तैनात किया गया है।

सामाजिक सुरक्षा संहिता (2020) की धारा 142

केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने आधार की प्रासंगिकता को कवर करने वाली सामाजिक सुरक्षा संहिता (2020) की धारा-142 को अधिसूचित किया है। इस धारा की अधिसूचना जारी होने से श्रम एवं रोजगार मंत्रालय विभिन्न सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के अंतर्गत अपने डेटाबेस के लिये लाभार्थियों के आधार का विवरण प्राप्त करने में सक्षम होगा। राष्ट्रीय सूचना केंद्र द्वारा 'नेशनल डेटाबेस फॉर अन-ऑर्गनाइज्ड वर्कर्स' (NDUW) को विकसित किया जा रहा है, जो कि अभी एडवांस स्टेज में है। इस पोर्टल का उद्देश्य प्रवासी मजदूरों सिहत असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों का डेटा एकत्रित करना है, तािक सरकार की विभिन्न योजनाओं का लाभ इन श्रमिकों तक पहुँचाया जा सके। अंतरराज्यीय प्रवासी मजदूर केवल आधार कार्ड के विवरण के माध्यम से स्वयं को इस पोर्टल पर पंजीकृत कर सकते हैं। हािलया अधिसूचना के माध्यम से सामाजिक सुरक्षा संहिता के लाभार्थियों से आधार संख्या मांगी जाएगी, हालाँकि आधार संबंधी यह अनिवार्यता सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के तहत सेवाओं के विवरण में बाधा उत्पन्न नहीं करेगी और आधार प्रस्तुत न कर पाने की स्थिति में पात्र लाभार्थियों के लिये सेवाओं से इनकार नहीं किया जाएगा।

भारत-ब्रिटेन प्रवासी समझौता

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रवास और आवागमन के मद्देनज़र भारत और यूनाइटेड किंगडम के बीच समझौता-ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने को मंज़ूरी दे दी है। समझौता-ज्ञापन का उद्देश्य वीजा प्रक्रिया को उदार बनाना है, तािक छात्रों, शोधकर्ताओं और कुशल पेशेवरों का आवागमन आसान हो तथा दोनों तरफ अनियमित प्रवास एवं मानव तस्करी संबंधी मुद्दों पर सहयोग को मज़बूत किया जा सके। समझौता-ज्ञापन से भारतीय छात्रों, अकैडिमिशियनों एवं शोधकर्ताओं, पेशेवरों तथा आर्थिक कारणों से प्रवास करने वाले लोगों को लाभ मिलेगा। यह समझौता-ज्ञापन प्रतिभाओं के निर्बाध आवागमन से दोनों देशों के बीच नवाचार संबंधी इको-सिस्टम को विकसित करने में भी मदद करेगा। इस नए प्रवासन संबंधी समझौते से दोनों देशों (भारत और ब्रिटेन) के युवाओं और पेशेवरों को एक दूसरे के देश में रहने तथा काम करने का अवसर प्राप्त होगा, जिससे भारतीय नागरिकों के लिये कार्य वीजा को बढ़ावा मिलेगा और दोनों देशों के बीच प्रवास सहयोग में वृद्धि होगी। इस समझौते के माध्यम से भारत और ब्रिटेन में 18 से 30 वर्ष की आयु के हजारों लोगों को दो वर्ष तक एक-दूसरे के देश में काम करने तथा रहने की अनुमित मिलेगी।

सीमा सड़क संगठन

07 मई, 2021 को सीमा सड़क संगठन (BRO) द्वारा अपना 61वाँ स्थापना दिवस मनाया जा रहा है। सीमा सड़क संगठन (BRO) की स्थापना 7 मई, 1960 को हुई थी और यह रक्षा मंत्रालय के तहत एक प्रमुख सड़क निर्माण संस्था के रूप में कार्य करता है। ध्यातव्य है कि यह संगठन सीमावर्ती क्षेत्रों में सड़क कनेक्टिविटी प्रदान करने में अग्रिणी भूमिका अदा कर रहा है। यह पूर्वी और पश्चिमी सीमा क्षेत्रों में सड़क निर्माण तथा इसके रख-रखाव का कार्य करता है तािक सेना की रणनीतिक आवश्यकताएँ पूरी की जाएँ। आजादी के पश्चात् के शुरूआती वर्षों में भारत के समक्ष लगभग 15000 किलोमीटर लंबी सीमा रेखा की सुरक्षा तथा अपर्याप्त सड़क साधन वाले उत्तर व उत्तर-पूर्व के आर्थिक रूप से पिछड़े सुदूरवर्ती इलाके को भविष्य में उन्नत व विकसित करने का दायित्व था और BRO इस दायित्व को पूरा करने के लिये काफी तेज़ी से कार्य कर रहा है। इसके अलावा सीमा सड़क संगठन ने भूटान, म्याँमार, अफगानिस्तान आदि मित्र देशों में भी सड़कों का निर्माण किया है।

रवींद्रनाथ टैगोर

07 मई, 2021 को देशभर में विश्व प्रसिद्ध किव, साहित्यकार और दार्शनिक रवींद्रनाथ टैगोर की 160वीं जयंती मनाई गई। रवींद्रनाथ टैगोर का जन्म 07 मई, 1861 को ब्रिटिश भारत में बंगाल प्रेसीडेंसी के कलकत्ता (अब कोलकाता) को हुआ था। उनके बचपन का नाम रोबिंद्रोनाथ ठाकुर था। बहुमुखी प्रतिभा के धनी रवींद्रनाथ टैगोर ने बंगाली साहित्य और संगीत को काफी महत्त्वपूर्ण रूप से प्रभावित किया। इसके अलावा उन्होंने 19वीं सदी के अंत एवं 20वीं शताब्दी की शुरुआत में प्रासंगिक आधुनिकतावाद के साथ भारतीय कला का पुनरुत्थान किया। रवींद्रनाथ टैगोर एक नीतिज्ञ, किव, संगीतकार, कलाकार एवं आयुर्वेद-शोधकर्त्ता भी थे। उन्होंने मात्र 8 वर्ष की आयु में ही किवता लिखना शुरू कर दिया था और 16 वर्ष की आयु में उनका पहला किवता संग्रह प्रकाशित किया था। रवींद्रनाथ टैगोर का मानना था कि उचित शिक्षा तथ्यों की व्याख्या नहीं करती है, बिल्क जिज्ञासा को बढ़ाती है। रवींद्रनाथ टैगोर को उनकी काव्यरचना 'गीतांजिल' के लिये वर्ष 1913 में साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था और इस तरह वह नोबेल पुरस्कार जीतने वाले पहले गैर-यूरोपीय थे। 'गीतांजिल' को मूल रूप से बंगाली भाषा में लिखा गया था और बाद में इसका अंग्रेज़ी में अनुवाद किया गया। भारतीय राष्ट्रगान (जन गण मन) के बांग्लादेश का राष्ट्रगान (आमार सोनार बांग्ला) भी उनके द्वारा ही रचित है। श्रीलंका के राष्ट्रगान को भी उनकी रचनाओं से प्रेरित माना जाता है। ज्ञात हो कि रवींद्रनाथ टैगोर ने ही महात्मा गांधी को 'महात्मा' की उपाधि दी थी।

विश्व रेड क्रॉस दिवस

प्रत्येक वर्ष 08 मई को विश्व भर में 'विश्व रेड क्रॉस दिवस' मनाया जाता है। यह दिवस, अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस और रेड क्रीसेंट आंदोलन के सिद्धांतों को रेखांकित करता है। यह दिवस आम जनमानस को मानवीय सहायता उपलब्ध कराने के कार्यों में संलग्न विश्व की सबसे एजेंसी (रेड क्रॉस) और समाज में उसके योगदान को जानने का अवसर प्रदान करता है। इस वर्ष विश्व रेड क्रॉस दिवस की थीम 'अनस्टॉपेबल' है। 'रेड क्रॉस' एक ऐसी अंतर्राष्ट्रीय संस्था है, जो बिना किसी भेदभाव के युद्ध, महामारी एवं प्राकृतिक आपदा की स्थिति में लोगों की रक्षा करती है। इस संस्था का मुख्य उद्देश्य विपरीत परिस्थितियों में लोगों के जीवन की रक्षा करना है। विश्व रेड क्रॉस दिवस, रेड क्रॉस के जनक 'जीन हेनरी ड्यूनैंट' के जन्मदिवस को चिह्नित करता है, जिनका जन्म 8 मई, 1828 को जिनेवा (स्विट्जरलैंड) में हुआ था। 'जीन हेनरी ड्यूनैंट' को वर्ष 1901 में पहला नोबेल शांति पुरस्कार प्रदान किया गया था। 'इंटरनेशनल कमेटी ऑफ द रेड क्रॉस' (ICRC) की स्थापना जीन हेनरी ड्यूनैंट द्वारा वर्ष 1863 में की गई थी। भारत में 'इंडियन रेडक्रॉस सोसाइटी' का गठन वर्ष 1920 में हुआ था।

विश्व थैलेसीमिया दिवस

दुनिया भर में 08 मई को 'विश्व थैलेसीमिया दिवस' का आयोजन किया जाता है। इस दिवस के आयोजन का प्राथमिक लक्ष्य थैलेसीमिया जैसे गंभीर आनुवंशिक विकार और इससे पीड़ित रोगियों के संघर्ष के संबंध में जागरूकता बढ़ाना है। साथ ही यह दिवस पीड़ितों के जीवन को बेहतर बनाने के लिये समर्पित डॉक्टरों और अन्य चिकित्सा कर्मियों तथा इस रोग के उन्मूलन की दिशा में कार्य कर रहे वैज्ञानिकों का भी सम्मान करता है। विश्व थैलेसीमिया दिवस (08 मई) की शुरुआत वर्ष 1994 में थैलेसीमिया इंटरनेशनल फेडरेशन द्वारा की गई थी। थैलेसीमिया एक आनुवंशिक रक्त विकार है, जो कि माता-पिता से बच्चों तक पीढ़ी-दर-पीढ़ी हस्तांतरित होता है। इस स्थायी रक्त विकार के कारण रोगी के लाल रक्त कणों (RBC) में पर्याप्त हीमोग्लोबिन नहीं बन पाता है। इसके कारण एनीमिया हो जाता है और रोगियों को जीवित रहने के लिये हर दो से तीन सप्ताह बाद रक्त चढ़ाने की आवश्यकता होती है। रोग की गंभीरता जीन में शामिल उत्परिवर्तन और उनकी अंत:क्रिया पर निर्भर करती है।

'स्टारशिप' अंतरिक्ष यान

अमेरिका की निजी अंतरिक्ष एजेंसी 'स्पेसएक्स' (SpaceX) ने अपने प्रोटोटाइप 'स्टारिशप' रॉकेट को सफलतापूर्वक लैंड करवाने में में कामयाबी हासिल कर ली है। 'स्पेसएक्स' को अपने पाँचवें प्रयास में यह सफलता हासिल हुई है। 'स्पेसएक्स' द्वारा डिजाइन किया गया 'स्टारिशप' एक अंतरिक्ष यान और अत्यधिक भारी बूस्टर रॉकेट है, जिसका प्राथमिक कार्य पृथ्वी की ऑबिंट, चंद्रमा और मंगल ग्रह पर चालक दल और कार्गों के लिये पूरी तरह से पुन: प्रयोज्य परिवहन प्रणाली के रूप में कार्य करना है। इस अंतरिक्ष यान में 100 मीट्रिक टन से अधिक कार्गों को पृथ्वी के ऑबिंट में पहुँचाने की क्षमता है। 'स्टारिशप' का विकास वर्ष 2012 से ही किया जा रहा है और यह अंतरिक्ष अन्वेषण एवं अंतरिक्ष यात्राओं को सुलभ तथा सस्ता बनाने के लिये 'स्पेसएक्स' के केंद्रीय मिशन का एक हिस्सा है। आने वाले समय में स्टारिशप प्रणाली 'स्पेसएक्स' की आंशिक रूप से पुन: प्रयोज्य फाल्कन रॉकेट प्रणाली का स्थान ले लेगी।

आईडी-आर्ट' एप्लीकेशन

अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक पुलिस संगठन यानी इंटरपोल ने एक 'आईडी-आर्ट' नाम से एक मोबाइल फोन एप्लीकेशन (एप) लॉन्च की है, जो चोरी हुई सांस्कृतिक संपत्ति की पहचान करने, तस्करी को कम करने और चुराई हुई कलाकृतियों की पुनर्प्राप्ति की संभावना को बढ़ाने में मदद करेगा। इंटरपोल का यह एप उपयोगकर्त्ताओं को चोरी हुईं कलाकृतियों से संबंधित इंटरपोल के डेटाबेस तक पहुँच प्राप्त करने, निजी कला संग्रहों की एक सूची बनाने और उन सांस्कृतिक साइटों की रिपोर्ट करने, जिन पर संभावित जोखिम है आदि में सक्षम बनाता है। यह एप विभिन्न देशों की कानून प्रवर्तन एजेंसियों के साथ-साथ आम जनता द्वारा भी प्रयोग किया जा सकता है। ज्ञात हो कि हाल के कुछ वर्षों में ऐसी तमाम सशस्त्र संघर्ष और संगठित लूटपाट की घटनाएँ दर्ज की गई हैं, जिसके कारण विभिन्न देशों की सांस्कृतिक विरासतें गंभीर रूप से प्रभावित हो रही हैं। इस तरह यह नया एप पुलिस अधिकारियों, सांस्कृतिक विरासत पेशेवरों और आम जनमानस को सांस्कृतिक संरक्षण की दिशा में क्षमता बनाने हेतु एक महत्त्वपूर्ण कदम है। विरासत स्थलों की स्थित के प्रलेखन के अलावा यह एप भौगोलिक स्थित को रिकॉर्ड करने को भी सक्षम बनाता है। इस एप्लीकेशन के माध्यम से अब तक इटली और नीदरलैंड में कुल चार कलाकृतियों को बरामद किया गया है।

सीनोफार्म वैक्सीन

हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने चीन में निर्मित सीनोफार्म कोविड-19 वैक्सीन को आपातकालीन उपयोग के लिये सूचीबद्ध किया है, जिसका अर्थ है कि अब इस वैक्सीन का प्रयोग दुनिया भर में टीकाकरण अभियानों में किया जा सकता है। इस वैक्सीन का उत्पादन बीजिंग बायो-इंस्टीट्यूट ऑफ बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स कंपनी लिमिटेड द्वारा किया जाता है, जो कि चाइना नेशनल बायोटेक ग्रुप (CNBG) की एक अनुषंगी कंपनी है। विदित हो कि सीनोफार्म, विश्व स्वास्थ्य संगठन का समर्थन प्राप्त करने वाली पहली गैर-पश्चिमी वैक्सीन है और इसका प्रयोग संभवतः कोवैक्स (COVAX) कार्यक्रम के लिये किया जाएगा, जिसके तहत निम्न और मध्यम आय वाले देशों में टीकों की आपूर्ति की जाती है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुताबिक, चीन द्वारा निर्मित यह वैक्सीन सभी आयु वर्गों के लिये लगभग 79 प्रतिशत तक प्रभावी है। सीनोफार्म वैक्सीन, भारत बायोटेक इंडिया द्वारा विकसित कोवैक्सिन की तरह ही एक निष्क्रिय कोरोना वायरस वैक्सीन है। निष्क्रिय वैक्सीन में उस विशिष्ट रोग से संबंधित वायरस (कोविड-19 के मामले में SARS-CoV-2) का प्रयोग किया जाता है और उसे ऊष्मा, रसायन या विकिरण का उपयोग कर निष्क्रिय कर दिया जाता है। फ्लू और पोलियो के टीके को भी इसी विधि से निर्मित किया जाता है।

माउंट सिनाबंग

हाल ही में इंडोनेशिया के सक्रीय ज्वालामुखी 'माउंट सिनाबंग' में विस्फोट हुआ है। यह ज्वालामुखी वर्ष 2010 में तब सिक्रय हुआ था, जब लगभग 400 वर्षों की निष्क्रियता के बाद इसमें पहली बार विस्फोट हुआ था। सिनाबंग ज्वालामुखी उत्तरी सुमात्रा प्रांत के कारो जिले में स्थित है। इसकी ऊँचाई 2,475 मीटर है। यह दक्षिण-पूर्व एशियाई देशों के प्रमुख जागृत ज्वालामुखियों में से एक है। जागृत ज्वालामुखी लंबा एवं शंक्वाकार होता है, जो कठोर लावा और टेफ्रा की पर्तों से मिलकर बना होता है। इंडोनेशिया में ऐसी ज्वालामुखी घटनाएँ काफी सामान्य हैं, क्योंकि यह देश प्रशांत महासागर के 'रिंग ऑफ फायर' पर स्थित है जहाँ पर विवर्तनिक प्लेटों के आपस में टकराने के फलस्वरूप भूकंपीय और ज्वालामुखी घटनाएँ अक्सर देखी जाती हैं। 'रिंग ऑफ फायर' में विश्व के लगभग 75 प्रतिशत ज्वालामुखी मौजूद हैं और लगभग 90 प्रतिशत भूकंप भी इसी क्षेत्र में दर्ज किये जाते हैं। ज्वालामुखी मूल रूप से तीन प्रकार के होते हैं - सिक्रय, निष्क्रिय या विलुप्त। एक विस्फोट तब होता है जब 'मैग्मा', जो कि पृथ्वी के मेंटल के पिघलने पर बनता है, पृथ्वी की सतह पर आ जाता है। सतह पर आ जानेके बाद इसे 'लावा' कहते हैं।

वी. कल्याणम

महात्मा गांधी के पूर्व निजी सचिव वी. कल्याणम का हाल ही में 99 वर्ष की आयु में चेन्नई में निधन हो गया है। वी. कल्याणम वर्ष 1943 से वर्ष 1948 तक महात्मा गांधी की मृत्यु तक उनके निजी सचिव थे। ज्ञात हो कि 30 जनवरी, 1948 को नई दिल्ली में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की हत्या के दौरान वी. कल्याणम महात्मा गांधी के साथ ही थे। वी. कल्याणम का जन्म 15 अगस्त, 1922 को शिमला में हुआ था। गांधी के निधन के बाद कल्याणम ने पंडित नेहरू, एडविना माउंटबेटन और रेड क्रॉस आदि के साथ भी कार्य किया, इसके अलावा वे एक सद्भावना मिशन पर चीन भी गए।

राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस

विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भारतीयों की उपलब्धियों और योगदान को मान्यता देने के लिये प्रतिवर्ष 11 मई को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस का आयोजन किया जाता है। 11 मई, 1998 को भारत ने 'ऑपरेशन शक्ति' के तहत राजस्थान में भारतीय सेना के पोखरण टेस्ट रेंज में तीन सफल परमाणु परीक्षण किये थे। यह मिशन भारतीय सेना द्वारा रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन (DRDO), भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र (BARC), परमाणु खनिज निदेशालय अन्वेषण एवं अनुसंधान (AMDER) निदेशालय के वैज्ञानिकों के सहयोग से किया गया था। इन परीक्षणों का नेतृत्व दिवंगत राष्ट्रपति डॉ. ए.पी.जे. अब्दुल कलाम द्वारा किया गया था। 11 मई, 1999 को पहली बार राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाया गया था। इन परीक्षणों ने भारत को 'थर्मोन्यूक्लियर हथियार' और 'परमाणु विखंडन बम' बनाने में सक्षम बनाया था। इन परामाणु परीक्षणों

के साथ-साथ आज ही के दिन (11 मई) भारत ने अपने पहले स्वदेशी विमान 'हंसा-3' का भी परीक्षण किया था, जिसे राष्ट्रीय एयरोस्पेस प्रयोगशाला द्वारा डिज़ाइन किया गया था और इसने कर्नाटक के बंगलूरू में उड़ान भरी थी। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन (DRDO) ने भारत की सतह-से-हवा में मार करने वाली 'त्रिशूल मिसाइल' का भी सफलतापूर्वक परीक्षण करके इसे भारतीय सेना के बेड़े में शामिल किया था। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस 2021 की थीम 'सतत् भविष्य के लिये विज्ञान और प्रौद्योगिकी' है।

'टू-डीऑक्सी-डी-ग्लूकोज़' ड्रग

'ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया' (DGCI) ने हाल ही में रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (DRDO) द्वारा विकसित एक एंटी-कोविड ड्रग को मंजूरी दे दी है, जो कि कोरोना वायरस से संक्रमित गंभीर रोगियों के लिये एक आपातकालीन समय में सहायक चिकित्सा थेरेपी के रूप में प्रयोग की जा सकेगी।'टू-डीऑक्सी-डी-ग्लूकोज'(2-DG) ड्रग के नैदानिक परीक्षणों से प्राप्त सूचना के मुताबिक, यह दवा अस्पताल में भर्ती रोगियों की तीव्र रिकवरी में मदद करती है और ऑक्सीजन पर निर्भरता को कम करती है। दवा को मंजूरी ऐसे समय में मिली है जब भारत कोरोना वायरस महामारी की दूसरी लहर के साथ जूझ रहा है, जिसने देश के स्वास्थ्य ढाँचे की सीमाओं को उजागर किया है। इस एंटी-कोविड ड्रग को 'नाभिकीय औषधि तथा संबद्ध विज्ञान संस्थान' द्वारा विकसित किया गया है, जो कि रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (DRDO) की एक प्रमुख प्रयोगशाला है। सहायक चिकित्सा थेरेपी एक ऐसी उपचार पद्धित है, जिसका उपयोग प्राथमिक उपचार के साथ किया जाता है। यह ड्रग, वायरस संक्रमित कोशिकाओं में जमा हो जाता है और वायरल संश्लेषण तथा ऊर्जा उत्पादन को रोककर वायरस के विकास को रोकता है और उसे निष्क्रिय कर देता है।

विश्व प्रवासी पक्षी दिवस

इस वर्ष 08 मई को विश्व भर में 'विश्व प्रवासी पक्षी दिवस' (WMBD) का आयोजन किया गया। विश्व प्रवासी पक्षी दिवस (WMBD) एक वार्षिक जागरूकता अभियान है, जिसका उद्देश्य प्रवासी पिक्षयों और उनके आवासों के संरक्षण की आवश्यकता पर प्रकाश डालना है। इस आयोजन के तहत प्रवासी पिक्षयों, उनके पारिस्थितिक महत्त्व, उनके समक्ष मौजूद चुनौतियों और उनके संरक्षण के लिये अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की आवश्यकता के संबंध में वैश्विक जागरूकता बढ़ाने में मदद की जाती है। इसे संयुक्त राष्ट्र की दो संधियों 'वन्यजीवों की प्रवासी प्रजातियों के संरक्षण पर सम्मेलन' एवं 'अफ्रीकन-यूरेशियन वॉटरबर्ड एग्रीमेंट' (AEWA) और एक गैर-लाभकारी संगठन (एनवायरमेंट फॉर द अमेरिका) के बीच एक सहयोगात्मक संयुक्त रूप से मनाया जाता है। पहली बार 'विश्व प्रवासी पक्षी दिवस' को वर्ष 2006 में मनाया गया था। यह दिवस वर्ष में दो बार (मई एवं अक्तूबर महीने के दूसरे शनिवार को) मनाया जाता है। इस वर्ष प्रवासी पक्षी दिवस का थीम 'सिंग, फ्लाई, सोर - लाइक ए बर्ड' है। पिक्षयों के बीच कई अलग-अलग प्रवासन पैटर्न देखे जाते हैं। अधिकांश पक्षी उत्तरी प्रजनन क्षेत्रों से दिक्षणी सर्दियों के मैदानों की ओर पलायन करते हैं। हालाँकि, कुछ पक्षी अफ्रीका के दिक्षणी हिस्सों में प्रजनन करते हैं और सर्दियों में उत्तरी मैदान या क्षैतिज रूप से पलायन करते हैं।

मनोज दास अंतर्राष्ट्रीय साहित्य पुरस्कार

हाल ही में ओडिशा सरकार ने राज्य के प्रख्यात साहित्यकार मनोज दास की स्मृति में 'मनोज दास अंतर्राष्ट्रीय साहित्य पुरस्कार' प्रदान करने की घोषणा की है। यह पुरस्कार प्रतिवर्ष अंग्रेज़ी साहित्य में रचनात्मक योगदान देने वाले ओडिशा के साहित्यकारों को प्रदान किया जाएगा। इसके तहत पुरस्कार के तौर पर 10 लाख रुपए का नकद इनाम दिया जाएगा। ओडिशा के प्रख्यात शिक्षाविद और जाने-माने द्विभाषी साहित्यकार मनोज दास का हाल ही में 87 वर्ष की आयु में निधन हो गया था। वर्ष 1934 में ओडिशा में जन्मे मनोज दास ने ओडिया और अंग्रेज़ी दोनों ही भाषाओं में महत्त्वपूर्ण साहित्यक रचनाएँ कीं। मनोज दास को साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में उनके योगदान के लिये वर्ष 2001 में पद्मश्री और वर्ष 2020 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। इसके अलावा राज्य सरकार ने हाई स्कूल के छात्रों को उनके रचनात्मक कार्यों हेतु 'मनोज-िकशोर साहित्य प्रतिभा पुरस्कार' प्रदान करने की भी घोषणा की है, तािक ओडिया और अंग्रेज़ी साहित्य दोनों में युवाओं के बीच रुचि विकसित की जा सके।

सआदत हसन मंटो

11 मई, 2021 को प्रसिद्ध साहित्यकार सआदत हसन मंटो की 109वीं जयंती मनाई गई। सआदत हसन मंटो को सबसे अधिक पढ़ा जाने वाला और उर्दू में सबसे विवादास्पद लघु कथाकार माना जाता है। 11 मई, 1912 को पंजाब के लुधियाना जिले के समबरला में एक कश्मीरी परिवार में जन्मे मंटो ने लघु कहानियों के बाईस संग्रह, एक उपन्यास, रेडियो नाटक के पाँच संग्रह और फिल्मों के लिये कई स्क्रिप्ट लिखीं। मंटो ने अपनी कहानियों और रचनाओं के माध्यम से विभाजन और उसके दर्द को लिखा। अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद वर्ष 1935 में मंटो बॉम्बे चले गए और वहाँ उन्होंने साप्ताहिक पित्रका 'पारस' में काम किया। उनके उपन्यासों और रचनाओं ने साहित्य जगत में उथल-पुथल मचा दिया और इसी कारण उन्हें अश्लील साहित्यकार भी कहा गया। इसी वजह से उन पर कई बार मुकदमे चलाए गए और पाकिस्तान में उन्हें 3 महीने के कारावास और 300 रुपए का जुर्माना भी देना पड़ा। बाद में उन्हें पाकिस्तान के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार 'निशान-ए-इम्तियाज़' से भी सम्मानित किया गया। 18 जनवरी, 1955 को पाकिस्तान में मंटो का निधन हो गया।

अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस

विश्व भर में 12 मई को 'अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस' मनाया जाता है। इस दिवस का आयोजन मुख्य रूप से आधुनिक नर्सिंग की जनक 'फ्लोरेंस नाइटिंगेल' (Florence Nightingale) की याद में किया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस समाज के प्रति नर्सों के योगदान को चिह्नित करता है। अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस 2020 की थीम 'नर्स: ए वॉयस टू लीड- ए विजन फॉर फ्यूचर हेल्थकेयर' है। इस दिवस को सर्वप्रथम वर्ष 1965 में 'इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ नर्स' (ICN) द्वारा मनाया गया था, किंतु जनवरी 1974 से यह दिवस 12 मई को फ्लोरेंस नाइटिंगेल की जयंती पर मनाया जाने लगा। वे एक ब्रिटिश नागरिक थीं, जिन्हें युद्ध में घायल व बीमार सैनिकों को सेवा के लिये जाना जाता है। फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने 1850 के दशक के क्रीमियन युद्ध में दूसरी नर्सों को प्रशिक्षण दिया तथा उनके प्रबंधक के रूप में भी कार्य किया। उन्हें 'लेडी विद द लैंप' कहा जाता है। उनके विचारों तथा सुधारों से आधुनिक स्वास्थ्य प्रणाली काफी प्रभावित हुई है। फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने ही सांख्यिकों के माध्यम से यह सिद्ध किया कि किस प्रकार स्वास्थ्य से किसी भी महामारी के प्रभाव को कम किया जा सकता है। संपूर्ण विश्व जब कोरोनावायरस (COVID-19) महामारी का सामना कर रहा है, तो ऐसे में नर्सों की भूमिका काफी महत्त्वपूर्ण हो गई है।

असम में ऑनलाइन बाढ़ रिपोर्टिंग प्रणाली

असम में हाल ही में एक ऑनलाइन बाढ़ रिपोर्टिंग और सूचना प्रबंधन प्रणाली का शुभारंभ किया गया है। असम राज्य आपदा प्रबंधन संस्थान और यूनिसेफ द्वारा संयुक्त रूप से विकसित यह ऑनलाइन प्रणाली मौजूदा असम में बाढ़ नियंत्रण तंत्र का स्थान लेगी। ज्ञात हो कि असम की मौजूदा बाढ़ रिपोर्टिंग प्रणाली में मैनुअल सत्यापन और गुणवत्ता नियंत्रण प्रणाली शामिल हैं, जिसके कारण इसमें काफी समय लगता है, जबिक नई बाढ़ रिपोर्टिंग प्रणाली दैनिक आधार पर बाढ़ रिपोर्टिंग करेगी। वेब-कम-मोबाइल एप्लिकेशन तकनीक से चालित यह नई प्रणाली बाढ़ प्रभावित लोगों को राहत और पुनर्वास अनुदान प्रदान करने में भी मददगार साबित होगी। साथ ही इससे फसलों और पशुधन के नुकसान की स्थित की भी जाँच की जा सकेगी। इस प्रकार की प्रणाली राज्य में आपदा जोखिम न्यूनीकरण हस्तक्षेप के प्रभाव को मापने में काफी मददगार साबित होगी।

जोस जे. कट्टूर

हाल ही में जोस जे. कट्टूर को भारतीय रिजर्व बैंक का कार्यकारी निदेशक (ED) नियुक्त किया गया है। कार्यकारी निदेशक के रूप में पदोन्नत होने से पहले, जोस जे. कट्टूर कर्नाटक के क्षेत्रीय निदेशक के रूप में रिजर्व बैंक के बंगलूरू क्षेत्रीय कार्यालय प्रमुख के रूप में कार्य कर रहे थे। जोस कट्टूर, बीते लगभग तीन दशकों से भारतीय रिजर्व बैंक के साथ जुड़े हुए हैं और अपने इस लंबे अनुभव में उन्होंने केंद्रीय बैंक में संचार, मानव संसाधन प्रबंधन, वित्तीय समावेशन, पर्यवेक्षण, मुद्रा प्रबंधन और अन्य क्षेत्रों में काम किया है। कार्यकारी निदेशक के रूप में जोस कट्टूर मानव संसाधन प्रबंधन विभाग, कॉर्पोरेट रणनीति तथा बजट विभाग और राजभाषा विभाग का नेतृत्व करेंगे।

सिंधु दर्शन महोत्सव

केंद्रशासित क्षेत्र लद्दाख में 19 जून, 2021 से 'सिंधु दर्शन महोत्सव' का आयोजन किया जाना है। लेह शहर से लगभग 8 किलोमीटर दूर 'शेह मनाला' में सिंधु नदी के तट पर आयोजित होने वाले 'सिंधु दर्शन महोत्सव' में प्रतिवर्ष देश भर से सैकड़ों पर्यटक शामिल होते हैं। इस समारोह के दौरान भारत भर के कलाकारों द्वारा संगीत कार्यक्रमों, नृत्य प्रदर्शन और कला प्रदर्शनियों आदि का आयोजन किया जाता है। साथ ही यह महोत्सव आम जनमानस को सिंधु नदी के बारे में जागरूक करता है और देश की सांप्रदायिक एकता के प्रतीक के रूप में इसके महत्त्व को बढ़ावा देता है। ज्ञात हो कि सिंधु नदी को भारतीय उपमहाद्वीप की सबसे महत्त्वपूर्ण जल प्रणालियों में से एक है। इसे विश्व की सबसे लंबी निदयों में से एक माना जाता है और इसके कुल बहाव क्षेत्र का अधिकांश हिस्सा भारत और पाकिस्तान में है। सिंधु नदी तंत्र में मुख्यत: 6 निदयाँ- सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलज शामिल हैं। सिंधु नदी का अपनी सहायक निदयों- चिनाब, झेलम, सतलज, रावी और ब्यास के साथ संगम पाकिस्तान में होता है। भारत और पाकिस्तान में नदी किनारे रहने वाले अधिकांश लोग अपनी बुनियादी आवश्यकताओं और सिंचाई आदि के लिये इसी नदी तंत्र पर निर्भर हैं।

स्पेस स्टेशन में पहला निजी मिशन

अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा और निजी अंतरिक्ष कंपनी 'एक्सिओम स्पेस' (Axiom Space) ने हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन (ISS) में पहले निजी अंतरिक्ष यात्री मिशन हेत समझौते पर हस्ताक्षर किये हैं। इस मिशन के वर्ष 2022 तक परा होने की उम्मीद है। 'एक्सिओम मिशन' 1 (Ax-1) के रूप में नामित इस अंतरिक्ष उडान को नासा के फ्लोरिडा स्थित कैनेडी स्पेस सेंटर से लॉन्च किया जाएगा। मिशन में शामिल अंतरिक्ष यात्री को अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन (ISS) में कुल आठ दिन बिताने का अवसर मिलेगा। विदित हो कि नासा ने लो-अर्थ ऑबिंट में एक मजबूत और प्रतिस्पर्द्धी अर्थव्यवस्था विकसित करने संबंधी अपनी योजना के हिस्से के रूप में अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन को निजी अंतरिक्ष यात्री मिशन सिहत वाणिज्यिक गतिविधियों के लिये खोल दिया है।

बच्चों में कोवैक्सीन का परीक्षण

इग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया (DCGI) ने भारत बायोटेक को बच्चों में कोवैक्सीन (Covaxin) का परीक्षण करने हेतू मंज़्री दे दी है। 'कोवैक्सीन' कोरोना वायरस के विरुद्ध भारत के सामृहिक टीकाकरण अभियान में इस्तेमाल होने वाले दो कोविड-19 टीकों में से एक है, जिसे भारत बायोटेक लिमिटेड द्वारा भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद (ICMR) के सहयोग से विकसित किया गया है। यह भारत की एकमात्र स्वदेशी कोरोना वैक्सीन है, जिसे रोग पैदा करने वाले जीवित सूक्ष्मजीवों को निष्क्रिय कर विकसित किया जाता है। वर्तमान में कोवैक्सीन को 18 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों में उपयोग के लिये अनुमोदित किया गया है। अब भारत बायोटेक द्वारा 2 वर्ष से 18 वर्ष की आयु के बीच 'कोवैक्सीन' के नैदानिक परीक्षण आयोजित किये जाएंगे। इस परीक्षण के दौरान इस आयु वर्ग में वैक्सीन से सुरक्षा, इसके प्रतिकूल प्रभावों और उसकी प्रतिरक्षा क्षमता संबंधी पहलओं का अध्ययन किया जाएगा।

पद्मकुमार माधवन नायर

पद्मकुमार माधवन नायर को 'नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड' (NARCL) के प्रमुख के तौर पर नियुक्त किया गया है। पद्मकुमार नायर वर्तमान में भारतीय स्टेट बैंक के स्ट्रेस्ड एसेट्स रिजॉल्यूशन ग्रुप के मुख्य महाप्रबंधक के रूप में कार्यरत हैं। ज्ञात हो कि भारतीय बैंक संघ (IBA) वित्त मंत्रालय और भारतीय रिज़र्व बैंक के परामर्श से 'नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड' के गठन की अगुवाई कर रहा है। 500 करोड़ रुपए और उससे अधिक की मूल बकाया राशि वाली दबावग्रस्त परिसंपत्तियों, जिनका समग्र मूल्य तकरीबन 1.50 लाख करोड़ रुपए है, नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड को हस्तांतरित किये जाने की उम्मीद है।

व्हिटली अवाडर्स-2021

नगालैंड के लॉन्गलेन्ग जिले के पर्यावरणविद् 'नुक्लू फोम' का चयन 'व्हिटली अवार्ड्स-2021' के लिये किया गया है। यह पुरस्कार ब्रिटेन स्थित 'व्हिटली फंड फॉर नेचर' नामक धर्मार्थ संस्थान द्वारा प्रदान किया जाता है। व्हिटली अवार्ड्स का उद्देश्य जमीनी स्तर पर कार्यरत वन्यजीव संरक्षणवादियों का समर्थन करना है। इस पुरस्कार के तहत विजेताओं को उनकी पर्यावरण संबंधी परियोजनाओं के लिये 40,000 पाउंड की राशि प्रदान की जाती है। साथ ही यह पुरस्कार विजेताओं को उनके सामने आने वाले विभिन्न पर्यावरणीय मुद्दों पर ध्यान आकर्षित करने के लिये एक अंतर्राष्ट्रीय मंच भी प्रदान करता है। इस पुरस्कार को 'ग्रीन ऑस्कर' के नाम से भी जाना जाता है। यह पुरस्कार नगालैंड में प्रतिवर्ष आने वाले 'अमूर फाल्कन' पक्षियों को स्थानीय शिकारियों से बचाने के लिये एक नए 'जैव विविधता शांति गलियारे' की स्थापना हेतु नुक्लू फोम द्वारा किये गए प्रयासों को मान्यता प्रदान करता है। फोम के इस शांति गलियारे का उद्देश्य पर्यावरण के साथ सामंजस्य स्थापित करते हुए समुदायों, नीति निर्माताओं और वैज्ञानिकों को एक साथ एक मंच पर लाना है। ज्ञात हो कि 'अमूर फाल्कन' दुनिया की सबसे लंबी यात्रा करने वाले शिकारी पक्षी हैं, ये सर्दियों की शुरुआत के साथ यात्रा शुरू करते हैं। ये शिकारी पक्षी दक्षिण-पूर्वी साइबेरिया और उत्तरी चीन में प्रजनन करते हैं तथा लाखों की संख्या में मंगोलिया एवं साइबेरिया से भारत और हिंद महासागरीय क्षेत्रों से होते हुए दक्षिण अफ्रीका तक प्रवास करते हैं। नगालैंड को 'फाल्कन कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड 'के रूप में जाना जाता है।

अंतर्राष्टीय परिवार दिवस

विश्व भर में प्रत्येक वर्ष 15 मई को 'अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस' (IDF) मनाया जाता है। इस दिवस के आयोजन का प्राथमिक उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के बीच पारिवारिक संबंधों के महत्त्व को उजागर करना है। ज्ञात हो कि परिवार समाज के निर्माण की मूलभूत इकाई है और यह एक व्यक्ति के जीवन में सर्वाधिक महत्त्व रखता है। संयुक्त राष्ट्र के मृताबिक अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस आम जनमानस के बीच परिवारों से संबंधित मुद्दों के बारे में जागरूकता को बढ़ावा देने और संबंधों को प्रभावित करने वाले सामाजिक, आर्थिक और जनसांख्यिकीय कारकों के बारे में समझ विकसित करने का अवसर प्रदान करता है। वर्ष 2021 के लिये इस दिवस का थीम है- 'परिवार और नई प्रौद्योगिकियाँ'। यह थीम परिवार और पारिवारिक संबंधों पर नई प्रौद्योगिकियाँ के प्रभाव पर केंद्रित है। गौरतलब है कि संयुक्त राष्ट्र महासभा ने बुनियादी परिवार प्रणाली के महत्त्व को महसूस करते हुए वर्ष 1993 में 15 मई को 'अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस' के रूप में घोषित किया और सबसे पहले इसे 15 मई, 1994 को मनाया गया था।

विश्व खाद्य पुरस्कार

भारतीय मूल की वैश्विक पोषण विशेषज्ञ डॉ. शकुंतला हरकिसंह थिलस्टेड को जलीय खाद्य प्रणालियों के लिये समग्र पोषण-संवेदनशील दृष्टिकोण विकिसत करने में उनके अभूतपूर्व शोध के लिये प्रतिष्ठित 'विश्व खाद्य पुरस्कार-2021' हेतु चुना गया है। डॉ. शकुंतला थिलस्टेड द्वारा बांग्लादेश में छोटी देशी मछली प्रजातियों पर किये गए शोध ने खेतों से लेकर खाद्य प्रसंस्करण और अंतिम उपभोक्ताओं तक सभी स्तरों पर जलीय खाद्य प्रणालियों के लिये पोषण-संवेदनशील दृष्टिकोण का विकास किया, जिसके परिणामस्वरूप एशिया और अफ्रीका के लाखों संवेदनशील लोगों को बेहतर आहार प्राप्त हो सका। 'विश्व खाद्य पुरस्कार' विश्व भर में भोजन की गुणवत्ता, मात्रा या उपलब्धता में सुधार करके मानव विकास सुनिश्चित करने वाले व्यक्तियों की उपलब्धियों को मान्यता देने वाला सबसे प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय सम्मान है। यह वार्षिक आधार पर दिया जाने वाला पुरस्कार है, जो विश्व खाद्य आपूर्ति में शामिल किसी भी क्षेत्र में किये गए योगदान को मान्यता देता है, जिसमें पौधे, पशु, मृदा विज्ञान, और प्रौद्योगिकी, पोषण एवं ग्रामीण विकास आदि शामिल हैं। इसमें 2,50,000 डॉलर के नकद पुरस्कार के अलावा पुरस्कार विजेता को प्रसिद्ध कलाकार और डिजाइनर, शाऊल बास द्वारा डिजाइन की गई एक मूर्ति प्रदान की जाती है।

हार्टबीट बिल

अमेरिका के टेक्सास प्रांत द्वारा हाल ही में 'हार्टबीट बिल' नामक एक विवादास्पद विधेयक पारित किया गया है, जो कि किसी भ्रूण में हृदय संबंधी गतिविधि का पता लगने पर गर्भपात की प्रक्रिया को प्रतिबंधित करता है यानी यदि भ्रूण में दिल की धड़कन शुरू हो गई है तो गर्भपात नहीं करवाया जा सकेगा। इस विधेयक के साथ टेक्सास उन दर्जन से अधिक अन्य राज्यों के समूह में शामिल हो गया है, जिन्होंने इस प्रकार के प्रतिबंध से संबंधित कानून बनाए हैं, हालाँकि इन सभी कानूनों पर संघीय अदालतों द्वारा रोक लगा दी गई है। टेक्सास द्वारा पारित यह विधेयक अन्य राज्यों के कानून के विपरीत राज्य सरकार को प्रतिबंध लागू करने के लिये उत्तरदायी नहीं बनाता है। यह विधेयक राज्य के किसी भी व्यक्ति को कानून का उल्लंघन करते हुए गर्भपात करने वाले चिकित्सा पेशेवर अथवा इस कृत्य में शामिल लोगों के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई करने की अनुमित देता है।